खण्ड-275, अंक-5
गुरूवार, 30 अग्रहायण, शक संवत् 1889
(21 दिसम्बर, 1967 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 275 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २१ दिसम्बर, १९६७

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री जगदीशशरण अग्रवाल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३९६

अंगनेलाल, श्री
अख्तर अली खां, श्री
अजीत प्रताप, श्री
अठई राम, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अब्दुल खालिक, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अयोध्या प्रसाद, श्री (झांसी)
अयोध्या प्रसाद, श्री (मिर्जापुर)
अयोध्या प्रसाद आर्य, श्री
अर्जुन, श्री
अवधेश प्रताप मल, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अशर्फी लाल, श्री
अश्वनी कुमार, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', श्री
अहमदउल्ला खां, श्री
आत्मा, श्री
आनन्द सिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रपालसिंह, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
ईश्वर शरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयप्रताप, श्री
उदयवीरसिंह, श्री
उदितनारायण शर्मा, श्री
उमादत्त, श्री
ऊदल, श्री
एस० जी० बत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार सरन, श्री
ओम् प्रकाश, श्री
ओम्प्रकाश सिंह, श्री
कन्धई लाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री (इटावा)
कन्हैयालाल, श्री (झांसी)
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला प्रसाद, श्री (जौनपुर)
कमला प्रसाद, श्री (बहराइच)
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम कल्लन गुरु)
कल्याणसिंह, श्री
कामतासिंह, श्री
कालीचरण, श्री
काशीनाथ, श्री
किशनलाल, श्री
किशनलाल बिलेर, श्री
किशन सिंह, श्री
किशुन लाल श्री
कृष्ण बहादुर, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केवारराज जंगबहादुर राणा, श्री

केशरीलाल, श्री
केशव देव, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमा, श्री
गंगाधर, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद, श्री (मथुरा)
गंगाभक्त सिंह, श्री
गंगाराम, श्री
गंगास्वरूप भटनागर, श्री
गजाधर, श्री
गयाप्रसाद, श्री (उपनाम मास्टर साहब)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाशंकर, श्री
गिरधारीलाल, चौधरी
गिरिराज सिंह, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपालराम दास, श्री
गोविन्द नारायण तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
गौरीशंकर सर्राफ, श्री
गौरीसिंह राठौर, श्री
घनश्याम गिरि, महन्त
घनश्याम दास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्र किशोर, श्री
चन्द्र कुमार, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रशेखर, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चरणसिंह, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
चेतराम वर्मा, श्री
जंगबहादुर, श्री
जगत सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश नारायण त्रिपाठी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगपत सिंह, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमीलुर्रहमान, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जवाहर लाल जाटव, श्री
जवाहिर लाल, श्री
जसोदा नन्द, श्री
जानकी प्रसाद, श्री
जितेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
जियाउर्रहमान, श्री
जी० एस० चौधरी, श्री
जुगल किशोर, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
जैदत्त सिंह, श्री
जैनूराम, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकम सिंह, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रेपन सिंह, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दलसिंह, श्री
दशरथ, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्गा प्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
दृगराज सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवीचरण अग्निहोत्री, श्री
देवी दयाल सेन, श्री
देवी सहाय बाजपेयी, श्री
देवी सेवक , श्री
देवेन्द्रसिंह, कुंवर
देशराज सिंह, श्री
धनराज यादव, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीरसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
ध्रुवकुमार, श्री

नन्हेंलाल, श्री
नरदेव सिंह, श्री
नरवदेश्वर, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नवल किशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन, श्री
निहाला सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेमपाल सिंह, श्री
पब्बर राम, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पीतम सिंह, श्री
प्रताप नारायण तिवारी, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमदत्त, श्री
फूलसिंह, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बजरंग बली, ब्रह्मचारी,
बदनसिंह, श्री
बदलराम, श्री
बद्रीप्रसाद अवस्थी श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेवसिंह, सरदार
बलवीरसिंह, श्री (मेरठ)
बलवीरसिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बसन्तलाल, श्री (जालौन)
बसन्तलाल, श्री (लखनऊ)
बसन्त सिंह, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बिशन लाल, श्री
बुधिराम, श्री
बृजकिशोर, श्री
बृजमोहन दास अग्रवाल, श्री
बेचनराम, श्री (वाराणसी)
बेनीबाई, श्रीमती
बेनीसिंह अवस्थी, श्री
बैजनाथ, श्री (बलिया)
बैजनाथ, श्री (वाराणसी)
ब्रह्माश्रम, स्वामी
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौती, श्री
भग्गूराम, श्री (उपनाम भृगुनाथ)
भारतसिंह चौहान, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भुवनेशभूषण, श्री
भुगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भैरवदत्त धूलिया, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलाप्रसाद तिवारी, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मकसूद हुसैन, श्री
मदनमोहन मिश्र, श्री
मदनमोहन सिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
मन्नीलाल, श्री
मन्सादीन, श्री
मलिखानसिंह, श्री
मसालोदेवी, श्रीमती
महरामसिंह, श्री
महिपाल सिंह, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्रप्रतापसिंह, कुंवर
महेश कुमार, श्री
माताप्रसाद, श्री
मारकंडे, श्री
मुंशीलाल चमार, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुन्शीलाल, श्री
मुरलीधर, श्री
मुलायमसिंह, श्री
मुल्कीराज, श्री
मुल्तानसिंह, श्री
मुहम्मद महमूद अली खाँ, श्री
मुहम्मद रफी खाँ, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल कपूर, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (उपनाम लल्लन जी)
योगेश्वर प्रसाद, श्री

रईसउद्दीन, श्री
रघुनाथसिंह, श्री (आगरा)
रघुनाथसिंह, श्री (झाँसी)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मैनपुरी)
रफी मुहम्मद खाँ, श्री
रमाकान्त, श्री
रमाशंकर अग्रवाल, श्री
रवीन्द्रप्रताप सिंह, श्री
राजकिशोर, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबली, श्री
राजबहादुर, श्री (जौनपुर)
राजबहादुर, श्री (सीतापुर)
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबहादुर द्विवेदी, श्री
राज राजेश्वर, श्री
राजाराम, श्री (देवरिया)
राजाराम, श्री (बलिया)
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधेश्याम कपूर, श्री
रामअंजोर, श्री
रामअचल सिंह सेंगर, श्री
रामअधार, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामआसरे, श्री
रामकरन, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर, श्री
रामकुमार, श्री
रामचन्द्र आजाद, श्री
रामचन्द्र जोशी, श्री
रामचन्द्र बिकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरन दोहरे, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदत्त, श्री
रामदास, श्री
रामदुलार पटेल, श्री
रामदुलारे, श्री (गोंडा)
रामदुलारे, श्री (रायबरेली)
रामदेव, श्री (गोंडा)
रामदेव, श्री (प्रतापगढ़)
रामनरेश पांडेय, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ, श्री (मिर्जापुर)
रामनाथ, श्री (शाहजहांपुर)
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
रामप्रकाश त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद श्री (आगरा)
रामप्रसाद, श्री (गढ़वाल)
रामप्रसाद, श्री (रायबरेली)
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामश्री राजपूत, श्री
रामसजीवन, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसरनसिंह, श्री
रामसिंह, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसेवक, श्री
रामस्वरूप, श्री (देहरादून)
रामस्वरूप, श्री (प्रतापगढ़)
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर सिंह, श्री
रुस्तम सैटिन, श्री
रूपनाथ, श्री
रूपनरायन, श्री
लक्ष्मी शंकर, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लाखन, श्री
लालकृष्ण कुमार पाल, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर, श्री
वरमेश्वर पांडेय, श्री
वसी नकवी, श्री

विजय शंकर सिंह, श्री
विपिनबिहारी तिवारी, श्री
विशुनप्रताप सिंह, श्री
विश्वनाथ प्रसाद, श्री (उपनाम श्रींगन साहू)
विश्वनाथसिंह, श्री
वीर बहादुर, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेश्वर त्यागी, श्री
शंकरसिंह, चौधरी
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शफकत जंग, श्री
शब्बीर हसन, श्री
शमीम आलम, श्री
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शीतलादीन, श्री
शुगन चन्द मजदूर, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्यामसिंह, श्री
श्रीनाथ, श्री
श्रीनारायण तिवारी, श्री
श्रीपति मिश्र, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
श्री शंकर शर्मा, श्री (उपनाम लालो शर्मा वकील)
सईद अहमद, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्तू, श्री
सरजूप्रसाद, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिकराम, श्री
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेव, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशील कुमार विद्यार्थी, श्री
सोहनलाल, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरिगेनराम, श्री
हरिहरनाथ अग्रवाल, श्री (उपनाम हरी बाबू)
हरिहरबख्शसिंह, राजा
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीशचन्द्र, श्री
हरीशचन्द्रसिंह, श्री
हरीसिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरीसिंह, श्री (मेरठ)
हिम्मत बहादुर, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

नोट—उप मुख्य मंत्री, श्री रामप्रकाश तथा उद्योग मंत्री श्री प्रभुनारायण सिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, २१ दिसम्बर, १९६७

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

बरहज थानान्तर्गत हरिजन बारात पर आक्रमण

*१--श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिला के बरहज थाना के नरसिंह डांड ग्राम के श्री राधेश्याम हरिजन के घर पर आई २९ जून, १९६७ की शाम को देविरया के ही थाना गौरी बाजार, ग्राम पांडेमिस्वा के श्री मातबर हरिजन के लड़के की बारात को बरातियों तथा मौके पर तैनात पुलिस को मार-पीट कर लूट ली गई ? पालकी तोड़ कर नदी में बहा दी गई तथा शादी एक दिन बाद पुलिस की देख रेख में हुई। यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में किसी का चालान न करने का क्या कारण है ? घटना का पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखा जाय ?

गृह उप मंत्री (श्री ओमप्रकाशसिंह)--

श्री मातबर हरिजन, निवासी ग्राम पाडे सिसवा, थाना गौरी बाजार, जिला देवरिया ने २९-६-१९६७ को थानाध्यक्ष बरहज को एक लिखित रिपोर्ट दी जिसमें यह कहा गया था कि वादी के लड़के का विवाह उसी दिन ग्राम नरसिंह डांड के श्री मिश्री हरिजन की पुत्री से होना था और जैसे ही बारात गांव नरसिंह डांड की ओर बढ़ने लगी, उक्त ग्राम के ५०-६० आदमी, जो लाठी भालों आदि से लैस थे, बारातियों पर टूट पड़े और बारातियों को लूट लिया तथा पालकी को तोड़ कर उठा ले गए। श्री मिश्री हरिजन ने भी एक लिखित रिपोर्ट गांव के लोगों द्वारा मार-पीट कर बारात को तितर बितर करने के बारे में दी जिसमें ४२ लोगों को नामजद किया।

इस सूचना के आधार पर थाने पर धारा ३९५ भा० दं० वि० के अन्तर्गत एक मुकदमा दर्ज किया गया जो बाद में धारा १४७/१४९/३२/३०६/३३२/४२७ भा०दं० वि० में परिवर्तित किया गया। आवश्यक जांच के बाद मामला न्यायालय भेजा गया जहां वह अभी विचाराधीन है।

*२--श्री चन्द्रबली--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त घटना के बाद भी उक्त ग्राम के हरिजनों की जान-माल खतरे में है। रास्ते रोके गये हैं। खेती-बारी पर कब्जा किया जा रहा है ? नाई, धोबी, लोहारों को उनके रोज-मर्रा के काम करने से रोक दिया गया है ? यदि हां, तो उपरोक्त आतंकपूर्ण वातावरण के दमन हेतु कौन सा फौरी कदम उठाया गया है ?

श्री ओमप्रकाशसिंह--

ग्राम के हरिजनों की रक्षा हेतु तथा वहां शांति बनाये रखने के लिये पी० ए० सी० की एक टुकड़ी नियुक्त की गई थी। घटना के अभियुक्तों के विरुद्ध धारा १०७/११७ जा० फौ० के अन्तगत कार्यवाही भी की जा रही है जो न्यायालय के विचाराधीन है।

श्री चन्द्रबली--

जैसा कि आपने उत्तर में कहा है कि ५०-६० आदमी बारातियों पर टूट पड़े लाठी बल्लम के साथ और बारातियों को लूट लिया तथा पालकी को तोड़ कर उठा ले गये, तो फिर भारतीय दंड विधान की धारा ३९५ के अन्तर्गत मुकदमा न चलाने का क्या कारण है ?

मुख्य मंत्री (श्री चरणसिंह)—

आपने बड़े तफसील की बात पूछी है लेकिन इत्तला मौजूद है इसलिये बता रहा हूं। पुलिस तहकीकात के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि सामान कोई नहीं लूटा था, सिर्फ चोटें आयी थीं। इसलिये दफा ३९५ में चार्ज नहीं लगाया।

श्री चन्द्रबली—

आपने अपने उत्तर में स्वयं कहा कि लूट लिया....

श्री अध्यक्ष—

कठिनाई यहां से पैदा हुई कि जो सरकार का उत्तर है उसमें स्वयं इस बात को तसलीम कर लिया कि बारातियों को लूट लिया।

श्री चरणसिंह—

यह तो रिपोर्ट लिखाई गयी।

श्री अध्यक्ष—

(उत्तर पढ़ने के बाद) बिल्कुल ठीक है। यह जो "लूट लिया" की स्वीकृति है वह रिपोर्ट लिखाई के संदर्भ में पढ़िये। यह सरकार नहीं कबूल कर रही है कि लूट लिया। सरकार का कहना है कि माल नहीं लूटा गया इसलिये दफा बदली गयी।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि कितने आदमियों के खिलाफ रिपोर्ट लिखायी गयी और उसमें से कितने लोग अभी तक जल भुज गय ?

श्री चरणसिंह—

ये लोग इस वाकये के बाद सब फरार हो गये लेकिन फिर भी करीब-करीब सभी गिरफ्तार हो चुके हैं, तीन-चार बचे हैं।

श्री चन्द्रबली—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो मुकदमा अदालत के विचाराधीन है उसमें क्या बरहज के थानेदार ने चार्जशीट अदालत के सुपुद कर दी है ?

श्री चरणसिंह—

इतनी तफसील के लिये तो नोटिस की जरूरत होगी। लेकिन मैं समझता हूं कि इसकी जरूरत नहीं है। पुलिस ने काफी अहतियात से काम लिया। पहले दो कांसटेबिल भेज दिये थे और बाद में सब इन्सपेक्टर भी गया था और उसकी इन एफीशियेन्सी की वजह से उसके खिलाफ कार्यवही हो गई है।

श्री धर्मवीर (जिला मेरठ)—

२-४ आदमी रह गये हैं बाकी सब गिरफतार कर लिये गये हैं तो उनमें से कितने आदमियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है ?

श्री चरणसिंह—

कुछ लोगों को जमानत पर छोड़ दिया गया है।

श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, यह एक बड़ी हृदय विदारक घटना है जिसमें एक हरिजन की बरात पर हमला हुआ और पुलिस में ३९५ धारा के अन्तर्गत रिपोर्ट लिखाई और पुलिस ने मामले में धारायें बदल दीं। इसलिये इसमें पूरे फैक्ट्स मंगाये जांय क्योंकि अगर ऐसी घटनाओं की रोकथाम नहीं हुई तो ठीक नहीं होगा। क्या मुख्य मंत्री जी किसी वरिष्ट अधिकारी को भेजकर इसकी जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

देखिये प्रश्न में आक्षेप होना ठीक नहीं है। आपकी बात को सूचना मान कर क्या मुख्य मंत्री जी पुनः जांच करायेंगे ?

श्री चरणसिंह—

जी नहीं, मैं इसकी जरूरत नहीं समझता। इसमें पुलिस ने पहले से भी काफी अहतियात बरती थी। पहले दो कांसटेबिल भेज दिये गये थे लेकिन सब इंस्पेक्टर इस खयाल से कि दो कांसटेबिल नाकाफी होंगे, दो गार्ड और कुछ सिपाहियों को लेकिर वहां पहुंचा। लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही यह कांड हो चुका था। इससे पहले रोज सर्किल इंस्पक्टर ने बरहज के थानेदार को चेतावनी दे दी थी कि कोई वाकया न हो जाये। पुलिस की तरफ से कोई कोताही नहीं है लेकिन इसके बावजूद सब इंस्पेक्टर को इनस्फीशियेंसी की वजह से सजा भी दे दी गई है। इसलिये मैं नहीं समझता हूं कि और तहकीकात की जरूरत है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, चन्द्रबली जी के क्षेत्र से हमारे यहां बरात आई थी। बरातियों ने पुलिस को सूचना दे दी थी कि शायद ऐसा हो जाये कि हमला हो जाये और दरोगा ने रवानगी की रिपोर्ट भी लिखाई है कि मैं वहां जा रहा हूं लेकिन वह वहां पहुंचा नहीं। मैं जानना चाहता हूं कि इस बारे में दरोगा के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? अगर वह समय से पहुंच गया होता तो यह कांड न होता ?

श्री चरणसिंह—

मैं अर्ज कर चुका हूं कि उसकी थोड़ी सी गलती रही। उसके खिलाफ कार्यवाही हो रही है।

फीरोजाबाद में चूड़ी के कारखानों में तालाबन्दी

*३—श्री राजाराम यादव (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि फीरोजाबाद, जिला आगरा में चूड़ी के तमाम कारखानों में मालिकों ने अपने कारखानों में १४ जुलाई, १९६७ से अवैधानिक रूप से कारखाना बन्दी कर दी है जिसके कारण उन कारखानों में काम कर रहे लगभग ३० हजार मजदूर बेकार हो गये हैं और अगर ऐसा है, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने की सोचती है ?

उद्योग मंत्री (श्री प्रभुनारायण सिंह)—

जी हां, फीरोजाबाद के चूड़ी कारखानों के मालिकों ने अपने कारखानों को १४ जुलाई, १९६७ से बन्द कर दिया था। यह बन्दी श्रमिकों द्वारा दिनांक १३ जुलाई, १९६७ से बगैर सूचना एकाएक हड़ताल के फलस्वरूप की गई थी।

सरकार द्वारा इन कारखानों को शीघ्रातिशीघ्र चलवाने के लिये निरन्तर प्रयत्न किये गये। अन्त में एक समझौता दिनांक २० सितम्बर, १९६७ को हो गया और दिनांक २५/२६ सितम्बर, १९६७ से समस्त कारखाने पुनः चालू हो गये।

पूर्वी अन्चल में चीनी मिलों की कार्य स्थिति

*४--श्री राजाराम पांडेय (जिला देवरिया)--

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भटनी, बाराबंकी, मोतीनगर, रामपुर तथा सखौती टांडा की चीनी मिलों की तत्काल बन्दी की घोषणा से उक्त मिलों में नियोजित ६,००० श्रमिकों ने सत्याग्रह की नोटिस दी है? यदि हां, तो सरकार इन मिलों को चालू कराने के लिये क्या कदम उठा रही है?

उद्योग उप मंत्री (श्री हिम्मतसिंह)--

केवल भटनी व मोतीनगर शुगर मिल के श्रमिकों ने सत्याग्रह की नोटिस दिया था और २५ जुलाई, १९६७ से सत्याग्रह प्रारम्भ भी कर दिया था। आपसी समझौते के फलस्वरूप मोतीनगर में ६ अक्तूबर, १९६७ से और भटनी में ७ अक्तूबर, १९६७ से सामान्य रूप से कार्य चल रहा है।

*५--श्री राजाराम पांडेय--

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २५ जुलाई, १९६७ से मोतीनगर (फैजाबाद) तथा भटनी (देवरिया) चीनी मिलों के श्रमिकों ने सत्याग्रह आरम्भ कर दिया है और भटनी के सत्याग्रही श्रमिक भारी संख्या में मोतीनगर आना आरम्भ कर दिये हैं? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में निराकरण के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री हिम्मतसिंह--

जी हां। विभाग द्वारा समझौतों का प्रयत्न सफल रहा जिसके फलस्वरूप मिलों में सामान्य रूप से कार्य चल रहा है।

श्री राजाराम पांडेय (देवरिया)--

हमारा प्रश्न यह है कि माननीय श्रम मंत्री जी के यहां सत्याग्रह की सूचना पहले से थी और सत्याग्रह शुरू हुआ, तीन महीने के बाद २५ जुलाई, १९६७ को और वह भी समझौते से उनका मामला तय हुआ तो श्रम विभाग इतने दिनों तक क्या करता रहा?

श्री हिम्मतसिंह--

समझौता करवाते रहे मालिकों और मजदूरों के बीच में।

श्री उग्रसेन--

माननीय प्रश्नकर्ता ने कहा कि समझौता हो गया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री बताएंगे कि वह समझौता आई० एन० टी० यू० सी० के नेता काशीनाथ पांडेय और मिल मालिक झुनझुनवाला के बीच हुआ था जिसमें शर्त कर दी गयी थी कि मिल पर जो बकाया है वह पैसा दे दिया जायगा और मिल चालू कर दी जायगी? क्या यह सही है कि मिल पर ४० लाख का बकाया है, और इनटक ने जो समझौता किया उसमें जो मजदूरों का हित नहीं हुआ है, वह हित करवाएंगे माननीय मंत्री जी?

श्री प्रभुनारायणसिंह--

जहां तक भटनी मिल के मजदूरों का प्रश्न है, उनकी जो बकाया थी श्रम विभाग ने हस्तक्षेप करके, देवरिया के जिलाधीश ने हस्तक्षेप करके उनके पैसे को दिलवाने का प्रयास किया। वह पैसा बांटा गया। जहां तक मिल बन्दी का सवाल है या उसके साथ दूसरे जुड़े हुए सवाल हैं, श्रम विभाग प्रयत्न कर रहा था कि कोई उचित और न्यायसंगत समझौते का रास्ता निकल आये, इसी बीच में मजदूरों ने सत्याग्रह करने का फैसला किया और उसके बाद समझौता भी कर लिया।

श्री कल्पनार्थसिह--

२५ जुलाई, १९६७ से सत्याग्रह आरम्भ हुआ। सत्याग्रह आरम्भ करने के पहले कोई न कोई नोटिस दी गयी होगी मजदूरों द्वारा। तो जब मजदूरों द्वारा नोटिस दी गयी उसके बाद २५ जुलाई, १९६७ तक के समय के अन्दर श्रम विभाग ने कौन-कौन से ऐसे काम किये जिनसे मजदूरों को सत्याग्रह पर जाने की नौबत न आये?

श्री प्रभुनारायणसिह--

जहां तक भटनी मिल का प्रश्न है वह मैंने बताया। जहां तक फैजाबाद के मेसर्स कमलापति मोतीलाल शुगर मिल्स का प्रश्न है कारखाने की बन्दी की घोषणा नहीं की गयी। यह जवाब पहले आ चुका है। मार्च, १९६७ से लगभग २०० कर्मचारियों को २ मास के लिए अनिवार्य अवकाश पर भेजा गया था। नियोजकों ने इस अवकाश की अवधि ६ मास बढ़ाने के लिए प्रार्थना की थी किन्तु श्रमायुक्त ने केवल डेढ़ मास की स्वीकृति प्रदान की थी। इस प्रकार १६ जून, १९६७ को अनिवार्य अवकाश की अवधि समाप्त हो गयी और १६ जन, १९६७ को श्रमिक पुनः काम पर ले लिये गये। १२ जुलाई, १९६७ से दो मास के लिए प्रार्थना नियोजकों ने १०२ कर्मचारी जो अनिवार्य अवकाश पर भेजे गये थे को बैठकी पर यह कारण दिखाते हुए भेजा कि कारखाने का टूटा हुआ टरवाइन बदलवाने में विलम्ब की सम्भावना है और जिसके पार्ट्स पुर्जे स्विट्जरलैण्ड से नवम्बर, १९६७ तक आने की आशा है। श्रमिकों में इस बैठकी से अत्यन्त असन्तोष व्याप्त रहा, उन्होंने इसका विरोध किया और रामधुन का कार्यक्रम चालू किया यह कार्यक्रम चलता रहा, जिसमें भटनी शुगर मिल के भी श्रमिक शामिल हो गए। १२ सितम्बर, १९६७ से कुछ-कुछ कर्मचारी काम पर उपस्थित होने लगे।

श्री अध्यक्ष--

आप तो बहुत विस्तार में चले गए, प्रश्न पर आइये।

श्री प्रभुनारायणसिह--

१७ लाख रुपया श्रमिकों का मिल पर बकाया है।

श्री अध्यक्ष--

आप सवाल पर आ जाएं, उनका सवाल कुछ है और आपका जवाब कुछ है। उनका प्रश्न यह है कि सत्याग्रह शुरू होने और नोटिस प्राप्त होने के समय के बीच सरकार ने क्या कार्यवाही की?

श्री प्रभुनारायणसिह--

इसी पर तो मैं कह रहा हूं मालिकों ने यह चाहा था कि ६ महीने के लिए उनको अवकाश कर दिया जाए किन्तु श्रमायुक्त ने केवल डेढ़ महीने का श्रमिकों का अवकाश स्वीकार किया। इस मिल पर जो बकाया था उसके सिलसिले में मिल को बन्द किया गया, और इस सम्बन्ध में मिल मालिकान हाईकोर्ट रिट लेकर गए और वे वहां से आदेश लाए और फिर मिल को वापस करना पड़ा।

श्री कल्पनासिह--

श्रीमन्, अब भी प्रश्न का उत्तर नहीं आया। जो प्रश्न पुनः आपने मंत्री जी के सामने रखा उस पर कोई प्रकाश नहीं पड़ा। मैं यह समझता हूं कि आप मंत्री जी का बयान देखकर यह व्यवस्था दें कि क्या यह सही है जो मंत्री जी ने उत्तर दिया है? मंत्री जी ने उसका सही उत्तर नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष--

कौन सा उत्तर सही है या नहीं, यह मैं कैसे जान सकता हूं। आप दूसरे प्रकार से प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

क्या श्रम मंत्री जी बताएंगे कि इन मिलों के अन्दर खासकर मोती लाल मिल, मोतीनगर (फैजाबाद) के श्रमिकों ने जो नोटिस दी थी वह श्रम विभाग को किस तारीख को मिली थी और उस नोटिस के बाद श्रम आयुक्त, श्रम अधिकारियों या श्रम मंत्री ने मालिकों और मजदूरों को बुलाकर किन-किन तारीखों में मीटिंग की ?

श्री प्रभुनारायणसिंह—

जहां तक तारीखों का सवाल है इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी। और नोटिस कब मिली इसक लिये भी नोटिस की जरूरत पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष—

जब आपके उत्तर में लिखा है कि नोटिस मिली तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि किस तारीख को मिली।

श्री राजाराम पाण्डेय—

मान्यवर, क्या श्रम मंत्री जी यह बतायेंगे कि मेरी बातें सही हैं कि जब से श्रमिकों ने नोटिस दिया और सत्याग्रह किया तब से उनकी बिजली काट दी गयी, पानी बन्द कर दिया गया और तनख्वाहें भी बन्द कर दी गयीं तथा वे लोग गिरफ्तार हो गये ?

श्री प्रभुनारायणसिंह—

मान्यवर, इसके लिये सूचना की आवश्यकता पड़ेगी। हां, जिला अधिकारियों को इस बात का निर्देश था कि शान्ति भंग की आशंका के बिना कोई ऐसी कार्यवाही न की जाय जिससे श्रमिकों के आन्दोलन को क्षति पहुंचे।

श्री उग्रसेन—

मिल मालिकों से समझौते की प्रतिलिपि माननीय मंत्री जी के पास आयी होगी तो मैं जानना चाहता हूं कि उसमें बिजली या पानी की कटौती करने के संबंध में कोई धारा है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी कहते हैं कि उनको सूचना नहीं है और अब माननीय उग्रसेन जी के पूछने से जानकारी तो उनको हो नहीं जायगी।

श्री प्रभुनारायणसिंह—

मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं इनकी नीति नहीं चलाना चाहता, निष्पक्ष नीति चलाई जा रही है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

बलिया कोतवाली के निकट श्री लखीचन्द की हत्या

*१—श्री बृजमोहनदास अग्रवाल (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दिनांक १० मई, १९६७ को बलिया जिले के शहर कोतवाली के अन्तर्गत स्टेशन रोड के निकट लखीचन्द नाम के एक व्यक्ति की हत्या खुले आम कर डाली गई जिसकी रपट उसी दिन थाना कोतवाली में मुलजिमों का नाम दर्ज कर के दी गई किन्तु अभी तक मुलजिम गिरफ्तार क्यों नहीं हुये ?

श्री ओमप्रकाशसिंह—

जी हां। श्री लखीचन्द की हत्या के संबंध में थाने पर जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई और उसमें जिन तीन लोगों को नामजद किया गया था उनमें से दो गिरफ्तार कर लिये गये और एक ने न्यायालय में आत्म सम्पर्ण कर दिया था। वादी ने २-३ अन्य अभियुक्तों की शिरकत भी बताई थी परन्तु उनके नाम व पते नहीं बताये। उनमें से एक गिरफ्तार किया गया बाकी को गिरफ्तार करने के प्रयत्न जारी है।

*२—श्री बृजमोहनदास अग्रवाल—

क्या यह सही है कि दिनांक २० अप्रैल, १९६७ को शाम के समय जिला बलिया के शहर कोतवाली ओकडेनगंज चौकी के रामधनी तथा आदित्य नारायण सिंह सिपाही ने इस बात की लिखित सूचना दी थी कि हत्यारे छुरा लेकर लखीचन्द को मारने को घूम रहे हैं ? यदि हां, तो पुलिस ने उसके बारे में क्या कार्यवाही की ?

श्री ओमप्रकाशसिंह—

दिनांक २०-४-६७ को रामधनी तथा आदित्य नारायण सिपाही ओकडेन गंज चौकी ने कोई सूचना नहीं लिखाई कि हत्यारे छूरा लेकर लखीचन्द को मारने को घूम रहे हैं

श्री बृजमोहनदास अग्रवाल—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अभियुक्तों की गिरफ्तारी रिपोर्ट लिखाने के कितने दिनों बाद हुई ?

श्री चरणसिंह—

इसका इल्म इस वक्त नहीं है।

श्री महेशकुमार (जिला मुरादाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि जब उनको सूचित कर दिया गया था कि दिन दहाड़े कत्ल हुआ है, तब क्या उसी दिन गिरफ्तारी करना सम्भव नहीं था ?

श्री ओमप्रकाशसिंह—

ऐसी कोई सूचना सिपाहियों द्वारा नहीं मिली।

श्री राममूर्ति—

हत्या का स्थान थाने से कितनी दूरी पर है ?

श्री चरणसिंह—

करीब डेढ़ फर्लांग, लेकिन मैंने उसे नापा नहीं है।

श्री महेशकुमार—

माननीय सदस्य की सूचना है कि थाने पर सूचना थी तो क्या वहां के सिपाही को जानकारी थी या नहीं, इसकी जांच किसी बाहरी एजेंसी से करवायेंगे बनिस्बत वहीं के थाने के इन्चार्ज से ?

श्री चरणसिंह—

अगर माननीय मित्र को सूचना है और वे विस्तार से बतलायेंगे तो हम तहकीकात करवायेंगे लेकिन हमारे पास यही सूचना आयी है।

वाराणसी में साम्प्रदायिक दंगा

*३—श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १ अप्रैल, १९६७ से १८ मई, १९६७ तक प्रदेश में कितने स्थानों पर साम्प्रदायिक दंगे हुये और इसके फलस्वरूप कितनी जगह गोली चली ?

श्री ओमप्रकाशसिंह—

उक्त अवधि में केवल एक साम्प्रदायिक दंगा वाराणसी शहर में दिनांक २१-४-६७ को हुआ जिसमें पुलिस को गोली चलानी पड़ी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस दिन यह साम्प्रदायिक दंगे हुये उस दिन उत्तर प्रदेश सरकार के कोई मंत्री या उप मंत्री वाराणसी शहर में थे या नहीं ?

श्री चरणसिंह—

मुझे ठीक से याद नहीं है, होंगे। मैं यह नहीं समझता था कि यह सप्लीमेंटरी भी होगा तो इसकी भी सूचना मंगा लेता।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

चौधरी साहब मुझे देख रहे हैं इस तरह से, वे मुख्य मंत्री भी हैं और हमारे बुजुर्ग भी और मैं उनसे डरता भी बहुत हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप दोनों बातों का ध्यान रख कर ही प्रश्न पूछे। (हंसी)

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन दिनों के बीच मंत्रिपरिषद के दो सदस्य माननीय बरमेश्वर पांडेय जी और तत्कालीन उप मंत्री श्री रुस्तम सैटिन साहब ने अलग-अलग दो कारण बताये थे ? यदि हां, तो माननीय मुख्य मंत्री जी को उनके बयानों के सम्बन्ध में जानकारी है या नहीं ?

श्री चरणसिंह—

अध्यक्ष महोदय, मुझे यह मालूम है। आपने पूछा था कि उस रोज जिस रोज झगड़ा हुआ, ये मौजूद थे या नहीं—मैंने कहा कि मैं नहीं जानता लेकिन ५-७ दिनों तक यह बातचीत चलती रही और यह ठीक है कि इस बीच में किसी वक्त पांडेय जी और सैटीन साहब वहां मौजूद थे। अब उनके क्या बयान हुये वह मुझे ठीक याद नहीं है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि यह देखते हुये कि उनके मंत्रिमंडल के दो सदस्य श्री बरमेश्वर पांडेय और श्री रुस्तम सैटिन के दो प्रकार के बयान आये थे और उन्होंने माननीय प्रभु नारायण सिंह को इस बात के लिये भेजा था कि वास्तव में बनारस में क्या हुआ है इसका पता लगायें और उनको रिपोर्ट दें ? यदि माननीय प्रभु नारायण सिंह ने कोई रिपोर्ट दी है तो उसमें क्या था ?

श्री चरणसिंह—

मैंने, माननीय प्रभुनारायणसिंह जी से यह नहीं कहा कि जायें और वह तहकीकात करें और कोई रिपोर्ट दें। इसलिये किसी रिपोर्ट का सवाल नहीं उठता। यह बात सही है कि इन तीनों दोस्तों से बातें हुई हैं। वह क्या बातें हुई हैं वह खुद मुझे याद नहीं हैं। अगर गाजीपुर में कोई झगड़ा हो जाय और ६ महीने के बाद आप मुझसे पूछ कि क्या बातें हुई थी तो मैं कैसे कह सकता हूं।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि इस दंगे में कितनी गिरफ्तारी हुई और कितने रोज तक दंगे चलते रहे?

श्री चरणसिंह—

इसमें जो गिरफ्तारी हुई वह तो मालूम नहीं है लेकिन ८३ आदमियों को चोटें आई थीं।

श्री महेशप्रसाद—

क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि १ अप्रैल से १८ मई, ६७ तक माननीय सदस्य ने प्रान्त में झगड़े की बात पूछी है तो पिछले वर्ष गत सरकार के समय में इसी समय के अन्दर कुल कितने दंगे प्रान्त में हुये थे और उसके मुकाबले में अब कितने हुये हैं?

श्री चरणसिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैंने पहिले प्रश्न के उत्तर में ८३ आदमियों के चोट बताई है वह ८३ नहीं है केवल १५ आदमियों को चोट आई थीं। यह इस सवाल का जहां तक सम्बन्ध है यह सूचना मेरे पास नहीं है। इतनी बात जरूर है कि अप्रैल के बाद जो दंगे हुये हैं उनकी तादाद कम है बनिस्बत जनवरी और मार्च के।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि १९ सूत्री कार्यक्रम के अनुसार उनके विभिन्न दलों की मांग थी कि इसकी न्यायिक जांच की जाय और यह उस प्रोग्राम में भी है कि ऐसे झगड़ों की न्यायिक जांच की जायगी तो फिर उन्होंने जांच क्यों नहीं कराई?

श्री चरणसिंह—

यह बात ठीक है कि १९ सूत्री प्रोग्राम के अन्दर एक प्रोग्राम यह भी है कि अगर कहीं पर गोली चले तो उसकी न्यायिक जांच होगी। हम यहां पर न्यायिक जांच करने का विचार कर रहे थे कि इसी बीच शान्ति कमेटी बैठी जिसमें दोनों सम्प्रदाय के सभी प्रमुख लोग और शायद सभी प्रमुख पोलिटिकल पार्टी के लोग मौजूद थे। बहुत काफी लोग उसमें मौजूद थे। उन लोगों ने गवर्नमेंट से रेक्वेस्ट की कि कोई न्यायिक जांच कराने की जरूरत नहीं है। आपस में फैसला हो गया है। अब अगर जांच करायी जायगी तो आपस के जख्म हरे हो जायेंगे।

श्री चन्द्रशेखर (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, कांग्रेस के लोग उस पीस कमेटी में ज्यादा थे।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी की याददाश्त को तकलीफ न दे कर भी मैं उन से जानना चाहूंगा कि अगर उन के पास माननीय प्रभुनारायण सिंह जी का कोई बयान और माननीय

वरमेश्वर जी तत्संबंधी बयान तथा रुस्तम सैटिन जी का तत्संबंधी बयान काट कर भेजा जाय और उन में विरोधाभास की कोई बात दिखायी पड़े तो क्या इस सिलसिले में वह आगे कोई बात करने की, कोई कार्यवाही करने का विचार रखते हैं इन मंत्रिपरिषद् के सदस्यों के खिलाफ ?

श्री चरणसिंह—

आपने इस प्रश्न की चूंकि इजाजत दे दी है इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि एक पुरानी कहानी है. आपने भी पढ़ी होगी और शायद आप को याद होगी कि एक चीज थी जिस को चन्द लोगों ने अपने अन्दाज से देखा और उसके कई तरह के इंटरप्रेटेशन किये । इसलिये अगर यह दंगा तीन चार दिन तक चलता रहा और उसके मुताल्लिक अगर मेरे कुछ साथियों के मन पर मुख्तलिफ इंप्रेशन पड़े और उन्होंने उस के मुख्तलिफ इंटरप्रेटेशन किये तो उसमें तहकीकात की जरूरत ही क्या है ?

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि वहां का दंगा कोई साम्प्रदायिक दंगा नहीं था बल्कि वह तो कांग्रेसियों और गैर-कांग्रेसियों का दंगा था ? चूंकि कांग्रेसी शासन नहीं था इसलिये यह सब बलवा हुआ ?

(उत्तर के लिए मुख्य मंत्री जी को बुलाया नहीं गया ।)

श्री रुस्तम सैटिन (जिला बनारस)—

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि मैंने इस दंगे के कारणों के संबंध में कोई बयान नहीं दिया ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

मैंने दंगे की स्थिति पर, वाकयात पर बयान की बात कही है, कारणों की बात नहीं कही।

श्री धर्मसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस दंगे में कितने व्यक्ति मारे गये और क्या उनके परिवार को कोई मुआवजा मिला है ?

श्री चरणसिंह—

इस में दो व्यक्ति गोली चलने से मरे हैं। उन में से एक की विधवा मां को १००० रुपये का मुआवजा दिया गया है । दूसरे व्यक्ति का पता नहीं चला कि वह कौन था, कहां से आया था ।

गोलीकाण्ड तथा दफा १४४ का उल्लंघन

*४—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में १ मार्च, १९६७ से लेकर ५ जून, १९६७ तक किन-किन स्थानों पर सरकार को गोली चलानी पड़ी तथा उसके फलस्वरूप कितने आदमी मरे तथा घायल हुये ?

*५—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि सरकार ने किन-किन जिलों में १ मार्च, १९६७ से ५ जून, १९६७ तक दफा १४४ लगाई गई और किन-किन जिलों में उसका उल्लंघन किया गया ?

श्री ओमप्रकाशसिंह—

वांछित सूचना संलग्न तालिकाओं में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६४०–६४१ पर)

श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि पहाड़ महादेवन मंदिर थाना शंकरगढ़, इलाहाबाद में गोली क्यों चलायी गयी थी और गोली चलाने की आज्ञा किस ने दी थी ?

श्री ओमप्रकाशसिंह—

सूचना मिलने पर कि कुछ बदमाश पहाड़ पर स्थित मंदिर में छिपे हैं, सब इंस्पेक्टर शंकरगढ़ पुलिस पार्टी के साथ वहां गये और उन को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया । उस समय बदमाशों द्वारा गोली चलाने पर पुलिस पार्टी द्वारा भी आत्मरक्षार्थ गोली चलानी पड़ी। इस घटना के संबंध में धारा १४७/१४८/३०७ भारतीय दंड विधान का मुकदमा कायम किया गया है। विवेचना के पश्चात् अभियुक्त का चालान किया गया ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इलाहाबाद में धारा १४४ कब लगी थी और उस को किस पार्टी ने तोड़ा था और उस में कितने आदमी गिरफ्तार हुए थे?

श्री ओमप्रकाशसिंह—

इलाहाबाद में दफा १४४ कई बार लगानी पड़ी है। एक बार २२–३–६७ से २४–३–६७ तक लगानी पड़ी। दूसरी बार २०–३–६७ से २०–४–६७ तक लागानी पड़ी है। फिर लगी है २५–३–६७ से २९–३–६७ तक । फिर ११–४–६७ से २४–४–६७ तक, और फिर २३–४–६७ से ३०–५–६७ तक।

श्री अश्वनीकुमार चतुर्वेदी "राकेश" (जिला मिर्जापुर)—

इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेशीय सरकार इस बात पर विचार करेगी कि शांति व्यवस्था के नाम पर कहीं भी प्रदेश में निरीह और निहत्थी जनता पर गोली न चलानी पड़े और न १४४ धारा लगानी पड़े ?

श्री चरणसिंह—

जी नहीं, गवर्नमेंट ऐसा कोई विचार नहीं कर रही है।

श्री धर्मवीर—

उस मंदिर पर उस इलाके के कितने बदमाश इकट्ठे थे और उनके नाम क्या क्या थे ?

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें। मैं एक बात बता दूं। अगर कोई ऐसा प्रश्न पूछा जाय कि सारे सूबे में कितनी दफा १४४ लगायी गयी तब उसकी हर घटना का इतनी बारीकी से, डिटेल में जाने की कोई अनुमति नहीं दे पाऊंगा।

श्री धर्मवीर—

मैं केवल एक घटना के बारे में माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं।

श्री चरणसिंह—

कौन-कौन बदमाश थे, शायद माननीय दोस्त को मालूम होगा।

[२१ दिसम्बर, १९६७ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

जानसठ थाने में अपराध

*१—श्री शुगनचन्द मजदूर (जिला मुजफ्फर नगर) —

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिला मुजफ्फरनगर के जानसठ थाने में १ जनवरी, १९६७ से ३१ मई, १९६७ तक कितनी डकैती और कितने कत्ल तथा कितनी चोरियां हुईं और उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई और किस किस गांव में ?

श्री ओमप्रकाशसिंह—

जिला मुजफ्फरनगर के थाना जानसठ के क्षेत्र में १–१–६७ से ३१ मई, १९६७ तक डकैती की २ घटनायें हुई, एक ग्राम कवाल में तथा दूसरी ग्राम सिखेड़ा में, कत्ल की कोई घटना नहीं हुई, चोरी की १० घटनायें हुई, ५ कस्बा जानसठ में तथा एक-एक घटायन, महलकी, सिखेड़ा कबाल तथा कटका ग्रामों में।

डकैती के दोनों मामलों में जांच के बाद अभियुक्तों का चालान किया गया। चोरी के दो मामलों में अभियुक्तों का चालान किया गया और शेष में फाइनल रिपोर्ट लगाई गई।

*२—श्री शुगनचन्द मजदूर—

क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि इसी बीच में कुछ आग लगाये जाने की भी घटनायें हुई हैं? यदि हां, तो क्या कोई आदमी भी जल कर मर गया है?

श्री ओमप्रकाशसिंह—

उक्त अवधि में थाना जानसठ के क्षेत्र में आगजनी की एक घटना हुई। इस घटना में कोई व्यक्ति जल कर नहीं मरा।

श्री शुगनचन्द मजदूर—

अध्यक्ष महोदय, जो जवाब आया है उसमें कुछ तथ्य छिपाये गये हैं। मेरी जानकारी है कि उस सर्किल में लगभग १० डकैतियां पड़ी हैं जिनमें तीन आदमी मारे गये हैं। गांव महालकी में भी और जहां तहसील भी है और थाना है वहां नायब तहसीलदार के यहां डकैती पड़ी और जानसठ में में दो आदमी मरे हैं। क्या सरकार इस संबंध में सही जानकारी करायेगी कि जो मेरी बात है इसमें कहां तक सच्चाई है?

श्री अध्यक्ष—

इनकी सूचना को सूचना मान कर जो रिपोर्ट आयी है उसके संबंध में पुनः जानकारी कराने का प्रयास करेंगे?

श्री चरणसिंह—

केवल यह उनसे पूछना कि इसके अलावा और डकैती हुई है, बेकार है, क्योंकि वह तो यही कहेंगे कि यही रिपोर्ट सही है और डकैती कोई नहीं पड़ी। अब अगर इसके अलावा कोई और सूचना है तो उसको ब्योरेवार देंगे तभी मैं पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष—

मैं केवल इस ओर ध्यान दिलाऊंगा कि अगर आपको दोबारा जानकारी कराने के बाद ऐसा लगे कि पूरे तथ्य नहीं दिये गये पहली बार में और वह गलत थे तो कृपा करके सदन को अवगत कर दें।

श्री चरणसिंह—

मैं इसमें जांच कराना जरूरी नहीं समझता जब तक कि माननीय मित्र मुझको न बतलायें डिटेल्स में और उसके बाद मैं जांच करा कर अगर कोई बात होगी तो यहां रख दूंगा।

श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती)—

मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जिस तरह से माननीय सदस्य ने एक प्रश्न किया कि कुछ बातें छिपायी गयी ह, तो क्या अगर इंक्वायरी कराने के बाद मंत्री जी को सैटिस्फैक्शन हो जाय कि तथ्य छिपाये गये थे तो इंक्वायरी करने वाले के खिलाफ भी कोई कार्यवाही की जायगी?

अध्यक्ष—

इस विषय में तो मैं कह चुका हूं, अगर उनको यह मालूम होगा कि सूचना गलत है तो वे फिर उसको हाउस के समक्ष रखेंगे और उस पर तो फिर अवश्य कार्यवाही होगी ही नियमानुसार।

उत्तराखंड में न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग न करना

*३—श्री गोपालदत्त ओझा (जिला पिथौरागढ़)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तराखंड के जिलों में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका कब अलग की जा रही है ?

श्री ओमप्रकाशसिंह—

सरकार ने यह तय किया है कि उत्तराखंड के जिलों में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग नहीं किया जायगा ।

श्री गोपालदत्त ओझा—

जब सरकार के १९ सूत्री कार्यक्रम में यह था कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया जायेगा तो उत्तराखंड में यह क्यों नहीं किया गया ?

श्री चरणसिंह—

वहां पर जुर्म बहुत कम होते हैं, क्रिमिनल केसेज वहां बहुत कम होते हैं, इसलिये उसकी आवश्यकता वहां नहीं समझी गयी । वहां केवल २ जुडिशियल आफिसर्स हैं जो हाई कोर्ट के मातहत रहते हैं । बाकी जो एस० डी० एम० होते हैं वही सारा काम करते हैं । वहां पर इसको पृथक करने की तथा एडीशनल खर्चा बढ़ाने की जरूरत नहीं है।

श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

जब वहां पर जुर्म बहुत कम होते हैं तो यह दो जुडिशियल आफिसर्स किस उद्देश्य से रखे गये हैं ?

श्री चरणसिंह—

केवल दो ही तो हैं—एक नैनीताल में तथा एक अल्मोड़ा में, और रक्खे कहां गये हैं ।

श्री चन्द्रबली—

जब न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के सिद्धांत को सरकार मान चुकी है, तो आर्थिक बचत के नाम पर, उत्तराखंड की जनता को, इस अच्छे सिद्धांत को लागू न करके नुकसान क्यों पहुंचाया जा रहा है ? क्या सरकार वहां भी इसको लागू करने के प्रश्न पर पुनः विचार करेगी ?

श्री चरणसिंह—

जी नहीं ।

जिलाधीश, शाहजहांपुर के विरुद्ध आरोपों की जांच

*४—श्री उग्रसेन, श्री चन्द्रबली तथा श्री जंगबहादुर (जिला बाराबंकी)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि किसी विधेयक द्वारा शाहजहांपुर के जिलाधीश के विरुद्ध कोई प्रार्थना-पत्र उन्हें माह जून, १९६७ के अंतिम सप्ताह में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो वह पत्र क्या है और उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री ओमप्रकाशसिंह—

श्री चन्द्रबली सिंह सदस्य विधान सभा, के दिनांक १६ जून, १९६७ के पृष्ठांकन के साथ मुख्य मंत्री को संबोधित जिलाधीश शाहजहांपुर के विरुद्ध एक दिनांक रहित तथा गुमनाम शिकायती-पत्र गत जून के तीसरे सप्ताह में प्राप्त हुआ था उसमें लिखित आरोपों के संबंध में जांच की जा रही है।

श्री चन्द्रबली—

शाहजहांपुर जिलाधीश के विरुद्ध क्या आरोप थे और उनकी जांच कौन अधिकारी कर रहे हैं ?

श्री चरणसिंह—

माननीय चन्द्रबली सिंह साहब ने मुझे एक एनानीमस एप्लीकेशन दी थी, उसमें आरोप ऐसे हैं जिन्हें मैं बतलाना जनहित में मुनासिब नहीं समझता क्योंकि वे उनके चरित्र और वैयक्तिक आचरण के संबंध में हैं। जांच कमिश्नर रुहेलखंड डिवीजन से कराई। उनकी रिपोर्ट है कि ये आरोप निराधार ह। अब उनसे यह कहा जा रहा है कि श्री चन्द्रबली सिंह से पूछें कि उनके पास इनके क्या सबूत हैं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय चन्द्रबली सिंह ने एनानीमस लैटर दिया है, यह कुछ विरोधाभास जैसा है।

श्री चरणसिंह—

उन्होंने "एक नागरिक" की तरफ से लिखा है, लेकिन लिखा है कि "मैं उनको जानता हूं"।

मैं उनकी नोटिस सुनाये देता हूं। उसमें यह भी नहीं है। मैं तो यह समझ रहा था कि चन्द्रबली सिंह जी उस आदमी को जानते होंगे। उन्होंने कहा है कि यह पत्र उनके नाम से बिला हस्ताक्षर के आया था। किन्तु उनकी जानकारी में जो यह भेजे हैं उनके दिये हुए तथ्यों पर उन्हें विश्वास है अस्तु तुरन्त कार्यवाही के हेतु वह भेज रहे ह। यह आशा की है कि जिलाधीश को फौरन मुअत्तल कर कार्यवाही अमल में लाई जाय। मंशिवरा यह था कि जिलाधीश को फौरन सस्पेंड किया जाय अगरचे आप जानते भी नहीं हैं कि कौन भेज रहा है।

एल० एच० शुगर फैक्टरी, पीलीभीत पर बकाया

*५—श्री नेमपालसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार को जानकारी है कि एल० एच० शुगर फैक्टरी, पीलीभीत पर गन्ना देने वाले किसानों का लगभग दस लाख रुपया पिछले गन्ने के सीजन १९६६–६७ का अभी तक बकाया पड़ा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त मामले पर शीघ्र कार्यवाही करके किसानों को रुपया दिलवाने की कृपा करेगी ?

श्री हिम्मतसिंह—

प्राप्त सूचनानुसार उक्त मिल पर १९६६–६७ सीजन के गन्ने के मूल्य का लगभग ८.६६ लाख रुपया २८.२.६७ तक बकाया था। उक्त बकाया की वसूली के लिए ३०-३-६७ को वसूली प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया था, जिसके फलस्वरूप मिल द्वारा ३०-११-१९६७ तक केवल २० हजार रुपया भुगतान किया जाना शेष रह गया था। इस बकाया के शीघ्र वसूल हो जाने की आशा की जाती है।

श्री नेमपालसिंह--

मैं संविद के मंत्रियों से कोई सवाल जबानी नहीं करना चाहता हूं। जो उत्तर सही या गलत लिखकर आ जाया करेगा उसी पर संतोष कर लिया करूंगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

क्या माननीय उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बकाया रुपया न वसूल होने का क्या कारण है ?

श्री प्रभुनारायणसिंह--

पिछले सीजन में पूरा गन्ना न पेरा जाने से मिल पर प्रभाव पड़ा। इस साल सख्ती बरती गई और ८ लाख रु० में से केवल २०,००० रु० रह गया है।

चीनी उत्पादन

*६--श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की चीनी मिलों में सन् १९६५-६६ व १९६६-६७ में कितनी चीनी पैदा हुई, उसमें से कितनी चीनी भारत सरकार ने लिया और कितनी मिलों को छोड़ दिया है ? क्या मिलों के पास जो चीनी रहती है उस पर प्रदेश का कोई नियंत्रण है ?

श्री हिम्मतसिंह--

१९६५-६६ व १९६६-६७ में प्रदेश की चीनी मिलों में क्रमशः १३.७० व ७.११ लाख मीट्रिक टन चीनी बनी। चूंकि उक्त वर्षों में चीनी मिलों द्वारा उत्पादित समस्त चीनी पर भारत सरकार का नियंत्रण रहा, और उन्हीं के आदेशानुसार मिलें उत्पादित चीनी बेंचती हैं, अतः यह प्रश्न नहीं उठता कि कितनी चीनी मिलों को छोड़ दी। उत्तर प्रदेश सरकार का इस विषय से कोई संबंध नहीं।

श्री जी०एस० चौधरी (जिला मेरठ)--

इन्हीं वर्षों में कुल खांडसारी कितनी बनी ?

श्री हिम्मतसिंह--

नोटिस चाहिये।

*७-८--श्री बृजकिशोर (जिला फैजाबाद)--

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिये गये।]

पांण्डेपुर ग्राम में आग्नेयास्त्रों के लाइसेन्स

*९--श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)--

क्या गह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री शारदा प्रसाद त्रिपाठी, निवासी ग्राम पांडेपुर छिबैया, थाना सरायइनायत, जिला इलाहाबाद द्वारा उनकी जान-माल के संकट के सम्बन्ध में कोई स्मृति-पत्र सरकार को मई, १९६६ के अंतिम सप्ताह में मिला ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री ओमप्रकाशसिंह—

श्री शारदा प्रसाद त्रिपाठी का प्रश्न में उल्लिखित आशय का कोई प्रार्थना पत्र शासन को मई, १९६६ के अंतिम सप्ताह में नहीं प्राप्त हुआ। किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

*१०—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद जिले के थाना सरायइनायत के ग्राम पांडेपुर में किन-किन व्यक्तियों के पास राइफल तथा पिस्तौल के लाइसेंस हैं?

श्री ओमप्रकाशसिंह—

श्री शिवेंद्र भूषण पांडे के पास एक राइफल और एक पिस्तौल का लाइसस है तथा श्री शारदा प्रसाद त्रिपाठी के पास एक राइफल का लाइसेंस है।

श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसी को रिवाल्वर और राइफल के लाइसेंस देने से पहले उसकी सम्पत्ति और चालचलन की जांच की जाती है? यदि हां, तो उनके पास क्या सम्पत्ति है और किन कारणों से इनको लाइसेंस दिये गये?

श्री ओमप्रकाशसिंह—

इसमें नोटिस की आवश्यकता है।

श्री महेशकुमार—

लाइसेंसों की दरख्वास्तें तय करने के लिये माननीय मंत्री जी कोई समय निश्चित करने की कृपा करेंगे कि इतने समय में तय हो जावें, चाहे मंजूर हों या नामंजूर हों?

श्री चरणसिंह—

समय मुकर्रर करना कठिन होगा क्योंकि तरह तरह की तहकीकात करनी होती है। लेकिन मेरे मित्र कोई सुझाव दे सकें तो मुझे खुशी होगी।

गन हाउस, मुजफ्फरनगर का लाइसेन्स रद्द किया जाना

*११—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि तारीख २२ जनवरी, १९५९ की ट्रेन-डकैती व कत्ल जिला लखीमपुर-खीरी की घटना में जो रिवाल्वर व पिस्तौल पकड़े गये थे उनकी बिक्री "गन हाउस मुजफ्फरनगर" के आर्म्स डीलर्स ने अपने रिकार्ड्स में फरजी नाम से दिखलाई थी?

श्री ओमप्रकाशसिंह—

जी ४७ सही नहीं है।

*१२—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या यह सही है कि इसी कारण उपरोक्त फर्म का लाइसेंस, जिनके पार्टनर श्री बरन देव और श्री दयाशम्भू आदि थे रद्द कर दिया गया था, किन्तु सन् १९६४ में इन्हीं व्यक्तियों को नई फर्म इंटरनेशनल ट्रेडर्स के नाम से पुनः लाइसेंस मंजूर कर दिया गया? यदि हां, तो क्यों?

श्री ओमप्रकाशसिंह—

रिवाल्वर तथा पिस्तौल की तथाकथित फर्जी बिक्री के कारण मेसर्स गन हाउस के डीलर्स लाइसेंस दिनांक, १८ जून, १९५९ को रद्द कर दिये गये थे। फर्म के मालिकान के ऊपर धारा १९ आर्म्स ऐक्ट में मुकदमा भी चलाया गया था जिसमें सर्वश्री वरुन देव तथा दया शम्भू नीचे की अदालत ने बरी कर दिए । दिनांक २९-१२-१९६१ को इन लोगों ने एक नयी फर्म मेसर्स "इंटरनेशनल ट्रेडर्स" के नाम से कायम की। इस फर्म को दिनांक ३०-४-६४ को बन्दूक आदि बेंचने का लाइसेंस फार्म १३ में पुलिस तथा परगनाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया गया था ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

माननीय मंत्रीजी ने अपने उत्तर में कहा है कि यह सही नहीं है । अतः कृपया वह बता दें कि सही क्या है ?

श्री चरणसिंह—

जो हथियार डकैती में पकड़े गये वे इनके यहां के नहीं थे । दो हथियार की फर्जी बिक्री दिखायी गयी थी उसके लिये उनके ऊपर मुकदमा चला लेकिन अदालत से वे छूट गये ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि फिर उनके लाइसेंस कैंसिल करने का आधार क्या था?

श्री चरणसिंह—

आधार तो इस समय मालूम नहीं है । इसमें पुलिस वालों का कुछ एक्जीक्यूटिव डिस्क्रीशन भी होता है। लेकिन बाद में फिर उनको दे दिया गया ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी की यह जानकारी है कि डकैती के केस में जो रिवाल्वर पकड़ा गया था, वह रिवाल्वर फर्म के ओनर के पिताजी के हैंड राईटिंग में रजिस्टर में दर्ज था ?

श्री चरणसिंह—

इतनी जानाकरी तो मुझे नहीं है ।

ग्राम किरती खेड़ा, थाना मोहनलालगंज में कत्ल सहित डकैती

*१३—श्री नारायणदास (जिला लखनऊ)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ७ जून, १९६७ को तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ में डकैती पड़ी, उसमें कौन-कौन गांव शामिल हैं इसमें कितनी क्षति हुयी, कितने आदमी मारे गये और बुरी तरह जख्मी हुये ? सरकार ने इस सिलसिले में क्या कार्यवाही की ?

श्री ओमप्रकाशसिंह—

दिनांक ६-६-१९६७ को तहसील मोहन लाल गंज के अन्तर्गत थाना मोहनलाल गंज, जिला लखनऊ में ग्राम किरती खेड़ा मजरे कनकहां में डकती पड़ी जिसमें २,८१२ रु० की कीमत का माल लूटा गया, एक व्यक्ति जान से मारा गया व ११ व्यक्ति जख्मी हुए । इस सम्बन्ध में थाना मोहन लाल गंज पर तीन अपराध अंकित कर के पुलिस ने विवचना की । विवेचना के दौरान जो अभियुक्त पकड़े गए उनकी सही शिनाख्त न हो सकी अतः उन्हें धारा १६९ दं० प्र० सं० के अन्तर्गत मुक्त कर दिया गया और तीनों में फाइनल रिपोर्ट लगा कर विवेचना समाप्त कर दी गई ।

*१४—श्री नारायणदास—

क्या सरकार उन ग्रामों की एक सूची देने को कृपा करेगी और बतायेगी कि क्या पकड़ गये सभी बिलोची हैं ?

श्री ओमप्रकाशसिंह—

जिन ग्रामों में डकैती पड़ी उनके नाम हैं किरती खेड़ा, मजरे कनकहा बेदोंआ व बदलू खेड़ा मजरे कनकहा। पकड़े गये सभी व्यक्ति ईरानी थे।

राजकीय सूक्ष्म यंत्र निर्माणशाला में श्रमिक

*१५—आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—

क्या उद्योग मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ में राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे जी० पी० आई० एफ० (उप यंन्त्र निर्माणशाला) में ५०० से अधिक मजदूर हैं ?

श्री प्रभुनारायणसिंह—

राजकीय सूक्ष्म यंत्र निर्माणशाला (जी० पी० आई० एफ०) में कारखाना अधिनियम, १९४८ के अन्तर्गत दी गई श्रमिक (वर्कर) की परिभाषा के अनुसार ५५६ श्रमिक ह। वर्तमान परिस्थिति में श्रमिक कम नहीं कहे जा सकते हैं।

लखनऊ में हड़ताली कर्मचारियों का वेतन

*१६—श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत सप्ताह में समाप्त हुए राज्य कर्मचारियों के आन्दोलन के सम्बन्ध में लखनऊ स्थित कितने कर्मचारियों को मई, १९६७ के वेतन का भुगतान सरकार द्वारा अब तक नहीं किया गया है ?

श्री चरणसिंह—

विधान सभा तथा विधान परिषद् सचिवालय को छोड़कर जहां से वांछित सचना उपलब्ध नहीं हो सकी, कथित आन्दोलन के सम्बन्ध म लखनऊ स्थित किसी कर्मचारी के मई, १९६७ के वेतन का भुगतान अब शष नहीं है।

*१७—श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

क्या मुख्य मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि मई मास के अन्तिम सप्ताह में जिन कर्मचारियों ने आकस्मिक अवकाश हेतु आवेदन पत्र दिया था, उनका भी सम्पूर्ण मई मास का वेतन अब तक वितरित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह—

प्रश्न नहीं उठता।

*१८—श्री हरिहरनाथ अग्रवाल (जिला आगरा)—

[केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित होने के कारण हटा दिया गया।—

नोटः तारांकित प्रश्न १४ क उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

शाहजहांपुर में बारावफात का जलूस निकालने पर पाबन्दी

*१९—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि शाहजहांपुर शहर में बारावफात का जुलूस पिछले साल, १९६६ को बरावफात के मौके पर जिलाधीश ने निकालने की अनुमति नहीं दी थीं। जिसकी रिपोर्ट उसी समय गृह मंत्री को प्रश्नकर्त्ता ने दी थी ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री चरणसिंह—

वर्ष १९६६ में बारावफात के अवसर पर जलूस निकलाने के लिये जिला मजीस्ट्रेट, शाहजहांपुर ने अनुमति नहीं दी थी। इस संबंध में प्राप्त प्रार्थना-पत्र पर जांच से यह एक नया जलूस पाया गया था जो गत वर्षों में कभी नहीं निकला था। अतः शान्ति और सुव्यवस्था के हित में नया जलूस निकालने की अनुमति नहीं दी गई थी।

किच्छा चीनी मिल चालू करने की प्रार्थना

*२०—श्री इन्द्रलाल—

क्या उद्योग मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि किच्छा चीनी मिल को सरकार कब से चालू करन जा रहा है और इसके लिये कितनी धनराशि अब तक सरकार ने व्यय कर दी है ?

श्री प्रभूनारायणसिंह—

बिष्ट इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि०, किच्छा, इन्डस्ट्रियल फाइनें (कारपोरेशन से वांछित ऋण प्राप्त करने के लिये ऋण की शर्तों को पूरा करनें में असमर्थ हो गई है। इसलिये कम्पनी ने सरकार से प्रार्थना की है कि सरकार जितने समय के लिए उचित समझे कम्पनी का प्रबन्ध अपने हाथ में लेकर चलाये। यह प्रार्थना सरकार के विचाराधीन है और शीघ्रता से निर्णय लिया जा रहा है। इसके बाद ही यह बताया जा सकता है कि मिल कब तक चालू हो सकेगी।

सरकार ने उक्त कम्पनी को केवल ४० लाख रुपए का ऋण किच्छा में चीनी मिल लगाए जाने के लिये दिया है, जो मय ब्याज के सरकार को देय है।

चम्बल घाटी का इतिहास तथा भाग पत्र पुस्तकें

२१—श्री रामदास (जिला आगरा) तथा श्री शिवराजसिंह (जिला मैनपुरी)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २८ जून, १९६७ ई० को चम्बल घाटी का इतिहास और भाग पत्र नामक दो पुस्तकें तथा एक भाग पत्र क्र० ४६४७–६७ श्री कामेश्वर प्रसाद, अध्यक्ष, यमुना चम्बल घाटी आतंकित रक्षा समिति द्वारा प्राप्त हुआ है ?

श्री चरण सिंह—

जी हां।

मड़ियाहूं तहसील में डकैतियां

*२२—श्री राजकिशोर (जिला जौनपुर)—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ अप्रैल, सन् १९६७ से आज तक जौनपुर जिले की भडियाहूं तहसील में कितनी सशस्त्र डकैतियां हुई हैं और किन-किन डकतियों में कितन धन-जन की क्षति हुई है ?

श्री चरणसिंह—

दिनांक १–४–१९६७ से १९–७–६७ की अवधि में जौनपुर जिले की मंडियाहूं तहसील में दो सशस्त्र डकैतियां हुईं, एक ८–४–१९६७ को ग्राम चौरारी, थाना मंडियाहूं में तथा दूसरी ८–५–१९६७ को ग्राम वधनरी, थाना मीरगंज में। ग्राम चौरारी की डकती में लगभग ३०,१०५ रु० का सामान, आदि लूटा गया तथा ५ व्यक्तियों को चोटें आईं और ग्राम वधनरी की डकैती में २,५१० रु० का जवर व कपड़ा लूटा गया तथा एक व्यक्ति को चोट आई।

इटावा जिले में एल० आई० यू० के कान्स्टेबिल रामसेवक सविता द्वारा सुरक्षा कोष में दान

*२३—श्री रामभी राजपूत (जिला हमीरपुर)—

क्या गृह मंत्री बतान की कृपा करेंग कि राम सेवक सविता तत्कालीन सी० आई० डी०, एल० आई० यू०, जिला इटावा में बहवाला जनरल डायरी एल० आई० यू०, इटावा, दिनांक १५ नवम्बर, १९६२ से अपने वेतन का चौथा भाग राण्ट्रीय सुरक्षा कोष हेतु स्वेच्छा से दान स्वरूप देने का प्रार्थना-पत्र दिया था, किन्तु तत्कालीन एस० पी०, इटावा ने ऐसी भावना को जनप्रिय होन देन के स्थान पर हिंसक अधिकार द्वारा दबा दिया, जिसकी सूचना कानिस्टेबिल ने एस० पी०, सी० आई० डी०, एस० बी० लखनऊ एवं डी० आई० जी०, सी० आई० डी० को भी नियमानुसार दी, किन्तु कहीं स कार्य समाधान नहीं मिला ?

श्री चरणसिंह—

इटावा जिले की एल० आई यू० की जनरल डायरी से तत्कालीन एल० आई० यू० के कान्स्टेबिल राम सेवक सविता द्वारा अपने वेतन का चौथा भाग सुरक्षा कोष में दिये जाने की कटौती हेतु एक प्रार्थना पत्र दिनांक १५–११–६२ को दिया जाना प्रतीत होता है परन्तु इस पत्र का एल० आई० यू० कार्यालय से पुलिस अधीक्षक, इटावा के कार्यालय तक भेजे जाने की पुष्टि नहीं की जा सकती है, क्यों कि संबंधित डाक बहियां, जिनके रखने की अवधि एक साल है नियमानुसार नष्ट हो चुकी है। ऐसी प्रार्थना-पत्र अथवा उससे संबंधित कोई पत्रावली पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

२—कान्स्टेबिल, श्री सविता द्वारा उनके उपरोक्त प्रार्थना-पत्र पर पुलिस अधीक्षक, इटावा द्वारा उचित कार्यवाही न किये जान तथा उसको दबा दिय जान की क ई सूचना पुलिस अधीक्षक विशष शाखा गुप्तचर विभाग, लखनऊ अथवा पुलिस उप महानिरीक्षक, गुप्तचर विभाग, उत्तर प्रदेश को प्राप्त होना प्रतीत नहीं होती है।

*२४—श्री कल्यानचन्द मोहिले—

[६ठें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या १५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

रेडियो मेकैनिक की ट्रेनिंग

*२५—श्री सोहनलाल धुसिया तथा श्री रामबली मिश्र (जिला सुल्तानपुर)—

क्या सरकार यह बातने की कृपा करेगी कि इस समय प्रदेश में किन-किन स्थानों पर गवर्नमेंट संचालित इण्डस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट और पालीटेक्निक सेंटरों में रेडियो मकनिक की ट्रेनिंग दी जाती है ? इनमें से प्रत्येक केन्द्र पर कितने छात्रों की भर्ती की व्यवस्था है और प्रशिक्षण अवधि कितने दिनों की है ?

श्री प्रभुनारायणसिंह—

रेडियो मेकैनिक की ट्रेनिंग इस समय आगरा, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी तथा देहरादून में स्थापित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं तथा राजकीय औद्योगिक प्राविधिक संस्थाओं में दी जाती है । प्रत्येक संस्था में छात्रों की भरती की व्यवस्था इस प्रकार है—

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, आगरा	..	..	१६
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, कानपुर	..	..	१६
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, लखनऊ	..	..	३२
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, मेरठ	..	..	४८
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, वाराणसी	..	..	३२
राजकीय औद्योगिक प्राविधिक संस्था, देहरादून		..	६४
राजकीय औद्योगिक प्राविधिक संस्था, लखनऊ	..	..	३२
योग		..	२४०

प्रशिक्षण की अवधि २ वर्ष है ।

(२) पालीटेकनिक केन्द्रों में रेडियो मेकैनिक की ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं है ।

चकबन्दी विभाग में पी० सी० एस० अधिकारी

*२६—श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चकबन्दी विभाग में कितने पी० सी० एस० आफिसर ऐसे हैं जिनको इस विभाग में ६ वर्ष से अधिक हो गये हैं ?

श्री चरणसिंह—

चकबन्दी विभाग में केवल ९ ऐसे पी० सी० एस० अधिकारी हैं जिन्हें इस विभाग में कार्य करते हुये ६ वर्ष से अधिक हो गये हैं ।

चमोली जिला के जनता इण्टर कालेज गोचर का प्रान्तीयकरण करने पर विचार

*२७—श्री योगेश्वर प्रसाद (जिला चमोली)—

क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मई, १९६७ में कालेज कमेटी शिष्ठ मण्डल को दिये गये आश्वासन के अनुसार क्या सरकार सीमान्त जिला चमोली (उत्तराखण्ड) के जनता इण्टर कालेज गोचर का इस वर्ष से प्रान्तीयकरण करने की कृपा करेगी ?

श्री चरणसिंह—

मई, १९६७ में शिक्षा मंत्री एवं उप मुख्य मंत्री जी को जनता इन्टर कालेज गोचर का एक शिष्ट मंडल मिला था परन्तु मंत्री जी ने इस कालेज के प्रान्तीयकरण करने का कोई आश्वासन नहीं दिया । परन्तु यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

कानपुर में उर्वरक कारखाना खोलने की प्रार्थना

*२८—श्री जवाहरलाल जाटव (जिला कानपुर)—

क्या उद्योग मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि कानपुर में उर्वरक कारखाना खोलने का निर्णय सरकार ले चुकी है, उस विषय में क्या प्रगति हुई है और उर्वरक कारखाने का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ होने की सम्भावना है ?

श्री प्रभुनारायणसिंह—

अभी तक सरकार ने कानपुर में कोई उर्वरक कारखाना सरकारी क्षेत्र में लगाने का निर्णय नहीं लिया है। अतः इस सम्बन्ध में प्रगति का प्रश्न नहीं उठता।

भदोही में इंजेक्शन देने के बाद श्रीमती रमदेई की मृत्यु

*२९—श्री हरिगेनराम (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि वाराणसी जिले के भदोही थानान्तर्गत करियात्र गांव की एक महिला, श्रीमती रमदेई (पति का नाम श्री राजाराम गुप्त) दिनांक २२ जून, १९६७ को भदोही स्थित डाक्टर जयकृष्ण तोखानी के दवाखाने में दवा हेतु आयी और डा० के इंजेक्शन देने के बाद ही उसी दवाखाने में तुरन्त उसकी मृत्यु हो गई ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री चरणसिंह—

थाने में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार दिनांक २२ जून, १९६७ को भदोही स्थित डाक्टर जय कृष्ण तोखानी के दवाखाने में श्रीमती रामदेई दवा कराने अपने भतीजे के साथ आईं। उनको सुई लगाई गई, परन्तु जब उनकी तबियत अधिक खराब होने लगी तो उन्हें राजकीय अस्पताल जाने के लिये कहा गया। जाते समय रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। लाश का पोस्टमार्टम किया गया, परन्तु मृत्यु का कारण ज्ञात न हो पाया। अतः जांच समाप्त कर अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गई।

उत्तर काशी जिले में जड़ी बूटियों के लिये जमीन

*३०—श्री कृष्णसिंह (जिला उत्तरकाशी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तरकाशी जिला के रैंबल फार्म के समीप कोई जमीन जड़ी-बूटियों की काश्त के लिये सरकार द्वारा अभी हाल में अधिगृहीत की गई है ? यदि हां, तो क्या काश्त के लिये किसी विशेषज्ञ की नियुक्ति सरकार करने वाली है ?

श्री चरणसिंह—

जी हां, मगर कोई विशेषज्ञ नियुक्त करने का प्रस्ताव नहीं है।

सिनेमा शो

*३१—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि प्रदेश के सिनेमा में चार शो दिखलाये जाते हैं, जबकि नियम से केवल दो शो होना चाहिए ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह—

नियमों में ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है। दूसरे भाग का प्रश्न उठता ही नहीं।

उत्तर काशी जिले में कमल नदी का कटाव

*३२—श्री कृष्णसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला उत्तरकाशी की पुरोला तहसील में कमल नदी के दोनों तरफ की उत्तर उपजाऊ जमीन जो कमल नदी में हर साल बाढ़ आने से कटती जा रही है, उस जमीन को बचाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाया ? अगर अब तक नहीं उठाया, तो क्या सरकार इस दिशा में कोई कदम उठाने जा रही है ?

श्री चरणसिंह—

इस जमीन के सम्बन्ध में कोई संरक्षण योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

किसान कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी, मझौला के श्रमिकों का बोनस

*३३—श्री रामदत्त (जिला नैनीताल)—

क्या उद्योग मन्त्री को ज्ञात है कि किसान कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री, मझौला (पीलीभीत) के श्रमिकों को बावजूद राजकीय आदेश के वर्ष १९६५–६६ का बोनस अभी तक नहीं दिया गया ? क्या उपरोक्त फैक्ट्री के मनजमट के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई अथवा की जा रही है ?

श्री प्रभुनारायणसिंह—

राजकीय आदेश के अनुसार किसान कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री, मझौला (पीलीभीत) को १९६५–६६ वर्ष के बोनस का भुगतान नहीं करना है, अतः मैनेजमेन्ट के विरुद्ध किसी भी कायवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

बिजनौर जिले में कत्ल व डकैतियां

*३४—कुंवर देवेन्द्रसिंह (जिला बिजनौर)—

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बिजनौर में १ जनवरी, १९६७ से ३० जून, १९६७ तक कितने खून हुये और कितनी डकैती पड़ीं, जिनकी सूचना पुलिस को मिली ?

श्री चरणसिंह—

जिला बिजनौर में १ फरवरी से ३० जून, १९६७ तक कत्ल के २० तथा डकैती के ४३ मामलों की रिपोट विभिन्न थानों पर प्राप्त हुई।

खैर तहसील में थाने बढ़ाने का सुझाव

*३५—श्री किशनलाल दिलेर (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील खैर, जिला अलीगढ़ में चोरी, डकैती, हत्यायें बढ़ रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इनको रोकन क लिये थानों की संख्या बढ़ाने पर विचार करेगी ?

श्री चरणसिंह—

चोरी की घटनायें तो कुछ बढ़ी हैं परन्तु डकैती और हत्या की घटनाओं में वृद्धि नहीं हुई है। अपराधों को रोकने के लिये पुलिस प्रयत्नशील है। तहसील खैर में कोई नया थाना खोलने का विचार नहीं है।

कासगंज में पुलिस दुर्व्यवहार के विरुद्ध बस हड़ताल

*३६—श्री कालीचरण (जिला एटा)—

क्या गृह मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ५ जुलाई, १९६७ को कासगंज–छर्रा रोड पर एक प्राइवेट बस के मालिक और ड्राइवर को ढोलना ग्राम में कासगंज थाने के एक सब-इंस्पेक्टर ने बुरी तरह मारा-पीटा और बस में जाने वाली सवारियों को गाली-गलौज दी ? तदुपरान्त मय सवारियों के बस को कासगंज थाने लाया गया ? मालिक और ड्राइवर को बन्द करके उनके साथ अमानवीय दुर्व्यवहार किया गया ?

श्री चरणसिंह—

यह सही नहीं है कि कासगंज–छर्रा रोड पर किसी बस के मालिक और ड्राइवर को कासगंज थाने के एक सब इन्सपेक्टर ने बुरी तरह मारा पीटा और बस में जाने वाली सवारियों को

गाली गलौज की और मय सवारियों के बस को कासगंज थाने में लाकर मालिक और ड्राइवर को बन्द करके उनके साथ अमानवीय दुर्व्यवहार किया। बल्कि दो बसों के ड्राइवरों को अधिक सवारियां ले जाने के कारण सब-इन्सपेक्टर द्वारा चालान किया गया और सवारियों का समुचित प्रबन्ध कर के बसों तथा ड्राइवरों को थाने पर ले जाया गया। ड्राइवरों के जमानत मुचलका न देने पर उनको हिरासत में रखा गया। अगले दिन जमानत मुचलका देने पर ड्राइवरों को मुक्त कर दिया गया।

*३७—श्री कालीचरण—

क्या यह सही है कि इसके फलस्वरूप २५-२६ बसें थाने के सामने बाजार में खड़ी रहीं और बस मालिकों ने स्ट्राइक कर दी, जिसके कारण जनता को बड़ी असुविधा हुई?

श्री चरणसिंह—

एक प्राइवेट बस के मालिक द्वारा भड़काने पर कुछ बसें थाने के सामने मालिकों द्वारा खड़ी कर दी गई थीं और हड़ताल कर दी गई थी। किन्तु दिनांक ६-७-१९६७ को हड़ताल वापस ले ली गई थी।

धारचूला बाजार की सुरक्षा

*३८—श्री गोपालदत्त ओझा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला पिथौरागढ़ के धारचूला बाजार में सन् १९६५ से अब तक बोल्डर गिरने एवं रेहड़ आने से कितने मकानों को नुकसान हुआ? यदि हां, तो सरकार इसके लिये क्या कर रही है?

श्री चरणसिंह—

धारचूला बाजार में सन् १९६५ से अब तक बोल्डर गिरने एवं रेहड़ आने से ५४ मकानों को क्षति पहुंचन की सूचना प्राप्त हुई है।

इस बाजार की सुरक्षा हेतु भारत सरकार ने प्रदेशीय सरकार के अनुरोध पर धारचूला-तयाघाट सड़क से पानी के निकास के लिये नाली के निर्माण हेतु ९७,४४० रुपये की धनराशि स्वीकृत की है और मुख्य अभियंता प्रोजक्ट दीपक को इस कार्य को शीघ्र प्रारम्भ करने के लिये आदेश दिये हैं।

मकानों की क्षति पूर्ति के मामले अभी भारत सरकार के विचाराधीन हैं।

महंगाई भत्ते के लिये आदेश

*३९—श्री राधेश्याम कपूर (जिला लखनऊ)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिन राज्य कर्मचारियों ने नये वेतन मान लिये हैं उनके लिये तो सरकार ने मंहगाई भत्ता की नई दरें घोषित कर दी हैं? पुरान वेतन मानों के कमचारियों को मंहगाई भत्ता की नई दरें अभी तक नहीं घोषित की गई हैं? इसमें इतना विलम्ब क्यों है तथा कब तक यह घोषित की जायेंगी?

श्री रामस्वरूप वर्मा—

नये वेतनमानों के लिये मंहगाई भत्ते की दरों के राज्यादेश १५ मई, १९६७ को जारी हुये थे। पुरान वतन मानों के साथ देय महंगाई भत्ते की दरों के आदेश २२ जुलाई, १९६७ को जारी किये जा चुके ह। विलम्ब का प्रश्न नहीं उठता।

शाहजहांपुर में आई० टी० आई० कमेटी का नामांकन

*४०—श्री रामनाथ (जिला शाहजहांपुर)—

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अभी हाल ही में शाहजहांपुर में आई० टी आई० कमेटी का जो नामांकन किया है, वह किस आधार पर किया गया है और विधायकों के अतिरिक्त नामांकन किये हैं वह किस आधार पर किये हैं ?

श्री प्रभुनारायणसिंह—

समस्त जिला प्रशिक्षण तथा सेवायोजन समितियों का पुनर्गठन राजाज्ञा सं० १३४७ (ई) ३६बी–२३० (ई)–१९५८, दिनांक ७ अक्तूबर, १९६३—जिसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है के आधार पर हुआ है। उक्त राजाज्ञा के पैरा ३ के आधार पर समस्त गैर सरकारी सदस्यों का विधान मंडल के सदस्यों सहित सरकार द्वारा नामांकन किया गया है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६४२–६४९ पर)

संयुक्त विकास आयुक्त

*४१—श्री राजबहादुर द्विवेदी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में जे० डी० सी० (संयुक्त विकास आयुक्त) का पद अभी हाल में कायम किया गया है ? यदि हां, तो इन पदों पर कितने अधिकारी कहां-कहां नियुक्त हैं ?

श्री चरणसिंह—

प्रदेश में संयुक्त विकास आयुक्त का पद अभी हाल में कायम नहीं किया गया है।

दूसरे भाग का प्रश्न उठता ही नहीं।

बरेली जिले में लाइसेन्सों की जब्ती

*४२—श्री सुरेन्द्रविक्रम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बरेली में १५ अप्रैल, १९६७ से ३० जून, १९६७ तक कितने बन्दूक, राइफल, रिवाल्वर के लाइसेन्स सस्पेंड किये गये तथा इसी अवधि में कितने लाइसेंस दिये गये ?

श्री चरणसिंह—

जिला बरेली में १५–४–१९६७ से ३०–६–१९६७ तक ७० बन्दूक व १ रिवाल्वर के लाइसेंस सस्पेंड किए गए तथा इसी अवधि में २३४ बन्दूक, ५ राइफल व ९ रिवाल्वर के लाइसेंस दिए गए।

लक्ष्मीरतन काटन मिल, कानपुर चालू होना

*४३—श्री बाबू बदरे—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर के अन्तर्गत लक्ष्मीरतन काटन मिल, करीब १० माह से बन्द है, जिससे वहां के मजदूरों में बेकारी और भुखमरी स्थिति उत्पन्न हो गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मिल को अपने नियन्त्रण में शीघ्र लेकर उसे चलाने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रभुनारायणसिंह—

लक्ष्मी रतन काटन मिल, कानपुर १७ नवम्बर, १९६६ से २२ अक्टूबर, १९६७ तक बंद रही। हाल ही में श्रमिकों तथा मिल प्रबन्धकों के बीच समझौता हो जाने के फलस्वरूप मि २३ अक्टूबर, १९६७ से आंशिक रूप से चालू हो गई। मिल को पूरी तरह से चलाने का प्रयास किया जा रहा है। इस परिस्थिति में इस मिल को सरकारी नियंत्रण में लेने का प्रश्न नहीं उठता।

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा उद्योग निदेशालय के कर्मचारियों की सवाय लेना

*४४—श्री उग्रसेन—

क्य उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को शासन आदेश १७०, दिनांक १४ सितम्बर, १९६६ द्वारा उद्योग निदेशालय के कर्मचारियों की सेवायें खादी बोर्ड को दो गईं अथवा नहीं? यदि नहीं, तो किस आदेश द्वारा और किस नीति के अनुसार विभागीय कर्मचारियों की सेवायें समाप्त कर के बोर्ड में नियुक्त किये गये?

श्री प्रभुनारायणसिंह—

उक्त आदेश में केवल अन्तरिम समय के लिये कुछ राजकीय कर्मचारियों की सेवायें संशोधन (अधिनियम) १९६६, की धारा २० (२) के अन्तर्गत दे दी गई थीं।

बाद में शासनादेश दिनांक २ जनवरी तथा ८ फरवरी, १९६७ द्वारा राजकीय कर्मचारियों की सेवायें खादी बोर्डको दी गयी नीति यह थी कि स्थायी कर्मचारियो को उन्हीं सेवा शर्तों पर बोर्ड में भेजा जायं और अस्थायी कर्मचारियों की एक माह का नोटिस देकर निदेशालय से उनकी सेवा समाप्त कर दी जाय तथा खादी बोर्ड में सेवा समाप्ति की तिथि से उन्हें उसी वेतन क्रम में तथा उसी वेतन पर रखा जाय जो कि वे सेवा समाप्ति के दिन पा रहे थे।

*४५—श्री उग्रसेन—

क्या सरकार द्वारा प्रसारित आदेश सं० ८९-१-६६, ओ० एम०, दिनांक २ मार्च, १९६७ में निहित सुविधायें खादी ग्रामोद्योग में नियुक्त कर्मचारियों को उपलब्ध है? यदि नहीं, तो ऐसी विषमता क्यों?

श्री प्रभुनारायणसिंह—

प्रश्न नहीं उठता क्योंकि उक्त शासनादेश छटनी किये गये सरकारी कर्मचारियों की केवल राजकीय विभागों में पुर्ननियुक्त के सम्बन्ध में है।

एस० डी० एम०, पाली का आदेश

*४६—श्री महरासिंह, (जिला फर्रुखाबाद), श्री इन्द्र लाल तथा श्री चन्द्रबली—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जब दिनांक ७ मई, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या १००-१०१ के उत्तर में सन् १९६१-१९६२ के मुकदमा नं० ७/४३ में एस० डी० एम० पाली क दिनांक १८ दिसम्बर, १९६१ के आदेश दोनों पक्षों को बता दिये गये थे, तो उसके बाद:

(क) क्या मुकदमे नं० ७/४३ सन् १९६२ की मिसिल में किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं पाये जाने की सूचना, न्य यिक अभिलेखपाल, अल्मोड़ा ने अपने पत्र संख्या २५४-मु० फा० नं० ७/४३, सन्१९६२, दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६५ में भेजी गई थी?

यदि हां, तो क्यों?

(ख) क्या उक्त मुकदमे के आदेश किसी व्यक्ति को नहीं बताये जाने का प्रश्न फिर गृह पुलिस (ख-१), विभाग द्वारा अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या ८६२०-ख/आठ, (ख-१), दिनांक २५ अक्टूबर, १९६६ में क्यों उठाया गया?

श्री चरणसिंह---

(क) जी हां, वांछित सूचना श्री मोहन चन्द्र पाण्डेय पुत्र श्री देवी दत्त पाण्डे के मांगने पर दी गई थी पर बाद में पता चला कि दी गई सूचना ठीक नहीं थी। अतः उसको जिलाधीश द्वारा निरस्त कर दिया गया।

(ख) श्री मोहन चन्द्र पाण्डे से प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जांच करने से पता चला कि श्री थान राम आदि को चेतावनी दिये जाने के आदेश किसी अदालत की हैसियत से नहीं बल्कि साधारण प्रशासनिक रूप से दिये गये थे। श्री पाण्डे को सही स्थिति की सूचना गृह विभाग के कार्यालय ज्ञाप द्वारा २५-१०-६६ को दे दी गई।

*४७---श्री महाम सिंह, श्री इन्द्रलाल तथा श्री चन्द्रबली---

राजस्व (च) विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या ७१८-पी-१-च, दिनांक १४ जुलाई, १९६४ के अनुसार, उक्त मुकदमे के आदेश कार्यान्वित कराने के लिये शासन को अपने उक्त गृह विभाग से ही क्या जिलाधीश अल्मोड़ा को आवश्यक निर्देश भी जारी करने पड़े ? यदि हां, तो इसके बाद जिलाधीश ने क्या कार्यवाही की और उसकी शासन को क्या सूचना भेजी तथा इस सम्बन्ध में सरकार अब क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री चरणसिंह---

जी हां, गृह विभाग ने जिला मजिस्ट्रेट को लिखा था कि वे शासन को सूचित करें कि एस० डी० एम० पाली के आदेश का पालन हुआ अथवा नहीं और यदि पालन नहीं हुआ है तो शीघ्र किया जाय। जिला मैजिस्ट्रेट ने स्थिति स्पष्ट करते हुये यह सूचना दी है कि एस० डी० एम० पाली का आदेश साधारण प्रशासनिक रूप में दिया गया था और सम्बन्धित मुकदमे का फैसला मुंसिफी अदालत से थान राम के पक्ष में होने से उक्त आदेश के कार्यान्वित करने का प्रश्न नहीं उठता।

थाना सिकन्दराबाद, जिला बदायूं में अभियुक्त विजयपालसिंह के जीवित होने की जांच

*४८---श्री नेमपालसिंह---

क्या मुख्य मंत्री जी को यह जानकारी है कि माननीय जिला जज बदायूं की अदालत में किसी मुजरिम को धारा ४०९, ४२० तथा ४७७ आई० पी० सी० में मुकदमा नं० एस० टी० १८२/५४ के अधीन दिनांक २३ नवम्बर, १९५५ को कारावास की सजा तथा जुर्माना हुआ तथा फौजदारी अपील नं० १९०४-१०५८ में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से दिनांक २६ मार्च, १९५८ को यह सजा बरकरार रही ? क्या माननीय जिला जज बदायूं के हुक्म नं० १०१/३, दिनांक २९ जुलाई, १९५८ के मातहत मुजरिम जेल हाजिर हुआ और उसने सजा भोगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह---

अभियुक्त विजय पाल सिंह पुत्र चौधरी खजान सिंह निवासी ग्राम सिरोधान थाना सिकंद्राबाद, जिला बुलन्दशहर को अभियोग संख्या एस० टी० १८२ सन् १९५४ में सेशन्स जज बदायूं द्वारा धारा ४०९ ४२० ४७७ भा० दं० वि० के अन्तर्गत कारावास की सजा तथा जुर्माना किया गया। अभियुक्त ने मामले में उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अपील की जो खारिज हो गई। अपील खारिज होने के बाद अपराधी विजयपाल सिंह न तो न्यायालय में उपस्थित हुआ और न उसे गिरफ्तार किया जा सका क्योंकि पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार उसने आत्मा-हत्या कर ली थी। दिनांक २५-५-६७ को एडीशनल सेशन जज बदायूं को एक प्रार्थना-पत्र मिला जिसमें विजयपालसिंह के जिन्दा होने की सूचना दी गई थी। इस बात की जांच की जा रही है कि विजय पाल वास्तव में जिन्दा हैं या नहीं और पहली पुलिस की रिपोर्ट गलत थी या नहीं।

विश्वविद्यालय छात्र और पुलिस के बीच संघष की जांच रिपोर्ट

*४९—श्री शिवशंकरसिंह (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों और पुलिस के बीच जो फरवरी, १९६६ में संघर्ष हुआ था और जिसके सम्बन्ध में एक कमीशन सरकार ने नियुक्त किया था उसकी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री चरणसिंह—

रिपोर्ट को हिन्दी में छपवाया जा रहा ह और जैसे ही यह छप कर तयार हो जायगी इसकी प्रति सदन में उपलब्ध कर दी जायगी।

निलम्बित राजपत्रित कर्मचारी

*५०—श्री विष्णुस्वरूप (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन राजपत्रित कर्मचारियों को विजीलस कमीशन की जांच के अन्तर्गत निलम्बित किया गया है, उनका अन्तिम निर्णय कब तक होगा ?

श्री चरणसिंह—

साधारणतः ऐसे मामलों में अंतिम निर्णय जांच समाप्त होने पर ही होता है। इस विषय में कोई निश्चित तिथि बताना संभव नहीं होगा। ऐसे मामलों में जांच को यथाशीघ्र पूरा करने की कोशिश की जाती है।

जुडीशल अफसर, कर्वी के खिलाफ शिकायत

*५१—श्री रामसजीवन (जिला बांदा)—

क्या मुख्य मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले में कर्वी के जुडीशियल अफसर के खिलाफ १ मार्च, १९६७ से ३१ मई, १९६७ तक कितनी शिकायतें सरकार तथा जिलाधीश के पास आयीं ? उस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री चरणसिंह—

उक्त अवधि में एक गुमनाम पत्र शासन को प्राप्त हुआ और एक मौखिक शिकायत जिलाधीश से की गई।

गुमनाम पत्र पर कुछ नहीं किया गया मौखिक शिकायत संबंधित जिलाधीश की रिपोर्ट हाई कोर्ट को उचित कार्यवाही के लिये भेज दी गयी है।

*५२—श्री योगेश्वरप्रसाद—

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिया गया।]

थाना मोतीपुर की पुलिस के खिलाफ जांच

*५३—श्री जगन्नाथप्रसाद (जिला खीरी)—

क्या मुख्य मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि ग्राम चकलाखीपुर, थाना धौरहरा कलां, जिला खीरी के श्री हरद्वारी लाल इत्यादि ने गत ८ जुलाई, सन् १९६७ को थाना मोतीपुर, जिला बहराइच की पुलिस के बारे में यह शिकायत प्रार्थना-पत्र द्वारा की थी, कि उन्होंने २६ जून, १९६७ को रात के दो बजे ग्राम चकलाखीपुर जाकर कई आदमियों और औरतों को बेजा पीटा ? तो क्या सरकार ने उक्त प्रार्थना पत्र की जांच कराई है ?

श्री चरणसिंह—

थाना मोतीपुर, जिला बहराइच की पुलिस के विरुद्ध जो शिकायती पत्र श्री हरद्वारी लाल तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा भेजा गया था उसमें यह आरोप था कि पुलिस ने चक्कलाखीपुर ग्राम के बृजलाल भुरजी तथा कल्लू नामक व्यक्तियों को मारा और बृजलाल भुरजी की स्त्री जो बीमार थी उसे पकड़ कर बाहर डाल दिया। जांच करने पर प्रार्थना-पत्र में अंकित आरोप प्रमाणित नहीं हुये।

खीरी जिले में थानेदार, श्री परमानन्द जायसवाल का शेर का शिकार हो जाना

*५४—श्री राजराजेश्वर (जिलाखीरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक १७ जुलाई, १९६७ को खीरी जिले के खूटी ग्राम में एक खूंखार शेर द्वारा कितने लोग आहत हुये और कितनों के प्राण गये ?

श्री चरणसिंह—

१७ जुलाई, १९६७ को खीरी जिले के खूटी ग्राम में नहीं बल्कि त्रिकोलिया ग्राम में एक खूंखार शेर द्वारा दो व्यक्ति आहत किये गये तथा दो मार डाले गये।

*५५—श्री राजराजेश्वर—

क्या यह सही है कि एक थानेदार को भी शेर ने खा लिया ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त थानेदार के परिवार को कोई आर्थिक सहायता देने का विचार करती है ?

श्री चरणसिंह—

जी हां, यह सही है कि एक थानेदार स्व० श्री परमानन्द जायसवाल को भी शेर ने मार डाला। इस थानेदार के परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में १००० रु० बेनीफिट फन्ड से दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त ३,५०० रु० पुलिस अधीक्षक खीरी तथा पुलिस कर्मचारीगण, खीरी की ओर से भी दिये गये है। २०० रु० शेर को मारने के पारितोषिक स्वरूप भी दिये गये हैं। उनके परिवार को नियमानुकूल पारिवारिक पेंशन तथा डी० सी० आर० ग्रेच्युएटी स्वीकार की जावेगी। इसके अतिरिक्त यदि नियमान्तर्गत असाधारण पशन देय होगी तो वह भी स्वीकार की जावेगी।

नैनीताल जिले में श्री रामस्वरूप पांण्डेय की रक्षा के लिये पुलिस

*५६—श्री राजबहादुर (जिला सीतापुर)—

क्या गृह मन्त्री बतायेंगे कि जिला नैनीताल में थाना रुद्रपुर के अन्तर्गत ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनकी निजी रक्षा के लिये पिछले वर्षों से अब तक पुलिस तैनात है और यह पुलिस दिये जाने का आदेश कब व किसने दिया ?

श्री चरणसिंह—

थाना रुद्रपुर में इस समय ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी रक्षा के लिये पुलिस तैनात है वरन् २९-१-६६ को पुलिस अधीक्षक नैनीताल द्वारा एक व्यक्ति श्री रामस्वरूप पांडेय की रक्षा के लिये पुलिस तैनात का आदेश दिया गया था। तैनात की गई पुलिस जुलाई, १९६७ में हटा ली गई।

*५७—श्री राजबहादुर—

क्या यह सही है कि जिनकी रक्षा पर पुलिस तैनात है, उनमें से कुछ व्यक्तियों द्वारा इस फोर्स की आड़ में कुछ स्थानीय काश्तकारों की भूमि पर जबरन कब्जा कर लेना अथवा फसलें उठा लेने की कोई शिकायतें जिलाधीश, नैनीताल या मन्त्री जी को हाल ही में मिली ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह---

उक्त श्री रामस्वरूप पांडे व उनके पुत्र श्री बंश नारायण पांडे के विरुद्ध इस आशय की शिकायतें समय-समय पर प्राप्त हुई थीं जिनमें जांच कराई गई और आवश्यक कार्यवाही की गई। जांच से यह विदित हुआ कि उक्त दोनों व्यक्तियों व शिकायत कर्त्ताओं में भूमि संबंधी झगड़ा है।

थाना खामपार में श्री रामसेवक कोइरी की हत्या

*५८---श्री अयोध्याप्रसाद आर्य (जिला देवरिया)---

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला देवरिया, तहसील सलेमपुर स्थित ग्राम माड़ीपुर के ग्राम सभापति को माह जून में कत्ल कर दिया गया था? यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में पुलिस ने क्या-क्या कार्यवाही की?

श्री चरणसिंह---

दिनांक १५/१६-६-१९६७ की रात में, ग्राम माड़ीपुर थाना खामपार, तहसील सलेमपुर, जिला देवरिया, के सभापति श्री राम सेवक कोइरी की हत्या किये जाने की सूचना थाना खामपार पर दिनांक १६-६-६७ को मिली। सूचना प्राप्त होने पर धारा ३०२ भा० दं० वि० के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया व तत्काल विवेचना प्रारम्भ की गई। दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। शेष अभियुक्त जो फरार हैं, के विरुद्ध धारा ८७-८८ जा० फौ० के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है। जांच अभी जारी है।

*५९---श्री अयोध्याप्रसाद आर्य---

उक्त काण्ड में कितने व्यक्ति गिरफ्तार हुये और उन लोगों के नाम तथा ग्राम क्या हैं?

श्री चरणसिंह---

उक्त घटना के संबंध में राम नक्षत्र तथा राम सिंहासन, निवासी ग्राम मिश्रौली, थाना बनकटा, जिला देवरिया, गिरफ्तार किये गये हैं।

कड़सरा ग्राम में कथित लूट

*६०---श्री मारकण्डे (जिला आजमगढ़)---

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम कड़सरा, थाना अतरौलिया, जिला आजमगढ़ में जून, १९६७ के प्रथम सप्ताह में कुछ लोगों का घर गुन्डों ने दिन-दहाड़े लूट लिया जिसकी रपट थानेदार ने नहीं ली और पुलिस कप्तान ने भी ध्यान नहीं दिया, तो इसकी सूचना २७ जून, १९६७ को गृह मन्त्री जी को दी गई है? यदि हां, तो अब इस रपट पर क्या कार्यवाही हुई है?

श्री चरणसिंह---

जून के प्रथम सप्ताह में ग्राम कड़सरा, थाना अतरौलिया जिला आजमगढ़ में दिन-दहाड़े किसी भी व्यक्ति के घर को गुन्डों द्वारा लूटने की कोई घटना नहीं घटी और न इस आशय की कोई सूचना थाने में प्राप्त हुई। पुलिस अधीक्षक से भी कोई ऐसी शिकायत नहीं की गई। इस संबंध में सदस्य महोदय ने २२-६-६७ को जो पत्र मुझे दिया था उस पर मैंने जांच कराई थी परन्तु शिकायतें सही नहीं पाई गईं।

पदमापुर निवासी श्री धर्मराजसिंह की हत्या

*६१---श्री रामलखनसिंह (जिला बस्ती)---

क्या यह सही है कि बस्ती जिले के थाना कप्तानगंज के ग्राम पदमापुर के श्री धर्मराज का कत्ल दिन दोपहर हाल ही में कर दिया गया है? यदि हां, तो उस मामले में पुलिस क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री चरणसिंह—

जी हां। श्री धर्मराज सिंह की हत्या दिनांक १८-७-६७ को लगभग १० बजे दिन में हुई। इस संबंध में धारा ३०२ भा० दं० वि० के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था और विवेचना के बाद अभियुक्तों का चालान किया गया।

*६२—श्री रामलखनसिंह--

रिपोर्ट में किन-किन लोगों का नाम दर्ज है तथा अब तक गिरफ्तार कितने लोग हो चुके हैं ?

श्री चरणसिंह--

प्रथम सूचना रिपोर्ट में रामगुलाबसिंह, रामकरनसिंह, रामजससिंह व झिनकानसिंह के नाम अंकित हैं जिनमे से रामजस व झिनकान को दिनांक २४-७-६७ को गिरफ्तार किया गया तथा शेष दो दिनांक २५-७-६७ को अदालत के समक्ष हाजिर हुये।

बिक्री-कर विभाग में अस्थायी कर्मचारी

*६३—श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बिक्री कर विभाग में सभी वर्गों के कर्मचारियों में से कितने कर्मचारी स्थायी किये जा चुके हैं और कितने अस्थायी हैं ?

वित्त मंत्री (श्री रामस्वरूप वर्मा)—

बिक्री कर विभाग में सभी वर्ग के कर्मचारियों में से १,०६१ स्थायी किये जा चुके हैं और १,८३२ अस्थायी हैं।

महंगाई भत्ता आदेश

*६४—श्री वसी नकवी (जिला रायबरेली) तथा श्री रामजीलाल सहायक (जिला मेरठ)—

क्या सरकार वित्त (सामान्य-१) विभाग के आदेश सं० जी०—१-६६१/दस—२१९—१९६७, दिनांक १५ मई, १९६७ के सन्दर्भ में बतायेगी कि पुराने वेतनमानों में कार्य करने वाले सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के सम्बन्ध में अलग से आदेश जारी कर दिये गये हैं ?

श्री रामस्वरूप वर्मा—

जी हां, ये आदेश २२ जुलाई को जारी किये जा चुके हैं।

*६५—श्री वसी नकवी तथा श्री रामजीलाल सहायक—

यदि नहीं, तो क्यों और कब तक ये आदेश जारी हो जायेंगे तथा वे किस तारीख से लागू किये जायेंगे ?

श्री रामस्वरूप वर्मा—

प्रश्न नहीं उठता। जो आदेश जारी किये हैं वह १ अप्रैल, १९६७ से लागू किये गये हैं।

*६६-६७—श्री रामसिंह (जिला सहारनपुर)—

[प्रश्नकर्ता द्वारा वापस ले लिये गये।]

उद्योग विभाग में कमीशन से न चुने गये अधिकारी

*६८—श्री रामसजीवन—

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ५ जुलाई, १९६७ को उत्तर प्रदेश उद्योग विभाग के कितने अधिकारी ऐसे थे जिनका चयन लोक सेवा आयोग द्वारा उस पद के लिये नहीं हुआ था जिस पर वे उस दिन काम कर रहे थे ? ऐसे अधिकारी अब कब से उन पदों पर कार्य कर रहे हैं ?

श्री प्रभुनारायणसिंह—

५-७-६७ को उद्योग विभाग के अन्तर्गत ९६ ऐसे अधिकारी कार्य कर रहे थे, जिनका चयन लोक सेवा आयोग द्वारा उन पदों के लिये नहीं हुआ था। ऐसे अधिकारी जिस तिथि से उपरोक्त पदों पर कार्य कर रहे थे, वह संलग्न तालिका में हर पद के आगे स्तम्भ '२' में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६५०-६५२ पर।)

*६९—श्री गोविन्दनारायण तिवारी (जिला जालौन)—

[७वें शुक्रवार के लिये प्रश्न सं० ११८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

लखनऊ में बिक्री-कर का बकाया

*७०—श्री राधेश्याम कपूर—

क्या वित्त मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ३१ मार्च, १९६७ तक बिक्री कर का कितना धन लखनऊ नगर में व्यापारियों की ओर शेष था ? १,००० रुपये से तथा उससे ऊपर की राशि कितनों से पाना शेष है ?

श्री रामस्वरूप वर्मा—

३१ मार्च, १९६७ तक लखनऊ नगर में व्यापारियों की ओर १,४०,४७,३०९ रुपये की धन-राशि बिक्री-कर के रूप में शेष थी। ८१५ व्यापारियों से १,००० रु० तथा उससे ऊपर की धन-राशि पाना शेष है।

सब-इन्सपेक्टर, थाना औरंगाबाद के खिलाफ शिकायत

*७१—श्री हरीसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि माह जुलाई, १९६७ में एक पुलिस सब-इन्सपेक्टर, थाना औरंगाबाद, जिला बुलन्दशहर के खिलाफ कुछ विधायकों ने सरकार को कोई पत्र अथवा प्रार्थना पत्र दिया है ? अगर सरकार को प्राप्त हुआ है, तो सरकार ने उस पर क्या कायवाही की है ?

श्री चरणसिंह—

जी हां। थाना औरंगाबाद, जिला बुलन्दशहर के पुलिस सब-इन्सपेक्टर के विरुद्ध कुछ विधायकों द्वारा माह जून, १९६७ में एक शिकायती-पत्र दिया गया था। इस शिकायती-पत्र में दिये गये तीन आरोपों में से एक के संबंध में मुकदमा न्यायालय में चल रहा है। शेष दो आरोप जांच पर सही नहीं पाये गये।

अपराध अनुसंधान विभाग में कुत्ता दल पर व्यय

*७२—श्री कल्यानचन्द मोहिले—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेशीय पुलिस के पास कितने कुत्ते ऐसे हैं जिनको चोरी का पता लगाने हेतु सरकार ने ट्रेन्ड किया है और उसके ऊपर कितना प्रतिमाह खर्च होता है ?

श्री चरणसिंह—

प्रदेशीय पुलिस के अपराध अनुसंधान विभाग के कुत्ता दल में इस समय १५ कुत्ते हैं जिनसे अपराधों के पता लगाने में सहायता ली जाती हैं। इन कुत्तों के रख-रखाव पर लगभग १३०० रु० प्रतिमाह व्यय होता है।

इसके अलावा कुत्ता दल के लिये स्वीकृत हैन्डलिंग स्टाफ के वेतन तथा भत्तों पर लगभग ४,३०० रु० प्रतिमाह व्यय होता है।

बस्ती जिले में सहकारी समितियों के लिये पावर लूम

*७३—श्री ऊदल—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले की ४७ पावर लूम सहकारी समितियों को कार्यकारी पूंजी आज तक नहीं दी गयी जबकि ये समितियां पिछले पांच वर्षों से इसकी मांग करती चली आ रही हैं? यदि हां, तो ऐसा क्यों और क्या पूंजी न मिलने से सारे पावर लूम वर्षों से बेकार पड़े हैं और समितियों में गम्भीर आर्थिक संकट आ गया है? क्या इस संबंध में उद्योग मन्त्री व मुख्य मन्त्री को जुलाई, १९६७ के प्रथम सप्ताह में समितियों की ओर से प्रार्थना-पत्र भी दिये गये हैं?

श्री प्रभुनारायणसिंह—

जी नहीं। बस्ती जिले में केवल १५ ही ऐसी सहकारी समितियां हैं जिन्हें पावरलूम एलाट किये गये थे। इनको १,००० रु० प्रति करघे की दर से १७६ करघों के लिये कार्यकारी पूंजी की सहायता प्रदान की गई।

प्रश्न नहीं उठता क्योंकि अगस्त, १९६७ में उपरोक्त १५ सहकारी समितियों में से १२ समितियों के करघे उत्पादन कार्य में लगे हुये थे।

जी हां।

सहकारी समिति घूमा कोट के सेल्समैन, श्री सुल्तानसिंह द्वारा आत्महत्या

*७४—श्री रामप्रसाद (जिला गढ़वाल)—

क्या गृह मन्त्री को ज्ञात है कि सहकारी समिति, घूमाकोट, जिला पौड़ी गढ़वाल के सेल्समैन, श्री सुल्तान सिंह ने मार्च, १९६७ में आत्महत्या कर ली थी और आत्म-हत्या करने के पूर्व उसने उक्त सहकारी समिति के मैनेजर को एक पत्र लिखा था जो उस क्षेत्र के विधान सभा सदस्य ने जिलाधीश, पौड़ी-गढ़वाल को दिया था? यदि हां, तो उस बारे में क्या कार्यवाही की गयी?

श्री चरणसिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार मार्च, १९६७ में सहकारी समिति घूमाकोट, जिला पौड़ी-गढ़वाल के सेल्समैन, श्री सुल्तान सिंह का शव समिति की दुकान में रस्सी से लटका हुआ पाया गया था। उक्त सहकारी समिति के मैनेजर को संबोधित मृतक का एक पत्र घटनास्थल पर मिला था। उस पत्र को उस क्षेत्र के विधान सभा सदस्य ने तो नहीं अपितु श्री मंगलसिंह विष्ट न जिलाधिकारी को दिया था। उस पत्र के मिलने पर जिला मजिस्ट्रेट ने मामले की जांच करने के आदेश परगना मजिस्ट्रेट लैन्सडाउन को दिये थे। परगना मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट प्राप्त होने पर जिला मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार रेगुलर पुलिस द्वारा विवेचना की गई थी। विवेचना करने के उपरान्त पुलिस ने प्रमाण के अभाव में इस मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी है जो मजिस्ट्रेट लैन्सडाउन के न्यायालय म विचाराधीन है।

छत्ता थाना की पुलिस के खिलाफ श्री महेशचन्द तिवारी, ऐडवोकेट, आगरा की शिकायत

*७५—श्री रघुनाथसिंह (जिला आगरा)—

क्या मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनको श्री महेशचन्द तिवारी, एडवोकेट, कलेक्टरी कचहरी आगरा द्वारा दिनांक १७ जुलाई, १९६७ को प्रेषित इस आशय का कोई शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है कि दिनांक १७ जुलाई, १९६७ को थाना छत्ता के थानेदार एवं सिपाही श्रीमान, अतिरिक्त जिलाधीश (न्याय) के न्यायालय से दो अभियुक्तों को घसीटते हुये मारपीट करते हुये थाने ले गये और वहां भी मारपीट किया और बन्द कर दिया ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह—

श्री महेश चन्द्र तिवारी एडवोकेट आगरा का प्रार्थना-पत्र दिनांक १७—७—६७ को शासन को प्राप्त हुआ था जिसमें थाना छता के थानेदार एवं सिपाही के विरुद्ध अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (न्याय) आगरा के न्यायालय से दो अभियुक्तों को घसीटते हुये व मारपीट करकेले जाने का आरोप लगाया गया था। प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच कराई गई और जांच से आरोप सही नहीं पाये गये ।

मड़ियाहू में युवक की मृत्यु की जांच

*७६—श्री राजकिशोर (जिला जौनपुर)—

क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि जौनपुर जिले के मड़ियाहू कस्बा में एक युवक को २१ मई, १९६७ को विष दिया गया और उसकी लाश दिन-दहाड़े कुयें में फेंकने की कोशिश की गई और इत्तला पाकर पुलिस ने लाश अपने कब्जे में ली ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अब तक उस केस में क्या कार्यवाही हुई ?

श्री चरणसिंह—

थाने पर लिखाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार दिनांक २१—५—६७ को मड़ियाहू कस्बा में एक युवक अपने स्वसुर के मकान से निलकते ही दरवाजे पर गिरकर मर गया। मरने का कारण अज्ञात बताया गया इस सूचना पर लाश को शवोच्छेदन के लिये भेजा गया जिससे ज्ञात हुआ कि मृत्यु संभवतः विष दिये जान से हुई है ।

इस संबंध में मृतक का "विसरा" वैज्ञानिक परीक्षण हेतु भेजा गया है और भा० दं० वि० की धारा ३०२/३२८ के अन्तर्गत एक मुकदमा कायम करके उसकी विवेचना की जा रही है। अनुसंधान अभी जारी है ।

राजकीय आर्म्स फैक्टरी, कानपुर के कर्मचारियों और पुलिस के बीच संघर्ष

*७७—श्री श्रीराम तिवारी—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यह सही है कि दिनांक २९ जुलाई, सन् १९६७ को राजकीय आर्मस फैक्टरी, कानपुर के सुरक्षा कर्मचारियों व पुलिस के बीच कई घंटे तक संघष हुआ जिसमें कई कर्मचारी व नागरिक व पुलिस के सिपाही घायल हुये और कई की मृत्यु भी हुई जिससे नागरिकों व सुरक्षा कर्मचारियों म घोर असंतोष है ? यदि हां, तो संघर्ष का क्या कारण है और क्या सरकार घटना की न्यायिक जांच करायेगी ?

श्री चरणसिंह—

राजकीय आर्म्स फैक्टरी, कानपुर के कर्मचारियों तथा पुलिस के बीच संघर्ष नहीं हुआ, बल्कि वास्तविक घटना इस प्रकार है। २९ जुलाई, १९६७ को सुबह जब फैक्ट्री में शिफ्ट बदल रही थी और कर्मचारी आ जा रहे थे उसी समय फैक्टरी के पास एक ट्रक से जिसकी एक मोटर से टक्कर हो चुकी थी कुछ कर्मचारियों को चोटें आईं और उनकी साइकिलों को नुकसान हुआ। कर्मचारी उत्तेजित हो गये और उस ट्रक को तथा एक और ट्रक को उसके पीछे थी आग लगा दी। बाद में फायर ब्रिगेड और पुलिस पहुंची मगर कर्मचारियों ने जो काफी संख्या में इकट्ठा हो गये थे उन पर पथराव किया और आग बुझाने नहीं दी। इस दुर्घटना में फैक्टरी के ४ कर्मचारी और लगभग ५० पुलिस व पी० ए० सी० के अधिकारी व कर्मचारी घायल हुये जिनमें से एक पी० ए० सी० के हैड कान्सटेबिल की बाद में मृत्यु हो गई। इस सिलसिले में कुछ अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमें चालान किये गये हैं और तफतीश हो रही है। सरकार इस घटना की न्यायिक जांच कराने की आवश्यकता नहीं समझती।

*७८—श्री श्रीराम तिवारी—

[प्रश्नकर्ता द्वारा वापस ले लिया गया।]

इन्स्पैक्टर जनरल आफ रजिस्ट्रेशन व स्टाम्प

*७९—श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्तमान इन्सपेक्टर जनरल रजिस्ट्रेशन आफ स्टाम्प, इलाहाबाद ने जनवरी, सन् १९६७ से मई, १९६७ तक किस-किस जिले का दौरा किया और भत्तों के रूप में कितना रुपया प्राप्त किया ?

श्री रामस्वरूप वर्मा—

वर्तमान इन्सपेक्टर जनरल आफ रजिस्ट्रेशन व स्टाम्प की नियुक्ति १ जुलाई, १९६७ को हुई थी। अतः उनके द्वारा इन्सपेक्टर जनरल की हैसियत से जनवरी, १९६७ से मई, १९६७ तक यात्रा करने का प्रश्न नहीं उठता।

शुगर मिल मजदूर यूनियन, बाराबंकी के मंत्री का स्मृति–पत्र

*८०—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रामचन्द्र एन्ड सन्स, शुगर मिल प्राइवेट लिमिटेड के श्रमिकों व संबंधित किसानों की कठिनाइयों एवं मांगों व मिल की व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार के विषय में शुगर मिल मजदूर यूनियन, बाराबंकी के मन्त्री ने कोई स्मृति–पत्र सरकार के पास अप्रैल या मई, १९६७ में भेजा है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री प्रभुनारायणसिंह—

जी हां।

श्रमिकों तथा सेवायोजकों में आपसी एक समझौता हो गया है जिससे सब विवादग्रस्त मामले आपस में ही तय हो रहे हैं। शेष शिकायतों पर संबंधित विभागों द्वारा उचित कार्यवाही की गई है।

सहकारी चीनी मिल, बागपत के उत्पादन, रिकव्री और मुनाफे का विवरण

*८१—श्री रामदत्त—

क्या उद्योग मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कोआपरेटिव शुगर मिल बागपत, मेरठ में वर्ष १९६४–६५ की तुलना में उत्पादन रिकवरी और मुनाफे में कितनी कमी वर्ष १९६५–६६ तथा १९६६–६७ में हुई ?

श्री प्रभुनारायणसिंह—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ६५३ पर)

महाराजगंज बाजार में पुलिस चौकी न होना

*८२—श्री देवीसेवक (जिला जौनपुर)—

क्या गृह मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिला में महाराजगंज बाजार में कोई नया थाना बनने वाला है ? यदि हां, तो कब तक नया थाना बनेगा ? यदि नहीं, तो क्या वहां जो पुलिस चौकी तोड़ी जा चुकी है उक्त बाजार में फिर कायम होगी ?

श्री चरणसिंह—

जी नहीं । महाराजगंज में कोई पुलिस चौकी नहीं थी और वहां पुलिस चौकी फिर से कायम करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

थाना कोतवाली, मुरादाबाद के अन्तर्गत चोरी व डकैती के मामले

*८३—श्री महेशकुमार—

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद नगर में ४ जुलाई, १९६७ की रात्रि में कटरागंज की एक दूकान पर डाका पड़ा ? दुकान के चौकीदार को जबरदस्ती बांधकर डाल दिया गया ? चौकीदार द्वारा तीन बजे स्थानीय पुलिस को सूचना देने पर भी पुलिस घटनास्थल पर दस बजे दिन तक नहीं पहुंची और रिपोर्ट भी डकैती की न लिखी जाकर मामूली चोरी की लिख दी गई ? क्या इस विषय में मन्त्री जी को कोई पत्र अथवा तार आदि मिला है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरण सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री राजेन्द्र कुमार निवासी बेलवारान, थाना कोतवाली मुरादाबाद ने कटरानाज में स्थित अपनी दूकान में ३/४ जुलाई, १९६७ की रात में चोरी होने की लिखित रिपोर्ट ४–७–१९६७ को ६ बजकर १० मिनट पर सुबह थाना कोतवाली पर दी जो अक्षरशः अंकित कर ली गई । इस रिपोर्ट के आधार पर धारा ३८०/४५७ भा० दं० वि० के अन्तर्गत एक मुकदमा कायम किया गया और तुरन्त उड़न-दस्ता घटनास्थल पर भेजा गया ।

रिपोर्ट में चौकीदार के बांधे जाने आदि का कोई उल्लेख नहीं है ।

इस घटना के विषय में प्रश्न कर्ता के माध्यम से एक शिकायती-पत्र शासन को प्राप्त हुआ । उसमें अंकित आरोपों की जांच की जा रही है ।

*८४—श्री महेशकुमार—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मुरादाबाद नगर कोतवाली में सन् १९६७ से लेकर ५ जुलाई, १९६७ तक कितनी चोरियों एवं डकैतियों की घटनायें हुई हैं और पुलिस इनमें से कितनी घटनाओं को पता लगाने में सफल हो पाई है ?

श्री चरणसिंह—

इस अवधि में एक डकैती की रिपोर्ट थाने पर दर्ज कराई गई थी व ८३ चोरी की रिपोर्टें दर्ज कराई गईं।

डकैती का मामला झूठा पाया गया और मुकदमें में अंतिम रिपोर्ट लगा दी गई है। और जुर्म खारिज करने की रिपोर्ट दी गई है।

चोरी की ८३ रिपोर्टों में से ५८ में जांच की गई। १७ मुकदमों में अभियुक्तों का पता लगाया गया। १२ मुकदमों में जांच हो रही है। शेष २९ मुकदमें लापता रहे।

प्रतापगढ़ के जिला अधिकारी, श्री रमेशचन्द्र, आई० ए० एस० के खिलाफ आरोपों की जांच

*८५—श्री कामतासिंह (जिला बलिया)—

क्या सरकार को पता है कि प्रतापगढ़ के जिला अधिकारी, श्री रमेशचन्द्र, आई० ए० एस० के भ्रष्टाचारों के विषय में प्रतापगढ़ के पांच पत्रकारों के एक प्रतिनिधि मन्डल ने गत ७ अक्तूबर, १९६६ को लखनऊ में तत्कालीन मुख्य सचिव एवं गृह सचिव से भेंट कर उन्हें आरोप-पत्र दिया था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री चरणसिंह—

जी हां। चूंकि जांच के उपरान्त आरोप निराधार पाये गये अतएव कोई कार्यवाही नहीं की गई।

गुड़ एवं खांडसारी का विकास

*८६—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़) तथा श्री महेशकुमार—

क्या सरकर कृपया बतायेगी कि वह अगले सीजन में गुड़ एवं खांडसारी उद्योग के संरक्षण एवं विकास के लिये कोई कदम उठाने वाली है?

श्री प्रभुनारायणसिंह—

१९६७-६८ पेराई मौसम में सुरक्षित क्षेत्र में शक्ति चालित कोल्हूओं के चलने की तिथि पर प्रतिबन्ध होने के सिवाय गुड़ एवं खांडसारी के उत्पादन व वितरण पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। अतएव, उसके संरक्षण के लिये कोई योजना बनाने का प्रश्न नहीं उठता।

जहां तक गुड़ एवं खांडसारी के विकास का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में शक्कर, गुड़ तथा खांडसारी उद्योगों के विकास के लिये उच्चाधिकार सलाहकार समिति (१९६४) द्वारा गुड़ एवं खांडसारी उद्योगों के संबंध में की गई सिफारिशों पर संबंधित विभागों द्वारा यथासंभव अमल किया जा रहा है।

राब पर से बिक्री-कर हटाने की मांग

*८७—श्री नेकराम शर्मा तथा श्री महेशकुमार—

क्या गुड़ एवं खांडसारी वर्ग सन् १९६५ से लगातार सरकार से यह मांग करता आ रहा है कि राब पर से खरीद कर हटा दिया जाये और उसकी यह मांग आज दिन तक भी बनी हुई है? यदि हां, तो उसके विषय में क्या फैसला किया गया?

श्री रामस्वरूप वर्मा—

गुड़ एवं खांडसारी वर्ग की यह मांग रही है कि राब पर से क्रय-कर हटा दिया जाय। इस मांग को शासन द्वारा १९६५ में अस्वीकार किया जा चुका है तथापि उक्त वर्ग से हाल में प्राप्त प्रत्यावेदनों पर पुनः विचार किया जा रहा है।

*८८—श्री बाबू बदरे—

[प्रश्नकर्ता से स्पष्टीकरण की प्राप्ति हेतु हटा दिया गया ।]

सिंचाई मंत्री द्वारा सीतापुर जिले का दौरा

*८९—श्री राजबहादुर (सीतापुर)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्री, ७ अप्रैल, सन् १९६७ से २५ मई, सन् १९६७ के बीच कितनी बार और किन-किन तारीखों में वे सीतापुर जिले में गये ?

श्री चरणसिंह—

सिंचाई मन्त्री ७ अप्रैल से २५ मई, १९६७ तक निम्नलिखित तारीखों में १३ बार सीतापुर गये ।

अप्रैल, ७, ८, १७, २१, २५ तथा ३० और मई २, ६, १०, १६, २१, २२ तथा २४, १९६७ ।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, रानीपुर, हरिद्वार के लिये अध्याप्त भूमि का मुआवजा

*९०—महन्त घनश्यामगिरि (जिला देहरादून)—

क्या उद्योग मन्त्री को यह मालूम है कि हैवी इलेक्ट्रिकल्स, रानीपुर, हरिद्वार में हजारों बीघा कृषि भूमि कृषकों से एक्वायर की गई है जिसका मुआवजा भी अभी पूरा नहीं दिया गया ?

श्री प्रभुनारायणसिंह—

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, रानीपुर (हरिद्वार) के लिये जो भूमि अध्याप्त (अक्वायर) की गई है उसके मुआवजे का भुगतान उन लोगों को छोड़कर, जो उसको लेने अभी तक नहीं आये हैं, बाकी सब लोगों को कर दिया गया है ।

शाहगंज के थानेदार, श्री चन्द्रमोहन दीक्षित के विरुद्ध जांच

*९१—श्री कामतासिंह—

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि जौनपुर जिले के शाहगंज थाने के थानेदार श्री चन्द्र मोहन दीक्षित के विरुद्ध गत वर्ष से कुछ प्रार्थना-पत्र शासन को प्राप्त हुये जिसमें उनके ऊपर भ्रष्टाचार के अनेक आरोप शाहगंज थाने के अन्तर्गत की जनता द्वारा लगाये गये हैं ? यदि हां, तो उन प्रार्थना-पत्रों की जांच किनके द्वारा कराई जा रही है ? क्या उक्त थानेदार मुजफ्फर-नगर से शिकायती दरख्वास्त पर ट्रान्सफर होकर शाहगंज भेजा गया था ?

श्री चरणसिंह—

जौनपुर जिले के शाहगंज थाने के थानेदार श्री चन्द्रमोहन दीक्षित के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों से सम्बन्धित शाहगंज की जनता का कोई प्रार्थना पत्र शासन को १९६६ में नहीं प्राप्त हुआ था । सन् १९६७ में उक्त थानेदार के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत से सम्बन्धित दो प्रार्थना-पत्र शासन को प्राप्त हुए । इन प्रार्थना पत्रों की जांच उप पुलिस अधीक्षक, जौनपुर द्वारा कराई गई । जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुए ।

उक्त थानेदार वाराणसी से स्थानान्तरित होकर जौनपुर जिले में १९६४ में आये थे और १९६६ से शाहगंज में तैनात हैं ।

आई० टी० आई० तथा सी० टी० आई० ट्रेनिंग के लिये भर्ती

*९२— श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या श्रम मंत्री बतायेंगे कि इस वर्ष सी० टी० आई० कानपुर में ट्रेनिंग लेने वालों को भर्ती नहीं किया जायगा ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री प्रभुनारायणसिंह—

इस वर्ष केवल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में काम करने वाले अप्रशिक्षित अनुदेशकों को ही सी० टी० आई० कानपुर में ट्रेनिंग के लिये भेजा गया है ।

*९३—श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या श्रम मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि इस वर्ष लगभग साढ़े तीन हजार लड़कों को आई० टी० आई० में ट्रेनिंग लेने का लक्ष्य है ? यदि हां, तो इस हेतु प्रयास किये जा रहे हैं और इस वर्ष आई० टी० आई० केन्द्र कहां-कहां खोले जावेंगे ?

श्री प्रभुनारायणसिंह—

इस वर्ष ४००० सीटों के बढ़ाने के प्रारम्भिक लक्ष्य को घटाकर २१९६ कर दिया गया है । इसके लिये लड़कों की भर्ती भी १/८/१९६७ से प्रारम्भ होने वाले सत्र के लिये हो चुकी है । ये सीटें वर्तमान संस्थाओं में बढ़ाई गईं और इस वर्ष कोई नया आई० टी० आई० नहीं खोला गया ।

मऊनाथभंजन में कपड़ा मिल खोलने की मांग

*९४—श्री मुक्तिनाथ राय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में गत कई वर्षों से कस्बा मऊनाथ भंजन में कपड़े की सूती मिल खोलने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो अब तक इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री प्रभुनारायणसिंह—

सहकारी क्षेत्र में प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में कुछ नये सूती मिल खोलने का प्रस्ताव था परन्तु रूई की कमी तथा आर्थिक कठिनाइयों के कारण यह प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया ।

सहकारी तथा पंचायत आडीटरों का यात्रा भत्ता

*९५—श्री भगवतीसिंह विशारद—

क्या वित्त मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि यू० पी० वेतन अभिनवीकरण समिति (१९६४-६५) की सिफारिशों के आधार पर सहकारी तथा पंचायत आडीटरों के निश्चित यात्रा भत्ता को अब तक पुनरीक्षित न करने के क्या कारण हैं ?

श्री रामस्वरूप वर्मा—

यह मामला अभी विचाराधीन है ।

देहरादून आई० टी० आई० के प्रिन्सिपल, श्री जायसवाल के विरुद्ध जांच

*९६—श्री प्रतापनारायण तिवारी (जिला गोंडा)—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि २ जून, १९६७ को एक शिकायत-पत्र, जिसमें अनेकों भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप, देहरादून आई०टी० आई० (छात्रों) कालेज के प्रिन्सिपल श्री जायसवाल के विरुद्ध थे, प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उपरोक्त शिकायत पर अभी तक क्या जांच हुई ?

श्री प्रभुनारायणसिंह—

जी हां ।

इस सम्बन्ध में जांच हुई । जांच आख्या शासन के विचाराधीन है ।

यू ० पी० गवर्नमेन्ट हैण्डीक्राफ्ट्स शोरूम, अमीनाबाद

*९७—श्री गोविन्दनारायण तिवारी (जिला जालौन)—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अमीनाबाद (लखनऊ) में स्थित सरकारी हैण्डलूम इम्पोरियम कितने महीनों से बन्द हैं और क्यों ?

श्री प्रभुनारायणसिंह—

अमीनाबाद स्थित गवर्नमेन्ट यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स का शो रूम, जो भवन की छत गिर जाने के कारण ६-८-६६ से बन्द था, १-८-६७ से अस्थाई रूप से चालू कर दिया गया है ।

*९८—९९—श्री करनसिंह—

[२वें सोमवार के लिये प्रश्न सं० ८७-८८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

पीरान कलियार के मेले में आबकारी मंत्री का पधारना

*१००—श्री ज० एन० सिन्हा—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला सहारनपुर में होने वाले विख्यात पीरान कलियर मेले में १९६७ में कितने मंत्री गये ? उनके साथ परिवार भी थे या नहीं ? यदि हां, तो उन पर हुआ व्यय सरकार द्वारा हुआ या दरगाह शरीफ द्वारा ?

श्री चरणसिंह—

केवल भूतपूर्व आबकारी मंत्री जो मुस्लिम वक्फ के भी मंत्री थे सहारनपुर, देवबन्द और रुड़की का दौरा करते हुए लौटते समय २२ जून, १९६७ को पीरान कलियर गये थे । उनके साथ उनके परिवार के कोई सदस्य नहीं थे । अतः प्रश्न के अन्तिम भाग का सवाल ही नहीं उठता ।

मुन्सिफ तथा जुडिशियल अधिकारियों की प्रतियोगितात्मक परीक्षा के विषय

*१०१—श्री कन्हैयालाल विशारद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित मुन्सिफ तथा जुडिशियल आफीसर की प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में परीक्षा विषय बनाये जाने वाले अधिनियमों (ऐक्ट) को अद्यावधि करके क्यों नहीं रखा जाता है ?

श्री चरण सिंह—

मुन्सिफ तथा जुडिशियल अधिकारियों की प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं के विषय किसी अधिनियम (ऐक्ट) से नहीं बनाए जाते । अतएव, अधिनियम को अद्यावधि करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

*१०२—श्री कन्हैयालाल विशारद—

क्या सरकार उपरोक्त परीक्षा में दिये जाने वाले को शीघ्र अद्यावधि कराने की व्यवस्था करेगी ताकि आगामी परीक्षा में वह उपयोगी साबित हो सकें ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह—

कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण के फलस्वरूप जुडिशियल अधिकारियों के संवर्ग (कैडर) में नियुक्तियां भविष्य में नहीं होंगी। अब आगामी प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं द्वारा केवल मुन्सिफों के संवर्ग (कैडर) में नियुक्तियां होंगी। इस संवर्ग के परीक्षा-विषय सम्बन्धी पाठ्यक्रम (सिलेबस) आयोग द्वारा अद्यावधि संशोधित रूप में ही अभ्यर्थियों के उपयोगार्थ भेजे जाते हैं।

केन्द्रीय सरकार से उर्दू-शिक्षा सम्बन्धी पत्र

*१०३—श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अगस्त, १९६७ के प्रथम सप्ताह में उसे केन्द्रीय सरकार से उर्दू की शिक्षा देने की सुविधाओं के सम्बन्ध में कोई पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो वह क्या है और सरकार ने उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है?

श्री चरणसिंह—

"केन्द्रीय सरकार के गृह मंत्री का एक अर्धशासकीय पत्र उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के नाम अगस्त, १९६७ के प्रथम सप्ताह में प्राप्त हुआ पर उसमें क्या था यह बताना सम्भव नहीं है क्योंकि इस प्रकार का पत्र व्यवहार मूलतः गोपनीय माना जाता है।

शासन ने प्रदेश में उर्दू की शिक्षा के सम्बन्ध में अनेक सुविधाएं उपलब्ध की हैं और हाल ही में उप मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में एक उर्दू कमेटी का भी गठन किया है जो इस बात को देखेगी कि उर्दू जानने वालों और उर्दू के माध्यम से शिक्षा पाने की इच्छा रखने वाले बच्चों को पूरी तौर से शासन द्वारा दी गई सुविधाएं उपलब्ध हों।

अतारांकित प्रश्न

नीलाम व अटैच किये गये मिल

१—श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १० अप्रैल, १९६७ से ३० मई, १९६७ के बीच प्रदेशीय सरकार ने किन-किन मिलों (फैक्टरीज) को सरकारी देय धन की वसूली करने के कारण या अन्य किस देय मद के कारण एटैच या नीलाम कराया है?

श्री प्रभुनारायणसिंह—

१० अप्रैल से ३० मई, १९६७ के बीच जिन मिलों को विभिन्न सरकारी देय धन की वसूली के कारण नीलाम व एटैच कराया गया है उनके नाम संलग्न सूची में दिये गये हैं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ६५४ पर।)

उत्तर काशी जिले में सिंचाई योजनायें

२—श्री कृष्णसिंह (जिला उत्तरकाशी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तरकाशी जिले में १९६५-६६ तथा १९६६-६७ में सिंचाई के लिये नई नहरों की कौन-कौन योजनायें बनाई गई थीं और कौन-कौन योजनायें उन नई नहरों की कार्यान्वित हुईं?

श्री चरण सिंह—

सन् १९६५-६६ तथा १९६६-६७ में उत्तरकाशी जिले में सिंचाई के लिये जो नई योजना बनाई गईं और उन में से जो कार्यान्वित हुईं उनका विवरण संलग्न तालिका में दिया है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ६५५ पर।)

सैनिक स्कूल, घोड़ाखाल

३—श्री गोपालदत्त ओझा—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सैनिक स्कल, घोड़ाखाल (नैनीताल) में सीमान्त निवासियों के अभ्यर्थियों के लिये प्रदेश में प्राथमिकता दी जा रही है ?

श्री चरणसिंह—

जी नहीं ।

कानपुर में बिक्री-कर का बकाया

४—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

२९ जून, १९६७ के प्रश्न ३८ के उत्तर से सम्बन्धित वित्त मंत्री जी बतायेंगे कि सेल्स टैक्स का १३.८१ करोड़ रुपया प्रदेश म कब स बकाया था ? प्रतिवष की बकाया रकम क्या-क्या थी और किन-किन कारणों से वह वसूल नहीं हो सकी थी ?

श्री रामस्वरूप वर्मा—

प्रदेश में ३१–३–६७ को बिक्री-कर का जो १३.८१ करोड़ रुपया बकाया था वह वष १९४८–४९, जब से प्रदेश में बिक्री-कर लगाया गया, तब से था। प्रतिवर्ष की बकाया की रकम संलग्न परिशिष्ट 'अ' में दी जा रही है। बकाया कर वसूल न होने के मुख्य कारण निम्न थे—

(१) बकाया में से कुछ धनराशि की वसूली सक्षम अधिकारियों द्वारा रोक दी गई थी।

(२) कुछ धनराशि प्रत्यक्ष रूप से वसूली योग्य नहीं थी क्योंकि वह ऐसे व्यापारियों के विरुद्ध बाकी थी जिनका पता नहीं लग रहा है या जो दिवालिया हो गये हैं या जिनके पास बकाया की अदायगी के कोई साधन नहीं हैं ।

(३) इसके अतिरिक्त बकाया की कुल धन-राशि में एक बड़ी धनराशि पुराने वर्षों से संबंधित है जबकि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम में कुछ वधानिक परिवर्तनों का लाभ उठान के लिये कुछ व्यापारियों ने व्यापार प्रारम्भ किया और तत्कालिक परिवर्तनों का लाभ उठा कर अपनी सुविधानुसार एकाएक कारोबार बन्द कर व्यापारी समुदाय के क्षेत्र से लापता हो गये और उनके विरुद्ध लगाया कर उस समय वसूल न किया जा सका।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ६५६ पर) ।

५—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

उक्त बकाया धनराशि में से कितनी रकम कानपुर शहर के लोगों पर थी ? कब से बकाया चल रही थी ? ऐसे बकायादारों के नाम देने की कृपा करें जिन पर ५० हजार रुपया से अधिक बकाया चल रहा था औरउसम से अब तक कितना वसूल हो चुका है ?

श्री रामस्वरूप वर्मा—

उक्त बकाया धनराशि (१३.८१ करोड़ रु०) में से २.९२ करोड़ रु० की रकम कानपुर शहर के व्यापारियों पर थी । इसम से कुछ बकाया वर्ष ४८–४९ से चली आ रही थी । जिन बकायादारों पर ५०,००० रु० से अधिक का बकाया था, उनकी सूची संलग्न परिशिष्ट 'ब' में दी हुई है। ऐसे बकायादारों से १ अप्रैल, १९६७ से ३० सितम्बर, १९६७ तक की वसूली के आंकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ६५७–६५८ पर ।)

चीनी मिलों में वेतन मण्डल की सिफारिशों को लागू करना

६—श्री राजाराम पांडेय—

क्या यह सत्य है कि चीनी उद्योग के द्वितीय वेतन मंडल की अन्तरिम रिपोर्ट जिसके अनुसार दिसम्बर, १९६७ तक कर्मचारियों की छंटनी, रिटायरमेन्ट (फोर्स्ड त्याग-पत्र मांगना) रोका गया है, प्रदेश के चीनी के कारखानों में लागू करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये ?

श्री प्रभनारायण सिंह—

चीनी उद्योग के द्वितीय वेतन मंडल की अन्तरिम सिफारिश श्रमिकों के रिटायरमेन्ट व वार्षिक वेतन वृद्धियों से सम्बन्धित है जिसे संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़े का ऐक्ट, १९४७ की धारा ३ के अन्तर्गत लागू कर दिया गया है ।

थाना महानगर, लखनऊ में श्री राजेन्द्रसिंह भदौरिया, सहायक अभियन्ता द्वारा श्री तुलसीराम चतुर्वेदी के खिलाफ रिपोर्ट

७—श्रीं सुरेन्द्रविक्रम—

क्या सरकार को पता है कि श्री राजेन्द्रसिंह भदौरिया, असिस्टेंट इन्जीनियर, सिंचाई विभाग ने कोई रिपोर्ट दिनांक ४ जुलाई, १९६७, ६ जुलाई तथा ८ जुलाई, १९६७ को थाना महानगर, लखनऊ में श्री तुलसीराम चतुर्वेदी, सेन्ट्रल गवर्नमेंट इन्फार्मेशन आफिसर तथा मुख्य मंत्री जी के शैडों के खिलाफ दर्ज कराई ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री चरणसिंह—

श्री राजेन्द्र सिंह भदौरिया, सहायक अभियन्ता ने दिनांक ४–७–६७ को एक रिपोर्ट केवल तुलसीराम चतुर्वेदी, सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट इन्फामशन आफिसर के विरुद्ध धारा ५०६ भा० दं० वि० के अन्तर्गत थाना महानगर में लिखाई थी । दिनांक ६–७–१९६७ तथा ८–७–१९६७ को श्री भदौरिया ने कोई रिपोर्ट श्री चतुर्वेदी अथवा मुख्य मंत्री के शैडों के विरुद्ध थाना महानगर पर नहीं लिखाई ।

श्री भदौरिया ने ४–७–६७ को जो उपरोक्त रिपोर्ट थाने पर धारा ५०६ भा० दं० वि० के अन्तर्गत अंकित कराई थी, वह पुलिस द्वारा अहस्तक्षेपनीय थी । अतः पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की ।

शाहजहांपुर जिला जेल का कथित निरीक्षण

८—श्री सुरेन्द्रविक्रम—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उपमंत्री, जेल १६/१७ जुलाई को शाहजहांपुर अचानक पहुंचे और जेल का मुआइना किया और कुछ सामान भी सील कर आये हैं और बड़ी अनियमितताय पाईं, फिर उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री चरणसिंह—

जी नहीं, उप मंत्री जेल ने १६/१७ जुलाई, १९६७ को शाहजहांपुर जिला जेल का कोई मुआइना नहीं किया ।

महानगर, लखनऊ में श्री एम० जी० मेहरा की बारात में पी० ए० सी० का बैण्ड न पहुंचना

९—श्री सुरेन्द्रविक्रम—

क्या मुख्य मंत्री को पता है कि श्री एम० जी० मेहरा सी०/३४२, महानगर, लखनऊ ने थर्ड बटालियन पी० ए० सी०, लखनऊ का बैण्ड बाजा अपनी बारात के लिए दिनांक २८ जून, १९६७

को १०० रु० पेशगी देकर रसीद नम्बर ७७ प्राप्त करके रिजर्व कराया और बाजा उपरोक्त सज्जन के यहां नहीं पहुंचा जिस से बड़ी बदनामी हुई और बारात बिला बाजे के ही चढ़ी ? यदि हां, तो जिम्मेदार पी० ए० सी० अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ?

श्री चरणसिंह–

जी हां। श्री एम० जी० मेहरा ने तृतीय वाहिनी पी० ए० सी० का बैन्ड बाजा १०० रु० पेशगी देकर रिजर्व कराया था परन्तु रिजर्व करने वाले अधिकारी की गलती के करण यह निश्चित समय से कुछ देर बाद जा पहुंचा जिसे श्री मेहरा ने लौटा दिया। सम्बन्धित अधिकारी को सख्त चेतावनी दी गयी है।

कर्णप्रयाग में रजिस्ट्रेशन कार्यालय तथा सब-ट्रेजरी

१०—श्री योगेश्वरप्रसाद—

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चमोली जिले के अन्तर्गत कर्णप्रयाग तहसील हेड क्वार्टर में रजिस्ट्रेशन कार्यालय कब तक खुलगा ? इसे आज तक क्यों नहीं खोला गया ?

श्री रामस्वरूप वर्मा—

चमोली जिले के अन्तर्गत कर्णप्रयाग तहसील हेड क्वाटर में रजिस्ट्रेशन कार्यालय खोलने का निर्णय शासन द्वारा लिया जा चुका है तथा तत्सम्बन्धी विज्ञप्ति जारी की जा रही है। अभी तक निबन्धन महानिरीक्षक के साथ हो रहे पत्र-व्यवहार तथा उत्तराखण्ड की अन्य तहसीलों में भी रजिस्ट्रेशन कार्यालय खोले जाने के प्रश्न पर विचार होते रहने के कारण यह कार्यालय इसके पूर्व नहीं खोला जा सका।

११—श्री योगेश्वरप्रसाद—

क्या वित्त मन्त्री को यह ज्ञात है कि चमोली जिले की कर्णप्रयाग तहसील के हेड क्वार्टर कर्णप्रयाग में एक वर्ष से भी अधिक समय से ट्रेजरी के लिए भवन बन कर तैयार है किन्तु अभी तक भी चमोली जिले की इस सबसे बड़ी तहमील में सब-ट्रेजरी नहीं खुली है ? क्या मन्त्री जी शीघ्र ही कर्णप्रयाग में सब-ट्रेजरी खोले जाने हेतु आदेश प्रसारित करने की कृपा करेंगे ?

श्री राजस्वरूप वर्मा—

जी हां।

आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं।

असिस्टेंट पब्लिक प्रासीक्यूटर परीक्षा

१२—श्री रघबीर (जिला गाजीपुर)—

क्या गृह मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश असिस्टेंट पब्लिक प्रोसीक्यूटर की १९६४–६५, १९६५–६६ व १९६६–६७ की प्रतियोगिता परीक्षा में कितने अभ्यर्थी चुने गये और उन में कितने अनुसूचित जाति के एवं पिछड़ी जाति के थे ?

श्री चरणसिंह—

वर्ष १९६४–६५, १९६५–६६ तथा १९६६–६७ में प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा चुने गये अभ्यर्थियों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

वर्ष			अभ्यर्थियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति	पिछड़ी जाति
१९६४–६५	..	..	२९	१	१
१९६५–६६	..	..	१८	..	..
१९६६–६७	..	..	१३	..	..

निदेशक, चौकसी विभाग द्वारा खरीदी गयी मशीनों के सम्बन्ध में जांच

१३—श्री रामदत्त—

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि चौकसी विभाग के निदेशक ने श्रम एवं सेवा विभाग द्वारा मशीनों की खरीद में दस लाख रुपये के घोटाले की, जिसकी सूचना उसको सरकार ने मार्च-अप्रैल, १९६६ में दी थी, पूरी-पूरी जांच-पड़ताल कर ली है या नहीं ?

श्री चरणसिंह—

अभी जांच पूरी नहीं हुई है ।

१४—श्री रामदत्त—

अगर जांच-पड़ताल पूरी हो गयी है, तो क्या चौकसी विभाग के निदेशक की रिपोर्ट को विधान सभा के सम्मुख रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री चरणसिंह—

यह प्रश्न नहीं उठता ।

दंगलों पर मनोरंजन कर

१५—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में गत तीन वर्षों में अलग-अलग दंगल (कुश्तियों) पर लगे मनोरंजन कर द्वारा सरकार को क्या आय हुई है ?

श्री चरणसिंह—

गत तीन वर्षों में अलग-अलग दंगल (कुश्तियों) पर लगे मनोरंजन कर द्वारा सरकार को निम्नलिखित आय हुई है :—

				रु०
१९६४–६५	..	..	..	६,८०२.७३
१९६५–६६	..	..	..	२२,०१८.२३
१९६६–६७	..	..	..	५,३६७.२७

शाहजहांपुर जिले में पुराने दारोगा तथा जैतीपुर थाने में अपराध

१६—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

प्रथम सत्र सन् १९६७ के दूसरे गुरुवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या २२ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन मामलों में फाइनल रिपोर्ट लगायी गयी उनमें भारतीय दण्ड विधान की धारा ३०२, ३०४, ३०७, ३९५, ३९६ तथा १४७/३२३ और १४८/३२५ के कितने मामले थे और इनमें फाइनल रिपोर्ट लगाने के कारण क्या थे ?

श्री चरणसिंह—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ६५९ पर)

शाहजहांपुर जिले में लघु उद्योग ऋण

१७—श्री रघुनाथसिंह सेनगर (जिला कानपुर)—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जिले में जनवरी, १९६२, से दिसम्बर, १९६७, तक कितने लोगों को लघु उद्योग लगाने के लिए कर्जा दिया गया ? उन म से कितनों ने लघु उद्योग लगाये ?

श्री प्रभुनारायण सिंह—

शाहजहांपुर जिले में जनवरी, १९६२, से अब तक कुल ११० व्यक्तियों को कर्जा दिया गया। उन में से ६३ ने लघु उद्योग स्थापित कर लिये।

मंत्रियों का नैनीताल में आवास

१८—श्री रघुनाथसिंह सेनगर—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष ग्रीष्म ऋतु में कौन-कौन से मन्त्री सपरिवार नैनीताल गये और ठहरे ? क्या उनके परिवारों का पहाड़ पर ठहरने का सारा खर्च सरकार ने वहन किया ?

श्री चरण सिंह—

इस साल गर्मियों में उप मुख्य मन्त्री, पशुपालन मन्त्री तथा भूतपूर्व परिवहन मन्त्री सपरिवार नैनीताल गये किन्तु उनके परिवार के वहां ठहरने का कोई खर्च सरकार ने वहन नहीं किया।

न्योली शुगर फैक्टरी पर बकाया

१९—श्री सियाराम (जिला एटा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला एटा में न्योली शुगर फैक्टरी पर सन् १९६४ से दिनांक ८ जुलाई, १९६७, तक कितना किसानों का गन्ने का रुपया शेष है और कितना सेलटैक्स व मजदूरों का बोनस बाकी है ?

श्री प्रभुनारायणसिंह—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'अ' आगे पृष्ठ ६६० पर)

थानेदारों के खिलाफ कार्यवाही

२०—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में पिछले दो वर्षों की अवधि में कितने थानेदारों की शिकायत पर पदोन्नति रोकी गयी या नौकरी से हटाये गये ?

श्री चरणसिंह—

पिछले दो वर्ष की अवधि में शिकायत पर १३ थानेदारों को नौकरी से हटाया गया है।

थानेदारों की पदोन्नति इन्स्पेक्टर के पद पर पुलिस रेगुलेशन के पैरा ४३६ से ४३८ के आधार पर निर्धारित समिति द्वारा की जाती है, अतः शिकायत पर पदोन्नति रोकने का प्रश्न नहीं उठता।

माहेश्वरी खेतान शुगर मिल, रामकोला के खिलाफ शिकायतें

२१—श्री चन्द्रबली—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया जिला के महेश्वरी खेतान शुगर मिल, रामकोला, के खिलाफ अनियमितताओं, लाखों रुपयों का निजी कार्यों में व्यय, गबन, भ्रष्टाचार, सरकारी ५० लाख का पावना ८ से १० लाख तक ब्याज, कमीशन, गन्ने का दाम यूनियन का बाकी आदि शिकायतें कुछ लोगों ने ११ अप्रैल, १९६७ को वर्तमान उद्योग मन्त्री और मुख्य मंत्री को लिखा है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही अमल म लायी गयी है ?

श्री प्रभुनारायण सिंह—

प्रश्न में उल्लिखित कुछ लोगों द्वारा ११ अप्रैल, १९६७, को की गयी शिकायतें प्राप्त नहीं हुईं। शेष प्रश्न नहीं उठता।

लक्ष्मीगंज चीनी मिल पर बकाया

२२—श्री चन्द्रबली—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया जिला के लक्ष्मीगंज चीनी मिल के जिम्मे सरकार का ३० लाख रुपया केन सेस एवं बिक्री-कर और यूनियन का ८ लाख रुपया गन्ना का दाम, कमीशन, ब्याज आदि बाकी है ? यदि हां, तो सरकारी पावनों की वसूली और यूनियन की रकम दिलवाने की दिशा में क्या कदम उठाया गया है ?

श्री प्रभुनारायणसिंह—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ६६१ पर)

मंत्रियों के शैडोज

२३—श्री राधेश्याम कपूर—

क्या सरकार बतायेगी कि कितने भूतपूर्व मन्त्री तथा विधायक ऐसे हैं जिन के पास सरकार द्वारा दिये गये शैडो विद्यमान हैं तथा इन शैडोज पर कितना सरकारी धन प्रति मास खर्च होता है ?

श्री चरणसिंह—

जनहित में यह सूचना देना उचित न होगा।

सदर तहसील में बन्दूक के लाइसेन्सों की स्वीकृति

२४—श्री महरामसिंह—

क्या सरकार को पता है फर्रुखाबाद जिले की सदर तहसील के परगनाधीश ने १ जुलाई, सन् १९६६, से ३० जून, सन् १९६७, तक कितने व्यक्तियों को बन्दूक के लाइसेंस दिये हैं ?

श्री चरणसिंह—

फर्रुखाबाद जिले की सदर तहसील के परगनाधीश ने उक्त अवधि में ६७ बन्दूकों के लाइसेंस स्वीकृत किये।

२५—श्री महरामसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले की सदर तहसील के परगनाधीश के यहां ऐसे कितन बन्दूक के लाइसस के प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं जिन को छः मास से अधिक हुआ है ?

श्री चरणसिंह—

इस प्रकार से प्रार्थनापत्रों की संख्या ११३ है।

२६—श्री राधेश्याम कपूर—

[६ठें शुक्रवार के लिए प्रश्न संख्या ३८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

महानगर थाने में चोरी के मामले

२७—श्री कन्हैयालाल विशारद—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महानगर (लखनऊ) थाने में अप्रैल, १९६७ से जून, १९६७ तक कितने चोरी के मुकदमे महानगर, पेपर मिल कालोनी तथा निशातगंज के अलग-अलग दर्ज कराये गये ?

श्री चरणसिंह—

अप्रैल, सन् १९६७ से जून १९६७ तक महानगर थाने में महानगर, पेपर मिल कालोनी, तथा निशातगंज मुहल्लों से क्रमशः २३, ९ और १४ चोरी के मामले दर्ज कराये गये।

२८—श्री कन्हैयालाल विशारद—

क्या सरकार यह बतायेगी कि उपरोक्त मुकदमों में कितने मामलों में चोरी का माल बरामद किया गया और कितने कथित चोरों को जेल भेजा तथा कितने मामलों में अन्तिम रिपोर्ट लगायी गई ?

श्री चरणसिंह—

उपरोक्त मुकदमों में से महानगर के २ और पेपर मिल कालोनी तथा निशातगंज के एक, एक मामलों में अर्थात् कुल चार मामलों में चोरी का माल बरामद हुआ, और कुल चार सम्बन्धित चोरों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। शेष ४१ मामलों में अनुसंधान के बाद अन्तिम रिपोर्ट लगायी गयी।

बाजपुर तहसील के हरिपुरा, हरसान गांवों में पी० ए० सी० की तनाती

२९—श्री रामदत्त—

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नैनीताल जिले की बाजपुर तहसील के हरिपुरा, हरसान नामक गांवों में पी० ए० सी० कब से तैनात की हुई है और उस के इतनी लम्बी अवधि तक वहां नियुक्त रहने का क्या कारण है ?

श्री चरणसिंह—

नैनीताल जिले के ग्राम हरिपुरा, हरसान तहसील बाजपुर में पी० ए० सी० की नियुक्ति २३ जून, १९६७, से की गयी है। इतनी लम्बी अवधि तक उपरोक्त क्षेत्र म पी० ए० सी० को बनाये रखने का कारण यह है कि यहां की जमीनों पर राय सिक्ख अनधिकृत रूप से कब्जा किये हुये थे। अदालत के आदेश द्वारा इस अनधिकृत कब्जे को समाप्त करके यह जमीन कानूनी तौर पर रेवेन्यू अधिकारियों द्वारा पर्वतीय क्षेत्र के भूतपूर्व सैनिकों अथवा उनके परिवारों को एलाट की जा चुकी हैं। फिर भी राय सिक्खों ने इस क्षेत्र को छोड़ा नहीं है और वे सम्बन्धित जमीनों पर बल प्रयोग द्वारा कब्जा जमा लेना चाहते हैं जिससे शान्ति तथा व्यवस्था भंग हो जाने की सम्भावना है।

क्षय–चिकित्सालय, पिथौरागढ़

३०—श्री गोपाल रामदास—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला पिथौरागढ़ का क्षय-चिकित्सालय वर्तमान जगह से अन्यत्र हटाया जा रहा है ? यदि हां, तो कहां पर और कब ?

श्री चरणसिंह—

पिथौरागढ़ के क्षय-चिकित्सालय को वर्तमान जगह से अन्यत्र हटाने का कोई विचार नहीं है। अतः प्रश्न के दूसरे भाग का सवाल ही नहीं उठता।

प्रश्नों के उत्तर विलम्ब से मिलने तथा अन्य साहित्य न मिलने के सम्बन्ध में शिकायत

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

श्रीमन्, प्रश्नों के सम्बन्ध में मैं एक जानकारी चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि लगातार १८ तारीख से आज तक यह देखने को मिला है कि मुश्किल से १५–१६ प्रश्न ही आप ले पाते हैं। आज भी ११३ प्रश्न थे। और यह भी नहीं कहा जा सकता कि बाद में प्रश्न लिये जाने वाले प्रश्नों से कम महत्व के थे। इसलिए सब प्रश्नों का बराबर महत्व समझ कर आप अगर कुछ आगे बढ़ा करें तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं उसके लिए आपका मशकूर हूंगा।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि मेरे प्रश्नों का उत्तर मुझे आज १० बजे तक भी मेरे कमरे में नहीं मिला। मैंने अपना आदमी भेजा तब भी नहीं मिला। जब मैं चला दिया तो वह मुझे रास्ते में एक आदमी ने दिया। १८ तारीख का एजेंडा भी मुझे नहीं मिला। ए० ब्लाक में १८ का एजेंडा और भी बहुत से सदस्यों को नहीं मिला और वह मुझे आज दिया गया है। इसलिये मुझे यह आपत्ति है और आशा है कि आप उचित व्यवस्था करेंगे।

(कुछ सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें। एक बात का उत्तर मैं दे लूं, तब आप कहें।

मैं माननीय वीरेन्द्र वर्मा जी का आभारी हूं कि उन्होंने मेरा इन बातों की तरफ ध्यान दिलाया इस विषय पर मैं कल ही यहां जिक्र कर चुका था। ऐसी कठिनाई तो आती है और इसके लिए आप या कोई माननीय सदस्य सुझाव दें तो मैं मान लूंगा लेकिन वह यहां पर न दें। अगर १३९ प्रश्न हैं और एक घंटे में ६० मिनट होते हैं तो अगर एक प्रश्न पर एक-एक सप्लीमेंटरी भी हो तो १३७ प्रश्न नहीं लिये जा सकते हैं। फिर कुछ ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जिन पर मैं देखता हूं कि २५–३० मेम्बर खड़े हो जाते हैं और मैं समझता हूं कि सदस्यों की दिलचस्पी ज्यादा है और मैं अधिक समय दे देता हूं। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि जैसा कि मैंने कल भी कहा था, कि मैं अनुग्रहीत होऊंगा अगर कोई ऐसा सुझाव मुझे दें जिससे सब प्रश्न भी हो जांय और समय भी कम ही लगे। जो सुझाव आयेगा उसको मैं माननीय नेता सदन व विरोधी दल के नेता से बात कर के ठीक कर लूंगा। इस सम्बन्ध में यदि कोई माननीय सदस्य सुझाव देना चाहते है तो वह यहां पर सदन का समय न ले तो उचित होगा।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

अच्छा यही है कि मैं जिसे बुलाऊं केवल वही खड़े होकर बोलें। श्री धर्म वीर जी, आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि प्रश्नों के संबंध में मुझे आपत्ति है कि पिछले काफी दिनों से मैंने बहुत से प्रश्न विभाग को भेजे है लेकिन आज तक कोई भी मेरा प्रश्न एजेंडा पर नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष—

मैं इस तरह की आपत्ति को बड़ा अनुचित समझता हूं। सारे प्रश्न आज ही एक साथ आ जायं इस की कोई व्यवस्था मैं नहीं कर सकता। आप बैठें। मैंने कई बार प्रार्थना की है कि प्रश्नों के संबंध में कोई तफसीली बात चीत यहां न करें। अगर आप को कठिनाई है तो मुझे बतायें, मैं यहां इस वक्त सारा रिकार्ड लेकर तो बैठता नहीं। आप आयेंगे तो मैं उसको मंगाकर देख सकता हूं।

माननीय वीरेन्द्र वर्मा ने एक और शिकायत की थी। उसके लिये मुझे खेद है, उसको भी मैं देखूंगा और मेरा प्रयास होगा कि माननीय सदस्यों को ऐसी कठिनाई न हो। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एजेंडा या पत्र लेकर कर्मचारी जाते हैं और बन्द कमरा देखकर लौट आते हैं। अगर वह गया ही नहीं तो बहुत गलत है और मैं इस व्यवस्था को अब कड़ाई से देखूंगा।

श्री महेशकुमार (जिला मुरादाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि यदि आप मुनासिब समझें तो जैसे आप शुरू से प्रश्न रोज लेते हैं वैसे ही कभी कभी आखिर से प्रश्न शुरू कर दिया करें।

श्री अध्यक्ष—

अगर आपकी तरह सभी माननीय सदस्य यहीं पर अपने-अपने विचार और सुझाव देने लगें तो सदन का अमूल्य समय खराब होगा।

सदन का भावी कार्यक्रम

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, कल आप ने घोषणा की थी कि ८ जनवरी, १९६८, से सदन पुनः बैठेगा लेकिन अब चूंकि उन्हीं तारीखों में कांग्रेस सेशन हैदराबाद में हो रहा है।

श्री अध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में मैं घोषणा करने वाला हूं, आप बैठें।

बड़े दिन पर ईसाइयों के लिए अतिरिक्त चीनी का प्रबन्ध करने के लिए प्रार्थना

श्री एस० जी० वस्त (जिला कानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से एक गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारा क्रिश्चियन्स का २५ दिसम्बर को बहुत बड़ा त्योहार होता है और देश के सभी लोगों को उनके त्योहारों पर चीनी दी जाती है लेकिन हमारे इस त्योहार पर एक दाना भी नहीं दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—

आपने ध्यान आकृष्ट करने के लिये सूचना भेजी थी और यह विषय यहां पर बहस का नहीं हो सकता। आशा है कि मंत्री जी अवश्य आप की बात पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

श्री एस० जी० वस्त—

अब केवल दो तीन दिन ही बाकी रह गये हैं और २५ को बड़ा दिन है, समय ही फिर निकल जायगा।

विविध विषय

श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)—

कल गन्ना हड़ताल के सम्बन्ध में कुछ काम रोको प्रस्ताव को आपने वक्तव्य के लिए स्वीकार किया था लेकिन आज के एजेन्डा को देखने से विदित होता है कि उसमें उसका कोई जिक्र नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

आपकी आपत्ति ठीक है। कल मैंने कहा था लेकिन सम्बन्धित मंत्री ने मौखिक प्रार्थना की कि यह आज के बजाय कल ले लिया जाय। इसलिए अब वह कल होगा।

श्री राजाराम (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, आपके माध्यम से मैं माननीय सहकारिता मंत्री से एक अपील करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

यह अपील करने का तरीका गलत है। नियमों में जो तरीके हैं, उनके अनुसार आप अपील कीजिए।

श्री राजाराम (देवरिया)—

श्रीमन्, जैसा मैंने निवेदन किया, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज जो दूध बंटा है, उस दूध में कीड़े निकले हैं।

श्री अध्यक्ष—

अपने यहां पर जो दूध आता है, उसकी बात करते हैं?

श्री राजाराम (देवरिया)—

जी नहीं। कांग्रेस मजदूर कार्यालय में जो दूध आया है उसमें कीड़े निकले हैं।

श्री अध्यक्ष—

यह कोई तरीका नहीं है। आप सूचना दे दीजिए, माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कीजिए।

कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (चतुर्थ) आदेश, १९६७)†

उद्योग उपमंत्री (श्री हिम्मतसिंह)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से शिक्षा (ग–१) विभाग की विज्ञप्ति संख्या ग–१–८५९४/१५–३९–ए (१९)–६७, दिनांक ८ दिसम्बर, १९६७, द्वारा प्राख्यापित कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (चतुर्थ) आदेश, १९६७ को, कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६५, की धारा ५० की उपधारा (२) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा (संशोधन) नियमावली, १९६७*

(माननीय स्वायत्त शासन मंत्री का नाम पुकारे जाने पर)

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, एजेन्डा को देखने से आपको विदित होगा कि आइटम ३ पर दी हुयी विज्ञप्ति २६ जून, १९६७, को जारी की गयी है जिसके बाद विधान सभा का सत्र हो चुका है। तो मैं जानना चाहता हूं

---

†छापा नहीं गया।

*छापी नहीं गयी।

कि उसको उस सत्र में न रखकर इस सत्र में रखी जा रही है, जो कि नहीं होना चाहिये था। इसलिये मैं समझता हूं कि यह नियम विरुद्ध है और आप इसे सदन में रखने की अनुमति न दें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी, आप बता दें कि इसके सदन के पटल पर रखने में देर क्यों हुयी है।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री वरमेश्वर पांडेय)—

श्रीमन्, कभी कभी देर हो जाया करती है। चूंकि यह पिछले सत्र में नहीं रखी जा सकी, इसलिये आज रखी जा रही है।

मुख्य मंत्री (श्री चरणसिंह)—

यह विज्ञप्ति २६ जून को जारी हुयी थी। २७ जुलाई के बाद ५ महीने के बाद अब सदन बैठा है। अगर देर हुयी है तो केवल १ महीने की हुई है।

श्री अध्यक्ष—

साधारणतया जब सदन बैठे तो जो विज्ञप्तियां जारी की गयी हों वे तुरन्त आनी चाहिए। इसमें विलम्ब अवश्य हुआ है। मैं चाहूंगा कि आइन्दा इसका ध्यान रखा जाय।

श्री वरमेश्वर पांडेय—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं नगरपालिका (क) विभाग की विज्ञप्ति संख्या ७६/सी० एस० (३)–६७, दिनांक २६ जून, १९६७, द्वारा प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा (संशोधन) नियमावली, १९६७" को, उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९६९, की धारा ५४० की उपधारा (४) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, आप ने निर्णय दिया कि इन्होंने गलत काम किया लेकिन फिर भी माफी नहीं मांगी, खेद प्रकट नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

कुछ ऐसे मामलों में थोड़ी सी सब तरफ से परम्परा रहनी चाहिये। अब वह कहते हैं कि देर हो गयी। मैंने कह दिया कि आगे से ध्यान रखा जाय। इतना काफी है।

श्री कल्पनाथसिंह—

श्रीमन्, आपकी चेतावनी अच्छी रही।

श्री अध्यक्ष—

मौन सम्मति लक्षणम्। अगर वह खामोश रहे तो मतलब यह है कि गलती शिरोधार्य है।

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

अब से, श्रीमन्, असेम्बली का यही नियम रहेगा कि गलती भी करेंगे और माफी भी नहीं मांगेंगे।

अध्यक्ष—

आप तो ऐसा कर लेते हैं।

सिंचाई मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास विशेषाधिकार की अवहेलना के तीन प्रश्न आये हैं। एक तो माननीय राजबहादुर, द्विवेदी की तरफ से आया है और वह इस विषय में है कि दिनांक १९ दिसम्बर, १९६७, को मेरे तारांकित प्रश्न २२ के उत्तर में माननीय सिंचाई मंत्री श्री टम्बरेश्वर प्रसाद ने बताया कि फैजाबाद जिले में वर्ष १९६४–६५ में १३ और वर्ष १९६५–६६ में २८ नलकूप बनाने का लक्ष्य था। इन ४१ नलकूपों में से ४० नलकूप अब तक खोदे जा चुके है। केवल १९६५–६६ का एक नलकूप बाकी है। इस पर रिंग मशीन की कमी के कारण कार्य आरम्भ नही हो सका।

इस तरह की उन की सूचना है जिस में वह कहते हैं कि जो सूचना दी और जो विधान परिषद् में दी उस में विरोधाभास है। तो मैं इस को स्पष्टीकरण के लिये संबंधित मंत्री को भेज रहा हूं। उस के बाद अपनी व्यवस्था दूंगा।]

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, यह तो शासकीय पार्टी के एक आदरणीय सदस्य हैं और जो सूचना दी है वह जरूर सही होगी।

श्री अध्यक्ष—

शासकीय पार्टी का सदस्य अपने सदस्य होने का अधिकार तो रखता ही है अब में फैक्ट्स की जानकारी कर के....

सिंचाई मंत्री (श्री टम्बरेश्वरप्रसाद)—

श्रीमन्, सूचना की गलती किसी सन् १९६५ की गलती में निकलेगी।

श्री अध्यक्ष—

इस पर कोई निश्चय नहीं किया। मंत्री महोदय के पास भेज दूंगा, उनसे जानकारी कर के देख लूंगा।

वन मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न

श्री अध्यक्ष—

एक सूचना मेरे पास माननीय सुरेन्द्र विक्रम की आयी है जो इस प्रकार है:

दिनांक २०–१२–६७ को जब माननीय वन मंत्री जी मेरे तारांकित प्र० सं० १४ का उत्तर तथा अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि किसी जिलाधीश का नाम नहीं है जब कि तारांकित प्र० सं० १६ के लिखित उत्तर में श्री एस०एस० सिद्धू का नाम है और इस के लिये मैंने देखा यह बिल्कुल भ्रांति पर आधारित है। माननीय वन मंत्री ने यह कहा था, प्र० सं० १४ चल रहा था और उस पर अनुपूरक प्रश्न हो रहे थे, कि १४ प्र० सं० में श्री सिद्धू का नाम नहीं है। मैंने स्वयं इस बात को देख लिया था और उनका नाम प्र० सं० १६ में था। माननीय सदस्य ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया था कि प्र० सं० १६ में है। अतः मैं इस को अस्वीकृत करता हूं।

श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

प्र० सं० १६ में मंत्री जी से पूछा था कि वह व्यक्ति किस पद पर काम कर रहा है।

श्री अध्यक्ष—

मैं स्पष्टीकरण नहीं मांगता हूं। मैं जब व्यवस्था दे चुका हूं, उस के बाद आप को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अगर पहले कहते तो ठीक था।

मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक सूचना माननीय कृष्णानन्द राय जी की है जो इस प्रकार है :

कल दिनांक २०-१२-६७ को नेता, विरोधी दल ने मंत्रि मंडल के दो सदस्यों के विरुद्ध संविधान एवं कानून तोड़ने के आरोप सम्बन्धी अपने संकल्प के विवाद के दौरान में सदन में मुख्य मंत्री से यह मांग की कि इस महत्वपूर्ण वैधानिक विषय पर सदन के नेता मुख्य मंत्री सदन को अपने विचार से अवगत करावें। मुख्य मंत्री इस स्थिति से अवगत थे कि सदन क सम्मुख उपस्थित ऐसे संवैधानिक संकट पर जिसकी उत्पत्ति उन के मंत्रिमंडल के दो सदस्यों ने की है और विरोधी दल के नेता यह मांग कर रहे हैं तो सदन का यह अधिकार है कि वह मुख्य मंत्री का विचार इस सम्बन्ध में जाने, जिस से कि सही निर्णय पर पहुंचा जा सके। किन्तु उन्होंने जानबूझ कर सदन को अंधकार में रखने के लिये सदन में भ्रम उत्पन्न करने के लिये तथा वास्तविकता न आने देने के लिये यह बहाना किया कि वे अस्वथ्य हैं और कुछ कहने से मजबूर हैं। वे अस्वथ्य नहीं थे जो इस तथ्य से थोड़ी देर बाद सिद्ध हो गया जब श्री नेकराम शर्मा के काम रोको प्रस्ताव पर बोलने के लिये मुख्य मंत्री खड़े हुए।

इस पर उन्होंने विशेषाधिकार का प्रश्न दिया है .....

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

इस सम्बन्ध में मैं एक जानकारी देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

यह मेरे सामने की घटना है।

श्री कृष्णानन्द राय—

जहां तक इस घटना का सम्बन्ध है, आपने कहा कि आप के सामने की बात है और इस में कोई विवाद नहीं हो सकता। जो वाक्यात हमने दिये वे सदन के सामने हुए हैं। केवल मुझे यह कहना है कि यह हम सदन के सदस्यों का अधिकार है। जब एक महत्वपूर्ण वैधानिक प्रश्न उपस्थित किया है तो इसलिये आप अपने बहुमूल्य समय में से थोड़ा समय निकाल कर इस पर विचार कर लें। आप जानते है कि हम जो बैठे हुए हैं हम लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त है, कांस्टीट्यूशनल राइट है, यह मंत्रि मंडल विधान सभा के प्रति रेस्पांसिबिल है, ऐसे प्रश्न पर जिस पर सारे विधान सभा के सदस्य एजीटेटेड हों, जिस में मंत्रि मंडल के दो-दो सदस्यों के बारे में कोई प्रश्न विचाराधीन हो कि उन्होंने कानून तोड़ा कि नहीं, जिसका महत्व केन्द्र और उत्तर प्रदेश से हो, जिस का महत्व सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून की पेचीदगियों से हों, यह हमारी परम्परा है कि विरोधी दल के नेता जब कोई प्रश्न को उठाते हैं तो नेता सदन को उस का उत्तर देना चाहिये। इन सारी परम्पराओं को देखते हुए और जो हम को संवैधानिक अधिकार है उसको देखते हुए, जो संवैधानिक पैचीदगियां उस में निहित थीं उनको देखते हुए हमारा यह अधिकार था कि हम लोग मुख्य मंत्री जी, जो नेता सदन भी हैं, उन के विचार से अवगत होते कि उन के मंत्रियों ने कानून को तोड़ा है कि नहीं ....

श्री अध्यक्ष—

इस में कोई सिद्धांतों की बात नहीं है। वाकयात पर कहें।

श्री कृष्णानन्द राय—

तो मैं कह रहा था कि माननीय मुख्य मंत्री इस बात को जानते थे, जब माननीय नेता विरोधी दल मांग कर रहे थे और सारा सदन चाहता है तो उनको उस का जवाब देना चाहिये था। इस सम्बन्ध में उन्होंने यह नहीं कहा कि हम जवाब नहीं देना चाहते। उन्होंने कहा कि वे अस्वस्थ हैं, जब कि वे अस्वस्थ नहीं थे, जो आपने स्वत: देखा कि आधे घंटे बाद बोलने के लिये खड़े हुए। ये बिल्कुल अस्वस्थ नहीं हैं, यह इनका बहाना था.....

श्री अध्यक्ष—

पुनरावृत्ति मत कीजिए।

श्री कृष्णानन्द राय—

हमारा यह अधिकार था कि उन की राय को जानते। यह प्रिविलेज का स्पष्ट सवाल है।

श्री अध्यक्ष—

इस विषय को मैं इतना महत्वपूर्ण नहीं समझता हूं।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

मैं एक जानकारी और देना चाहता हूं जिससे आप को सहायता मिलेगी।

श्री अध्यक्ष—

अगर मुझे सहायता की आवश्यकता न हो तो क्यों दे रहे हैं?

मैं आपको बताऊं कि हर विशेषाधिकार के प्रश्न पर न तो यह आवश्यक है, और न मेरे लिये जरूरी है, कि सब माननीय सदस्यों को मौका दूं। अगर दो पक्ष में कहते हैं तो ४ विपक्ष में कह सकते हैं। जिस के माने यह होंगे कि सदन का समय उस बात पर, जिसमें मुझे आवश्यकता महसूस न हो, मैं लूं।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान प्रक्रिया नियमावली की तरफ दिलाना चाहता हूं। आप नियम ६३ को देखें और उसी सिलसिले में जो परन्तुक लगा हुआ है उसको देखें। उसमें लिखा हुआ है—"परन्तु यदि विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान सदन के प्रत्यक्ष ही हुआ हो तो सदन अध्यक्ष की सम्मति के बिना किसी शिकायत के ही कार्यवाही कर सकेगा।" तो श्रीमन्, जैसा कि आपने कहा कि यह सारी प्रक्रिया सदन के सामने हुई, इसलिये सदन सक्षम है इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिये। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से चाहे वह इधर के हों, चाहे उधर के हों, कहना चाहता हूं कि यह जो प्रिविलेज का सवाल है वह किसी पार्टी का सवाल नहीं होता है। ऐसा हो सकता है कि इस सवाल के ऊपर माननीय कृष्णानन्द राय की जो राय है, उसके विरुद्ध भी कुछ लोगों की राय हो और यह भी हो सकता है कि उधर बैठने वाले कुछ माननीय सदस्यों की राय उनके पक्ष में भी हो। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस नियमावली के नियम के अन्तर्गत, चूंकि यह घटना सदन के अन्तर्गत हुई है, तो आप इसको चालू करने की इजाजत दें कि इसके ऊपर बहस शुरू हो।

श्री अध्यक्ष—

अभी जो बात माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने कही पहले उसके बारे में मैं स्पष्ट कर दूं। एक तो आपको याद होना चाहिये कि एक दफा यही विषय माननीय मुईज खां ने उठाया था और

तब मैंने सारे ओरिजिनल रेकार्ड को देख कर बतलाया था माननीय सदन को कि परन्तुक की दूसरी पंक्ति में शब्द "सम्मति" के पश्चात शब्द "के" नहीं है बल्कि "से" है और उसका शुद्धि-पत्र भी निकलवा दिया था।

श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या यह "के" नहीं है, "से" है ?

श्री अध्यक्ष—

जी हां।

श्री कल्पनार्थसिंह—

मुझे नहीं मालूम कि यह किताब ही गलत है।

श्री अध्यक्ष—

समझा जाता है कि जो बात यहां होती है वह आपको याद रहेगी।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

अध्यक्ष महोदय, मैं केवल कानूनी बात कहना चाहता हूं। मुझे कोई बहुत अच्छा नहीं लगता कि माननीय नेता सदन के सम्बन्ध में मैं कोई विशेषाधिकार की बात उठाऊं (माननीय मुख्य मंत्री के खड़े होने पर) मैंने यह अर्ज किया कि नेता सदन के विरुद्ध प्रश्न उठाना मुझे अच्छा नहीं लगता, अगर इस पर भी आपको कोई नाराजगी हो तो दूसरी बात है। मैं यह कहना चाहता हूं कि संविधान के अनुच्छेद १६४ के अन्तर्गत गवर्नर महोदय नियुक्त करते हैं मुख्य मंत्री को और मुख्य मंत्री जी के कहने पर, उनकी सलाह पर उनका मंत्रि-मंडल नियुक्त होता है और इसमें लिखा हुआ है कि विधान सभा के प्रति उनका उत्तरदायित्व है। उन्होंने कल केवल यही नहीं कहा कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है बल्कि उन्होंने यह भी कहा कि मुझे इसकी कोई विशेष जानकारी भी नहीं है। आप प्रोसीडिंग्स देख लें, आप स्वयं यहां मौजूद थे। मान्यवर, इतना बड़ा प्रश्न जिसमें सारे मंत्रिमंडल का प्रश्न हो और जिसकी निन्दा विधान परिषद में ही नहीं, राज्य सभा में भी हुई हो और यह परम्परा भी रही है कि किसी मंत्री के ऊपर जब कोई आपत्ति आवे तो उसके डिफेंस में हमेशा मुख्य मंत्री खड़ा होता है, फिर इतने बड़े प्रश्न के ऊपर यह कहना कि मुझे इसकी कोई जानकारी ही नहीं है, उचित नहीं मालूम होता और न यह उनकी व सदन की मर्यादा के ही अनुकूल है। इसलिये मैं कहता हूं कि इसका बड़ा महत्व है और इसके महत्व व संविधान की बात मैं कहना चाहता हूं, वैसे तो आपका जो निर्णय होगा वह होगा ही।

श्री धर्मवीर—

मान्यवर, कल जब मैं माननीय नेकराम शर्मा के प्रस्ताव के ऊपर बोलने के लिये खड़ा हुआ था तो माननीय मुख्य मंत्री भी खड़े हो गये और इस तरह से उन्होंने मेरे अधिकार का हनन किया है। माननीय मुख्य मंत्री व माननीय नेता विरोधी दल का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान होता है लेकिन जब मैं बोल रहा था तब वे खड़े हो गये। इसलिये यह विशेषाधिकार का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय धर्मवीर जी, मुझे बड़ा दुख है कि आपने अपनी गलती को न अनुभव करके उस गलती को दूसरी तरफ देखा। मैंने कल की प्रोसीडिंग्स देखी। जब माननीय मुख्य मंत्री खड़े हुये थे उस समय आप खड़े हो गये। जो आदमी पहले से खड़ा हुआ हो उसको ईल्ड करना आवश्यक नहीं है। अपने बारे में यह भ्रम पैदा कर लेना कि जब आप खड़े हों तो मुख्य मंत्री जी को ईल्ड करना चाहिये.....

श्री धर्मवीर—

मैं व्यवस्था का प्रश्न....

श्री अध्यक्ष—

जब मैं बोल रहा हूं तो आप बार-बार खड़े हों, यह सदन की मर्यादा के विरुद्ध है।

इसके पक्ष में दो, तीन माननीय सदस्यों ने कहा। अब अगर इसके विपक्ष में कोई बोलना चाहें तो मैं अवसर दूंगा।

स्वास्थ्य मंत्री(श्री प्रतापसिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये माननीय नवलकिशोर जी का और जिन्होंने प्रिविलेज मोशन उठाया है उनका भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को बोलने का राइट तो जरूर है लेकिन उनका बोलना कम्पलसरी नहीं है। दूसरी बात, कल जिस तरह से वाक आउट हुआ और गुप्ता जी का जो गुस्से का इजहार था, वह बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है।

श्री अध्यक्ष—

मैं चाहता हूं कि इसी विषय पर आप रहें।

श्री प्रतापसिंह—

जी हां। कांस्टीट्यूशन को सब लोग जानते हैं। अगर कोई न बोलना चाहे तो उसमें प्रिविलेज का सवाल कहां पैदा होता है, यह हमें बता दें।

श्री अध्यक्ष—

(कुछ सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर) अब मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। विपक्ष में भी मैं कोई प्रकाश नहीं चाहता लेकिन अगर कोई माननीय सदस्य विपक्ष में कुछ कहना चाहें तो मैं एक दो मिनट दे सकता हूं।

*मुख्य मंत्री(श्री चरणसिंह)—

अध्यक्ष महोदय, जो भाषा इस प्रस्ताव में इस्तेमाल की गयी है वह मैं श्री कृष्णानन्द जी राय से ऐसी ही उम्मीद करता था, इससे बेहतर की उम्मीद कर ही नहीं सकता था। इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, डेमोक्रेसी का कहिये, पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी के ट्रेडीशन्स का कहिये, एक कीमत देनी होती है कि चुपचाप जब्त कर के आदमी सुने। आपने एक-एक शब्द में मेरी नीयत पर हमला करने की कोशिश की, यह आपको मुबारक, आपके शिष्टाचार का यह नमूना है। लेकिन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, "हार्ड वर्ड्स ब्रेक नो बोंस", सख्त लफ्ज इस्तमाल करने से कोई नतीजा नहीं निकलता।(श्री कृष्णानन्द राय के खड़े होने पर) यह गलत परम्परा है कि कोई बात कही जाय और आप फौरन जवाब देने खड़े हो जायं। और जवाब क्या देंगे? अगर जवाब देंगे तो फिर चल नहीं सकता। मैंने यह कहा कि हर आदमी जिस भाषा का इस्तेमाल करता है वह उसके कल्चर का द्योतक है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि मैं अस्वस्थ था, तो अस्वस्थ के और माने क्या हैं? मैंने कहा कि मेरी तबियत कुछ अच्छी नहीं है। अब इसका जज कौन होगा? तो एक बात तो मैंने यह कही कि मेरी तबियत कुछ अच्छी नहीं है और दूसरे मैंने कोई विशेष स्टडी भी नहीं की है। जानकारी नहीं है, यह मैंने नहीं कहा। और फिर क्योंकि मेरे साथी कौंसिल में इस विषय पर बोल चुके थे और उन्होंने इसका विशेष अध्ययन किया था इसलिये मैंने उनसे कहा कि यह मेरी ओर से बोलेंगे। जितने भी मित्र इसमें बोले हैं जो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कैबिनेट के मेम्बर हैं, जो कुछ उन्होंने कहा मैं उन सबकी जिम्मेदारी लेता हूं। जिस किसी ने कुछ भी कहा है वह मेरी ओर से बोला। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने अपनी राय नहीं दी। और मेरी राय तो अखबारों में कई दिन पहले जाहिर हो चुकी थी कि मैं इसको अनकांस्टीट्यूशनल नहीं समझता। दूसरी बात यह कि आया उन्हें यह काम करना चाहिये था या नहीं, इस पर दो रायें हो सकती हैं और मैं कहता क्या ? इसके अलावा जिस तरह से हीट इधर से भी और उधर से भी थी, जिस तरह से जोशीले व्याख्यान हो रहे थे मैं उनके लिये तैयार नहीं था और न मेरी तबियत इस तरह की थी कि मैं कोई जोशीले व्याख्यान में आध घंटा या पंद्रह मिनट बोलूं। इसलिये मैंने कह दिया कि मेरी ओर से मेरे मित्र बोलेंगे। लिहाजा इस पर यह अल्फाज इस्तेमाल करना, बहाना करना वास्तविकता छिपाना और भ्रम में डालना आदि २५ तरह की बातें कही गई जो मुझे अच्छी नहीं लगी और किसी को भी अच्छी नहीं लगेंगी। इस तरह से आपस में बर्ताव नहीं चल सकता है। अगर माननीय कृष्णानन्द जी इजाजत देंगे तो मैं आपके द्वारा बताना चाहता हूं कि अक्सर जब वे बोलते हैं तो इस तरह की कटु बातें वे कहते हैं। इस तरह की बातों से कोई फायदा नहीं है। इसलिये आपको अपना रवैया बदलने की कोशिश करनी चाहिये। इससे मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। तकलीफ जरूर होती है। डैमोक्रेसी में जरूरत है कि आदमी मीठा बोले और किसी पर अटैक न करे।

माननीय धर्मवीर जी कल बराबर खड़े रहे बावजूद इसके कि माननीय उपाध्यक्ष जी ने बहुत कहा लेकिन वे बैठे नहीं। यह कौन सा कायदा है ? प्वाइंट आफ आर्डर कह कर लोग मदाखलत करना चाहते हैं, तो हर चीज प्वाइंट आफ आर्डर नहीं हो सकती है। मैं माननीय धर्मवीर जी से जो एक नौजवान हैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर वे पब्लिक लाइफ में रहना चाहते हैं तो उनको बहुत कुछ स्टडी करना होगा। वह जिद करके खड़े हो गये कि प्वाइंट आफ आर्डर है और उपाध्यक्ष जी के मना करने पर भी बोलते रहे। यह भी कहा गया कि उस समय इनकी तबीयत अच्छी नहीं थी तो फिर कैसे अच्छी हो गई। मैंने दो बातें बताई थीं। एक तो यह कि मेरी कुछ तबीयत अच्छी नहीं है और दूसरी यह कि मेरी कुछ ज्यादा स्टडी नहीं है। तीसरी बात यह कि मैं अपनी राय पहले दे चुका था। जब मैं बाद में खड़ा हुआ तो केवल ५ मिनट के लिये कुछ आंकड़े सदन के समक्ष रखना चाहता था। पिछली बार फायरिंग हुई तो केवल एक आदमी मरा था। इस तरह से ४/५ फैक्ट्स रखना चाहता था। अगर किसी आदमी के सिर में दर्द हो और बोलने की जरूरत पड़ जाय तो ५/१० मिनट बोल सकता है। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मेरी अपनी राय में मेरे से कोई गलती नहीं हुई है।

किसी का यह खयाल हो कि किसी डर की वजह से या किसी की भ्रम की वजह से या किसी बात को छिपाने की वजह से, मैं नहीं कहना चाहता था, तो यह मेरे साथ ज्यादती होगी। आप चाहें तो फिर से इस पर डिबेट करा लें और मैं एक घंटे बोल लूंगा। मैंने कह दिया था कि माननीय उदित नारायण जी जो कुछ कहेंगे मेरी तरफ से कहेंगे।

श्री चन्द्रभानु गुप्त (जिला अल्मोड़ा)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय नेता सदन ने परम्पराओं के सिलसिले में चर्चा की और मैं स्वतः बराबर इसका समर्थक हूं कि परम्पराओं के अनकूल कार्य होना चाहिये और ऐसी परम्परायें बनाई जायं जिनसे गणतंत्र बढ़े और मजबूत हो।

श्री चरणसिंह--

अध्यक्ष महोदय, अगर मेरे मित्र इजाजत दें तो मैं कहूंगा कि मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि डमोक्रसी में सुननी पड़ती है। मैंने न तो किसी न परम्परा का जिक्र किया और न किसी बात का इंटरप्रिटेशन किया। अगर परम्परा की बात कही जाती है और मेरे बाद आपने इजाजत दी है तो घंटे भर इस पर बहस चल।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

श्रीमन्, जब परम्पराओं की चर्चा हुई तो मैं यह नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि कभी किसी विषय के ऊपर यदि नेता विरोधी दल नेता सदन से निवेदन करें कि वह सदन में उस विषय पर अपने विचार प्रकट करें जो सभी दलों की मर्यादा से संबंध रखते हों या विशेष महत्व के हों तो उन्हें यह परम्परा अपनानी चाहये कि वे उनके निवेदन को स्वीकार करें, क्योंकि यही एक स्वस्थ परम्परा होगी। आज जो विरोधी दल का नेता है कल वहां बैठ सकता है और आज जो वहां बैठा है कल यहां बैठ सकता है। इसलिये सदन को ऐसी परम्परा अपना कर चलना चाहिये। जब मैंने उनसे निवेदन किया था तो उनको इस प्रश्न पर जरूर विचार प्रकट करने चाहिये थे। ऐसा न करके उन्होंने तो विरोधी दल का अनादर किया है। मैं इस कारण से उनकी इस नीति का विरोध करते हुए सदन के बाहर जाता हूं।

श्री अध्यक्ष—

(श्री कृष्णानन्द राय के खड़े होने पर) आप कृपा करके बैठें।

श्री कृष्णानन्द राय—

एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये।

मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं। जो पार्लियामेंटरी पद्धति में वादविवाद होता है या कोई माननीय सदस्य अपनी बात कहते हैं तो किसी न किसी रूप में किसी आदमी पर टिप्पणी होती है। तो हर टिप्पणी के जवाब में जिन पर टिप्पणी हो वह खड़े होने का अधिकार मांगें तो ठीक नहीं होगा। माननीय मुख्य मंत्री ने जो बात कही वह कोई ऐसा तथ्य नहीं है, आपने कैसी भाषा लिखी, कैसी भाषा लिखने की वह आशा करते थे, क्या वह सलाह देते हैं इस पर उन्होंने कहा। इस पर मैं परसनल एक्स्प्लेनेशन का मौका नहीं समझता हूं। इस लिए मैं अवसर नहीं दूंगा।

श्री कृष्णानन्द राय—

अध्यक्ष महोदय.....

श्री अध्यक्ष—

अगर नियमों को तोड़ कर खड़े होना चाहते हैं तो खड़े हो सकते हैं। (श्री कृष्णानन्द राय के खड़े होने पर) मैं बिलकुल अनुमति नहीं दे रहा हूं।

माननीय कृष्णानन्द राय ने विशेषाधिकार की अवहेलना के रूप में एक प्रश्न प्रस्तुत किया जिस पर कुछ माननीय सदस्यों ने, माननीय नेता सदन ने, माननीय नेता विरोधी दल ने अपने विचार व्यक्त किये। उसके विषय में यह कहना है कि परम्परा अलग चीज है। क्या स्वस्थ परम्परा है—मैं सहमत हूं कि साधारतया नेता विरोधी दल का यह स्तर है कि अगर वह कोई प्रार्थना नेता सदन से करें तो वह उसको स्वीकार करें। परन्तु उस परम्परा ने न तो नेता सदन ने इनकार किया है और विशेषाधिकार का प्रश्न उससे बिलकुल दूर रह जाता है। कोई विशेषाधिकार इस बात का नहीं है कि मुख्य मंत्री निश्चित रूप में किसी विषय पर अवश्य बोलें। इस सदन में मैंने देखा है कि इससे गम्भीर विषय आये हैं उन पर माननीय मुख्य मंत्री न बोल कर दूसरे मंत्री बोलते रहे हैं। इस तरह का प्राविधान हमारे संविधान में है। मंत्रिमंडल की ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी है। मुख्य मंत्री किसी मंत्री को बोलने के लिये नियुक्त कर सकते हैं। अगर वह मंत्री बोलते हैं तो उनकी बात उतनी ही जिम्मेदारी की

मानी जायगी कि मुख्य मंत्री की मानी जाती है। तो मुख्य मंत्री नहीं बोलें। परम्पराओं को अलग रखते हुए, यह कोई विशेषाधिकार का हनन नहीं हुआ। यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं हो सकता।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ठीक है माननीय कृष्णानन्द राय ने जो ऐसी भाषा का प्रयोग किया है, "भ्रम में डालने के लिए" "बहाना करने के लिये" अच्छा होता यदि वह ऐसी भाषा का प्रयोग न करते क्योंकि यह परम्परा रही है .....

श्री कृष्णानन्द राय—

अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

जब मैं बोल रहा हूं, मेरे बोलते समय, आप खड़े हो जायं, यह घोर अशिष्टता है। मैं यह कह रहा था कि यह हमारे सदन की परम्परा रही है जब माननीय सदस्य एक बात कहते हैं तो हम उसको सही मानते हैं। तबियत खराब होना ऐसी बात है कि किस मात्रा में खराब हो, किस वक्त क्या मूड हो, अगर एक व्यक्ति यह कहता है कि मेरी तबियत खराब है तो उसको सही मानना चाहिये। उसको बहाना कहना शोभा नहीं देता। यह कहना कि आधे घंटे बाद दूसरे विषय पर खड़े हो गये इससे निश्चित रूप से उसका खंडन नहीं होता। इसके अतिरिक्त न बोलने का तबियत खराब होना एक कारण था। दूसरा कारण यह था कि इस विषय का उन्होंने काफी अध्ययन नहीं किया। तो आवश्यक नहीं है। यह मुख्य मंत्री की इच्छा पर है कि वह स्वयं अध्ययन करें। किसी दूसरे मंत्री को विशिष्ट रूप से उसके लिये नियुक्त करें। तो मैं समझता हूं यह अच्छा होता कि इस भाषा का प्रयोग यहां न होता और किसी भी तरह से यह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं होता है। यह इस पर मेरी व्यवस्था है।

श्री कृष्णानन्द राय—

मान्यवर, मैं आपसे इस बात की व्यवस्था चाहता हूं कि क्या आप इस सदन में यह व्यवस्था या परम्परा स्थापित करेंग कि जब किसी सदस्य के ऊपर, चाहे मुख्य मंत्री हो, चाहे मंत्री हो या कोई सदस्य हो, निजी रूप से कोई आरोप लगाये तो, श्रीमन्, उस आरोप को सुन कर आप निर्णय देंगे कि एक जज की हैसियत से बिना उस संबंधित सदस्य की बात को सुने हुए ?

(माननीय सदस्य के आगे बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष—

यहां तक तो ठीक है कि इस पर मेरी क्या व्यवस्था रहेगी, लेकिन उसके आगे आपका कुछ कहना ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, आपकी व्यवस्था में यह व्यवस्था के लिए कैसे खड़े हो सकते हैं ?

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन् मुझे कृपापूर्वक अपनी बात कह लेने दीजिये, मैंने अभी पूरी बात नहीं कही है। श्रीमन् मैं आपकी यह व्यवस्था चाहता हूं कि मैं यह जान सकूं कि हमारे सम्पूर्ण प्रस्ताव म कौन सा शब्द असंसदीय है, कौन सी भाषा असंसदीय है और कौन सी बात हमने असत्य कही

[श्री कृष्णा नन्द राय]

है ? श्रीमन्, मैं जहां तक समझता हूं अब भी मैंने सब बातें सही कही हैं और सभी बातें संसदीय कहीं हैं। तो मान्यवर, मेरे ऊपर इल्जाम भी लग जाये और मैं उसे साफ समझ भी न पाऊं तो यह कैसे हो सकता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

देखिये, माननीय कृष्णानन्द राय और सारे सदन के सामने मैं एक बात कहना चाहता हूं आज हो सकता है कि कोई सदस्य खड़ा होकर अपने अधिकारों का चाहे जिस तरह से प्रयोग करे, वह जनतंत्र में प्रकाश देगा चाहे जिस दशा में दे। लेकिन हर बात में यह मान लेना कि जो मेरी राय है वह ठीक है या अंतिम है, उचित नहीं प्रतीत होता। हां, जो आदमी यहां पर बैठता है उसकी राय आपको माननी पड़ेगी। एक प्रश्न यह उठाया गया कि किसी आदमी के बारे में कोई बात की जाये तो क्या उसको स्पष्टीकरण का मौका मिलेगा, यह व्यवस्था मैंने नहीं दी। जब हर सदस्य बात करेंगे तो उसका किसी न किसी रूप में आगे जिक्र अवश्य आयेगा। कल 'भोंपू बजे, शहनाई बजी' जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया और बाद में उनका जवाब भी दिया गया। किन्तु यदि कोई धैर्य का प्रदर्शन न करता और उसके लिए उसी समय स्पष्टीकरण चाहता तो मैं मौका न देता। तो हर बात के लिए हर सदस्य इस बात की मांग करे कि स्पष्टीकरण देना है, तो मैं मौका नहीं दूंगा। हां, यदि कोई विशिष्ट बात ऐसी कही गयी कि जिससे भ्रम पैदा होता हो तो मैं मौका दूंगा। कृष्णानन्द राय जी, जब मैं कोई व्यवस्था तो दूं उस पर अपनी आपको व्यवस्था देना ठीक नहीं है। यदि आप ऐसा करते हैं और करना चाहते हैं तो अच्छा होगा कि आप हमारे खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लें आयें। नहीं तो जो पीठासीन व्यक्ति हैं उनकी बात को आपको मानना पड़ेगा।

श्री उग्रसेन---

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी आपने जो व्यवस्था दी उस पर मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं। व्यवस्था के तत्काल बाद कृष्णानन्द राय खड़े हो गए और कहा कि मेरा व्यवस्था का प्रश्न है और आपने उनकी व्यवस्था सुन भी ली। जब मैं ने कहा कृष्णानन्द राय के उठने पर कि मेरा व्यवस्था का प्रश्न है तो आपने उसकी अनुमति मुझे नहीं दी, तो इस बात पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय, यदि कल आप यहां रहते तो माननीय कृष्णानन्द राय, माननीय फूल सिंह, माननीय धर्मवीर को निकाल दिये होते। हम तो मनाते थे कि आप यहां होते। अब मैं माननीय कृष्णानन्द राय जी के खिलाफ विशेषाधिकार की अवहेलना और सदन के अवमान की नोटिस देता हूं जो यहां सदन के समक्ष हुआ है।

श्री अध्यक्ष---

जहां तक नोटिस देने का संबंध है माननीय उग्रसेन जी, उसका तो आपको अधिकार है ; लेकिन एक व्यवस्था के बीच दूसरी व्यवस्था उत्पन्न करना निश्चित रूप से अव्यवस्था है। दो निगेटिव मिलकर पाजीटिव वाली बात रही।(हंसी)

श्री फूलसिंह (जिला सहारनपुर)---

अध्यक्ष महोदय, माननीय उग्रसेन जी ने मेरा नाम लिया। मैं तो कल तमाम दिन बोला भी नहीं और मैं नहीं जानता कि वह क्यों निकालने जा रहे थे।

श्री अध्यक्ष---

माननीय उग्रसेन जी, क्या आपने माननीय फूलसिंह जी का नाम भी लिया था ?

श्री उग्रसेन—

मुझे ऐसा लगा था कि वह बैठे बैठे वहां हल्ला कर रहे थे इसलिये मैंने कह दिया ।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस वक्त से आज असेम्बली शुरू हुई मैं उठक बैठक करते करते हैरान हो गया लेकिन मुझे अफसोस है कि अध्यक्ष महोदय की आंख बहुत दूर तक नहीं पड़ पाती चूंकि हाउस में गड़बड़ी रहती है; लेकिन बावजूद इसके भी आपकी निगाह हाउस के चारों कोनों पर पड़नी चाहिये, और मुझ जैसे व्यक्ति को नजरंदाज नहीं हो जाना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

मैं इस बात के लिए आपका आभार मानता हूं कि आपने किसी न किसी तरह बोलकर अपने रहने के बारे में अपने आपको घोषित कर दिया, लेकिन ४२६ सदस्यों पर १ मिनट में कैसे निगाह मेरी पड़े यह एक सोचने की बात है। (श्री त्रिवेणी के खड़े होने पर) माननीय त्रिवेणी राय जी, आप मेरे बोलते समय कैसे खड़े हैं ?

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

जब मैं बोल रहा हूं तब कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता । लेकिन फिर भी अब आप कहिये ।

श्री त्रिवणी—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि कल से मैं देख रहा हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी हमारे बुजुर्ग हैं। वे जब कोई सदस्य बोलता है तो गुस्से का इजहार करते हैं । वे जिस चेयर पर बैठे हैं वहां बड़े बड़े कर्णधार बैठ चुके हैं। इस तरह से वे गुस्से का इजहार करेंगे तो काम कैसे होगा।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके बैठें। (श्री त्रिवणी राय के खड़े रहकर बोलते जाने पर) इसके आगे जो माननीय त्रिवेणी राय जी कहेंगे वह लिखा नहीं जायगा। अगर इस तरह से व्यवहार करने का स्वभाव पड़ गया तो ठीक नहीं होगा। किसी भी माननीय सदस्य को शोभा नहीं देता कहना कि कौन गुस्से में आ रहा है और फिर जो आपसे दुगनी उम्र रखने वाला व्यक्ति है उसको आप इस तरह से उपदेश दे रहे हैं यह अच्छा नहीं मालूम होता।

श्री मदनमोहन मिश्र (जिला रायबरेली)—

मान्यवर, अभी जब माननीय गुप्ता जी बोले उसके बाद माननीय मुख्य मंत्री जी खड़े हो गये और आपने उनका नाम नहीं पुकारा वह बोलने लगे और आप कुछ नहीं बोले। हम लोग जब खड़े हो जाते हैं तो आप हम लोगों को टाल देते हैं। यह ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

आपने माननीय नेता विरोधी दल की शिष्टता नहीं देखी। वह फौरन बैठ गये।

श्री मदनमोहन मिश्र—

वह बैठ गये, मगर आपने नाम नहीं पुकारा, इधर आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

बैठिये, अगर कोई व्यवस्था का प्रश्न होता तो मैं अनुमति देता।

श्री मदनमोहन मिश्र--

व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अभी यह कहा गया कि जो मिनिस्टीरियल चेयर्स को आकूपाई किये हुये हैं यानी जो कौंसिल आफ मिनिस्टर्स में हैं उन को बोलने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता। मैं यह कहता हूं कि सदस्यों को चाहे बाध्य न किया जा सके लेकिन मिनिस्टर्स को बाध्य किया जा सकता है। इसके ऊपर आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष--

मिश्र जी ने जो अभी बात कही मैं उसको अनचित मानता हूं। मैंने स्पष्ट अपनी व्यवस्था दे दी। अगर मेरी व्यवस्था के बाद कोई इस पर किसी तरह से आक्षेप करता है तो यह शोभा नहीं देता। माननीय नेता विरोधी दल इस की व्यवस्था करेंगे कि इस प्रकार से इस पीठ से जो व्यवस्था दी जाय उस पर आक्षेप करना या टिप्पणी करना स्वस्थ परम्परा नहीं है। उनको अधिकार है, लेकिन मैं इसको रोकूंगा क्योंकि इस प्रकार की परम्परा का सृजन होना उचित नहीं है। यदि मेरी व्यवस्था के बाद माननीय सदस्य टिप्पणी न दें तो यह इस सदन की गरिमा के अनुकूल होगा और खासकर ऐसा दल नहीं करेगा जो शासन में २० वर्ष रह चुका है और फिर शासन में आने की क्षमता रखता है। यदि इस प्रकार से सदस्य करेंगें तो इसे जनतंत्र को बड़ा खतरा है।

सिंचाई मन्त्री (श्री टम्बरेश्वरप्रसाद)--

अध्यक्ष महोदय, आपने जो क्षमता शब्द कहा है उस पर मुझे आपत्ति है।

आगामी कार्य-क्रम के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--

मैं एक सूचना सदन को देना चाहता हूं। कल मैंने सदन के कार्य-क्रम को बतलाया था। उसके बाद माननीय नेकराम ने प्रातःकाल पूछा था। मननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधीदल की आपस में कुछ बात हुई है या पत्र-व्यवहार हुआ है उसके बाद यह सूचना है।

नेता सदन ने परामर्श से यह निश्चय किया गया है कि विधान सभा का उपवेशन २२ दिसम्बर के बाद, १५ जनवरी, १९६८ से पुनः आरम्भ होगा। १५ जनवरी, १९६८ को असरकारी दिवस होगा और १६ जनवरी से उत्तर प्रदेश सार्वजनिक व्यक्तियों की जांच विधेयक, १९६७ पर विचार आरम्भ होगा।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

यह कब तक चलेगा।

मुख्य मन्त्री (श्री चरणसिंह)---

अभी यह नहीं बताया जा सकता कि कब तक चलेगा। पहले तारीख ८ जनवरी रखी गई थी। उसके बाद मेरे पास बनारसीदास जी का पत्र आया था जिसमें वह यह चाहते थे कि १५ जनवरी से आरम्भ हो। उनसे टेलीफोन पर बात हुई थी। १५ जनवरी से वह राजी हो गये। अब बाद में उनका पत्र आया है कि वह अधिवेशन मुल्तवी हो गया है तो ८ जनवरी से ही कर लीजिये, लेकिन पेपर में देखने से मालूम हुआ है कि नहीं वह ९, १० और ११ को हैदराबाद में हो रहा है। अब अगर यह सही है तो १५ जनवरी से ही होगा।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—

इसके लिये आप को धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष—

यह निश्चय हुआ कि हम लोग कल के बाद १५ जनवरी से बैठेंगे। १५ तारीख को असरकारी दिवस होगा। १६ तारीख को उस विधेयक पर विचार आरम्भ होगा। कब तक बैठेंगे इसके लिये आगे सूचना दी जायगी।

राज्य भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड हेतु ४ सदस्यों के निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव

कृषि मंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, राज्य भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड में कार्य करने के लिये, तृतीय विधान सभा के विघटन के कारण उक्त विधान सभा द्वारा निर्वाचित चार सदस्यों के रिक्त स्थान पर, उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम, १९६३ की धारा ३ की उपधारा (२) के खंड (ड०) के अनुसार, विधान सभा के चार सदस्यों का निर्वाचन करे।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, राज्य भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड में कार्य करने के लिये, तृतीय विधान सभा के विघटन के कारण उक्त विधान सभा द्वारा निर्वाचित चार सदस्यों के रिक्त स्थान पर, उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम, १९६३ की धारा ३ की उपधारा (२) के खंड (ड०) के अनुसार, विधान सभा के चार सदस्यों का निर्वाचन करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

एडवर्ड सप्तम सैनिटोरियम, भुवाली की परामर्शदात्री समिति हेतु दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री प्रतापसिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, एडवर्ड सप्तम सैनिटोरियम, भुवाली की परामर्शदात्री समिति में, तृतीय विधान सभा के विघटन के कारण उक्त विधान सभा द्वारा निर्वाचित दो सदस्यों के रिक्त स्थान पर, विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करे।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, एडवर्ड सप्तम सैनिटोरियम, भुवाली की परमर्शदात्री समिति में, तृतीय विधान सभा के विघटन के कारण उक्त विधान सभा द्वारा निर्वाचित दो सदस्यों के रिक्त स्थान पर, विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश नर्सेज ऐंड मिड़वाइव्ज कौंसिल के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

स्वास्थ्य मंत्री (श्री प्रतापसिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश नर्सेज ऐंड मिडवाइव्ज कौंसिल में कार्य करने के लिये, तृतीय विधान सभा के विघटन के कारण, उक्त विधान सभा द्वारा निर्वाचित दो सदस्यों के रिक्त स्थान पर, यू० पी० नर्सेज मिडवाइव्ज, असिस्टेंट मिडवाइव्ज, आग्जिलियरी नर्स मिडवाइव्ज ऐंड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १९३४ की धारा १० की उपधारा (१) के साथ पठित, धारा ४ की उपधारा (१) के खंड (बी) के उपखंड (२) के अनुसार विधान सभा के सदस्यों, जिसमें से कम से कम एक महिला हो, का निर्वाचन करें।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश नर्सेज ऐंड मिडवाइव्ज कौंसिल में कार्य करने के लिये, तृतीय विधान सभा के कारण, उक्त विधान सभा द्वारा निर्वाचित दो सदस्यों के रिक्त स्थान पर, यू० पी० नर्सेज ऐंड मिडवाइव्ज असिस्टेंट मिडवाइव्ज, आग्जिलियरी नर्स मिडवाइव्ज ऐंड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १९३४ की धारा १० की उपधारा (१) के साथ पठित, धारा ४ की उपधारा (१) के खण्ड (बी) के उप खड (२) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों, जिन में से कम से कम एक महिला हो, का निर्वाचन करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् हेतु चार सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

उप मुख्य मंत्री (श्री रामप्रकाश)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् में कार्य करने के लिये, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, १९६२ की धारा ४ के खंड (३) के अनुसार, विधान सभा के चार सदस्यों का निर्वाचन करे।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् में कार्य करने के लिये, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, १९६२ की धारा ४ के खंड (३) के अनुसार, विधान सभा के चार सदस्यों का निर्वाचन करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६७

वित्त मंत्री (श्री रामस्वरूप वर्मा)—

मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६७ का पुरःस्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६७ को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामस्वरूप वर्मा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६७ को पुरःस्थापित करता हू ।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ६६२–६६९ पर)

१९६३–६४ के अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ३—राज्य आबकारी

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री प्रतापसिंह)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३—राज्य आबकारी के अन्तर्गत १४,१२२ रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६३-६४ से संबद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३—राज्य आबकारी के अन्तर्गत १४,१२२ रु० की मांग, बत्तीय वर्ष १९६३–६४ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १०—आयुक्त और जिला प्रशासन

मुख्य मंत्री (श्री चरणसिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १०–आयुक्त और जिला प्रशासन के अन्तर्गत ६३,७०,१३८ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६३–६४ से संबद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १०—आयुक्त और जिला प्रशासन के अन्तर्गत ६३,७०,१३८ रुपये की मांग वित्तीय वष १९६३–६४ से संबद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १२—न्याय, प्रशासन

न्याय मंत्री (श्री श्यामलाल यादव)—

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १२–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत ३,९६,५४१ रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६३–६४ से संबद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिय स्वीकार की जाय।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

मैं इसका विरोध करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रश्न को जो न्याय व्यवस्था....

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको सूचना दे दूं, आप को अधिकार है विरोध करने का। उसके लिये १ मिनट का समय है। लेकिन यह पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की सिफारिशों पर आधारित है।

(श्री कृष्णानन्द राय ने स्थान ग्रहण किया ।)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १२--न्याय प्रशासन के अन्तर्गत ३,९६,५४१ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६३-६४ से संबद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १९--जन स्वास्थ्य

श्री प्रतापसिंह--

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १९--जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत ८९,५१,८६१ रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६३-६४ से सबद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १९--जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत ८९,५१,८६१ रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६३-६४ से संबद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३०--राजस्व से किये गये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य

सिंचाई मन्त्री (श्री टाम्बरेश्वरप्रसाद)--

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३०-राजस्व के किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत ९९,४४,८९८ रुपये की मांग, वित्तीय वष १९६३-६४ से संबद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदानसंख्या ३०-राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत ९९,४४,८९८ रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६३-६४ से संबद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३६--संचार साधनों का सुधार

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री मंगलदेव)--

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३६-संचार साधनों का सुधार के अन्तर्गत २,३२,१६५ रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६३-६४ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री प्रध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३६--संचार साधनों का सुधार के अन्तर्गत २,३२,१६५ रुपये की मांग, वित्तीय बर्ष १९६३-६४ से संबद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४१---अधिवर्ष भत्ते और निवृत्ति वेतन

वित्त मंत्री (श्री रामस्वरूप वर्मा)---

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४१---अधिवर्ष भत्ते और निवृत्ति वतन के अन्तर्गत १३,२५,९२८ रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६३-६४ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४१---अधिवर्ष और निवृत्ति वेतन के अन्तर्गत १३,२५,९२८ रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६३-६४ से संबद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४३---लेखन-सामग्री और मुद्रण

उद्योग उप मन्त्री (श्री हिम्मतसिंह)---

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४३---लेखन सामग्री और मुद्रण के अन्तर्गत १,४४,९२४ रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६३-६४ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४३---लेखन-सामग्री और मुद्रण के अन्तर्गत १,४४,९२४ रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६३-६४ से संबध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४९---सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत लागत

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद---

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४९---सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत २,७८,४६,४२४ रुपये की मांग, वित्तीय १९६३-६४ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४९---सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत २,७८,४६,४२४ रुपये की मांग, वित्तीय वष १९६३-६४ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५० ---विद्युत योजनाओं पर पूंजीगत लागत

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद---

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५०---विद्युत् योजनाओं पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत १,४९,५६,२३५ रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६३-६४ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५०—विद्युत् योजनाओं पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत १,४९,५६,२३५ रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६३-६४ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५४—पेंशनों की संराशि

श्री रामस्वरूप वर्मा—

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५४—पेंशनों की संराशि क अन्तर्गत ३४,६०१ रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६३-६४ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५४—पेंशनों की संराशि के अन्तर्गत ३४,६०१ रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६३-६४ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५५—राज्य व्यापार की योजनायें

श्री श्यामलाल यादव—

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५५—राज्य व्यापार की योजनायें के अन्तर्गत १,२६,९५,९८६ रुपय की मांग, वित्तीय वर्ष १९६३-६४ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५५—राज्य व्यापार की योजनाओं के अन्तर्गत १,२६,९५,९८६ रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६३-६४ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६३-६४ की बढ़ती व्यय का विनियमन विधेयक, १९६७

वित्त मन्त्री (श्री रामस्वरूप वर्मा)—

अध्यक्ष महोदय मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६३-६४ की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, १९६७ को पुरःस्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६३-६४ की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, १९६७, को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामस्वरूप वर्मा––

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६३–६४ की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, १९६७ को पुरःस्थापित करता हूं।

(विधेयक की प्रतियां सदन में बांटी गईं।)

श्री रामस्वरूप वर्मा––

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६३–६४ की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, १९६७, पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६३–६४ की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, १९६७ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २, ३, अनुसूची, खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६३–६४ की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, १९६७

३१ मार्च, १९६४ को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष में कतिपय सेवाओं पर उनके निमित्त और उस वर्ष के लिये स्वीकृत धनराशियों से बढ़ती व्यय हुई धनराशियों की पूर्ति के लिये राज्य की संहृत निधि में धन के बिनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था करने के निमित्त

विधेयक

भारतीय गणतन्त्र के अठारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :––

संक्षिप्त शीर्षनाम

१––यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६३–६४ की बढ़ती व्यय का विनियमन) अधिनियम, १९६७ कहलायेगा।

१९६३–६४ को कतिपय बढ़ती व्यय को पूरा करने के लिये उत्तर प्रदेश की संहृत निधि में से ८,२९,२५,५०७ रुपये का दिया जाना।

२––उत्तर प्रदेश की संहृत निधि में से अनुसूची के स्तम्भ ३ में उल्लिखित धनराशियों के, जिनका कुल योग ८,२८,२५,५०७ रुपये (आठ करोड़ उनतीस लाख पच्चीस हजार, पांच सौ सात रुपये) होता है, ऐसे धन की पूर्ति के लिये जो ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में अनुसूची के स्तम्भ २ में उल्लिखित सेवाओं से संबंधित परिव्ययों पर, उन सेवाओं के निमित्त और उस वर्ष के लिये स्वीकृत धन से अधिक व्यय हुआ, दिये और काम में लाये जाने के लिये प्राधिकृत किया गया समझा जायगा।

विनियोग

३––इस अधिनियम के अधीन उत्तरप्रप्रदेश की संहृत निधि में से जिन धनराशियों के दिये और काम में लाये जाने का प्राधिकार दिया गया समझा गया है, उन धनराशियों का विनियोग ३१ मार्च, १९६४ के समाप्त हुये वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा और किया गया समझा जायगा।

अनुसूची
(धारा २ और ३ देखिये)

१	२	३		
अनु-दान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	बढ़तो		
		स्वीकृत भाग	राज्य की संहृत निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
राजस्व पर व्यय—				
३	राज्य आबकारी ..	१४,१२२	..	१४,१२२
१०	आयुक्त और जिला प्रशासन ..	६३,७०,१३८	..	६३,७०,१३८
१२	न्याय प्रशासन ..	३,९६,५४१	..	३,९६,५४१
१९	जन स्वास्थ्य ..	८९,५१,८६१	..	८९,५१,८६१
२०	कृषि सम्बन्धी विकास ..		११,६८४	११,६८४
३०	राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य	९९,४४,८९८	..	९९,४४,८९८
३६	संचार साधनों का सुधार	२,३२,१६५	..	२,३२,१६५
४१	अधिवर्ष भत्ते और निवृत्ति वतन पेन्शनें ..	१३,२५,९२८	..	१३,२५,९२८
४३	लेखन सामग्री और मुद्रण ..	१,४४,९२४	..	१,४४,९२४
	योग, राजस्व व्यय ..	२,७३,८०,५७७	११,६८४	२,७३,९२,२६१
पूंजी व्यय—				
४९	सिंचाई निर्माण कार्य पर पूंजीगत लागत ..	२,७८,४६,२२४	..	२,७८,४६,४२४
५०	विद्युत् योजनाओं पर पूंजीगत लागत ..	१,४९,५६,२३५	..	१,४९,५६,२३५
५४	पेंशनों की संराशि ..	३४,६०१	..	३४,६०१
५५	राज्य व्यापार की योजनायें ..	१,२६,९५,९८६	..	१,२६,९५,९८६
	योग, पूंजी व्यय ..	५,५५,३३,२४६	..	५,५५,३३,२४६
	बड़ा योग ..	८,२९,१३,८२३	११,६८४	८,२९,२५,५०७

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २, ३, अनुसूची, खण्ड १, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग माने जावें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामस्वरूप वर्मा—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६३–६४ का बढ़ती का विनियमन) विधेयक, १९६७, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६३–६४ का बढ़ती का विनियमन) विधेयक, १९६७ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

१९६७–६८ के प्रथम अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद

श्री अध्यक्ष—

आइटम १९ के लिये ४ बजे तक का समय तय किया है। इस समय सवा बजा है। अगर सदन उचित समझ तो २ घंट, यानी सवा तीन बज तक, इस पर साधारण वादविवाद हो जाय और उसके बाद खंडशः डिमान्डस के अनुसार होगा। उसके बाद वोटिंग वगैरह होगी।

(श्री फूल सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, हमारी वैधानिक आपत्ति है। आप हो उसे एप्रिशियेट कर पाइयेगा। इसमें बहुत बारीकी है। माननीय मंत्री जी और खास तौर से माननीय मुख्य मंत्री जी समझेंगे कि ये लोग तो ऐसी ही बातें किया करते हैं। आप इसकी शब्दावली जरा देखें। इसमें लिखा है कि ये मांगे मुख्यतया उन नयी मदों के व्यय को पूरा करने के उद्देश्य से हैं जिनके लिये चालू वर्ष के आय-व्ययक में कोई व्यवस्था नहीं की गई थी।

ऐसा मालूम होता है कि माननीय मंत्री जी संवैधानिक रूप से इस बात को मानते हैं कि जो भी इनको कोई नयी मद सूझे, इनको हक है उस अनुपूरक मांग के रूप में यहां लाने का। अनुपूरक अनुदान चाहे ये लोग स्वप्न से सोकर उठें, और सोचें कि किसी नयी मद की जरूरत है, तब नहीं ला सकते हैं। संविधान की आर्टीकिल २०५ का (अ) आप देखने का कष्ट करें। हमारे पास अंग्रेजी में है, क्षमा.....

श्री अध्यक्ष—

जो चीज हिन्दी में मौजूद है, उसे हिन्दी से ही पढ़ा जाय तो ज्यादा उचित है।

श्री कृष्णानन्द राय—

हिन्दी की कापी हमारे पास इस समय नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

आप लाइब्रेरी से ले सकते थे।

श्री कृष्णानन्द राय—

खैर, अब खरीद लेंगे। इसमें है कि—

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्णानन्द राय]

"If the amount authorised by any law made in accordance with the provision of Article 204 to be expended for a particular Service for the current financial year is found to be insufficient for the purpose of that year or a need has arisen during the current financial year for supplementary or additional expenditure upon some new service not contemplated in the annual financial statement for that year."

श्रीमन्, आप फाइनेंस मैटर्स पर खास तौर से बहुत बोला करते थे और मुझे आशा है कि आप इसकी बारीकी को एप्रिशियेट करेंगे। आर्टीकिल २०५ में बिलकुल स्पष्ट है कि जब एनुअल बजट पेश किया जाता है और जिस खर्चे को सरकार उस समय कन्टैम्पलैट न कर सके या भविष्य में कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाय जो उस समय न सोची जा सकती हो, तभी अनपूरक अनुदान आ सकता है। बजट की किसी मद का खर्चा मंहगाई या किसी और कारण से ऐसे हो बढ़ जाय तब तो अनपूरक अनुदान आ सकता है। लेकिन कोई बिलकुल नयी मद तभी आ सकती है जो वार्षिक बजट में नहीं ली जा सकती हो। इन्होंने टिप्पणी में कहीं यह नहीं कहा है कि ये मदें उस समय नहीं सोची जा सकती थीं। जितने अनुपूरक अनुदान आये हैं, जहां तक हमारी याददाश्त है, उनमें यह टिप्पणी दी जाती थी कि अमुक कारणों से यह उस समय नहीं सोचा जा सकता था। यह तो यह भी कल्पना उचित नहीं समझते कि बजट के समय इनको सोचा नहीं जा सका। इनको बतलाना चाहिये था कि बजट के समय क्यों नहीं सोचा जा सका, कौन सी ऐसी कठिनाइयां पैदा हो गई। जो बजट हमारे सामने प्रस्तुत किया गया था वह फर्जी था। १०-५ दिन की सरकार थी इसलिये उस समय उस पर खयाल नहीं किया गया। पहले तो बताया गया सरप्लस है, लेकिन में बाद में मालूम पड़ा कि उसमें २० करोड़ रुपये का घाटा है। अभी तक ठीक प्रकार से यह भी पता नहीं चल पाया कि वह घाटा कितना है।

श्री अध्यक्ष—

आप तो बजट पर आ गये।

श्री कृष्णानन्द राय—

मेरा कहना यह है कि आर्टिकिल २०५ के अन्तर्गत अनपूरक अनुदानों के बारे में जो दिया हुआ है उसके अनुसार यह अनुदान प्रस्तुत नहीं किये जा सकते।

श्री अध्यक्ष—

माननीय कृष्णानन्द राय जी ने एक संवैधानिक आपत्ति उठायी और उठाते ही उन्होंने कहा कि मैं उसको एप्रीशियेट करूंगा। मैंने उसकी कोशिश की, लेकिन कोशिश करने पर भी मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उसको एप्रीशियेट नहीं कर सका। मैं उसके बारे में केवल यही कह सकता हूं कि उनको ऐसी कठिनाई इसलिये पड़ी कि उन्होंने अंग्रेजी भाषा की ही प्रति पढ़ी। अंग्रेजी भाषा कभी-कभी बड़े भ्रम में डाल देती है। अगर माननीय कृष्णा नन्द राय जी ने हिन्दी की प्रति को पढ़ा होता तो वे भी यह एप्रीशियेट करते कि ऐसी बात नहीं है मैं माननीय कृष्णानन्द राय जी की सारी बहस इस बात पर आधारित थी कि वही मदें इसमें आ सकती थीं जो पहले कन्टेम्प्लेट नहीं की जा सकती थीं। लेकिन इसकी जो हिन्दी प्रति है उसमें है—"वार्षिक वित्तीय विवरण में अवेक्षित न की गयी हो।" इन दोनों बातों में बहुत फर्क मालूम पड़ता है—कन्टेम्प्लेट नहीं की जा सकती थी और अवेक्षित नहीं की गयी। अंग्रेजी में ही जो लिखा है उसके जो शब्द हैं न्यू सर्विस न ट कन्टैम्पलेटेड' और उसका हिन्दी अनुवाद है 'वार्षिक वित्तीय विवरण में अवेक्षित न की गयी हो उसमें यह नहीं लिखा कि अगर वार्षिक विवरण में अवेक्षित किया के जा सकता था तो नहीं ली जा सकती। अगर ऐसा लिखा होता तो माननीय कृष्णानन्द की आपत्ति को मैं स्वीकार कर लेता और इसको मूव करने की मैं इजाजत नहीं देता। वहां पर तो कन्टमप्लेट न करना ही काफी समझा गया है।

इसके लिये आप एक कष्ट और करें। प्रस्तुत अनुपूरक अनुदानों पर वित्त सचिव की टिप्पणी के खंड १ को आप देखें। उसमें लिखा हुआ है —

"किसी वित्तीय वर्ष के दौरान में उस वर्ष के लिये अधिकृत व्यय से अधिक हुये व्यय के सम्बन्ध में जो भुगतान करने पड़ते हैं उनके लिये विधान मंडल के सामने अनुपूरक मांगें पेश करने की आवश्यकता होती है। व्यय की ऐसी नयी मदों के सम्बन्ध में भी अनुपूरक मांगें पेश करनी पड़ती हैं जिनके लिये मूल आय व्ययक में कोई व्यवस्था नहीं रहती। अनुपूरक मांगों की उस समय भी आवश्यकता होती है, जबकि सम्बन्धित व्यय के लिये धन उपलब्ध हो, पर व्यय नई मदों के लिये हो वा मूल योजना में इतना महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गया हो कि उसे विधान मंडल के सामने स्वीकृति के लिये पेश करना आवश्यक हो। ऐसी मांगें, जो कि, 'प्रतीक' मांगें कहलाती हैं, प्रचलित वित्तीय व्यवस्था का एक स्वीकृत अंग है।"

"यहां जो मांगें सम्मिलित की गयी हैं उनमें से कई व्यय की नई मदों के लिये ह जिनके लिये चालू वित्तीय वर्ष में कोई व्यवस्था नहीं की गयी थी। कन्टेम्प्लेट नहीं की जा सकती थीं या अवेक्षित नहीं की गयी थीं इस आधार पर जो वैधानिक आपत्ति माननीय कृष्णानन्द राय ने उठायी है म उसको अमान्य मानता हूं।

*श्री फूलसिंह (जिला सहारनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, जब पहला सेशन इस असेम्बली का हुआ तब इस सरकार को बने २, ढाई महीना ही हुआ था। अब जब हम दुबारा मिल रहे हैं, इसको ९ महीने पूरे हो चुके हैं और अब उचित ही है कि सरकार के पिछले सब कामों की जांच पड़ताल की जाय और यह राय कायम की जाय कि हम किस तरफ बढ़े हैं। इस सरकार ने सब से पहला काम रबी की गल्ला वसूली का किया। अब वह योजना समाप्त भी हो गई और उसका लेखाजोखा इस तरह से है कि २ लाख १५ हजार टन के करीब अनाज आया। वह ७ लाख किसानों से इकट्ठा किया गया और ७१ हजार किसानों पर बकाया है। पिछले चन्द दिनों में जो अखबारों में आया है उसके अनुसार बहराइच में २ हजार किसानों पर मुकदमे चलाये गये, इससे पहले खबर आई थी कि सहारनपुर में २,००० किसानों पर मुकदमें चलाये गये और ३,००० पर बकाया है। रामपुर परगने में वहां १८ आदमियों को जेल में भेज दिया गया है। वह मेरा क्षेत्र नहीं है, लेकिन मैं उन गांवों में गया तो मालुम हुआ कि जिन लोगों को पकड़ा गया वह ऐसे लोग नहीं थे जो कि योजना के विरोधी थे और न ही वह ऐसे लोग थे कि जिनको गल्ला देने में कोई एतराज था, बल्कि वे ऐसे लोग थे जिन्होंने अधिकांश गल्ला दे भी दिया था। उनमें प्रधान और नम्बरदार भी शामिल थे। एक व्यक्ति के पास २ किलो, एक के पास दस किलो बकाया था, एक व्यक्ति के पास केवल ३ क्विन्टल गल्ला बकाया था और वह आदमी जेब में ५०० रु रख कर गया, उसको तहसील में न बुलाकर थाने म बुलाया गया और जब उसने उस गल्ल की कीमत के तौर पर रुपया पेश किया तो उससे थानेदार ने कहा कि हमारे पास तो वारन्ट जेल भेजने का है गल्ले की कीमत लेने का नहीं है और उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का कायदा भी नहीं बरता गया बल्कि उसे सीधे जेल भेज दिया गया। रामपुर जिले की भी खबर है कि परदानशीन औरतों के भी वारन्ट निकले। अगर यह सयासी बात नहीं थी तो इसमें भी माल-गुजारी वसूली के ही तरीके इस्तमाल में आन चाहिय थ। अगर किसी पर मालगुजारी की बकाया होती है तो उसे तहसील में बुलाया जाता है और अगर वह जमानत पेश करता है तो उस छोड़ दते हैं और नहीं पेश कर सकता है तब ही हवालात या सिविल जेल भेजते हैं। लेकिन इस तरीके से को इस्तेमाल नहीं किया गया। इससे पहले एक बार कांग्रेस सरकार ने भी गल्ला वसूली की थी और उस समय शायद ही कोई जेल भेजा गया हो और मुकदमे चलाये गये हों। आजादी से पहले जो कभी इतने आदमियों पर मुकदमें और वारन्ट जारी न हुये होंगे। इस विद्या में सरकार ने एक नया रिकार्ड कायम किया है जो टूटने वाला नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री फूल सिंह]

इसके बाद एक दूसरा कानून बना जिस को कन्ज्यूमर्स डिपाजिट स्कीम कहते हैं, यह योजना यह थी कि जो निजी नलकूप हैं उनको बिजली देने का जो कायदा है वह अभी तक यह था कि अर्जियां आती थीं और २–३–४ फर्लांग तक मुफ्त लाइन दी जाती थी। अब नया कायदा यह बनाया और वह बनाया गया किसानों की सुविधा के लिये ताकि उनको जल्दी बिजली मिल सके, शर्त यह रखी गई कि १००० रुपया एक फर्लांग लाइन पर जमा कर और जो विभाग का सरकुलर गया है उसम लिखा है कि जो पुरानी अर्जियां मंजूर हैं उन पर सरकार ६,००० रुपया तक खर्च करेगी लेकिन नई अर्जियों पर औसतन ४,०५० रुपये से ज्यादा न खर्च होना चाहिये और ५ हार्स पावर तक २ फर्लांग और साढ़े सात हार्स पावर तक ३ फर्लांग कर दिया गया है।

(इस समय १ बज कर २६ मिनट पर श्री अध्यक्ष उठ कर चले गय और अधिष्ठाता, श्री रमाशंकर अग्रवाल पीठासीन हुए।)

मान्यवर, अब यह भी कायदा हो गया है कि सब-स्टेशन और ट्रांसफार्मर का खर्च भी उसमें लगेगा। इससे एक फर्लांग की रेडियस में एक से ज्यादा प्राइवेट ट्यूबवेल का होना विशेषतया बुन्देलखंड और पूर्वी जिलों में असम्भव है। इसके माने यह हैं कि एक फर्लांग क रेडियस वाला एक ट्यूबवैल वाले को ट्रांसफार्मर का भी खर्चा देना होगा, सब स्टेशन का भी खर्चा देना होगा और लाइन का भी खर्चा देना होगा। नतीजा यह होगा कि कोई भी आदमी एक फर्लांग के अन्दर लाइन मुफ्त नहीं ले सकता है। २ महीने हुए होंगे मैंने कुछ जिलों की जांच की। उनम हमारे माननीय मंत्री जी का भी जिला है। और मेरी इत्तिला के मुताबिक ३–४ जिलों में किसी भी ट्यूबवेल को बिजली दी नहीं गयी है। अखबारों में सूचनायें छपती हैं कि बरेली डिवीजन में पिछले १६ महीनों में इतने कनैक्शन दे दिये गये हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जब से यह आर्डर जारी हुआ है उसके मातहत मंत्री जी बतायें कि कितने कुवों को बिजली मिली है। यह तो जाहिर है कि ऐसे बहुत से कुयें हैं जिनके आर्डर पहले हुये थे और काम चल रहा था। इसलिये वे सब जेरे बहस नहीं हैं। मैंने पिछले साल के आंकड़े देखे। पिछले सालों में इलाहाबाद डिवीजन में, झाँसी डिवीजन में और फैजाबाद डिवीजन में ५० प्रतिशत का कोटा भी पूरा नहीं हुआ है। तो अब तो खुदा हाफिज है। पहले ही किसानों को दिक्कत हो रही थी। बिजली का जो बटवारा हुआ है वह खेती में नहीं लगी है बल्कि और कामों में लग रही है। जो जुलाई के महीने में कागज बांटा गया उससे स्पष्ट होता है कि उद्योगों में २०० प्रतिशत और कामों में २५ प्रतिशत और खेती के लिये केवल १५ प्रतिशत बढ़ी है। लेकिन अब तो नये कानून के अनुसार खेती में बिजली जायगी ही नहीं। मेरे जिले, सहारनपुर, में एक गांव में ११ प्राइवेट ट्यूबवेल थे। जब वे लोग महकमें वालों के पास गये तो उनसे ३०,००० रूपये का तकाजा हुआ और यह कहा गया कि आप इसको जमा कीजिये तब आपको बिजली मिलेगी। यह इतनी बड़ी रकम है कि अगर वे लोग अपने घर और जानवरों को भी बेंच दें तो भी इतनी बड़ी रकम जमा नहीं कर पायेंगे।

इसके अलावा अब एक और डू पार्ट टैरिफ स्कीम इस सरकार ने चलायी है। प्लानिंग कमीशन की योजना ने जो १० साल पहले बनायी उस के अन्तर्गत पी० ई० ओ० की स्कीम चलायी। किसानों को ट्यूबवेल का पानी लेने के लिए प्रोत्साहित करने का एक ही तरीका है और वह यह है कि नहरों के पानी के रेट में और ट्यूबवेल के पानी के रेट में कम अन्तर रहे। उस समय यू० पी० में ट्यूब वेल २,३०० घंटे चलते थे। वह योजना २–३ साल पहले कांग्रेस सरकार ने लागू की और जब वे बिल हाउस में ले आये जिसमें यह लिखा था कि प्रेस्क्राइब्ड डिस्चार्ज तक ट्यूब वेल पर हम ५ रुपया फी एकड़ तक लगा सकेंगे, उस स्कीम के मातहत। मैं ने उसका विरोध किया कि इसमें नुकसान होगा। ट्यूबवेल का पानी इस्तेमाल नहीं होगा। अब और तब में क्या अन्तर है। उस समय तो पानी लेने को तैयार नहीं थे, लेकिन आज पानी नहीं मिलता है। तब लेने वाले नहीं थे और अब पानी की इच्छित

मात्रा उपलब्ध नहीं है। २००० ऐसे ट्यूबवेल थे जो ५००० से अधिक घंटे चले। ८० ट्यूबवेल ऐसे हैं जो ६,७०० घंटे चले, ८,००० में से। अगर यह देखिये कि कितने पानी मिले, तो प्रायः एक बार पानी मिला है स्टेट ट्यूबवेल से, दो पानी बहुत थोड़े एरिया में मिले हैं और ३ पानी तो मिलते ही नहीं। मैंने कई बार पूछा तीन पानी मिलने के बारे में, तो मालूम हुआ कि नेगलिजिबिल हैं और अधिकतर पानी एक दो बार ही मिलता है। इस तरह पानी बहुत कम है। जो लिहाफ सरदी के लिए बना था वह गर्मी में यह सरकार उढ़ा रही है और इन सब बातों का नतीजा यह होगा कि स्टेट ट्यूबवेल के पानी की दर २५ फी सदी बढ़ जायगी।

दो कैटेगरीज हैं ए० और बी०। बी० वाले वे हैं जो २० रुपये कर को जमा नहीं करेंगे। उन को पानी की गारन्टी भी नहीं है और दाम सवाये हो गये हैं। जो ए० कैटेगरी वाले हैं उनसे २० रुपये सालाना लिये जायेंगे। एक पानी पर ८, ९ रुपये और १० रुपये अन्य बातों के और इस तरह से १०० फी सदी रेट बढ़ गया। १९ सूत्री प्रोग्राम के खिलाफ यह बात है। इसमें लिखा है कि पानी की दर कम करेंगे लेकिन उल्टा किया गया है। ये दोनों कानून ऐसे हैं कि उनके जरिये काम चला तो किसान निराश होंगे। कृषि विभाग ने इसका जिक्र किया है कि कोई समझदार किसान स्टेट ट्यूबवेल के भरोसे नया बीज नहीं बो सकता, क्योंकि पानी की जिम्मेदारी नहीं है। प्राइवेट ट्यूबवेल की जड़ काट दी गयी है। सरकार ने अब ऐसा रास्ता बना दिया है कि बिजली बन्द करो, स्टेट ट्यूबवेल का पानी जो है उस का रेट बढ़ा दो। इस सरकार ने १९ सूत्री प्रोग्राम की जरा भी परवाह नहीं की और सिंचाई के साधनों को सस्ता करने के लिए कोई काम नहीं किया। हां, भूमि भवन कर माफ कर दिया, लेकिन यह कर कितने लोगों पर है। भूमि भवन कर की दफा ६ के मातहत सरकार को अख्तियार है जिसमें आज वह ऐसी सीमा निर्धारित कर सकती है जिससे नीचे वालों पर टैक्स न लगे, लेकिन वह ऐसा करना नहीं चाहती। मंशा छोटे आदमियों को माफ करने का नहीं था बल्कि हजरतगंज वालों को, हलवासिया आदि को माफ करने का था। अगर इतना ही किया होता, तो गनीमत थी। जहां भूमि भवन कर माफ किया वहां बिजली का रेट बढ़ा दिया। भूमि और भवन किसी किसी के पास हैं लेकिन बिजली हर एक के पास है और इस प्रकार बिजली का टैक्स हर गरीब पर बढ़ गया और भूमि भवन से अमीरों पर कम हो गया। मेरे दिमाग में वह कानून से यह स्पष्ट असर होता है कि यह सरकार किसानों के हितों के लिए कोई ध्यान नहीं देती।

सरकार शहर के हितों में भी कुछ थोड़े से आदमियों के हितों का ध्यान करती है। मिसाल के लिए खरीफ प्रोक्योरमेंट की जो योजना है वह कोई सानी नहीं रखती। बंगाल ने खरीफ प्रोक्योरमेंट की योजना में ४ एकड़ सिंचित और ६ एकड़ असिंचित भूमि को बरी रखा। बिहार ने इस योजना के अन्तर्गत ५ एकड़ सिंचित और १० एकड़ असिंचित को उस से बरी रखा, लेकिन उत्तर प्रदेश ने सिंचित और असिंचित में कोई भेद नहीं रखा। बंगाल ने बोरो पेड़ी को बरी कर दिया। बिहार ने अनडेवेलप्ड स्वायल्स हैं उन सब को निकाल दिया, लेकिन यहां किसी बात का ध्यान नहीं रखा। यहां सब पर लगा दिया और सीमा रखी ३. १/८ एकड़। मुख्य मन्त्री जब पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी थे, तब इस बात के पक्षपाती थे कि दो ग्रेड हों खेतों के। अगर यहां ८ एकड़ का एक्जेम्पशन होता था तो बुन्देलखण्ड में १६ एकड़ का होता था। लेकिन रबी प्रोक्योरमट हुआ तो १६ को काट कर १२ कर दिया और अब सब को साफ कर के बराबर कर दिया। उन्होंने यह कर दिया कि ३. १/८ एकड़ तक माफी, लेकिन अगर किसी के पास ५ एकड़ धान है तो ५ एकड़ पर ५ क्विंटल लिया जायगा। वह भी माफ नहीं होगा। रबी में ५ एकड़ पर कोई प्रोक्योरमेंट नहीं था, लेकिन अब है। उन्होंने यह कर दिया कि लेट पैडी पर प्रोक्योरमेंट होगा, लेकिन पटवारी के कागजों में कोई खाना लेट या अर्ली पैडी का नहीं है। एक खाना क्वारी का और एक जड़हन का होता है। अब जो आर्डर निकला है उस में जड़हन के मानी क्या हैं जो ट्रान्सप्लान्ट हुई हो और नवम्बर-दिसम्बर में काटी जाती हो। पश्चिम के जिलों में साठी बोयी जाती है और ताइचुंग, ८१ ट्रांसप्लान्ट होता है। इसे लिखा तो

[श्री फूल सिंह]

लेट पडी है लेकिन है अर्ली पेडी । जुलाई में बोयी जाती है और अक्तूबर में काटी जाती है। जो परिभाषा लेट पैडी की उन्होंने की है उस परिभाषा का कोई क्लाज कागज में नहीं है । इस से करप्शन का एक दरवाजा खुल जायगा । जिसको चाहा लेट और जिस को चाहा अर्ली लिख दिया । कांग्रेसी सरकार राजस्थान में है, उस नें कोई लेवी नहीं लगायी और पड़ोस में हरियाना गैर कांग्रेसी सरकार है उसने भी कोई लेवी नहीं लगायी । पंजाब सरकार ने भी नहीं लगाया । तो भारतवर्ष में इससे बुरा कानून कोई नहीं है । मेरा निवेदन है कि इस रबी प्रोक्योरमेंट में ७१ हजार मुकदमे चलाये गये तो पता नहीं इस प्रक्योरमेंट में कितने लाख मुकदमें चलाये जायेंगे । इसका कोई अन्दाजा नहीं हो सकता है । और इस की मात्रा कितनी है १.१० एकड़ वालों को १३ क्विंटल और २५ एकड़ वालों को १५ क्विंटल और २५ एकड़ से ऊपर वालों को ५१ क्विंटल देना पड़ेगा । १० एकड़ के ऊपर ढाई क्विंटल फी एकड़ लगाया गया है जब कि धान की पैदावार होती कितनी है । जितना अनाज पैदा होता है उस में गेहूं की पैदावार सब से अच्छी है आजकल । गेहूं पर तो फी एकड़ एक क्विंटल प्रोक्योरमेंट था और धान पर ढाई क्विंटल फी एकड़ है । इसको सिवा इसके हम क्या कहें कि इनकी मंशा है कि किसी न किसी तरह से अधिक से अधिक धान इकट्ठा कर लें । तो ये चार पांच योजनायें हैं जो इन्होंने चलायीं ।

अब दो बातें मैं और कहना चाहता हूं । एक तो ऐडमिनिस्ट्रेशन का है । जेनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है । जो यह जानना चाहते हों कि यहां का जेनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन कैसा है वे शाम को दरवाजे पर खड़े हो कर देख लें । सारे कर्मचारी बाहर हैं, आधे को मुअत्तल कर दिया गया है तो तीन चौथाई को हटा दिया गया है, कोई कायदा कानून है भी या नहीं, समझ में नहीं आता । एक रोज एक आफिसर मुझे मिले जिनको मैं पहले से जानता था । मैंने उनसे पूछा कि आजकल कहां हो, तो उन्होंने बतलाया कि आजकल मैं ओ० सी० डी० हूं । मैंने फिर पूछा कि इसका क्या मतलब है तो उन्होंने बतलाया कि आफिसर आन कोरिडार ड्यूटी । जैसे किसी का तबादला कर दिया गया, लेकिन ६-६ महीने तक उसे छुट्टी नहीं मिलती और वे इसी तरह से पड़े रहते हैं । अगले रोज एक चीफ इन्जीनियर मिले जिन्होंने बतलाया कि ९ महीने के बाद चार्ज मिला है ।

पिछले दिनों अखबारों में छपा था कि बदायूं में दो डी० पी० ओ० पोस्ट कर दिये गये । ६-६ महीने तबादले में लग जाते हैं और कहीं कहीं दो दो आफिसर पोस्ट हो जाते हैं, कोई काम नहीं है । ऐडमिनिस्ट्रेशन बिलकुल स्टैन्ड स्टिल है, कोई काम नहीं हो रहा है । ला ऐन्ड आर्डर की स्थिति आप से अर्ज करूं । अखबारों में भी छपा था कि कोई आदमी ट्यूब वेल चला रहा था, जहां बाद में तीन आदमी और आ गये और उन्होंने कहा कि अब हम ट्यूबवेल चलायेंगे । जब उन्होंने रेजिस्ट किया तो उन लोगों ने गोली मारी जिससे छर्रा लगा । जब मैं उस गांव में गया तो लोगों ने कहा कि यह सही बात है और कोई गिरफ्तारी नहीं हुई । वहां से जब मैं लौट कर आया तो रास्ते में लोगों से मालूम हुआ कि सहारनपुर से ७ मील की दूरी पर, बिल्ली-सहारनपुर रोड पर ही १७ बोरी अनाज गाड़ी पर से उतार लिया गया जबरदस्ती । कोई पूछने वाला नहीं है । जब और जांच की तो मालूम हुआ कि एक आदमी का २०० मन अनाज चोरी हो गया । १७ बोरी और २०० मन अनाज की चोरी के लिए तो बाकायदा ठेले आते होंगे, गाड़ी आती होगी और तब उसे ले जाया जाता होगा, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है ।

फसल का यह आलम है कि धान की पकी हुई फसल खड़ी है । लोगों ने बतलाया कि किसी की फसल कोई काट लेता है, लेकिन कोई भी आदमी खेत में जाकर उसे रोकने के लिए तैयार नहीं है । एक गांव से रिपोर्ट आयी कि १७ बीघे का धान काट लिया गया और तारीफ की बात यह कि धान काट कर वहीं रखा हुआ है, कोई छिपा कर ले नहीं जाया गया है और पुलिस

में रिपोर्ट करने पर पुलिस भी वहां नहीं जाती। इसका क्या कारण है ? इसका कारण हमारे मंत्रिमण्डल के साथी हैं जो जब कभी बौरे पर जाते हैं तो वहीं पर जाते हैं जहां से खड़े हुये थे और वहां का थानेदार व दूसरे अधिकारी इस डर से कि कहीं कोई शिकायत न कर दे कोई ऐक्शन नहीं लेते। सब ने एक तरह से सलाह कर ली है कि कोई काम न करो जिस से किसी को कोई शिकायत न हो, क्योंकि अगर कोई करोगे तो शिकायत हो जायेगी और बेकार के लिए झगड़ा पड़ेगा।

तो मान्यवर, यह मुल्क अब किधर जा रहा है यह बताने की आवश्यकता नहीं है। साथी बहुत चतुर हैं। किसी ने कहा, आप के दोस्त होंगे। मैं अपने साथियों से एक बात कहना चाहता हूं कि बहस में आपका जवाब नहीं है। डेल कार्नेगी ने भी कहा है कि "यू कन्नाट विन इन आर्गुमेंट विद दीज पीपुल"। आपकी तो तारीफ ही यह है कि जो काम करें वह एक प्रिंसिपिल पर करते हैं। जार्ज बर्नाड शा ने कहा है :

"An Englishman is never in the wrong. He always does every thing on principle. He governs you on imperialistic principles. Heroes you on democratic principles. He cuts the king's head on republican principles."

श्री अधिष्ठाता---

इसकी हिन्दी कर दें।

श्री फूलसिंह---

जी हां। जार्ज बर्नार्ड शा ने कहा कि एक इंग्लिशमैन कभी कोई गलती नहीं करता वह हर काम प्रिंसिपिल पर करता है। राज्य करता है तो इम्पीरियलिस्टिक प्रिंसिपिल्स पर करता है, लूटता है तो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपिल्स पर लूट, राजा का गला काटता है तो रिपब्लिकन प्रिंसिपिल्स पर काटता है। तो इनका कोई इलाज ही नहीं। किसी बात पर शर्माते ही नहीं। चले गये हमारे मुख्य मन्त्री। मैं कहने वाला था जब सुबह कह रहे थे कि थोड़ा मुस्करा कर बोलो कि फिजीशियन हील दाईसेल्फ। वह तो नेता विरोधी दल को कह रहे थे लेकिन मुझे यह खयाल था कि चौधरी साहब की हेल्थ खराब हो जायगी। वह बुरे काम को कतई बरदाश्त नहीं कर सकते। लेकिन अब ऐसे मोम के हो गये कि कुछ ही कहलवा लो। कल यहां बिठाये रखा और धमकी देते रहे। तो इस लिए मैं कहता हूं कि बहस में कुछ बातें तय नहीं होतीं। बहस में आप कुछ और बातें कहेंगे, लकिन अपने-अपने गरेबान में मुंह डालने का मौका है। सोचिये यह मुल्क कहां जा रहा है। हम इसको आगे ले जा रहे हैं या पीछे ले जा रहे हैं ? देहात का रास्ता तो आपने बन्द ही कर दिया, शहर के लोग कुछ ठीक थे, उनके साइन बोर्ड वगैरह लुट गये। लेकिन चन्द लोगों से होता क्या है, जब तक करोड़ों कत्ल नहीं कर लेते तब तक मेजारिटी नहीं होती। तो आप को गुन्जायश बहुत है दलील देने की। मगर मेरा निवेदन है कि इस गवर्नमेंट के जो काम हैं, जितनी खराबी हो गयी है इससे ज्यादा खराबी होने की गुन्जायश अब नहीं है।

श्री अधिष्ठाता---

अब और कितना समय लेंगे माननीय फूल सिंह जी ?

श्री फूलसिंह---

जरा सी बात मैं और कहना चाहता था। उद्योग की बात जरा बाकी रही है। इस सरकार के सब्ज कदम ऐसे आये कि गन्ने का उद्योग शूगर मिल, रबड़ फैक्टरी, डिस्टिलरीज सब बन्द हुई जा रही हैं। आप ने आर्डर निकाला कि गन्ने का भाव ६ रुपये क्विंटल मगर यह नहीं सोचा कि जो गन्ने की खोई है वह १० रुपये क्विंटल और गन्ने में जो शीरा निकलता है वह २२ रुपय क्विंटल और गन्ने का टाप १२ रुपये क्विंटल। तो सबसे सस्ता गन्ना ही है। इस तरह

[श्री फूलसिंह]

से काम करेंगे तो कैसे होगा ? मुझे शुबहा था कि सारा काम पड़ा रह जायेगा । लेकिन किसानों ने समझ लिया कि कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए अपने आप काम कर लें तो ठीक है । लिहाजा लोगों ने अपने हाथ में कानून ले लिया और मिलों को गन्ना देना बन्द कर दिया । इस तरह से १५/१६ रुपये क्विंटल के हिसाब से मामला तय हो गया । मगर इस तरह से सरकार कितने दिन चलेगी ? (व्यवधान) । हमने तो प्रस्ताव पास कर दिया था कि केन्द्र का भाव सही नहीं है । आप भी कह सकते थे लेकिन आपकी उंगली भी नहीं हिली । आप को समय कहां है, आप तो और कामों में लगे हुये हैं । मेरा निवेदन यह है कि इस तरह की जो बातें हो रही हैं, उन के समझने और सोचने की जरूरत है वरना ऐसा न हो कि गाड़ी बहुत दूर चली जाय और फिर रोके न रुक सके । यह बहुत ही अहम बात है । मैं आशा करता हूं कि मेरी बात आप लोग सुनेंगे ।

*श्री अश्वनीकुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला मिर्जापुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे पूर्व वक्ता महोदय ने जो भी कुछ चर्चा की उस से ऐसा लगा कि वह विषय के अन्तर्गत नहीं था और सम्भवतः कार्यसंचालन प्रक्रिया नियमावली के नियम १९५ को देखा होता तो निश्चय रूप से मालूम होता कि वह असंगत था उन विषयों पर जो उसके अन्तर्गत हैं और मैं भी यह आवश्यक समझता हूं कि सदस्यों ने कहा कि नियम बता दूं । अगर आप इजाजत दें तो मैं नियम बता देना चाहता हूं । अनुपूरक अनुदानों के सम्बन्ध में जब वह बात हमारे सामने रखी गयी कि इस सरकार ने क्या किया और क्या नहीं किया । मैं भी समझता हूं कि इन बातों का उसी तरह से जवाब दूं । जैसा कि सरकार के ९ महीने का लेखा जोखा माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया । हमारे जैसे लोग भी कुछ ज्यादा प्रसन्न नहीं हैं, इस से कुछ ज्यादा खुश नहीं हैं । लेकिन जब कहा जाता है तो ऐसा लगता है कि आप लोगों की भावनाओं का समाधान होना चाहिये । ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर माननीय गुप्ता जी जन्नत में जायं, तो आप भी वहीं जायं, और यदि किसी और जगह जायं, तो आप भी वहीं जायं । ऐसा नहीं सोचना चाहिये । मैं आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी किया गया है उसका प्रदेश के कोने कोने में चर्चा होनी चाहिये । लेकिन जब मैं यह कहता हूं कि इन मान्यताओं के आधार पर जो ३३ सूत्री प्रोग्राम हमारा था उस में इस सरकार ने कोई खास योगदान नहीं दिया और उससे प्रदेश की जनता सन्तुष्ट नहीं है तो इस में कोई ऐसी बात नहीं है । मैं महसूस करता हूं और आप लोग भी सहमत होंगे कि यह ठीक है ।

जब हम अनुपूरक अनुदानों को देखते हैं और यह निश्चय है कि यह तो एक सामान्य प्रक्रिया है और प्रति वर्ष ऐसा होता रहता है । कुछ मदें रखी जाती हैं और बताया जाता है कि इतना खर्चा होना चाहिये था लेकिन इतना खर्चा हो गया और उसकी पूर्ति करते हैं । यह बात सही है कि बहुत से कामों में रुपया खर्च किया गया है, करोड़ों रुपया राज्य कर्मचारियों को भत्ता के रूप में दे दिया गया है, भूमि भवन कर के रूप में भी करोड़ों रुपया दे दिया गया है और इसके अलावा अध्यापकों को भी बहुत सा रुपया दे दिया है । इस के अलावा हमारी तमाम योजनायें भी चल रही हैं । इसके साथ साथ ही हमारे साथी यह भी महसूस करेंगे कि इस सरकार ने कोई टैक्स नहीं लगाया और न घाटे का बजट ही बनाया है । इस समय जो थोड़ी राशि मांगी जाती है, मैं समझता हूं कि उसके मांगने का हक है और वह मिलनी चाहिये । नित्य नयी-नयी योजनायें चलती हैं । मिसाल के तौर पर मैं बताता हूं कि हिन्दी टाइप की मशीनों की व्यवस्था में ही करोड़ों रुपये व्यय होंगे । इन अनुदानों के सम्बन्ध में जो चीजें मांगी गयी हैं उनके अलावा कुछ मदें निश्चित रूप से बेकार रहीं । जसे हम आज यह महसूस करते ह कि कहीं पुलिसवाद, पी०ए०सी०वाद की व्यवस्था तो नहीं हो रही है ? जगह जगह पर पुलिस की व्यवस्थताओं पर पी०ए०सी० की बटलियनों को तयार करने पर जो नया रुपया खर्च करने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

की बात कही गयी है इस पर सरकार को दृष्टिपात करना चाहिये। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के बहुत से विभागों में छटनी का कार्य-क्रम चल रहा है। दूसरी तरफ दूसरे विभागों में नये नये आदमी नियुक्त किये जा रहे हैं। सरकार से मैं कहूंगा कि आज जो छटनी का कार्यक्रम चल रहा है निश्चित रूप से उसको रोकें, और जब तक न रोकें तब तक कम से कम दूसरे विभागों में नये-नये आदमियों की नियुक्ति को रोकें। जब छोटे छोटे कर्मचारियों को पर्याप्त मात्रा में भत्ता नहीं मिलता, उनको पर्याप्त वेतन नहीं मिलता या जब तक उनको पूरी पूरी सुविधाएं नहीं देते तब तक यह आवश्यक नहीं है कि नये-नये आदमियों की नियुक्तियां करें। जब मैं पूर्वगत बातों पर दृष्टिपात करते हुये इधर देखता हूं तो मुझे कोई विशेष परिवर्तन नजर नहीं आता। काश उन्होंने पुलिस का सुधार किया होता। आज हमारे जैसे आदमी महसूस करते हैं कि वही लम्बी लम्बी मोटरगाड़ियां, वही लम्बे लम्बे खर्चे। अगर उत्तर प्रदेश का कोई मन्त्री दिल्ली जाता है तो उसको लेने के लिए यहां से हवाई जहाज जाता है चाहे वह खाली ही जाय।

(इस समय २ बजकर ४ मिनट पर, उपाध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र पीठासीन हुये।)

शादी, विवाह और तिलक करने के लिए बड़ी-बड़ी गाड़ियों में मंत्रिगण चले जायं, मैं कहना चाहता हूं कि २० साल की परम्परा को दोहराने की व्यवस्था नौ महीने में निश्चित रूप से न की जानी चाहिये। मैंने सुबह प्रश्न किया था माननीय मुख्य मन्त्री से कि हमारी मान्यताएं रही हैं कि शान्ति व्यवस्था के नाम पर, पुलिस गोली नहीं चलायेगी, धारा १४४ नहीं लगायी जायगी।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय राकेश जी, जो आप इतना तेज बोल रहे हैं.....

श्री अश्वनीकुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

वह मैं महसूस करके बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर तेज बोलना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन लिखा नहीं जा सकेगा।

श्री अश्वनीकुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

मैं शब्दों के विकास को धीमा कर दूंगा अगर समय की अवधि विस्तृत हो जाय। समय की सीमा न बांधें आप। २० वर्ष की उन परम्पराओं को नहीं दोहराया जाना चाहिये। मैं निश्चित रूप से महससू करता हूं कि गोली लाठी की परिपाटी ठीक नहीं है। साथ ही साथ शान्ति व्यवस्था के नाम पर बिजली का रेट बढ़ा देना, निश्चित रूप से निन्दनीय है। मैं इसकी घोर निन्दा करता हूं। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि २० वर्षों की परम्पराओं जिनको दोहराते-दोहराते जबान पक जाती है। जब हमारे बनारसीदास जी खड़े होकर बोल रहे थे, तो मैं कहना चाहता था कि सूप तो सूप छलनी वर्षों बोले जिसमें ७२ छेद होते हैं। मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि वह केवल अपना रोना न रोयें। कुछ मौलिक काम करके दिखायें। जिस समय वे वक्तव्यों और मन्तव्यों को रखते हैं उस समय वे अपने समय की पूर्व परम्पराओं का ध्यान रख लिया करें। इनमें जो मदें हैं उनमें से यदि एक एक को देखा जायगा तो हम पाते हैं कि पहले की मदें यदि अचार-मुरब्बा होती थीं तो ये आज की मदों से नजासत और नफासत के डिपार्टमेंट चलाने का काम किया गया है। जिन बातों से जनता को शिक्षा मिलती है जिससे उसका स्तर ऊपर उठता है जिससे जनता का नैतिक उत्थान होता है, उन बातों की तरफ इन खर्चों में ध्यान दिया गया होता तो बहुत अच्छा काम हुआ होता।

[श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश']

एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि जिस दिन उत्तर प्रदेश में संविद की सरकार का जन्म हुआ था, प्रदेश के जन जन ने खुशियां मनाई गई थीं, दीपावली मनाई गयी थी, किन्तु आज हम जिधर जाते हैं तो विद्यार्थियों के ऊपर कहीं लाठी, आंसू गैस, गोली कहीं कर्फ्यू और धारा १४४ की बात सुनाई पड़ती है। यह इस सरकार के लिये शर्म की बात है कि निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई जायं और विचारों की अभिव्यक्ति करने वाले लोगों को पुलिस जुल्म का शिकार बनाया जाय। ऐसी बात नहीं कही जानी चाहिये कि ८-९ महीने का समय जो मिला वह समय बहुत कम मिला, यह समय किसी भी सरकार के लिये बहुत बड़ा समय हो सकता है। इतने समय में आमूल-चूल परिवर्तन हो सकता है। ऐसी स्थिति में मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो कुछ कहती है और करती है वह ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी इतना तो सबको मानना पड़ेगा कि इस सरकार में और पूर्व की कांग्रेसी सरकार में उन्नीस बीस का फर्क न होता तो इधर के लोग उधर हो गये होते। आपको यह देखना चाहिये कि चाहे मजदूरों का विवाद हो, चाहे सार्वजनिक निर्माण विभाग का विवाद हो आपको यह देखना चाहिये कि इनमें पहले से उन्नति हुई है या नहीं।

आज पुलिस तथा पी०ए०सी० का रोल तथा एडमिनिस्ट्रेशन उसी तरह का बना हुआ है जैसा पहले था, इसे भी आपको देखना है। आपको यह देखना है कि भाषा नीति और नौकरशाही लालफीताशाही कहीं वैसी ही तो नहीं पनप रही है जैसे पहले थी। ९ महीने के प्रशासन के दौरान स्वस्थ परम्परा देने की दिशा में हम बढ़े हैं, लेकिन मैं ऐसा महसूस करता हूं कि स्वस्थ प्रशासन देने की दिशा में हम एक कदम भी आगे नहीं चल सके हैं। केवल एक दो उच्च अधिकारियों को मुअत्तल कर देना ही यदि काफी है तो मैं कहूंगा कि आप तहसीलों और विकास क्षेत्रों में जाकर देखें जहां भ्रष्टाचार का नंगा नाच आज हो रहा है। मैं आपसे चाहूंगा कि आपका भविष्य का बजट प्रदेश की जनता की भावनाओं से अभिप्रेत हो और आप ३३ सूत्री कार्यक्रम को क्रमवार पूरा करने का प्रयास करें, जिससे कि भविष्य की योजनाओं में इन लोगों को कुछ कहने का मौका न मिले। जिस समय हम लोग विधान सभा के प्रांगण में आये थे तब हम महसूस करते थे कि हम विधान सभा में मजदूरों, अध्यापकों, विद्यार्थियों तथा दूसरे वर्ग के लोगों की भावनाओं को उठा सकेंगे उन्हें गुंजरित कर सकेंगे लेकिन आज वह हो नहीं पा रहा है। मैं अपने साथियों से कहूंगा कि वे अपनी पूर्व परम्पराओं से थोड़ा विचलित हो जायें तो अच्छा होगा और यह भी कि कम से कम अपने को ही आलोचना का विषय न बना लें। मुझे तकलीफ तो इसी बात की है कि हम सरकार पक्षीय लोग हैं किन्तु डंडे भी हमी खाते हैं, पी०ए०सी० की चोटें हमीं पर होती हैं जेल में हमीं ठूंसे जाते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि अपने साथियों से कि क्या वे अपनी अन्तश्चेतना में वह हूक रखते हैं, क्या हम गरीबों की गरीबी की तरफ जागरूक रहते हैं, अगर यह होता तो हमने अपने चारों तरफ कोने कोने में प्रदेश के एक वातावरण खड़ा कर दिया होता। गुप्ता जी तो गणतन्त्र, जनतन्त्र, लोकतंत्र तथा प्रजातन्त्र और न जाने कौन कौन तन्त्र की बातें कर गये लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर प्रदेश का किसान, प्रदेश का मजदूर भूखा मरता है, प्रदेश के विद्यार्थियों पर लाठी का गोलियों का प्रहार किया जाता है और वह सब होता रहता है और जनता के नुमाइन्दे यहां बैठे रहेंगे तो निश्चित रूप से जनतंत्र की जड़ पर कुठाराघात होगा। अगर वह जनता की दुखदर्द भरी हुई आवाज को विधान सभा के प्रांगण में गुंजा नहीं सकते तो हम सब बिल्कुल अपने कर्तव्यों से च्युत होंगे। यह मैं समष्टिगत बात कहता हूं व्यक्तिगत बात नहीं है कि अगर प्रकारान्तर से आप कोई अन्य प्रस्ताव, कोई अन्य सुझाव प्रस्तुत करें और बतावें कि कहां कहां पर गड़बड़ियां हैं, कहां कहां क्या क्या होना चाहिये था और वह नहीं हुआ तो ठीक होता लेकिन मैं निवेदन कर दूं कि हमारे वह साथी भी जो आज सरकार चलानेवाले हैं उन से भी कहना चाहता हूं कि यह सही है कि अगर १९-२० का फर्क होगा तो परिवर्तन होगा ही लेकिन हमारा भी कर्तव्य है कि हम सरकार को आगाह करते रहें और उन तमाम चीजों के लिये सरकार को प्रेरित करते रहें, जरा जल्दी से यहां से बाहर की चहारदीवारी के बाहर भी निकलें कि वहां किन भावनाओं

को लेकर जनता ने उनको प्रतिनिधि बना कर वहां भेजा है और २० सालों की सड़ी हुई व्यवस्था जो चलती रही थी उसको आज भी चलन देते हैं जिसको तोड़ने के लिये हमें जनता ने यहां भजा है तो हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं। अगर २० परसेंट यह सरकार बिजली का रेट बढ़ाती ह उसका भी हमको विरोध करना है जैसा कि हमने जब कांग्रेस गवर्नमेंट न १ रुपया ९९ पैसे में घनश्यामदास बिड़ला से समझौता और वह एक साल, दो साल के लिये नहीं बहुत आगे आनेवाले सालों के लिये किया है, उस समय जैसा उनका विरोध किया था आज भी हम उसी तरीके से २० परसेंट बढ़ोत्तरी की बात का विरोध करते हैं, लेकिन यह जरूर कहूंगा कि वह व्यवस्था जिसको हमने हटाया था उसमें हम जैसे लोग दुर्बल से दुर्बल होते गये और बिड़ला जैसे लोग मोटे स मोटे होत गये उसको हमने समाप्त किया है और आज जब पहलू बदल चुका है तो जितने भी हमार साथी हैं कम से कम उन परम्पराओं को अख्तियार न करें, बल्कि उन परम्पराओं के वे तोड़क सिद्ध हों और इस सरकार ने जो परिवर्तन किये हैं अच्छे किये हैं उनकी सराहना करें अगर कुछ नहीं हुआ है तो उसकी आलोचना करें और स्वाभाविक अन्तश्चेतना के आधार पर अनुभव करें कि जो कुछ हो रहा है क्या वह शुद्ध और समय की आवश्यकता के अनुरूप हो रहा है? आज जो सरकार चलाने वाले साथी हैं वे भी जरा समय की पुकार समझकर और पूर्व की विडम्बनाओं को देखकर, और नयी परम्पराओं और नयी मान्यताओं को जन्म देते हुये आगे बढ़ें जिससे आलोचना और प्रत्यालोचना का विषय भी यदि आवे तो उसको भी सम्पादित करत हुये हम आगे बढ़ सकें।

अन्त में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं उनके लिये मेरे हृदय में बड़ा सम्मान, बड़ा आदर, बड़ा गौरव है लेकिन मैं यह सोचता हूं कि हम आज जा किधर रहे हैं। चन्द्रभानु गुप्त जी, बनारसीदास जी, यह सब हमारे बाबा और चाचा के उम्र के ह अगर वे मुझ सही रास्ते पर चलत हुये नजर आते तो उस परम्परा के अनुसार हम आज बिखरे हुये नजर न आते। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से बनारसीदास जी से यह निवेदन कर। चाहता हूं कि आज हम सभी साथियों को उन सभी बातों को समझने की जरुरत है कि ऐसा क्यों हुआ। ऐस न हो कि इस कुर्सी की भागदौड़ में लाभ की आशा करके और भी अधिक हानि का मुंह न देखना पड़े। अगर प्रभुनारायण सिंह जी या वर्मा जी दिल्ली में गिरफ्तार हुये या हिन्दी का सवाल अगर यहां उठा तो उस पर सही रूप स वास्तविक स्थिति को देखकर आलोचना करनी चाहिये। २० साल के अन्दर जो अनुभव हुआ उसको सामने रखकर कोई आलोचना करनी चाहिये। इसी दृष्टि को सामने रखकर इस प्लान की आलोचना होनी चाहिये तभी देश और प्रदेश का भला होगा और ज्यादा बेहतर होगा।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुपूरक अनुदान का घोर विरोध करता हूं। मेरे घोर विरोध करने का कारण बहुत बड़ा है। जो हमारे पुराने साथी सामने बैठे हैं उनको देख कर मुझे आश्चर्य होता है कि उन्होंने किसानों के लिये क्या किया है। उन्होंने पिछले नौ महीने के अन्दर कुछ भी किसानों के लिये नहीं किया है। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि वे सचमुच ठंढे दिल से सोचें कि जो कुछ उन्होंने किया है वह किसानों की भलाई के लिये किया है या किसानों की बुराई के लिये किया है। एक उदाहरण मैं उनके सामने रखना चाहता हूं। जहां तक सिंचाई के साधनों का प्रश्न है सिंचाई की दर पिछले ९ महीनों के अन्दर कितनी बढ़ी है यह सब को जाहिर है। सवाई दर बढ़ाकर किसानों के लिये अपकार किया है या भलाई की है वह बड़ा भारी प्रश्न है? साथ ही साथ जो नीति निर्धारित की गई कि २० रुपया फी एकड़ देने के बाद ही सिंचाई के लिये टयूबवल से पानी मिलेगा यह क्या उचित है? क्या यह किसानों के लिये और उनकी फसल के लिये उचित है? मैं जानना चाहता हूं कि जो पुराने साथी हैं और सामने बैठे हैं वे भी पुराने किसान हैं। उन्होंने भी किसानों के साथ न्याय नहीं किया है। जो सिंचाई की दर बढ़ी और बिजली की दर बढ़ी और उसमें परिवर्तन हुआ और साथ ही बिजली की लाइन के लिये आमूल

[श्री धनुषधारी पांडेय]

परिवर्तन कर दिया गया है। बगैर पैसा दिये उनको लाइन नहीं मिलेगी। किसानों के लिये इस सरकार ने यह किया है। आज बड़ी डींग मार रहे हैं कि किसानों के लिये यह किया गया है और वह किया गया है। सर्व श्री विकल जी, महीलाल जी और यादव जी सामने बैठे हुये हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या उनके रहते हुये यह तय नहीं किया गया और उस समय वे कैबिनेट के अन्दर नहीं थे कि किसानों से इतना बढ़ाकर लिया जाय ? यह किसानों के साथ बड़ा जुल्म हुआ है। क्या यह उनक कैबिनेट में रहते हुये किसानों के लिये उचित हुआ है ? अगर यह उचित नहीं है तो फिर कैसे यह हो गया यह देखकर मुझे आश्चर्य होता है।

इसके साथ साथ मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो मन्त्रिमंडल के लोग यह कह रहें हैं कि विद्यार्थी जो कर रहें हैं वह अच्छा कर रहे हैं। दूसरी तरफ उनक ऊपर डंडे बरसाये जा रहे हैं। बस्ती में ११ दिसम्बर को डिग्री कालेज के विद्यार्थी अपने कालेज से जलूस निकालना चाहते थे। उनको जुलूस निकालने नहीं दिया गया लकिन टोपीधारी पुलिस के जवान वहां पर कालेज के अन्दर घुस गये और विद्यार्थियों को मारना शुरू किया। उसके बाद विद्यार्थी वहां से भागे। वे भागकर सेक्सरिया कालेज में पहुंच जाते हैं। वहां पर बच्चे परीक्षा दे रहे थे। उस समय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एस० पी० और सिटी मैजिस्ट्रेट अन्य अधिकारियों के साथ वहां पहुंचते हैं और जब वह कालेज में घुसते हैं तो वहां विद्यार्थी परीक्षा देते रहे। वहां पहुंचते ही पुलिस अधिकारियों ने प्रधानाचार्य को मारना शुरू कर दिया प्रधानाचार्य एस० पी० से मिलाने के लिये हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन उस पर डंडा पड़ता है और इस के साथ ही सहायक अध्यापकों को घसीट कर डंडे मारे जाते हैं। आप सोचिये कि जब विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हों उस समय अध्यापकों पर डंडे पड़ें यह कहां तक उचित है ? अभी हमारे मालमंत्री जी बस्ती गये थे, मैं उनसे मिलने की बात सोचता था किन्तु कई कारणों स नहीं मिल सका। जिलाधीश की, एस० पी० की मौजूदगी में एक कालेज का प्रिंसिपल मारा जाय तो इस व्यवस्था में शिक्षा संस्थायें कैसे चल सकती हैं ? बच्चों के सामने प्रधानाचार्य और अध्यापकों को पीटा जाय, जो कि निर्दोष हैं, इस प्रकार की जो घटना हुई है मैं चाहूंगा कि उस की जांच की जाय और यदि उनको दोषी पाया जाय तो उनको हटा दिया जाय। किन्तु निर्दोश बच्चे, जो परीक्षा दे रहे हों, मारे जायं तो इस प्रकार शिक्षा संस्थायें कैसे चल सकती ह ?

इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहता हूं कि हमारे बस्ती जिले के खलीलाबाद में एक इंडस्ट्रियल इस्टेट है। वहां बस्ती इंडस्ट्रियल कारपोरेशन, खलीलाबाद, के नाम से एक संस्था है जिसको स्टेन लेस स्टील का कोटा मिला हुआ है। दो बार उनको २०, २० टन का कोटा मिल चुका है, लेकिन वह कोटा वहां न पहुंच कर कानपुर और बम्बई में ही बिक जाता है। इस तरह से ६ लाख रुपयों का गड़बड़घोटाला उस संस्था ने वहां पर किया है। मैंने इंडस्ट्रीज मिनिस्टर को इस मामले के लिये टेलीग्राम भी किया और उस की कापी चीफ मिनिस्टर और इंडस्ट्रीज सेक्रेटरी को भेजी, लेकिन उस की कोई जांच आज तक नहीं की गयी। उस के कारखाने में एक भी मशीन नहीं लगी है और ६, ६ लाख का ब्लैक कर के ४५ रुपये के हिसाब स उस का माल वहां बेचा जाता है जब कि ८ रुपये के हिसाब से कंट्रोल के रेट से वह उनको मिलता है। अगर रिश्वत में कोई गरीब कमचारी पकड़ा जाता है तो उसकी सौ रुपये की नौकरी ले ली जाती है। यह जांच इसलिये नहीं की जा रही है कि हमारे इंडस्ट्रीज मिनिस्टर की उनसे सांठ-गांठ है। मैं चाहता हूं कि इस की जांच विजिलेंस से करायी जाय। म विकल जी से निवेदन करूंगा कि वे इस बात को नोट कर ले और इंडस्ट्रीज मिनिस्टर का ध्यान इस ओर दिलाये।

इसके साथसाथ मैं चकबन्दी की ओर भी आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं। कुछ संस्थाओं में ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कि सी० ओ० के पास जाकर उसे आदेश देते हैं कि इस केस में इस तरह से फैसला कीजिये। अभी पिछले दिनों बस्ती में एक चकबन्दी की मीटिंग हुई थी जिस में एक सी० ओ० ने कहा था कि उस के पास एक पत्र आया था और उस का हवाला देते हुये उस ने कहा

डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से कि यह सरकार कैसे चल सकती है जबकि हमें इस प्रकार के पत्र मिलते हैं। इस तरह की परिस्थिति में सी० ओ० और ए० सी० ओ० निष्पक्ष रह कर काम नहीं कर सकते। मैं समझता हूं कि बस्ती जिले में चकबन्दी का काम काफी सुन्दर तरीके से हो रहा है, लेकिन इस प्रकार की संस्थाओं के जो कार्यकर्ता हैं, जो अपने को जनसेवक समझते हैं और कोर्ट में पहुंच कर मुकदमों के फैसले अपने मुताबिक कराते हैं, इस व्यवस्था को रोका जाना चाहिये। इस प्रकार से वहां चकबन्दी निष्पक्ष रूप से नहीं हो सकती।

इन अन्य बातों के साथ हुजूरवाला में एक और बात आप के सामने रखने जा रहा हूं। हमारे यहां जिलाधीश मिर्जापुर से भेजे गये थे। उस की बाबत अखबारों म निकला था कि उनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है। जब उनकी इंक्वायरी हो रही है तो वे बस्ती में जिलाधीश बना कर कैसे भेजे जा सकते हैं? लेकिन इसके साथ ही यह भी ठीक है कि उन को कुल १६९ रुपये वेतन मिलता है। ऐसा जिलाधीश कैसे जिलाधीश का काम कर सकेगा, कैसे ईमानदारी से काम कर सकेगा, इसे आपको देखना है। यह तो आप के माननीय चौधरी चरण सिंह का राज्य है। मैं उनकी कदर करता हूं। वह ईमानदार हैं, जहां कदम उठा सकते हैं, उठाते हैं लेकिन उनके रहते हुये उनकी गाड़ी नहीं चल रही है। जो वहां आज हैं जिलाधीश पहले तो वह किसी दूसरे के रिश्तेदार बनते थे, अब श्री रामप्रकाश जी के रिश्तेदार बनकर मनमानी कर रहे हैं। उनकी इंक्वायरी हुई थी, कागजात जाने कहां पड़े हुये हैं। उनके जिलाधीश बस्ती रहते हुये पता नहीं माननीय चरण सिंह जी कैसे डींग मारते हैं कि मैं बड़ा अच्छा शासक और न्यायप्रिय हूं।

मैंने राकेश जी का भाषण सुना। एक तरफ कहा गया कि विद्यार्थी अच्छा काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ पुलिस डंडा मारती है। क्या यही ईमानदारी है और उनको ईमानदार कहलाने का हक पहुंचता है? उनको तो तत्काल कदम बढ़ा करके विद्यार्थियों के साथ चलना चाहिये या मंत्रिपद से हट जाना चाहिये। एक तरफ ललकारें और दूसरी तरफ डंडा बजावें, क्या यही शासन है?

हुजूर वाला, इतना ही नहीं। मैं सोचता था कि माननीय मंगलदेव जी बहुत गरीब घर के हैं, पिछड़े हुये क्षेत्र के हैं, उन पर निर्माण विभाग का भार है, ये आयेंगे तो पिछड़े हुये क्षेत्र का काम करेंगे। आज बजट देखें तो उसमें कहीं नाम ही नहीं है बस्ती का। न सिंचाई विभाग में कुछ मिला, न न्याय में, न शिक्षा में, कहीं कुछ नहीं मिला। वैसे बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ को पिछड़े हुये जिले बतलाते हैं। आखिर कब तक ये पिछड़े रहेंगे। गरीब घर के आदमी से तो बड़ी आशा थी कि वह गरीबों पर जो जुल्म हो रहे हैं उनसे उनकी रक्षा करेंगे। वहां ऐसे क्षेत्र हैं बस्ती में जहां ६ महीने एक दूसरे से लोग मिल नहीं सकते हैं। वहां दवा–दारू का, शिक्षा का प्रबन्ध नहीं हो सकता है, लेकिन हुजूर वाला उधर ध्यान नहीं गया माननीय मंगलदेव जी का जो बड़ी डींग मारा करते हैं कि मैं हरिजन परिवार का हूं, आजमगढ़ का हूं जो कि एक बहुत बड़ा नमूना है गरीबी का गोरखपुर डिवीजन का। लेकिन हम देखते हैं कि जितना रुपया है वह केवल ५–६ जिलों में बांटा हुआ है। भले ही मेरी बातों को कड़ी निगाह से देखते हों, मेरे साथी जो उधर बैठे हैं लेकिन उनकी भी आवाज यही है। मैं कहना नहीं चाहता लेकिन चाहे इधर बैठे हों या उधर जो बस्ती, देवरिया, आजमगढ़ क्षेत्रों से आते हैं उन सब की एक ही आवाज है। ये जिले छठवें या सातवें अंश के हकदार हैं लेकिन बीसवां अंश भी नहीं मिलता। मैंने उनसे निवेदन किया था कि एक सड़क जो जाती है अयोध्या से जनकपुर को बिहार में इस राम–जानकी सड़क को मिलाने के लिये सन् ६१ में गुप्ता जी ने ५२ लाख रुपया मंजूर किया था लेकिन वह सड़क कटते-कटते आज तक उसकी ओर निगाह सरकार की नहीं गयी है। पर जिन जिलों में सड़कों के ऊपर सड़क और पुलों के ऊपर पुल हैं वहां पैसा दिया गया है। तो आपका ध्यान मने निर्माण विभाग, कृषि विभाग और पावर विभाग की ओर भी दिलाया हरिजन शिक्षा विभाग की ओर भी दिलाया, लेकिन इतना कहने के बावजूद मैं देख रहा हूं कि सबसे बड़ी आवश्यकता यह है, मैं फिर दोहराऊंगा कि जिलाधीश के बार में मेरी मांग है कि यदि

[श्री धनुषधारी पाण्डेय]

माननीय चौधरी चरणसिंह को गर्व है अपनी ईमानदारी और शासन का और पहले तो मैं भी गर्व करता था, आज भले ही उधर बैठे हैं, लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि वह उस फाइल को निकलवायें और किसी का रिश्तेदार होने के नाते और रिश्तेदारी के दबाव में शासन को बरबाद न होने दें। १६९ रुपये जो पाता है वह जिलाधीश के पद पर कैसे रहेगा। मैंने तो इतना बड़ा घूसखोर कभी देखा ही नहीं। मैंने इन्डस्ट्रियल स्टेट खलीलाबाद के बारे में कहा, जिलाधीश के बारे में कहा, सिंचाई के बारे में कहा, सड़कों के बारे में कहा, मुझे आशा है यह सरकार उन पर ध्यान देगी। इन शब्दों के साथ में इस अनुपूरक बजट का घोर विरोध करता हूं।

स्वामी ब्रह्म नन्द (जिला मिर्जापुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार शिरोधार्य कर रहा हूं कि एक दीन और पिछड़े हुये जन पद के एक साधारण प्राणी को आपने कुछ समय प्रदान किया। इसके पूर्व लगभग फरवरी में पहली बार कुछ थोड़ा सा प्रवचन हमारे जिले की परिस्थिति के बारे में हुआ था। आज मुझे आपकी कृपा से कुछ अवसर वहां के विषय में कहने का मिलने जा रहा है। यदि अनुचित न हो तो मैं यह कहूंगा कि आज वर्तमान लोकतंत्र की प्रणालियों में कुछ संदेह होने लगा है। प्रत्येक क्षेत्र अपने विधायकों को चुन कर यहां अपने जिले की परिस्थिति बताने एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिये भेजा है किन्तु कितने लोग अपने अपने क्षेत्र की स्थिति को सरकार के कानों तक पहुंचा पाते हैं यह आपको विदित है।

"नैव राज्यं राजा" सीत, न दन्डो नच, दान्डिकः
धर्मेणैव प्रजाः सर्वाः रक्षन्ति स्म परस्परम्।"

हमें लोकतंत्र को समझना पड़ेगा, उसकी वास्तविकता को समझना पड़ेगा।

महोदय, माननीय विकल जी, माननीय नेता सदन, माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय उद्योग, मंत्री, माननीय झारखंडे राय, सभी व्यक्ति मिर्जापुर की स्थिति को भलीभांति जाकर देख आये हैं। मुझे तो बड़े संकोच और भयपूर्वक कहना पड़ रहा है कि जिस क्षेत्र की जनता के प्राणों को अनुप्राणित करने के लिये, उनके जीवन यापन के लिये करोड़ों रुपया बहाया गया, जिनके लिये अभी अभी तकाबी के द्वारा बीज बोने की व्यवस्था की गयी, जिस जन पद के लिये आप यह सब कर चुके हैं उसी जन पद के ऊपर आज २–३ वर्ष पुरानी तकाबी, बकाया लगान, वर्तमान लगान, और उसके साथ ही साथ—

'ग्रह ग्रहीत पुनि वात बश तेहि पर बीछी मार,
ताहि पियाइय बारुणी कहहु कौन उपचार।

वहां आपने राशनिंग बन्द कर दी मिर्जापुर की जो एरिया गंगा की तलहटी में हैं उनके सैकड़ों गांव बाढ़ में जलमग्न हो गये लेकिन वहां राशनिंग बन्द कर दी गयी। उनके ऊपर यह उपकार किया है, उनकी यह सेवा की है। इसलिये मैं यहां भाषण देने के लिये नहीं आया हूं, श्रवण करने के लिये आता हूं। यहां की पद्धति और प्रणाली के बड़े बड़े माहिर हैं, उनको सुनने की ख्वाहिश रखता हूं और इसी विश्वास के बल स आता जाता रहता हूं कि अवश्य वह मुहूर्त आयेगा जब हमारी सरकार इस जनपद के लिये उचित व्यवस्था करेगी। इसी विश्वास से अनुश्यूत होकर मैं आश्वस्त हूं और शांति की सांस ले रहा हूं। आपके माध्यम से और सदन के प्रत्येक सदस्य के माध्यम से मैं यह प्रार्थना करता हूं कि इस प्रदेश के जितने भी पिछड़े क्षेत्र हैं जो जो एरिया अभावग्रस्त है, सूखा ग्रस्त है, साथ ही साथ लेवी ग्रस्त है, उन क्षेत्रों के लिये सब लोगों को एक मत से, सहयोग पूर्वक जनता को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिये अपनी आवाज को बुलन्द करना चाहिये, सरकार के सामने प्रार्थना करनी चाहिये। यह राजनीति है किसी समय हम उधर बैठते हैं, किसी समय इधर बैठते हैं किन्तु हम प्रदेश के हित के लिये ही सब काम

करते हैं अतः आपके माध्यम से मैं सरकार से पुनः प्रार्थना करता हूं कि मिर्जापुर, इलाहाबाद और बनारस को जो बाढ़ ग्रस्त, सूखा ग्रस्त एरिया है, उनकी ओर सरकार की सहानुभूति होनी चाहिये। अन्त में मैं आपका आभार प्रदर्शित करता हूं और बधाई देता हूं।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं। यों तो सप्लीमेंटरी बजट पास हो ही जायगा। मैं ऐसा समझता हूं कि माननीय मित्रों ने गत वर्ष जिस जोशखरोश के साथ अपने १९ सूत्री कार्यक्रम पर वोट दिया था, वह उसको भूल गये, मैं खासतौर से उन मित्रों से कहना चाहता हूं जो ईमानदारी से समझते हैं कि उसको पूरा करना है। क्योंकि मैं समझता हूं कि उनमें कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो यह समझते होंगे कि उनको पूरा करना है, भले ही कुछ समझते हों जब अपना वायदा पूरा नहीं करते तो हम भी क्या करें। लेकिन मैं समझता हूं कि कुछ दूसरे ऐसे जरूर हैं जिन्होंने सोच समझ कर १९ सूत्री कार्यक्रम बनाया होगा। उसमें सवा छै एकड़ तक के काश्तकारों की मालगुजारी को माफ करने की बात थी। मैं यह भी समझता हूं कि कुछ दलों ने बड़ी ईमानदारी से सवा ६ एकड़ वाली बात पर जोर डाला कि मान ली जाय, लेकिन साथ ही बहुत मजबूती से कुछ लोगों ने उसकी मुखालफत की। वह १९ सूत्री कार्यक्रम की बात भूल गये। वह छाती पर हाथ रखकर सोचें। कुछ लोगों ने सत्याग्रह और सरकार छोड़ने की धमकी भी दी, उन्होंने कुछ किया और वह सदन की बधाई के पात्र हैं। इस सरकार से मैं फिर कहूंगा कि वह अपने समय में एक काम तो पूरा कर दे। मेरा उनसे निवेदन है कि इस काम को पूरा कर के चाहे १७ काम पूरे हों या न हों कम से कम २ काम तो पूरे हो जायं। एक पूरा हुआ है एक और पूरा हो जाय, तो २ तो ९ मास में हो जायंगे। अब तो दूसरा बजट भी आने वाला है।

मुझे इस सरकार से यह भी आशा थी कि उसका ध्यान कुछ गरीबों की तरफ अधिक जायगा। मैंने देखा कि कुछ लोगों का नाम ले लिया था कि उनकी भूख से मृत्यु हुई और उससे ही मैं बड़ा झूठा और गड़बड़ करने वाला आदमी माना जाने लगा और मुझ से कहा गया कि २ साल तक तुम भी मंत्री रह तुमन यह सब क्यों नहीं किया। एक वक्त सूखा बाढ़ आती है तो सदा उसकी चर्चा कैसे करें। आज मैं फिर कहूंगा कि सारे सूबे में कहीं बाढ़ आई और कहीं सूखा भी हुआ लकिन पूरे सप्लीमेंटरी बजट में सूखे मे सहायता का कहीं एक रत्ती भी जिक्र नहीं है। एक आवाज उधर से आ रही है कि सूखा कहीं पड़ा ही नहीं। बड़ी खुशी है कि उस पर ऊइल जो कबूल कर रहे हैं कि सूखा पड़ा। मेहरबानी कर के श्री बाबू बदरे को समझाइये। मैं अपने मित्रों से कहूंगा कि श्री चतराम जी उधर बैठे हैं और वह तो मुख्य मंत्री जी तक को नहीं छोड़ते हैं लेकिन वह कृपा करके मुझे न टोंके तो अच्छा है। वह बड़े निर्भीक नौजवान आदमी हैं और अपने ही दल के नेता पर वह प्वाइन्ट आफ आर्डर उठाते हैं। मैं तो उनकी निर्भीकता की प्रशंसा करता हूं, वह हमें भी डांट दें लेकिन हमारी बात तो सुनें। दो तीन बातों की तरफ मैं सदन का ध्यान दिलाऊंगा।

पहली बात यह है कि इस सप्लीमेंटरी बजट में और अपनी ९ मास की रिजीम में खेतिहर मजदूरों के विषय में कोई जिक्र नहीं आया। खेतिहर मजदूरों की मजदरी का जो कानून था वह कई साल पहल हमने एक कमेटी में बैठ कर थोड़े संशोधन उसमें किये थे, वह हमारी २० साल की बात कहते हैं वह ठीक है लेकिन हमें इस ९ मास वाली सरकार से आशा थी कि वह खतिहर मजदूरों की तरफ ध्यान अवश्य देगी और उनका नाम लेगी। आज आप उधर प्रसोपा, संसोपा और सारी पार्टियों की ताकत के साथ बैठे हैं में आपको आज उलाहना देता हूं कि आप के मुख से अब खेतिहर मजदूर का नाम नहीं निकलता है। मैं चाहता हूं कि खेतिहर मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि की जाय, आप को अधिकार है आप कानून में संशोधन कीजिये लेकिन वह सारी बातें इन पेटी बुरजुआ के लटके में चली जा रही है। राकश जी ने बहुत अच्छी बात कही है अगर मेरे मित्र उन की बात सुनते तो उनकी आंखें खुलतीं। यह कहां की बात है कि अगर २० साल तक हमने नालायकी की तो आप भी नालायकी करेंगे ?

[श्री गेंदासिंह]

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश म एक बड़ा भारी खेती उद्योग है गन्ने का। आज गन्ने की कीमत के लिये कुछ भ्रांति है। यहां पर कई मित्रों ने कहा है कि भारतीय सरकार की गल्ती के कारण हमें उचित कीमतें नहीं मिल रही हैं। भारत सरकार ने २ रुपया ७५ पैसे करने के बाद भी यह कहा था कि स्टेट की सरकार यदि किसानों की मदद करना चाहती हैं तो ऊंची से ऊंची कीमत दिला सकती ह और मैं अपन मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, कि उन्होंने कुछ किया, लेकिन यह बात जरूर है कि उसमें रीजनल स्पिरिट है। मेरठ में चैम्बर्स आफ कामर्स ने बड़ा दबाव डाला कि गुड़ पर पाबन्दी लगा दें, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं नहीं लगाने वाला हूं। गुड़ क ऊपर पाबन्दी नहीं लगी और उसका नतीजा यह हुआ कि आज गन्ने का दाम १७ और १८ रुपया प्रति क्विन्टल हो गया। बदकिस्मती जो इसमें हुयी वह यह कि हमार मुख्य मंत्री जी ने लखनऊ से आगे पड़ने वाले पूर्वी जिलों, सीतापुर और लखीमपुर खीरी आदि जिलों के लिय कुछ नहीं किया। उन्हें सारे प्रदेश के हर हिस्से को यह समझना चाहिये कि उनका ही ह। इसम, श्रीमन्, मुझे शिकायत है। उन्होंने जो देवरिया में साढ़ चार रुपये प्रति मन गन्ने क़े दाम निर्धारित किया यह ठीक नहीं किया। पच्छिम या पूरब कहीं २२ दिसम्बर से पूर्व क्रशर्स को चलाने की परमिशन भी नहीं दी, इससे भी किसानों को असुविधा हुयी। इससे उन्होंने मिल मालिकों के मुआफिक कदम उठाया है। माननीय दिघे जी ने फरमाया कि पूर्वी जिलों में क्रशर्स को लाइसेंस भी देने की कोताही की गयी। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर ये लाइसेन्स दिये जाते तो आज सरकार की मदद की जरूरत न पड़ती। आज हड़ताल की नोबत ही न आती। माननीय उद्योग मंत्री का जो बयान अखबार में छपा है उससे स्पष्ट होता ह कि यहां से सरकार ने भारतीय सरकार को सिफारिश की है कि वे ४ रुपये गन्ने का दाम कर दें और सारी चीनी को छूट दे दें। सारी चीनी नियंत्रण के बाहर हो जाय, लेकिन भारतीय सरकार ने यह पसन्द नहीं किया और २ रुपये ७५ पैसे गन्ने का न्यूनतम दाम कर दिया है लेकिन ६० प्रतिशत चीनी के लिये यह शर्त लगा दी ह कि भारत सरकार ले लेगी और ४० प्रतिशत को मिल मालिक खुले बाजार में बेचगे और उससे जो मुनाफा मिल उसे काश्तकार बांट लें। दूसरी स्टेट गवर्नमेंट्स ने हाथ डाला था। क्या मैसूर प्रदेश की सरकार, क्या महाराष्ट्र प्रदेश की सरकार, सबने हाथ डाल कर यह कहा था कि किसानों को अधिक कीमत मिलनी चाहिये। हमारे सूबे में भी यदि गुड़ की पाबन्दी के कारण मेरठ और सहारनपुर के किसान अपना गन्ना १८ रु० प्रति क्विन्टल के हिसाब से बेच सकता है को पूर्वी और मध्यवर्ती जिलों के किसानों ने क्या कसूर किया है कि वे सरकार की मदद स वंचित है? श्रीमन्, आपको स्मरण होगा पटेल आयोग और अशोक मेहता फूड इन्क्वायरी कमटी न यह कहा था कि सर्वे के उपरान्त उनके विचार में ये १५–२० पूर्वी जिले दरिद्र है, ५८ जिलों में से। इन २२ जिलों में ये फैक्ट्रीज लगी हुयी हैं जो भारत सरकार के सर्वे के अनुसार आर्थिक क्षेत्र में सबसे नीचे हैं। तो आज सरकार क्या कर रही है। किसानों के हड़ताल की तो सरकार की तरफ से केन कमिश्नर और उनकी सारी फौज पड़ी गन्ना सप्लाई कराने के लिये। मैं उम्मीद नहीं करता था ऐसी। वहां की कन यूनियने हैं उन यूनियनों का जो सबसे बड़ा सदर है वह केन कमिश्नर है वह केन यूनियनों की परवाह न कर के सप्लाई करा रहा है। कमर टूट गयी किसान की। माननीय मुख्य मंत्री से कहा कि आप इस मामले में बीच में पड़िये, और जहां एक तरफ १७ रु० क्विन्टल किसान को गन्ने का दाम मिल रहा है वह हमारी तरफ १२ रु० क्विन्टल मिलता है तो यह गलत बात है। चीनी जब कि दोनों क्षेत्रों की एक ही दाम पर बिकी। इसलिये दोनों को बराबर दाम मिलना चाहिये। सरकार ने अगर यही किया होता कि जो रकम मिलेगी वह डेवलपमेंट के काम में खर्च की जायेगी, या सरकार के खजाने में जायगी तो भी संतोष होता। लेकिन सरकार में ताकत नहीं है। कानून बन गया कि फलां किसान फलां फैक्ट्री को गन्ना देगा। दूसरी फैक्ट्री को अगर गन्ना देगा तो जेलखाने जायगा। मैं आपसे कहता हूं कि कन परचेज एक्ट पढ़िये। तो हम को बारगेन करने को कहा जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि महरबानी करके गरीब किसान की मदद कीजिये जिसके लिये संकल्प करके आपने

वह कुर्सी सम्हाली थी। कल ऐडजर्नमेंट मोशन की शक्ल में मैंने इस प्रश्न को रखा था, जो केवल वक्तव्य के लिये और सवाल जबाव करने के लिये माननीय अध्यक्ष ने मंजूर किया है कल वह आयेगा और मजाक होगा किसानों का। मैं कहना चाहता हूं कि २५ लाख किसान जो गन्ना सप्लाई कर रहे हैं उनका मजाक नहीं होना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि सरकार उनकी तरफ ध्यान देगी जिससे वे अपना ड्यू शेयर पा सकें।

मैं एक अपील करना चाहता हूं कि मालगुजारी वाली बात के सिलसिले में। मैं यह समझता हूं कि जो गरीबों का विरोध करने वाले लोग हैं सरकार के, वे सचत हो जायें, यह मालगुजारी वाला प्रश्न ऐसा है कि इस पर, जसे १९ सूत्री कार्यक्रम को स्वीकार न करने के इल्जाम में हम निकाले गय थे, यह सवा ६ एकड़ वाला मालगुजारी का प्रश्न ऐसा है कि आप को भी वह कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। अखबारों में बड़ी चर्चा थी कि यह रुपया जो इकट्ठा होगा वह गरीब किसानों की मदद के लिये जायेगा, लेकिन उसका कोई प्रोग्राम इस बजट में नहीं है। पटल कमीशन, अशोक मेहता फूड ग्रेन इनक्वायरी कमेटी ने कहा है कि इन १५ जिलों को ऊपर उठाओ। उस दिशा में थोड़ा कुछ काम शुरू हुआ। लेकिन साल दो साल पटेल कमीशन चल पाया था इत्तफाक से दूसरी सरकार आयी और उसके आने के बाद, जैसा माननीय फूल सिंह ने बताया, उसने क्या क्या किया। मैं माननीय रामस्वरूप वर्मा जी से कहना चाहता हूं सोशलिस्ट होते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि वह थोड़ा गरीब आदमी को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। अगर वह लकीर पीटेंगे, जिस का इल्जाम हम पर लगाते हैं तो परिणाम भी भोगने के लिये तैयार रहें। उससे एक रत्ती आगे आप को जाते हुये नहीं देखता हूं। हां, इतना जरूर हुआ कि जो बिजली मिल पाती थी, जो पानी मिल पाता था उसमें कुछ विघ्न डाल दिया, माइनर इर्रीगेशन में ढील डाल दी। जिन कामों से छोटा किसान आगे बढ़ सकता था उन सारे कामों में बाधा आप ने डाली। मैं किसी के हवाई जहाज या मोटर से चलने का विरोधी नहीं हूं, लेकिन घूम कर देखें कि गरीब आदमी क्या पा रहा है उसकी क्या हालत हो रही है। अगर गरीब आदमियों की तरफ उनका ध्यान जाता है तो किसी के हवाई जहाज या मोटर में चलने पर मुझे कोई शिकायत नहीं है।

मैं समझता हूं कि इस बजट को फिर से रिवाइज करें। ३३ करोड़ की रकम रखी हुई है खरीद बिक्री के लिये। मैं माननीय जयराम वर्मा जी से कहना चाहता हूं कि जरा आन्ध्र प्रदेश के बाजार भाव, मद्रास के बाजार भाव को देखें, मैसूर के बाजार भाव को देखें और उस बाजार भाव को दखने के बाद वहां जो प्रोक्योरमेंट की कीमत रखी गयी है उसको देखें। पंजाब में देखे कि बाजार भाव क्या है गेहूं का और वहां पर गेहूं की प्रोक्योरमेंट कीमत क्या रखी गयी है ? आन्ध्र में धान क्या भाव बिकता है और प्रोक्योरमेंट की क्या कीमत रखी गयी है ? इन सूबों में जो बाजार भाव में आम तौर पर बिकता है अनाज उसमें और प्रोक्योरमेंट की कीमत में बहुत कम फर्क है। लेकिन उत्तर प्रदेश में श्रीमन्, जिस प्रकार हम लकीर पीटते थे वही चीज यह लोग पीटते हैं। दिल्ली वाले कह देते हैं कि यह प्राइस रहेगी। कल चर्चा हो रही थी बंगाल के मंत्रियों ने जाकर वहां धरना दिया अन्न के लिये। अन्न के लिये कोई धरना देने नहीं जायगा उत्तर प्रदेश का मंत्री चाहे कोई भूख से मर जाय। धरना देने जायेंगे ऐसे काम के लिये जिस में उनकी बदनामी हो। कभी गरीब के नाम पर भी धरना देने की बात सोचियेगा ?

माननीय महीलाल जी बैठ गये उस कुर्सी पर, इस भले आदमी का भी दिमाग खराब हो गया। माननीय रामस्वरूप वर्मा बैठ गये, मंगलदेव जी जाने कहां चले गये हैं नहीं इस वक्त मैं तो इन लोगों से एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि दिमाग को ज्यादा खराब न करें, ऐसे मित्रों से दोस्ती क्या हुई जल्दी ही दिमाग खराब हो जायगा। मेहरबानी करके फिर गरीबों की तरफ देखें और ऐसे रास्ते अपनावें जिससे कि गरीब किसान दो कदम आगे बढ़ सकें, यह समाज आगे बढ़ सके। पीछे न हटाओ बल्कि आगे बढ़ाने की बात सोचिये।

(श्री बाबू बदरे का नाम पुकारे जाने पर)

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था प्रश्न है। वह यह कि जब कोई माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़ा होता है तो आप अपनी तरफ से उनको बोलने की आज्ञा देते हैं या कोई और विधि है जिसके क्रमानुसार आप लोगों को बुलाते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। जो सदस्य खड़े होते हैं उनमें से बोलने वाले को मैं अपने स्वविवेक से बुलाता हूं। इसके लिये कोई नियम, कायदा और कोई चिट्ठी या कापी मेरे पास नहीं है।

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट प्रस्तुत है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। १८ तारीख से जब से यह सेशन चल रहा है उस समय से इधर बैठने वाले और उधर कांग्रेस बेंचों पर बैठने वाले भाइयों की बातें मैं बहुत गौर से सुन रहा था और सुनता चला आया हूं। कल भी मैंने कोशिश की थी कि मुझे समय दिया जाय क्योंकि मैं भाषा वाले मामले पर अपने विचार रखना चाहता था। लेकिन हमारे गेंदा बाबू जो हमारे बुजुर्ग हैं और हमारे साथ में रहे हैं वे यह समझ कर कांग्रेस में गये थे कि समाजवाद उधर बहुत जल्दी आ जायेगा, लेकिन समाजवाद नहीं आया, सरकारी कुर्सी छिन गयी, यह हुआ। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी भी सरकार में खराबी है वह आपने कही है। लेकिन २० साल में जितनी खराबी थी उनके ऊपर आपने कभी यह नहीं कहा वे काम कर रहे थे और इतना अच्छा काम कर रहे थे, तो जरा इसके ऊपर भी ध्यान कर लिया जाय। आज केवल आयोजना आयोजना ही करते रहे। लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि जब आप गद्दी पर बैठे हुये थे और वही बात जब हम लोग इधर से बैठ कर कहते थे तो आपकी समझ में वह बात नहीं आयी, लेकिन अब वह बात आपकी समझ में आने लगी है।

शिकायत यह की गयी कि १९ सूत्री कार्यक्रम को लागू करने का जो ऐलान किया गया था उसे इस सरकार ने पूरा नहीं किया। इसके ऊपर मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यह शिकायत आपको हमेशा रहेगी और यह सपना आपका कभी पूरा नहीं होगा कि आप इधर से उधर आ जायं, आप जितनी भी कोशिश करना चाहते हों कर लें। मैं यह कहना चाहता हूं कि अंग्रेजों से इस देश का शासन किसने लिया था, वह कांग्रेस के ही साथ में आया था लेकिन कांग्रेस की नीति ऐसी रही कि जिससे भ्रष्टाचार बराबर बढ़ता ही गया। वोट लेने के लिये भ्रष्टाचार को किसने उकसाया ? लोगों को गलत काम करने के लिये किसने उसकाया ? ये आप ही लोग हैं, इसलिये मैं कहता हूं कि आप पहले इन सब चीजों को सुधारिये।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब मैं कानपुर से आया तो मेरे पास कोट पहनने को नहीं था। मैंने कहा कि लखनऊ जायेंगे तो सिलवा लेंगे। हजरतगंज में मैंने एक दर्जी को उसे सिलने के लिये दिया लेकिन २० रोज के बाद भी उसने मुझे कोट नहीं दिया है। जब मैं कल उसके पास गया कि तुम मेरा कोट क्यों नहीं दे रहे हो, तो उसने कहा कि कांग्रेस वालों के कपड़े इतने ढीले हो गये हैं कि मैं उन्हीं को ठीक करते करते परेशान हो गया हूं। तो आज हालत यह है कि कांग्रेस वाले परेशान हैं और २० साल के बाद अब उनको उधर बैठना खल रहा है। ९ महीने की तो सरकार है और अगर वह सरकार खीरा थी तो यह सरकार खरबूजा है। खरबूजा यों कि उसके फांक ऊपर से तो अलग-अलग दिखते हैं लेकिन अन्दर से एक होता है और वह अपना रंग नहीं बदलता। इसी तरह से यह संविद सरकार खरबूजे की तरह से है जिसके फांक तो ऊपर से अलग-अलग दिखती हैं लेकिन अन्दर से सब एक हैं। जैसा कि माननीय

मुख्य मंत्री ने बतलाया था कि माननीय नेता विरोधी दल कई लोगों से वादा करते फिरते हैं कि मैं दो तीन दिन के अन्दर ही चीफ मिनिस्टर होने वाला हूं और इससे साफ मालूम होता है कि माननीय नेता विरोधी दल की यह ख्वाहिश है कि जल्दी से जल्दी उधर पहुंचूं। लेकिन मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि इस सरकार को कमजोर न समझें, इसे खरबूजे की तरह से ही समझें जिसके फांक तो अलग-अलग हैं लेकिन अन्दर से सब एक हैं और यह सरकार हटने वाली नहीं है। तो मैं उस दर्जी से कहने लगा कि अब तो जल्दी सी दो। कहने लगा कि दो एक दिन में बना दूंगा। तो इनको कोट के ढीला होने की जितनी परेशानी है प्रदेश में किस तरह से अच्छी व्यवस्था कायम हो इसके लिये न कोई परेशानी है और न ही कोई सुझाव इस बारे में दिये। आपने तो बीस साल तक सरकार चलायी। इस सरकार में मुख्य मंत्री के अलावा सभी मंत्री नये हैं। वह अनुभवी नहीं है। आपको चाहिये कि उन्हें अच्छी राय दें। यह बात सही है कि आज हमारे मंत्रिमंडल में जितने मंत्री हैं अगर वे एक साल तक मुख्य मंत्री की सलाह पर जम कर काम कर लेते तो आपकी हिम्मत नहीं होती जो आज आप यह कहते हैं कि हम इस सरकार को यों उड़ा देंगे। कल जो बातें मैंने सुनीं उनमें जो बातें सही-कही गयीं उनके लिये मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हां, यहां तक ठीक है। आपको कभी यह साहस नहीं हुआ कि आप कहते कि हां, यह आप ठीक कहते हैं। इस सरकार ने ९ महीने में क्या किया और क्या नहीं किया इस पर आपका ध्यान बहुत मालूम होता है। लेकिन इस सरकार ने कुछ काम ऐसे किये हैं कि जिन भ्रष्टाचारी अधिकारियों को आपने बीस साल में सजा नहीं दी, ९ महीने की चरणसिंह सरकार ने उनमें से कुछ को निकाला, कुछ को सजा दी। (व्यवधान) मुख्य मंत्री की तारीफ न करें तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। सरकार की आलोचना करें तो इनका कलेजा ठंडा होता है। सच बात कहिये तो टीस उठने लगती है इसलिये कि वह हवाई जहाज की सैर तो अब इनकी छिन गयी। इनको प्रदेश की जनता की तो फिक्र नहीं है। आप कामरोको प्रस्ताव लाये थे कि सम्पत्ति का नुकसान हुआ। लेकिन यह नहीं बताया कि फलां जगह पर विद्यार्थियों को गलत तरीके से पुलिस ने मारा। यह जो इल्जाम इस सरकार पर लगाते हैं कि इनके टाइम में विद्यार्थियों का एजिटेशन इतना वायलेन्ट हुआ है तो मैं अपने जिले कानपुर का उदाहरण देना चाहता हूं कि वहां विद्यार्थियों ने अंग्रेजी के खिलाफ बहुत शान्तिपूर्ण ढंग से आन्दोलन चलाया और वहां कोई भी साइनबोर्ड अंग्रेजी का नहीं रहा। जहां पर अधिकारी अच्छे थे वहां पर कहीं भी वायलेंन्स नहीं हुई। जहां पर इनके पुराने रखे कुछ अधिकारी अब भी है, ऐसी बात नहीं है कि इनका बीस साल का जहर इन ९ महीनों में खत्म हो गया, वहीं गड़बड़ी हुई। इस सरकार के गिराने के लिये आप प्रदेश के किसी जिले में उपद्रव खड़ा करा दें, क्या यह प्रदेश के हित का काम है ?

अब सरकार ने कौन-कौन चीजें नहीं की हैं मैं उनकी ओर ध्यान दिलाता हूं। श्रम मंत्री ने अपने कार्य को जैसे चलाया और जो दशा मजदूरों की आज है मैं यह कह देना चाहता हूं कि कांग्रेसी राज में भी मजदूर इतना सताया नहीं गया था। आज कानपुर में लगातार मिलें बन्द होती जा रही है। श्रम मंत्री को मैंने लिखा, लोगों ने कहा, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। यह हालत भी विरोधी दल की वजह से है। जितने भी मिलमालिक हैं वे नेता विरोधी दल के पाले हुए लोगों में से हैं। जब ये शासन से हटे तो इन्होंने कहा कि ऐसी अव्यवस्था कायम करो जिससे फैक्टरियां बन्द हों। बाजार के भाव भी आप ही की वजह से बढ़े। मान्यवर, इस बात पर ध्यान रखना है कि आपका विरोध ऐसा होना चाहिये जो किसी को तकलीफ देने वाला न हो बल्कि विचारों का विरोध होना चाहिये। आप में यदि काबलियत है तो आप किसी चीज को सुधार सकते हैं और आपको अच्छी से अच्छी सलाह देनी चाहिये लेकिन आप वही बात करते हैं और आपके पास ऐसे लोग हैं जो चलने को भी मोहताज हैं और बड़ी मुश्किल से विधान सभा में आ पाते हैं। वे स्वप्न देख रहे हैं कि यह सरकार जाय तो वे मंत्री बने। उनको जाने दीजिये और नौजवानों को आने दीजिये।

[श्री बाबू बदरे]

जहां तक पुलिस का संबंध है और यह आंदोलन हुआ है इसमें कई जगह पुलिस ने ज्यादती की है। शिक्षार्थियों के शान्तिमय जुलुस के ऊपर पुलिस ने लाठी चार्ज किया है और छात्रों ने भी छेड़छाड़ की है। यह अधिकारियों की जिम्मेदारी है। कानपुर में आपने देखा होगा कि कानपुर में बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन होता है लेकिन इस बार शान्तिमय ढंग से हुआ क्योंकि वहां के अधिकारियों ने बड़ी होशियारी से काम किया।

जहां तक माननीय गेंदासिंह जी ने खेतिहर मजदूरों की बात कहीं मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वह भी बो साल तक मंत्री रहे या शायद ज्यादा रहे हों मुझे ठीक से मालूम नहीं है, उन्होंने खेतिहर मजदरों के लिये क्या किया? उन्होंने कुछ भी किया हो लेकिन यह सत्य है कि खेतिहर मजदूरों को कोई राहत उनसे नहीं मिली। इसके अलावा आपने कोई ठोस सुझाव भी नहीं दिया जिससे उनको राहत मिल सकती। आपने जैसा विरोध होना चाहिये उसी तरह का किया और माकूल राय आपने नहीं दी।

मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी को तवज्जह चाहूंगा कि वे देखें कि आज कल सूती मिल मजदूरों की क्या हालत है? विक्टोरिया मिल में ६ हजार मजदूर भूखे रहे हैं और लक्ष्मीरतन काटन मिल में जो समझौता हुआ था उससे मजदूरो को कोई फायदा नहीं हुआ है क्योंकि मिल का उद्योगपति माननीय राम रतन गुप्ता नेता विरोधी दल का खास आदमी है ऐसा लोग कहते हैं, इसलिये उसके ऊपर सरकार का हाथ रहता था लेकिन इस सरकार से यह उम्मीद नहीं थी कि यह सरकार भी ऐसा ही करेगी। जो समझौता हुआ है उसके फिलाफ मिल मालिक काम कर रहा है और श्रम विभाग हाथ पर हाथ रखे बैठा हुआ है। इसी तरह से इनका एक इंजीनियरिंग विभाग है वहां के मजदूरों को भी पैसे नहीं दिये गये। महेश्वरी देवी जूट मिल्स बन्द है। संबंधित अधिकारियों से जब सरकार ने पूछा तो उन्होंने कह दिया कि मिल इस काबिल नहीं है कि सरकार ले ले और जब मिल चालू था और मालिक ने सरकार से कर्ज मांगा था तो उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि उसकी मशीनरी अच्छी है। श्रम नीति इस सरकार की फेल हुई है। मजदूरों की पहले इतनी बुरी हालत कभी नहीं थी। यह मजदूर समस्या को हल नहीं कर पाई है। मुख्य मंत्री जी इधर ध्यान दें। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

माननीय।.....

एक सदस्य—

बजट पर मौका मिलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। माननीय वित्त मंत्री बोल रहे हैं।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी चाहता हूं कि क्या इसके मानी यह है कि इसके बाद सप्लीमेंटरी बजट पर दूसरे सदस्यों को समय नहीं मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

जैसा आपने तय किया है, यह बजट चार बजे तक पास हो जाना है। अब सवा तीन बजे वित्त मंत्री बोलेंगे। उसके बाद हर मंत्री अपने अपने बजट अनुदानों को रखेंगे।

श्री चन्द्रसिंह रावत—

आप समय निर्धारित करते, आपने इसकी कोई व्यवस्था नहीं की। हमें बड़ा खेद है कि आपने माननीय सदस्यों को वंचित रखा इस सप्लीमेन्टरी बजट पर भाषण करने से।

श्री रामस्वरूप वर्मा—

माननीय, पहले तो मैं उन माननीय सदस्यों का विशेष अनुगृहीत हूं जिन्होंने जो कुछ लोगों के दिमाग में धूमिलपन था उसको दूर कर दिया।

श्री इन्द्रमणी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

व्यवस्था का प्रश्न है। बजट पर हम को कम से कम मौका मिलना चाहिए कि हम अपने सजेशन देते। पहाड़ के मामलों पर तो बिलकुल कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया गया। सरकार की तरफ से यह बजट आया है इसलिए हम लोगों को ज्यादा समय मिलना चाहिए उसके बाद आप मंत्रियों को समय देते हैं। आपने एक आदमी इधर से और एक आदमी उधर से.....

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। वित्त मंत्री।

(श्री मदन मोहन मिश्र के खड़े होने पर)

एक व्यवस्था का प्रश्न उठा था। वह खत्म हुआ। उसके बाद कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो बीच में व्यवस्था का प्रश्न उठना सम्भव नहीं है। (श्री मदनमोहन मिश्र के खड़े रहने पर) कहिए, क्या व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री मदनमोहन मिश्र—

मुझे यह कहना है कि आखिर हम लोगों ने बिगाड़ा क्या है जो हम लोगों को मौका नहीं देते हैं? हम लोग आपसे विनम्र निवेदन करते हैं, हम लोगों को भी तो समय दीजिए या मंत्रियों और भूतपूर्व मंत्रियों को ही समय देंगे?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं भरसक प्रयत्न करूंगा और करता हूं कि हर माननीय सदस्य को बोलने का अवसर मिले। जब माननीय सदस्य हम का प्रयोग करते हैं तो उनका तात्पर्य केवल एक वचन से होता है लेकिन म हम का तात्पर्य सारे सदस्यों से समझता हूं। मैं इसका प्रयास करूंगा कि सब को समय दूं। वित्त मंत्री।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—

एक व्यवस्था का प्रश्न हमारा भी है।

श्री उपाध्यक्ष—

वित्त मंत्री।

श्री रामनरेश शुक्ल—

माननीय, असल में बड़ी परेशानी यह है.....

श्री उपाध्यक्ष—

जब मैंने माननीय वित्त मंत्री को बुलाया तो आप कह रहे हैं कि हम भी बोलेंगे। इसमें परेशानी क्या है? और इस तरह से सदन में बोलने की बात कहते हैं कि मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। एक व्यवस्था का प्रश्न उठ चुका दूसरा उठा चुका। उसके बाद कोई घटना नहीं हुई तो कैसे व्यवस्था का प्रश्न उठता है? आप सदन के संचालन में सहयोग दें, हो सकता है कि कभी मेरे विवेक या विचार में गलती हो, जब किसी को बुलाना चाहिए किसी दूसरे को बुला लूं, लेकिन वह किसी भावना से नहीं होता। उस क्षण में मैं जिस तरह से मुनासिब समझता हूं वैसा करता हूं।

श्री रामनरेश शुक्ल—

मुझे सुन तो लें। श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जो बोलने की आज्ञा दी थी वह आपने पश्चिम वालों को दी और पूर्व वालों को दी, अब आप चूंकि लखनऊ में रहने लगे है, इसलिये आपकी निगाह में मध्य के जिलों का कोई महत्व नहीं रह गया है और आपने वहां के प्रतिनिधियों को कोई मौका नहीं दिया है।

श्री उपाध्यक्ष—

किसी माननीय सदस्य को इस प्रकार भी भावना हो सकती है, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश को पश्चिम, पूर्व अथवा मध्य की दृष्टि से नहीं देखता हूं मैं सम्पूर्ण प्रदेश को एक आंख से देखता हूं।

श्री रामस्वरूप वर्मा—

मैंने फूलसिंह जी का बयान बड़े ध्यानपूर्वक सुना, उसमें मुझे आश्चर्य यह है कि माननीय सदस्य ने बिना सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी किये कुछ ऐसी बातें कह दीं जो मैं समझता हूं उनके लिये तो शोभनीय नहीं थीं, विशेषकर इसलिये कि वह स्वयं पहले मंत्री रह चुके हैं। उनको पता होना चाहिये कि कितना काम सरकार का हुआ करता है, इस बात की पूरी जानकारी पाने पर वह कोई बात कहते तो अच्छा होता। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि बिजली देनेका जो नया तरीका निकाल दिया गया है, जो तीन से चार फर्लांग कर दिया गया है उसमें ट्यूब वैल्स लग ही नही रहे हैं किन्तु यह बात बिलकुल सत्य से परे है। मैं आपके द्वारा सदन को सूचित करना चाहता हूं कि जरा वह आंकड़े देखें और इस साल की उपलब्धि का पिछले साल से तुलनात्मक अध्ययन करें तो उनको वस्तुस्थिति का पता चल जाएगा। एक अप्रैल से अक्तूबर के अन्त तक पिछले वर्ष, वर्ष ६६ में जो काम हुआ है, उसी अवधि में वर्ष ६७ में उससे कहीं ज्यादा काम हुआ है। वर्ष ६६ में ४४७४२ पक्के कुंए खोदे गए, जबकि सन् ६७ में ४७७५२ कुएं खोदे गए हैं। वर्ष ६६ में २११६७ कुओं की बोरिंग हुई जबकि वर्ष ६७ में २६५२६ की हुई। पम्पिंग सेट जो बांटे गए वे सन् ६६ में ५८९८ बांटे गए जबकि सन् ६७ में ७८३० सेट दिये गए। निजी नलकूप इसी प्रकार से सन् ६६ में ६९९४ बने जबकि सन् ६७ में ११६८५ निजी नलकूप लगे। मान्यवर, इन आंकड़ों को देखने के बाद मैं समझता हूं कि कोई भी साधारण सदस्य इस बात में जरूर समझौता करेगा कि इस सरकार की प्रगति पिछले दिनों से बराबर ही नहीं बल्कि उससे कहीं अधिक हुई है।

श्री शब्बीर हसन (जिला फतेहपुर)—

मेरे जिले में एक भी नहीं लग पाया है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—

मान्यवर, मुझे बड़ी कठिनाई है कि माननीय सदस्य चाहते हैं कि हल्ला मचाकर सत्य को दबाया जाए, तो मैं बड़ी दृढ़ता से कहना चाहता हूं कि यह काम हो नहीं सकता, हल्ला मचाने से सत्य कदापि नहीं दब सकता, इसलिये मैं चाहूंगा कि शान्तिपूर्वक माननीय सदस्य हमारी बात को सुनें। यह सदन इस प्रदेश की जनता का दर्पण है, इसलिये जनता के प्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि वे इस दर्पण में जनता के सुख-दुख को सही परछांई डालें। बार-बार माननीय सदस्य अव्यवस्था पैदा करके सदन की गरिमा को नहीं बढ़ा रहे है। मैं उनसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि कम से कम शान्तिपूर्वक वे सुने और सुनने की आदत डालें। इस सदन की गरिमा इसी में है कि आप सुनें और आपने ज्ञान को सबके लिए दें, जिससे दूसरे लोग फायदा उठायें और सरकार भी फायदा उठाये, यदि आपकी मंत्रणा इस योग्य हो। लेकिन मुझे दुख: है कि यहां एक भी बात ऐसी नहीं हुई कि जिस पर चल कर सरकार के लिये कोई प्रकाश मिलता। मैं उम्मीद करता था कि विरोधी दल सरकार के दोषों को बताने के साथ नये रचनात्मक सुझावों द्वारा नया मार्ग भी हमें दिखावेगा, किन्तु मैं अत्यन्त विनम्रतापूर्वक कहता हूं कि विरोधी दल की तरफ से एक भी सुझाव रचनात्मक अभी तक नहीं आया जो सरकार को अनुकरणीय होता

और जिसके करने से प्रदेश का हित होता। मुझे आश्चर्य मालूम होता है जब यह कहा जाता है कि बिजली के लिये इतनी कठिनाई है कि वह मिल नहीं पा रही है और वह किसानों को उपलब्ध नहीं हो रही है। मैं माननीय फूलसिंह जी से अत्यन्त विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि जरा वे पिछले साल और इस साल के कार्य को देखें कि पिछले साल साल भर में ११,७२४ ट्यूबवैल्स को बिजली मिली थी और इस साल अक्तूबर ३१ तक १२,३७१ ट्यूबवैल्स को बिजली दी जा चुकी है।

श्री फूलसिंह—

जो नया कानून बना है उसके अन्दर कितने को मिली ?

श्री रामस्वरूप वर्मा—

यह सब नये कानून के बाद है। पूरी नीति सरकार की चल रही है और उसी के हिसाब से अब ज्यादा है और अब जरा आगे भी सुन लें। इसी नवम्बर महीने में १,९२३ ट्यूबवैल्स को बिजली दी गयी है। अब इससे तो आपका संतोष हो जाना चाहिये कि जो आप तथ्य दे रहे थे वह ठीक नहीं था और उसको आप दुरुस्त कर लेंगे।

श्री फूलसिंह—

मैं यह कह रहा हूं कि नये कानन के मातहत कितनी दरख्वास्तें आयीं ?

श्री रामस्वरूप वर्मा—

मैंने बता तो दिया कि इसी नवम्बर में १९२३ को बिजली दी गयी और यह सब नये कानून के मातहत मिली।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

जरा जिलेवाइज पढ़ दीजिये कि कितनी मिली ?

श्री रामस्वरूप वर्मा—

उसके लिए आप माननीय कृषि मंत्री जी के पास चले जाइये वह सब आपको बता देंगे। तो यह निश्चित हो गया कि निश्चित रूप से ज्यादा बिजली दी गयी है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

(श्री शब्बीर हसन के बार बार खड़े हो कर बोलने पर) आप शब्बीर हसन, जी बैठ जाइये इस तरह से व्यवधान पैदा करना उचित नहीं है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—

माननीय फूलसिंह जी ने इस बात पर विरोध किया कि किसानों से गल्ला लिया जा रहा है और उस पर आक्रोश भी है। पिछल बीस साल तक क्या होता रहा था ? जब तक किसान के पास फसल रहती थी शुरू साल में तब गल्ला सस्ता होता था और फिर वह जब वहां से उठ कर व्यापारी के पास पहुंच जाता था तब गल्ला तेज बिकने लगता था और इस तरह से किसान के धन की लूट की जाती थी। (व्यवधान) इस तरह शोर मचाकर सत्य को आप छिपा नहीं सकते, सत्य तो सत्य रहेगा ही।

श्री उपाध्यक्ष—

(श्री शब्बीर हसन के पुनः खड़े होकर बोलने लगने पर) शब्बीर हसन जी, आप तशरीफ रखें यह क्या बात है कि आप इस तरह से खड़े होते रहते हैं और बिना मेरी इजाजत आप बोलना शुरू कर देते हैं और व्यवधान उपस्थित करते हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा—

श्रीमन्, मैं कह रहा था कि जब किसान के यहां गल्ला होता है तब तो इनके जमाने में सस्ता बिकता था और जब किसान के घर से गल्ला चला गया तो गल्ला तेज हो जाता था। अब तो

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

सरकार भी खरीददार के रूप में सामने आती है और जब सरकार खुद भी खरीददार के रूप में आती है तो गल्ले का उचित नियंत्रण तो होगा ही। हम तो कहते है और सभी अर्थशास्त्रियों को निमंत्रित करते हैं और कहते हैं कि कोई अर्थशास्त्री आवे और आकर हमसे बहस करे और देखे कि हमारी नीतियां कहां तक सफल हुई हैं।

जब सरकार भाव का नियंत्रण करेगी और अपना भंडार रखेगी तो दोनों तरफ नियंत्रण होगा। समय पड़ने पर अपने भंडार से निकाल कर गरीबों को सुरक्षा प्रदान करेगी। उनके ऊपर मुसीबत न आये और उनको उचित मूल्य पर गल्ला मिल सके इस वजह से ऐसा किया जाता है। दूसरी तरफ यह उनकी सुरक्षा करती है कि यदि गल्ले का बाजार भाव नीचे चला जाय तो सरकार खरीदार है। इससे भी उनकी रक्षा होती है। मैं दावा करता हूं कि इस नीति से, जो संविद सरकार ने चालू की है, तमाम प्रदेश का अपार हित हुआ है। किसानों के अन्दर कोई खलबली नहीं है। जब आपके पास कुछ कहने के लिये नहीं है तो फिर कुछ तो कहने के लिए चाहिये ही इसलिये कुछ न कुछ कहते हैं और आलोचना करते हैं। आपको यह हक हासिल है पर सच्चे तर्क उपस्थित करें। वैसे कुतर्क भी आपको उपस्थित करने का अधिकार है। इस पर भी कोई रोक नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि आप लोग किसानों की हितकारी नीति का अवलोकन करने की कृपा करें। ९ महीने के अन्दर इस संविद सरकार ने जो कुछ किया है उसके परिणाम को देखें। आप लोग अपनी छाती पर हाथ रखकर फैसला करें कि संविद सरकार ने जो नीति चालू की है उससे प्रदेश के किसानों को गल्ले के सही दाम मिले हैं।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सारे प्रदेश की स्थिति इस सदन को मालूम है। हमारे बुजुर्ग नेता, चौधरी चरण सिंह जिस वक्त कांग्रेस से त्याग-पत्र देकर गये थे तो घोषणा की थी कि जो संविद सरकार बनेगी उसमें बाजार भाव कम होंगे और बिजली के रेट कम होंगे। आज किसानों को बिजली नहीं मिल रही है। यह गलत बयान कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं निवेदन करूंगा कि शांतिपूर्वक सुनें। इस तरह से बीच में खड़े होकर व्यवधान डालने का प्रयत्न न करें।

श्री रामस्वरूप वर्मा—

एक बात पहले सुनी थी जो विद्वानों ने कही थी कि जब किसी के मर्मस्थल पर चोट लगती है तो वह उचक उठता है। मान्यवर, बात सही है लेकिन मेरे दोस्तों को बुरी लगती है। जब वे अपनी बात कह रहे थे तो मैं उनकी बात सुनता रहा। मुझे अफसोस है कि जब मैं बोल रहा हूं तो उनको सुनने में कष्ट होता है।

(व्यवधान)

मान्यवर, जब सही कीमत किसानों को मिलती है तो प्रदेश के किसानों का मन होगा कि वह ज्यादा से ज्यादा रकम लगाकर खेती करें और उत्पादन बढ़ायें। गत २० वर्षों में पिछली सरकार की जो नीति रही उसका परिणाम यह हुआ कि हमारा प्रदेश भी अमेरिका का गुलाम हो गया। यह कहते रहे कि आत्मनिर्भर हमारा प्रदेश हो रहा है पर कुछ भी यहां पर लाभ नहीं हुआ। चार योजना पूरी करते रहे और बराबर राग अलापते रहे कि अब आत्म-निर्भर हो जायंगे पर जो परिणाम हुआ वह हम सब के सामने है। इस प्रदेश में भी ३० लाख टन की कमी पड़ गई। इस संविद सरकार की नीति का ही यह परिणाम है कि सपूचे देश में उन्नति-शील बीज का क्षेत्रफल बढ़ रहा है। हम इस बात को कह सकते हैं कि हमारा प्रदेश

आत्मनिर्भर होने जा रहा है। यहां पर पैदावार बढ़ रही है और इस दिशा में हमारा प्रदेश पहुंच रहा है कि हमको अनाज के लिये हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। किसानों के लिये यही सही तरीका है कि उनको सही मूल्य मिले और सरकार बाजार पर भी नियंत्रण रखे। गल्ला इतना सस्ता भी न हो जाय कि किसानों को सही कीमत भी प्राप्त न हो। हम उसी नीति के अन्तर्गत काम कर रहे हैं और किसान भी अब दिल लगाकर अपनी खेती का उत्पादन बढ़ाने में जुटा हुआ है और आज अन्न की पैदावार निश्चित रूप से इतनी पर्याप्त है कि हम प्रदेश में अपने बल पर खड़े हो सकते हैं। तो अगर हमारे लायक दोस्त इस बात को ही ध्यान में रखते तो उनको यकीन हो जाता कि इस संविद की सरकार ने कोई काम तो किया है और वे इस की तारीफ अवश्य करते कि हमने यह सफलता तो प्राप्त की कि कम से कम अन्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गये।

मान्यवर, तमाम उपलब्धियां तथा सफलतायें हम इस दिशा में प्राप्त करते जा रहे हैं और हम इस प्रदेश को तरक्की के रास्ते ले जाना चाहते हैं। गेंदा सिंह जी का विचार व्यक्तिगत रूप से कुछ होता है और बाद में जब वे यहां भाषण करते हैं तो उनका विचार कुछ होता है। और इसके साथ ही उन की हर बात के साथ गन्ना और गरीब जुड़ा हुआ रहता है। जैसे नेता विरोधी दल को कुछ खास शब्द कहने की आदत हो गयी है वैसे ही गेंदा सिंह जी के साथ भी है। इसी कारण पहले कुछ लोगों ने उनका नाम गन्ना सिंह रख दिया था। लेकिन मैं समझता हूं कि उनका यह नाम पर्याप्त नहीं है। कुछ दिन पूर्व वे हमारे कृषि मंत्री जी से मिले थे और उस समय उन्होंने उनसे कहा था कि बिहार की सरकार ने अपने यहां गन्ने का दाम चार रुपया कर दिया है तुम कम से कम साढ़े चार रुपया तो किसानों को दिला दो। कृषि मंत्री जी ने कहा कि हम तो उसके पक्ष में हैं। तो उस समय गेंदा सिंह जी साढ़े चार रुपये के लिये तैयार थे। उन को कम से कम विरोधी दल की तरह से दो तरह की बात नहीं करनी चाहिये। आज सरकार की नीति का ही परिणाम है कि किसान को उसके गन्ने का दाम साढ़े चार रुपये के हिसाब से मिल रहा है और गेंदा सिंह जी जो गरीबों के लिये दिल खोल कर बैठे हुए हैं उससे मालूम पड़ता है कि उनसे ज्यादा गरीबों की देखभाल करने वाला कोई और है ही नहीं। उस समय साढ़े चार रुपये के लिये माननीय गेंदा सिंह जी तैयार थे, लेकिन आज उससे ज्यादा की मांग कर रहे हैं। तो उस से यह बात साफ जाहिर हो जाती है कि गेंदा सिंह जी के दिल में गरीबों और किसानों के लिये कितना प्रेम है।

मान्यवर, अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह बजट जो आया है (व्यवधान) उस में खर्च बहुत सामान्य है। उस में कोई विशेष बोझ हम ने नहीं बढ़ाया है और हमारी जो योजना की उपलब्धि है उस के अन्दर रहते हुए लाभांश में जो वृद्धि हुई है राजस्व, आदि में उसे संतुलित कर लिया गया है और आशा है कि यह सदन उसे स्वीकार करेगा।

श्री गेंदासिंह––

मेरे संबंध में माननीय वर्मा जी ने तो कुछ नहीं कहा लेकिन दूसरे वर्मा जी ने अवश्य कुछ कहा। मैंने उन से बात की थी और साढ़े चार रुपये की चर्चा भी की थी। मैं इतना ही कह देना चाहता हूं कि १३ रुपया जब मेरठ में दाम था उस समय ११ रुपये की मांग हम गोरखपुर के लिये कर रहेथे। आज जब कि वहां गन्ना १८ रुपया में बिक रहा है तो हम गोरखपुर के लिए १५ रुपये की मांग कर रहे हैं।

(व्यवधान)

एक सेंकिड में मैं एक बात और कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष––

गेंदा सिंह जी, समय नहीं है और विवाद समाप्त हो चुका है।

श्री गेंदासिंह--

मुख्य मंत्री जी के संबंध में मेरे मुंह से कुछ बात निकल गयी थी (व्यवधान) उससे उनको तकलीफ हुई है।

एक सदस्य--

मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या गेंदा सिंह जी की तरह से चूहों को खिलाने के लिये बजट में व्यवस्था की है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष--

मैं गेंदा सिंह जी से निवेदन करूंगा कि अपना स्थान ग्रहण करें। समय बहुत कम है।

श्री गेंदासिंह--

मुख्य मंत्री जी को एक बात से तकलीफ हुई कि मैंने कहा कि रीजनल स्पिरिट भी इसमें है। मैं कहता हूं कि यह मेरे मुंह से नहीं निकलना चाहिये था और आपकी इजाजत से उस शब्द को वापस ले लेना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

सामान्य विवाद समाप्त हुआ, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सब स्थान ग्रहण करें।

१९६७-६८ के प्रथम अनुपूरक अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान--

अनुदान संख्या ४--बिक्री कर

वित्त मंत्री (श्री रामस्वरूप वर्मा)--

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४-बिक्री-कर के अन्तर्गत २,९५,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६७-६८ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४-बिक्री-कर के अन्तर्गत २,९५,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६७-६८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५--अन्य कर और शुल्क

वन उपमंत्री (श्री ओम्प्रकाशसिंह)--

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५-अन्य कर और शुल्क के अन्तर्गत २४,३०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६७-६८ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५-अन्य कर और शुल्क के अन्तर्गत २४,३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६७-६८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ७--निबन्धन

श्री रामस्वरूप वर्मा--

माननीय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ७-निबन्धन के अन्तर्गत १४,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६७-६८ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ७-निबन्धन के अन्तर्गत १४,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६७-६८ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १०--सामान्य प्रशासन

श्री ओमप्रकाशसिंह--

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १०-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत २,०१,२०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६७-६८ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १०--सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत २,०१,२०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६७-६८ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ११--आयुक्त और जिला प्रशासन

श्री ओमप्रकाशसिंह--

मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ११--आयुक्त और जिला प्रशासन के अन्तर्गत ४,९८,८०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६७-६८ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ११-आयुक्त और जिला प्रशासन के अन्तर्गत ४,९८,८०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६७-६८ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १५--पुलिस

श्री ओमप्रकाशसिंह--

माननीय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १५-पुलिस के अन्तर्गत १३,७७,३०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६७-६८ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १५-पुलिस के अन्तर्गत १३,७७,३०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६७-६८ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १६--खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन

खाद्य उपमंत्री (श्री शमीम आलम)--

श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १६-खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन के अन्तर्गत १३,९७,१०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६७-६८ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १६-खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन के अन्तर्गत १३,९७,१०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६७-६८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १७--वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य

उप-मुख्य मंत्री (श्री रामप्रकाश)--

मान्यवर, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १७-वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य के अन्तर्गत १,२४,३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६७-६८ के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १७--वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य के अन्तर्गत १,२४,३०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६७-६८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १८--शिक्षा

श्री रामप्रकाश--

मान्यवर, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १८--शिक्षा के अन्तर्गत ९९,८१,२०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६७-६८ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १८--शिक्षा के अन्तर्गत ९९,८१,२०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६७-६८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १९--चिकित्सा

स्वास्थ्य मंत्री (श्री प्रतापसिंह)--

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १९-चिकित्सा के अन्तर्गत २४,५२,४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६७-६८ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १९--चिकित्सा के अन्तर्गत २४,५२,४०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६७-६८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २०—सार्वजनिक स्वास्थ्य

श्री प्रतापसिंह—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २०—सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत २,३०,४०० रुपये का अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६७-६८ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २०—सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत २,३०,४०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६७-६८ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १७—कृषि सम्बन्धी विकास

कृषि मंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २१—कृषि संबंधी बिकास के अन्तर्गत ७०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६७-६८ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २१—कृषि संबंधी विकास के अन्तर्गत ७०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६७-६८ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २३—पशुपालन और मत्स्य पालन

वन मंत्री (श्री रामचन्द्र विकल)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २३—पशुपालन और मत्स्य पालन के अंतर्गत ५०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६७-६८ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २३—पशुपालन और मत्स्य पालन के अंतर्गत ५०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६७-६८ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २४—सहकारिता

सहकारिता मंत्री (श्री गंगाभक्तसिंह)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २४—सहकारिता के अन्तर्गत ११,७४,४०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६७-६८ के लिय स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २४—सहकारिता के अन्तर्गत ११,७४,४०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६७-६८ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २५--उद्योग

उद्योग उपमंत्री (श्री हिम्मतसिंह)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २५--उद्योग के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६७-६८ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २५--उद्योग के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६७-६८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २६--नियोजन और समन्वय

श्री ओमप्रकाशसिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २६--नियोजन और समन्वय के अन्तर्गत १,५०,२५,२०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६७-६८ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २६--नियोजन और समन्वय के अन्तर्गत १,५०,२५,२०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६७-६८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २७--श्रम और सेवायोजन

श्री हिम्मतसिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २७--श्रम और सेवायोजन के अन्तर्गत १,४८,५०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६७-६८ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २७--श्रम और सेवा योजन के अन्तर्गत १,४८,५०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६७-६८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २९--अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां

श्री रामप्रकाश--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २९--अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों के अन्तर्गत १०,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६७-६८ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)--

उपाध्यक्ष जी, मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब विरोध का समय नहीं है ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २९--अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों के अन्तर्गत १०,००,००० रुपए की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६७-६८ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३०--समाज कल्याण

श्री रामप्रकाश--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३०-समाज कल्याण के अन्तर्गत १०० रुपए की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६७-६८ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३०--समाज कल्याण के अन्तर्गत १०० रुपए की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६७-६८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३१--राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य

सिंचाई मंत्री (श्री टम्बरेश्वरप्रसाद)--

उपाध्यक्ष महोदय मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३१-राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य के अन्तर्गत ४,६२,३०० रुपए की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६७-६८ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष --

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३१ --राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य के अन्तर्गत ४,६२,३०० रुपए की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६७-६८ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३२--सिंचाई अधिष्ठान

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३२-सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत ५,४८,००० रुपए की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६७-६८ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३२-सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत ५,४८,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६७-६८ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३३--सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं

सार्वजिनक निर्माण मंत्री (श्री मंगलदेव) --

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३३--सार्वजनिक निर्माण कार्य, जो राजस्व से किये जाते हैं, के अन्तर्गत ३०० रुपए की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६७-६८ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३३-सार्वजनिक निर्माण कार्य, जो राजस्व से किये जाते हैं, के अन्तर्गत ३०० रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६७-६८ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३५--सार्वजनिक निर्माण कार्य-अधिष्ठान

श्री मंगलदेव--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३५--सार्वजनिक निर्माण--कार्य अधिष्ठान के अन्तर्गत १०० रुपए की अनुपरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६७-६८ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३५--सार्वजनिक निर्माण--कार्य अधिष्ठान के अन्तर्गत १०० रुपए की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६७-६८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३६--सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के लिये सहायक अनुदान

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री वरमेश्वर पांडेय)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३६--सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान के अन्तर्गत ५१,३०० रुपए की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६७-६८ के लिय स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३६-सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान के अन्तर्गत ५१,३०० रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६७-६८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४२--वन

श्री रामचन्द्र विकल--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४२--वन के अन्तर्गत १,००,००० रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६७-६८ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४२- वन के अन्तर्गत १,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६७-६८ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४३—प्रकीर्ण व्यय

श्री वरमेश्वर पांडेय--

उपाध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४३--प्रकीर्ण व्यय के अन्तर्गत १,७६,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६७-६८ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४३--प्रकीर्ण व्यय के अन्तर्गत १,७६,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६७-६८ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४६—औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय

श्री हिम्मतसिंह--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४६--औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत ६,४३,५८,९०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६७-६८ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४६--औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत ६,४३,५८,९०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६७-६८ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४८—सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४८--सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत ३१,०५,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६७-६८ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४८-सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत ३१,०५,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६७-६८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ५०—सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय

श्री मगंलदेव--

उपाध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५०-सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत १,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६७-६८ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत १,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६७-६८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५१--सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय

श्री रामप्रकाश--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५१-सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत ९५,१०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६७-६८ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५१-सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत ९५,१०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६७-६८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५३--राज्य व्यापार की योजनायें

श्री शमीम आलम--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५३-राज्य व्यापार की योजनाओं के अन्तर्गत ३३,६६,६६,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६७-६८ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५३-राज्य व्यापार की योजनाओं के अन्तर्गत ३३,६६,६६,००० रुपये, की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६७-६८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५४--ब्याज वाले ऋण और अग्रिम

श्री रामस्वरूप वर्मा--

उपाध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५४-ब्याज वाले ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत ९,५६,७६,५०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६७-६८ के लिये स्वीकार की जाय।

(इस समय ४ बजकर ७ मिनट पर श्री अध्यक्ष, पुनः पीठासीन हुए।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५४-ब्याज वाले ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत ९,५६,७६,५०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५७-६८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६७-६८ का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९६७

वित्तमंत्री (श्री स्वरूप वर्मा)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६७-६८ का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९६७ को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६७-६८ का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९६७ को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामस्वरूप वर्मा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६७-६८ का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९६७ पुरः स्थापित करता हूं।

(विधेयक की प्रतियां बांटी गयीं)

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६७-६८ का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९६७ पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

मैं इतना निवेदन कर दूं कि कल सुबह आपने यह तय किया था कि ४ बजे तक यह होगा। ४ बज चुके हैं। अब इस पर बात चीत न हो। अब अगर बहुत आवश्यक हो तो मैं इतनी अनुज्ञा दूंगा कि दो, दो मिनट एक दो साहबान बोल लें। मैं इसके लिये १० मिनट देता हूं।

श्री कृष्ण नन्द राय (जिला गाजीपुर)—

चौधरी साहब ने मुख्य मंत्री होने पर स्वच्छ प्रशासन की बात कही थी लेकिन प्रदेश को गली-गली में आज उसकी होली मनाई जा रही है। उनका जन्म दिवस २३, २४ दिसम्बर को पड़ रहा है और उसके नाम पर ए० डी० ओज को आदेश गये हैं कि वे किसानों को कहें कि वे कृषक समाज के मेम्बर बनें और मेम्बर शिप का रुपया जन्म दिवस के उपलक्ष्य में दें। मैं इस बात को कह कर मुख्य मंत्री जी के प्रति कोई अनादर नहीं प्रकट कर रहा हूं। लेकिन अगर ऐसा कोई उनका इरादा है तो अपने जन्म दिवस पर ए० डी० ओज के द्वारा पैसा न जमा करा कर स्वयं अपने पोलिटिकलवर्कर्स के जरिये करायें और इस प्रकार के प्रचार को रोकें।

दूसरे बड़ा शोर मचाया जाता था कि कांग्रेस मिनिस्ट्री ने रिहन्द की बिजली बिरला को दे दी है। लेकिन कांग्रेस मिनिस्ट्री ने तो केवल १ हजार किलोवाट ही दी थी जबकि संविद सरकार ने पिछले महीने में मंत्रिमंडल में बहुत गम्भीर विचार करने के उपरान्त बिरला से दो तीन लाख किलोवाट का डील किया और बिजली नए रेट से दी जा रही है।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, यह सारी धनराशि जिन लोगों के जरिए से खर्च की जाने वाली है उनके सम्बन्ध में सरकार का क्या रवैया कितना भयावह है इस ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जहां तक पिछली सरकार का संबंध है पिछली सरकार ने यह नीति बनाई थी कि जो कोई विभाग तोड़ा जायगा और उसके स्थायी अथवा अस्थायी कर्मचारी सेवा मुक्त किये जायेंगे उनके लिये यह सरकार की नीति होगी कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी जिसे अतिरिक्त समझा जायगा जब तक उसे अन्यत्र सेवा का अवसर नहीं दिया जायगा तब उसे सेवा से मुक्त नहीं किया जायगा। लेकिन जो वर्तमान सरकार ने उसकी ओर से २९-११-६७ का यह राजाज्ञा निकली है मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार जिसका आशय यह है कि पुरानी राजाज्ञा

[श्री रामायण राय]

जिसके अनुसार किसी भी राज्य कर्मचारी को सेवा मुक्त नहीं किया जायगा जब तक कि अन्यत्र उसको स्थान न दे दिया जायगा उसे विदड्रा कर लिया गया है और जिस किसी राज कर्मचारी को चाहे वह स्थायी हो अथवा अस्थायी उसे यह सरकार अपनी मर्जी से सेवा मुक्त कर सकेगी। इस तरह की तानाशाही का अधिकार मौजूदा सरकार ने लिया है। इन शब्दों के साथ में इस विनियोग विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आमतौर से एप्रोप्रियेशन बिल के विरोध का आदी नहीं हूं, लेकिन आज इस प्रदेश में मंत्रि-मंडल तो है लेकिन सरकार कोई नहीं है, न कोई ज्वायंट रिस्पांसिबिलिटी है। यदि चौधरी साहब को पैसा खर्च करने का पूर्ण अधिकार दे दिया जाय तो मैं शायद एक मिनट भी इसका विरोध करने के लिये तैयार न होऊं। लेकिन ९ महीने में चौधरी साहब के मंत्रियों ने और विभिन्न पार्टियों ने क्या किया है उसको बतलाने के लिये मेरे पास न तो समय ही है और न मैं इस समय इसको उचित ही समझता हूं। चौधरी साहब ने जब हम लोगों को छोड़ा तो अमीनुद्दौला पार्क में एक विराट सभा हुई और कांग्रेस छोड़ने के कारणों में से एक यह था कि जो उम्मीदवार आम चुनाव में हार गये हैं वे इस पक्ष में नहीं थे कि उनको मंत्रि-मंडल में लिया जाय या बड़ी कमेटीज का चेयरमैन बनाया जाय। चौधरी साहब जरा देख लें कि कहीं उनसे गलती से डिफीटेड कैंडिडेट किसी कमेटी का चेयरमैन तो नहीं बन गया है। फिर एक ही पार्टी के आदमी एडमिनिस्ट्रेशन में बढ़ते जा रहे हैं। इससे असंतोष बढ़ रहा है। मेरे माननीय मित्र राम स्वरूप वर्मा ने यह स्टेटमेंट दिया था कि अगर सिंचाई विभाग उनको दे दिया जाय तो १५ करोड़ की बचत वह कर सकते हैं। मेरा मुख्य मंत्री जी को सुझाव है कि इस प्रदेश की इकोनामी को दृष्टि में रखते हुए यह विभाग उनको दे दिया जाय ताकि १५ करोड़ की बचत हो सके।

श्री रामस्वरूप वर्मा—

जो बातें, अध्यक्ष महोदय, यह कही गयीं उनका इस विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं था फिर भी माननीय सदस्य मौके बेमौके कोई न कोई बात कह ही देते हैं। मैं उत्तर में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिन मदों के बारे में यह रुपया मांगा गया है वह बहुत ही उचित है। यह बहुत ही मासूम विधेयक है और उधर के माननीय सदस्य जब इधर बैठते थे तो यही अनुरोध करते थे कि यह मासूम विधेयक है, इस पर बहस नहीं होनी चाहिये। वे उस परम्परा को स्वयं तोड़ना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि वे इसे न तोड़ें और इस मासूम विधेयक को अवश्य स्वीकार करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६७–६८ का प्रथम अनपूरक) विधेयक, १९६७ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २, ३, अनुसूची, खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६७–६८ का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९६७

३१ मार्च, १९६८ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये राज्य की संहृत निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के अठारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम, उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६७-६८ का प्रथम अनुपूरक) अधिनियम, १९६७ कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से वर्ष १९६७-६८ के लिये ५३,५३,२२,९०० रु० का दिया जाना।

२—ऐसे विधि परिव्यय चुकाने के लिये जो ३१ मार्च, १९६८ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ २ में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के संबंध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनरशियों से, जिनका कुल योग ५३,५३,२२,९०० रु० (तिरपन करोड़ तिरपन लाख बाईस हजार नौ सौ रु०) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

३—इस अधिनिम द्वारा उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है उनका विनियोग ३१ मार्च, १९६८ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

अनुसूची

(धारायें २ व ३ देखिये)

१	२	३		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
२	भू-राजस्व ..	..	११,९००	११,९००
४	बिक्री-कर ..	२,९५,०००	..	२,९५,०००
५	अन्य कर और शुल्क	२४,३००	..	२४,३००
७	निबन्धन ..	१४,०००	..	१४,०००
१०	सामान्य प्रशासन ..	२,०१,२००	५,३००	२,०६,५००
११	आयुक्त और जिला प्रशासन	४,९८,८००	..	४,९८,८००
१५	पुलिस ..	१३,७७,३००	..	१३,७७,३००
१६	खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन	१३,९७,१००	..	१३,९७,१००
१७	वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य	१,२४,३००	३१,९००	१,५ ,२००
१८	शिक्षा ..	९९,८१,२००	१८,९००	१,००,००,१००
१९	चिकित्सा ..	२४,५२,४००	..	२४,५२,४००
२०	सार्वजनिक स्वास्थ्य ..	२,३०,४००	१२,३००	२,४२,७००

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहृत निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
२१	कृषि सम्बन्धी विकास	७००	..	७००
२३	पशुपालन और मत्स्य पालन	५००	..	५००
२४	सहकारिता ..	११,७४,४००	..	११,७४,४००
२५	उद्योग	२००	..	२००
२६	नियोजन और समन्वय ..	१,५०,२५,२००	२१,९००	१,५०,४७,१००
२७	श्रम और सेवायोजन ..	१,४८,५००	..	१,४८,५००
२९	अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां ..	१०,००,०००	..	१०,००,०००
३०	समाज कल्याण ..	१००	..	१००
३१	राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य ..	४,६२,३००	..	४,६२,३००
३२	सिंचाई अधिष्ठान ..	५,४८,०००	..	५,४८,०००
३३	सार्वजनिक निर्माण - कार्य, जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं	३००	१८,४००	१८,७००
३५	सार्वजनिक निर्माण -कार्य अधिष्ठान ..	१००	..	१००
३६	सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक अनुदान	५१,३००	..	५१,३००
४२	वन	१,००,०००	..	१,००,०००
४३	प्रकीर्ण व्यय ..	१,७६,०००	..	१,७६,०००
४६	औद्योगिक और वित्तीय विकास पर पूंजी परिव्यय	६,४३,५८,९००	..	६,४३,५८,९००
४७	बहु-प्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय ..	..	४,३००	४,३००
४८	सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	३१,०५,०००	..	३१,०५,०००
५०	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय ..	१,०००	..	१,०००
५१	सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय . ..	९५,१००	११,९००	१,०७,०००
५३	राज्य व्यापार की योजनाएं	३३,६६,६६,०००	.	३३,६६,६६,०००
५४	ब्याज वाले ऋण और अग्रिम	९,५६,७६,५००	..	९,५६,७६,५००
	योग ..	५३,५१,८६,१००	३,३६,८००	५३,५३,२२,९००

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड २,३, अनुसूची, खण्ड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामस्वरूप वर्मा—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६७–६८ का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९६७ पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६७–६८ का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९६७ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास एक प्रस्ताव आया है। इसे मैं इसलिए नहीं ले सका कि सारे बिल में इस विषय पर ही बातचीत हो चुकी है और प्रश्नों द्वारा अन्य बातों का निराकरण हो सकता है।

एक माननीय कल्पना सिंह जी का है। राजकीय नलकूपों से कुछ कठिनाइयां है उन के विषय में यह है। उसको भी मैंने देखा। तो इस पर पूरी चर्चा हो चुकी है इस लिए मैं इसको स्वीकार नहीं कर सका हूं लेकिन इसको मैंने सम्बन्धित मन्त्री जी के पास भेज दिया है।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, क्या उसके ऊपर चर्चा हो चुकी है?

श्री अध्यक्ष—

चर्चा हो चुकी है, इसके अलावा विलम्बित भी है। कार्य-स्थगन प्रस्ताव का महत्व यह है कि यदि केवल एक दिन भी बीच में निकल जाय घटना के बाद तो वह खतम हो जाता है। उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। फिर भी मैंने उसे सम्बन्धित मन्त्री के पास भेज दिया है।

श्री हुकुम सिंह (जिला आगरा)—

ऐसा है कि इस प्रश्न पर आप ग र कीजिये कि मैं जेल में बन्द था, मैंने आगरा के सम्बन्ध में अखबारों में पढ़ा कि पुलिस ने जनता पर लाठियों से प्रहार किया जब कि उन्होंने दफा १४४ तोड़ने की कोशिश की और आज भी वहां दफा १४४ लगी हुई है। वहां पुलिस द्वारा अत्याचार हो रहा है और उस को रोकने वाला कोई नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर कार्यवाही की जाय।

श्री अध्यक्ष—

माननीय परिहार जी आप बैठिये। अब उसका स्थान यहां नहीं है। आप की इच्छा से मेरी पूरी सहानुभूति है लेकिन अब इस विषय पर यहां कुछ कहने के लिए स्थान नहीं है।

[श्री अध्यक्ष]

क्योंकि इस विषय पर कल करीब करीब दिन भर चर्चा हुई, तो अगर आप रहे होते तो यह करते लेकिन और भी तो माननीय सदस्य एक शहर के और जिले के होते हैं, केवल एक सदस्य तो होते नहीं हैं, दूसरे सदस्य भी उस घटना का जिक्र कर सकते थे। तो अब आप शार्ट नोटिस द्वारा या और तरह से क्वेश्चन करके जानकारी प्राप्त करलें।

श्री हुकुमसिंह—

मेरा कहना है कि अभी तक वहां दफा १४४ क्यों लगी हुई है ?

श्री अध्यक्ष—

मैंने आवश्यक कार्यवाही के लिए उसे माननीय मुख्या संत्री के पास भेज दिया है। (श्री हुकुम सिंह के बोलते रहने पर)

माननीय परिहार जी, इस तरह से आपका बोलना अनुचित है, क्योंकि मैंने आप को अनुज्ञा दी नहीं है। अगर इस तरह से सदन में खड़े होकर गलत तरीके से आप अपनी सारी बात कहने लगें तो यह ठीक नहीं है। मेरी मजबूरी है, उसे मैंने बतला दिया। वैसे भी आप को सन्तोष हो गया, आप को जो कहना था आप ने कह लिया, ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं कि इस पर सारे दिन चर्चा हो चुकी है।

श्री हुकुमसिंह—

जो जेलों में आज भी बन्द हैं उनको कब छोड़ा जायगा ?

श्री अध्यक्ष—

आप सवाल कीजिये, उसका जवाब आप को मिल जायेगा।

नियम ५१ के अन्तर्गत विभिन्न सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम ५१ की मेरे पास ११ सूचनायें आयी हैं। उन में से एक माननीय इन्द्रलाल जी का है जो नैनीताल जिले के सम्बन्ध में है। उसको मैंने माननीय मन्त्री जी के पास कार्यवाही के लिए भेज दी है।

एक और माननीय धनुषधारी पांडेय जी का है जिसे विलम्बित होने के कारण मैंने अस्वीकृत कर दिया है। एक माननीय सुखदेव प्रसाद का है, उसे भी विलम्बित होने के कारण मैंने अस्वीकृत कर दिया है। लेकिन उसे माननीय मन्त्री जी के पास आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दिया है। उस के बाद एक माननीय श्री श्रीराम राजपूत का है, उसे भी विलम्बित होने के कारण मैंने अस्वीकृत कर दिया है, लेकिन माननीय मन्त्री जी के पास जानकारी और कार्यवाही के लिए भेज दी है।

वैस्टर्न इन्डिया मैच कम्पनी लिमिटेड, बरेली में तालाबन्दी के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक माननीय राजाराम पांडेय जी का है जो वैस्टर्न इंडिया मैच कम्पनी लिमिटेड, बरेली के सम्बन्ध में है जो इस प्रकार है—

"वेस्टर्न इंडिया मैच कम्पनी लिमिटेड, बरेली के प्रबन्धकों के कारण फैक्टरी में २४-११-६७ को प्रातः ९ बजे से तालाबन्दी से १६०० मजदूर बेकार हो उठे हैं। श्रमिकों की प्रतिनिधि यूनियन माचिस मजदूर संघ ने २१ सितम्बर, १९६७ को १४

मांगों की एक सूची अपनी तकलीफों के सम्बन्ध में दी थी, जिसमें मंहगाई भत्ते की कटौती तथा प्रोडक्शन बोनस की कटौती वापस लेने, कैजुअल मजदूरों को स्थायी बनाने और बेसिक वेतन में २५ पैसे प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ौत्तरी करने की मांग की थी। मिल के प्रबन्धकों तथा सरकार की उदासीनता से स्थिति यहां तक पहुंच गयी है कि १६०० मजदूरों को प्रबन्धकों ने बेकार कर दिया है जिसके कारण मजदूरों का ८ हजार व्यक्तियों का परिवार आज भूख का सामना कर रहा है। इस से डेढ़ लाख रुपया प्रतिदिन के हिसाब से सरकार की एक्साइज ड्यूटी तथा अन्य टैक्सों का घाटा है।"

इस को मैंने नियम ५१ में तो अस्वीकृत कर दिया है, लेकिन सम्बन्धित मन्त्री को वक्तव्य देने के लिए मैंने आदेश दे दिया है। वे कल वक्तव्य देंगे। अगर आज दे सकें तो आज ही दे दें। शायद वे आज यहां हैं नहीं, तो कल वे वक्तव्य देंगे।

पंचायत मंत्रियों की नौकरी की शर्तों के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक माननीय हेमवतीनन्दन बहुगुणा जी का है जो इस प्रकार है—

"उत्तर प्रदेश के ८७९२ पंचायत मंत्रियों की नौकरी की शर्तें और निहायत खराब वेतन-क्रमों को ले कर उनमें अत्यन्त बैचैनी है। संविद सरकार के घटकों ने इन लोगों की मांगों को हमेशा उचित बताया लेकिन शासनारूढ़ होने के बाद उनकी अवहेलना कर दी है। पंचायत मंत्रियों के प्रतिनिधि लखनऊ में घूम रहे हैं और उनके प्रदेशीय संगठन के अध्यक्ष श्री ब्रह्मानन्द ने संलग्न दो अपीलें निकाली हैं। पंचायती राज्य की इस मुख्य कड़ी की बैचैनी से पंचायतों का काम ठप हो गया है। इस कारण फैले व्याप्त असन्तोष पर सरकार की प्रतिक्रिया जानना आवश्यक है।"

इस पर भी कल वक्तव्य होगा।

नियम ५१ के अन्तर्गत विभिन्न सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—

एक माननीय रामसुन्दर शास्त्री जी ने भेजा है। तो माननीय कृष्णानन्द राय जी का एक वक्तव्य होना है। इसका भी उसी से सम्बन्ध है। इसलिए वह उसमें सम्मिलित हो जायगा।

एक माननीय एस० जी० दत्त ने जो सुबह प्रश्नों के समय बिला अधिकार अपने आप खड़े हो कर बात कर रहे थे दिया है कि २५ दिसम्बर के त्योहार के समय एक कठिनाई होती है। तो उसके लिए भी मैंने माननीय मन्त्री को सहानुभूतिपूर्वक विचार के लिए भेज दिया है।

इसके बाद माननीय कल्याणचन्द मोहिले को कुछ स्थानीय कठिनाई है सूखा तथा बाढ़ के कारण इलाहाबाद में। उसको भी मन्त्री महोदय के पास सहानुभूतिपूर्वक कार्यवाही के लिए भेज दिया है।

पूर्वी जमुना नहर में पानी की कमी के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक वीरेन्द्र वर्मा जी का है। इसमें मुझे पता लगा शायद मन्त्री जी वक्तव्य देने के लिए तैयार हैं।

"पूर्वी जमुना नहर प्रदेश के तीन पश्चिमी जिलों—मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के एक बड़े भू-भाग की सिंचाई के लिए बनी हुई है, किन्तु उस में पानी की भारी कमी है। वह अपने कमान्ड एरिया की समुचित सिंचाई नहीं कर पाती। फलस्वरूप प्रति वर्ष करोड़ों रुपये की फसलों को तीनों जिलों में क्षति पहुंचती रहती है। प्रश्न बहुत ही लोक महत्व का है। अतः नियम ५१ के अन्तर्गत इस विषय पर सिंचाई मन्त्री जी से वक्तव्य दिलाने की व्यवस्था करें।"
इसे मैंने नियम ५१ में तो स्वीकार नहीं किया है...

सिंचाई मन्त्री (श्री टम्बरेश्वर प्रसाद)—

मैं कल वक्तव्य दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष—

मुझे यह पता लगा कि आप शायद तैयार हैं। तो मैं अनुगृहीत इस लिए होऊंगा कि इस के बाद हमारे पास कोई काम नहीं है।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

कल दूंगा। अगर पहले नोटिस मिल जाती तो दे देता।

श्री अध्यक्ष—

अच्छी बात है।

कतिपय विषय

श्री हुकुमसिंह (जिला आगरा)—

मैंने आज सुबह ही निवेदन किया था इस कामरोको प्रस्ताव पर तो आपने कहा था कि चर्चा करने का समय मिलेगा। तो आपने न तो उसे पढ़ कर सुनाया और न उस पर मुख्य मन्त्री जी से वक्तव्य देने के लिए जो मेरी मांग है वह भी स्वीकार नहीं किया। मैं फिर से आप के द्वारा मुख्य मन्त्री से प्रार्थना करूंगा कि इस सम्बन्ध में खुली जांच होनी चाहिये। वहां १२ आदमी छूटने के बाद भी ४१ आदमी बन्द हैं...

श्री अध्यक्ष—

आप यहां पर जो गैस छोड़ रहे हैं भाषण की वह बेकार है। माननीय मुख्य मन्त्री जी से आप स्वयं मिल लें। मैं तो अपना निर्णय इस विषय में दे चुका। लेकिन मुख्य मन्त्री जी तो हमेशा सदस्यों को अगर कोई कठिनाई हो तो उसको सुनने के लिए तैयार रहते हैं और रहना चाहिये। तो उनसे बात कर लीजिये।

श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)—

मैंने जो प्रस्ताव भेजा है गाजीपुर में गंगा के पुल के बारे में, तो कैबिनेट की सब-कमेटी चूंकि बन गयी है इसलिए इस में कुछ प्वाइंट्स ऐसे रखे गये हैं उस में वक्तव्य देने में आसानी होगी।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है । वह हो जायगा, मैं भेज रहा हूं ।

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ३० मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ:
२१ दिसम्बर, १९६७ ।

विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४–५ का उत्तर आगे पृष्ठ ५३५ पर)

उन स्थानों के नाम जिनमें १ मार्च, १९६७ से लेकर ५ जून, १९६७ तक गोली चलानी पड़ी	गोली चलने के फलस्वरूप मरने वाले व्यक्तियों की संख्या	गोली चलने के फलस्वरूप घायल हुए व्यक्तियों की संख्या
१––पहाड़ महादेवन, मंदिर, थाना शंकरगढ़, इलाहाबाद ।	..	..
२––ग्राम बधुआ नगला, थाना उसेत, बदायूं ।	..	१
३––ग्राम सिधौली, थाना सिधौली, शाहजहांपुर ।	..	२
४––मो० गोला हनुमान फाटक, थाना आदमपुर, वाराणसी ।	२	१५
५––गढ़ मुक्तेश्वर, मेरठ ।	१	२

प्रश्न संख्या ५ से संबंधित तालिका

उन जिलों के नाम जिनमें १ मार्च, १९६७ से ५ जून, १९६७ तक दफा १४४ लगानी पड़ी ।	उन जिलों के नाम जिनमें दफा १४४ का उल्लंघन किया गया
१––उन्नाव	१––कानपुर ।
२––कानपुर	२––इलाहाबाद ।
३––जौनपुर	३––मुरादाबाद ।
४––रामपुर	४––बिजनौर ।
५––इलाहाबाद	५––वाराणसी ।
६––इटावा	६––मेरठ ।
७––रायबरेली	७––बरेली ।
८––आगरा	
९––गोरखपुर	
१०––अलीगढ़	
११––बदायूं	
१२––बरेली	
१३––फतेहगढ़	
१४––आजमगढ़	
१५––देहरादून	
१६––लखनऊ	

१	२
१७—बांदा	
१८—पीलीभीत	
१९—बस्ती	
२०—फतेहपुर	
२१—मेरठ	
२२—शाहजहांपुर	
२३—मुरादाबाद	
२४—मुज़फ्फरनगर	
२५—बिजनौर	
२६—वाराणसी	

सत्यमेव जयते

परिशिष्ट "ख"

(देखिये तारांकित प्र न सं० ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ ५५० पर)

संख्या १३४७ (ई)/३६-बी---२३०(ई)-१९५८

प्रेषक,

श्री बी० पी० जोशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक, प्रशिक्षण तथा सेवायोजन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

दिनांक ७ अक्तूबर, १९६३

विषय:---प्रशिक्षण तथा सेवायोजन के संबंध में परामर्शदात्री समितियों का गठन

महोदय,

(ख) मुझे उपर्युक्त विषय का हवाला देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकार कुछ समय से
ाग प्रशिक्षण तथा सेवायोजन संबंधी जिला परामर्शदात्री समितियों के पुनस्संगठन के प्रश्न पर ध्यान दे रही है। इन समितियों को अलग-अलग गठित करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा सेवायोजन कार्यालयों के कार्यकरण से जनमत को सम्बद्ध किया जाय जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सुचारुरूप और उपयोगी ढंग से कार्य करें। अभी कुछ समय पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रसार के दौरान में यह अनुभव किया गया है कि कार्यदक्षता को और अधिक बढ़ाने तथा पहले से अधिक मात्रा में कार्य सम्पन्न किये जाने के निमित्त इन दोनों संस्थाओं के कार्यकरण में घनिष्ट समन्वय होना आवश्यक है। यह भी अनुभव किया जाता है कि बहुत सी समितियां नहीं होनी चाहिये और तदनुसार इस विषय पर समस्त पिछले आदेशों का अतिक्रमण करके औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा सेवायोजन कार्यालयों के लिये एक ही समिति गठित करने का निश्चय किया गया है।

२-- ई समिति "जिला प्रशिक्षण तथा सेवायोजन समिति" कहलायेगी, और उसका गठन तथा उसके कृत्य इस प्रकार होंगे--

गठन---सभापति .. समिति का एक गैर-सरकारी सदस्य

सदस्यगण ..

(१) निजी क्षेत्र के अन्तर्गत स्थानीय उद्योग तथा सेवायोजकों में प्रत्येक का एक-एक प्रतिनिधि।

(२) सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत स्थानीय उद्योग तथा सेवायोजकों में से प्रत्येक का एक-एक प्रतिनिधि।

(३) श्रमिकों के दो प्रतिनिधि,

(४) विश्वविद्यालय के यदि कोई हों, अर्थशास्त्र विभाग का एक प्रतिनिधि जो उप कुलपति द्वारा नामित किया जायगा अथवा एक प्रमुख स्थानीय अर्थशास्त्रज्ञ अथवा जिलों के किसी महाविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग का अध्यक्ष जो जिला अधिकारी द्वारा नामित किया जायगा।

(५) सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधि,

(६) राज्य विधान मंडल के दो या दो से अधिक सदस्य, पर चार से अधिक नहीं,

(७) जिला नियोजन अधिकारी,

(८) जिला उद्योग अधिकारी,

(९) स्थानीय सेवायोजन अधिकारी---

सदस्य सचिव .. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान केन्द्र का आचार्य अथवा जिले में यदि कोई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान केन्द्र न हो तो स्थानीय सेवायोजन अधिकारी।

कृत्य .. (१) समिति सम्बद्ध संस्थान द्वारा सेवित संभाग में उद्योग की आवश्यकताओं का अध्ययन करेगी और स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के निमित्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सुझाव देगी। इसी प्रकार वह समय-समय पर उस संभाग की, जिसमें सेवायोजन कार्यालय स्थित है, सेवायोजन क्षमता का निर्धारण करेगी तथा उसके विकास में सहायता करेगी।

(२) समिति प्रशिक्षण के लिये अभ्यर्थियों के चयन तथा उन्हें वृत्ति प्रदान करने से संबंधित कार्य को विनियमित करेगी। प्रशिक्षण के लिये चयन करने में समिति साम ग्यतः इस संबध में जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार संचालित रुझान संबंधी परीक्षाओं के परिणामों द्वारा निर्दे त होगी। इन परीक्षा परिणा मों के संबंध में मतभेद होने की स्थिति में समिति तत्संबंधी कारणों को अभिलिखित करेगी। सुपात्र अभ्यर्थियों को वृत्तियां देने की सिफारिश निर्धनता एवं योग्यता के आधार पर की जायगी। इस संबंध में नियम परिशिष्ट "क" में दिये हुये हैं।

(३) प्रशिक्षण तथा सेवायोजन निदेशक, प्रक्रिया आदि के व्योरों के संबंध में विवरण तथा अन्य आवश्यक सूचना समय-समय पर समिति को उसके उपयोग के लिए देता रहेगा।

३--उपर्युक्त क्रम संख्याओं (१), (२), (३), (५) और (६) में उल्लिखित सभापति तथा सदस्यगण सरकार द्वारा नामित किये जायेंगे।

४--जिला प्रशिक्षण तथा सेवायोजन समितियों की कालावधि, गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के दिनांक से तीन वर्ष होगी। समिति की कालावधि के दौरान में जब कभी नामित सदस्यों का कोई स्थान रिक्त होगा तो ऐसे स्थान की पूर्ति के लिये नियुक्त किया गया प्रतिस्थानी सदस्य समिति में समिति को कालाविध केवल शेष अवधि तक के लिये ही कार्य करेगी। सरकार किसी समिति की कालावधि को बढ़ा सकती है और साथ ही समिति के किसी सदस्य को किसी समय हटा भी सकती है।

५--यथासाध्य, समिति की बैठक हर छः महीने में एक बार होगी। समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिये गैर-सरकारी सदस्यों को कोई यात्रा भत्ता अथवा दैनिक भत्ता नहीं दिया जायगा।

६—उन जिलों में जहां इस समय कोई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान केन्द्र नहीं है, समिति अन्तरिम अवधि के लिये केवल सेवायोजन कार्यालय के संबंध में कार्य करेगी ।

७—प्रशिक्षण तथा सेवायोजन के संबंध में ये नई जिला समितियां उस दिनांक से बन जायंगीं जिस दिनांक से इन आदेशों के पैरा ३ के अनुसार सरकार द्वारा गैर सरकारी अध्यक्ष नामित किये जायेंगे । जिला प्रशिक्षण परामर्षदात्री समितियां तथा सेवायोजन संबंधी जिला समितियां, जो क्रमशः शासकीय आदेश संख्या २३८३ (ई)/३६—बी—८३६ (ई)—१९५८, दिनांक १६ अगस्त, १९६० और संख्या ४७७१ (ई) ३६—(बी) २३० (ई)—५८, दिनांक १९ जनवरी, १९६१ के अधीन संघटित की गई थी, इन समितियों के बन जाने के दिनांक से विघटित हो जायेंगी ।

भवदीय,
बी० पी० जोशी,
सचिव ।

संख्या १३४७ (ई) (१)/३६—बी—२३० (ई)—५८

प्रतिलिपि सूचनार्थ निम्नलिखित को प्रेषित—

(१) सचिव, भारत सरकार, श्रम तथा सेवायोजन मंत्रालय (सेवा योजन तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय) नई दिल्ली ।

(२) विकास आयुक्त/उद्योग निदेशक/श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।

(३) प्रतिलिपि, १६ अतिरिक्त प्रतियों सहित प्रत्येक सवायोजन, अधिकारी/आचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ।

(४) प्रभागों के समस्त आयुक्त ।

(५) समस्त जिलाधीशों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे किसी प्रमुख स्थानीय अर्थशास्त्र अथवा उन जिलों में, जहां कोई विश्वविद्यालय नहीं है किसी महाविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष को उपर्युक्त समिति के लिये नामित करने की कृपा करें और उसकी सूचना सरकार को भी दें ।

(६) आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी, अलीगढ़ तथा गोरखपुर विश्वविद्यालयों के प्रस्तोता (Registrars) ।

(७) समस्त जिला नियोजन अधिकारी ।

(८) समस्त जिला उद्योग अधिकारी ।

(९) सचिवालय का नियोजन (क) विभाग ।

(१०) सचिवालय का उद्योग (क) विभाग ।

(११) सचिवालय का शिक्षा (ग) विभाग ।

(१२) सचिवालय के अन्य समस्त विभाग ।

(१३) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ।

आज्ञा से,
काजी मुख्तार अहमद ,
संयुक्त सचिव ।

शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अधीन प्रशिक्षार्थियों को छात्र-वेतन (Stipend) देने के सम्बन्ध में छात्र-वेतन प्रदान कर्त्री समिति (Stipend Award Committee) के पथ प्रदर्शनार्थ नियमावली

१--छात्र वेतन निर्धनता एवं योग्यता के आधार पर दिये जायेंगे ।

२--दो माह से अधिक की अवधि के दीर्घावकाश के लिये छात्र-वेतन नहीं दिये जायेंगे ।

३--छात्र-वेतन प्रदान कर दिये जाने के बाद वह प्रशिक्षण की सम्पूर्ण अवधि पर्यन्त तक, तब तक दिया जायगा जब तक कि छात्र-वेतन पाने वाला असन्तोषजनक प्रगति न दिखाये अथवा शिक्षण संस्था को छोड़ न दें ।

४--संस्था के प्रशिक्षार्थियों की कुल सख्या के ३३ १/३ प्रतिशत तक को छात्र-वेतन दिया जायगा इसमें शर्त यह है कि जहां तक संभव हो इसी सीमा के भीतर राज्य में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के प्रशिक्षार्थियों को उनकी जन संख्या के अनुपात में आरक्षण प्राप्त हो । (अनुसूचित जाति) अनुसूचित जन जातियों के प्रशिक्षणार्थियों में सबसे निर्धन प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवेतन दिये जांय यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षार्थी अपेक्षित संख्या में उपलब्ध न हों तो पिछड़ी हुई जाति के प्रशिक्षार्थियों को छात्र-वेतन देने के संबंध में भी विचार किया जा सकता है ।

५--प्रधानाचार्य अपनी सिफारिशें करते समय प्रशिक्षार्थी के परिवार के प्रत्येक सदस्य की मासिक आय को भी ध्यान में रखेंगे ।

निर्धारित नीति से भिन्न नीति का अनुसरण किये जाने की दशा में हर मामले के संबंध में कारण अवश्य दिये जाने चाहिये ।

६--छात्र-वेतन के लिये प्रार्थना-पत्र देने वाले प्रत्येक प्रशिक्षार्थी से संलग्न प्रपत्र परिशिष्ट "क" में सूचना प्राप्त की जानी चाहिये । प्रार्थना-पत्र में दिये गये विवरण प्रशिक्षार्थी के पिता संरक्षक और एक जिम्मेदार व्यक्ति तथा राज्य सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित किये जाने चाहिये । यदि आवश्यक हो तो सन्देहास्पद मामलों का जिला प्राधिकारियों द्वारा सत्यापन किया जाना चाहिये । प्रधानाचार्य द्वारा ये प्रपत्र छात्र-वेतन प्रदान-कर्त्री समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने चाहिये ।

७--संस्था के प्रधानाचार्य को छात्र-वेतन प्रदानकर्त्री समिति की बैठक के पहले और छात्र-वेतन के लिये प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर, ऐसे प्रशिक्षार्थियों को, जो कि न्यूनतम आय वर्ग में आते हों, साक्षात्कार करना चाहिये तथा यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न करना चाहिये कि उनमें स्पष्टतः कोई असंगति (Patent absurdity) तो नहीं है अथवा छात्र-वेतन के लिये की गई मांग अत्यधिक कम आय पर तो आधारित नहीं है । सन्देह होने पर प्रधानाचार्य संबंधित प्रशिक्षार्थी के संरक्षक को भी बुला सकता है । ऐसे मामलों में, जहां प्रधानाचार्य यह समझे कि आय गलत लिखी गई है, वह छात्र-वेतन प्रदानकर्त्री समिति के विचारार्थ अपने विचार अभिलिखित कर सकता है ।

८--छात्र-वेतन प्रदानकर्त्री समिति तत्पश्चात् सुपात्र प्रशिक्षार्थियों को छात्र-वेतन प्रदान करने की सिफारिश करेगी ।

९--छात्र-वेतन प्रदानकर्त्री समिति की सिफारिश प्राप्त होने पर, निदेशक, प्रशिक्षण, एवं सेवायोजन द्वारा छात्रवेतन स्वीकृत किये जायेंगे । निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, ऐसे सभी मामलों के संबंध में, जिनमें वह समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने में असमर्थ हो, अपने कारणों को अभिलिखित करेंगे ।

१०—छात्र-वेतन देने के सबंध में जहां तक संभव हो, सत्रारम्भ के दिनांक से दो महीने से अधिक का विलम्ब न होना चाहिये। यदि सत्र का आरम्भ इस महीने के मध्य से होता हो तो यह अवधि ढाई महीने तक की हो सकती है।

११—निर्धन प्रशिक्षार्थियों को छात्र-वेतन देने के बाद यदि कुछ छात्र-वेतन शेष रह जायं तो अन्य ऐसे प्रशिक्षार्थियों को, जिन्हें वास्तव में आर्थिक सहायता की आवश्यकता नहीं है, छात्र-वेतन न देना चाहिये।

१२—यदि किसी समय यह पता चले कि प्रशिक्षार्थी द्वारा दी गई सूचना गलत है तो छात्र-वेतन स्वीकृत नहीं किया जायगा और यदि छात्र-वेतन स्वीकृत किया जा चुका हो तो उसे वापस ले लिया जायगा और यदि कोई छात्र-वेतन पहले भुगतान किया जा चुका हो तो उसे वसूल कर लिया जायगा।

१३—इस योजना के अधीन जब छात्र-वेतन पाने वाला किसी भी कारणवश प्रशिक्षार्थी न रहे तो उसका छात्रवेतन किसी अन्य योग्य अभ्यर्थी को दिया जायेगा बशर्ते नियम ४ में दी गई ३३ १/३ प्रतिशत की सीमा का अतिक्रमण न हो।

१४—छात्र-वेतन पाने वाले प्रशिक्षार्थियों को अपनी प्रार्थना पर एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानान्तरण पर छात्र-वेतन साथ ले जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी और इस प्रकार खाली छात्र-वेतन दूसरे योग्य छात्र को आवंठित किया जा सकता है बशर्ते कि नियम ४ में दी गई ३३ १/३ प्रतिशत की सीमा का अतिक्रमण न हो।

१५—किन्तु किसी प्रशिक्षार्थी की प्रशिक्षण में असन्तोषजनक प्रगति होने अथवा किसी अन्य कारण से उससे वापस लिया गया छात्र-वेतन निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन द्वारा किसी अन्य प्रशिक्षार्थी को, उस दिनांक से जब कि वह वापस लिया गया था, दिया जा सकता है। ऐसे मामलों को छात्र-वेतन प्रदानकर्ता समिति के विचारार्थ भेजने की आवश्यकता नहीं है।

१६—यदि कोई प्रशिक्षार्थी छात्र-वेतन की कोई धनराशि पाने के पूर्व ही प्रशिक्षण छोड़ दे तो उसका छात्र-वेतन किसी अन्य प्रशिक्षार्थी को दिया जा सकता है। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि छात्र-वेतन पाने वाले प्रशिक्षार्थियों का प्रतिशत निर्धारित सीमा से अधिक न बढ़े।

१७—यदि किसी प्रशिक्षार्थी का कार्य तथा आचरण सन्तोषजनक न पाया जाय तो उसका छात्र-वेतन बन्द किया जा सकता है।

१८—छात्र-वेतन पाने वाले प्रशिक्षार्थी के माता-पिता/संरक्षक को संलग्न प्रपत्र में परिशिष्ट (ख) में इस आशय में एक क्षतिपूर्ति बन्धक (Indemnity bond) भरना पड़ेगा कि आय के सम्बन्ध में सूचना गलत होने पर छात्र-वेतन के रूप में दी गई धनराशि संरक्षक माता-पिता तथा प्रति-भू (Surety) से भूमि राजस्व के बकाये के रूप में वसूली के व्यय के सहित वसूल की जा सकेगी।

१९—छात्र-वेतन के लिये प्रशिक्षार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में अपने पिता/संरक्षक की आय के सम्बन्ध में गलत सूचना दिये जाने पर उसके विरूद्ध आनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

२०—ऐसे व्यक्ति, जिन्हें शासन से किसी प्रकार का अन्य कोई छात्र-वेतन मिल रहा है। कोई दूसरा छात्र-वेतन पाने के अधिकारी न होंगे।

२१—यदि किसी एक ही संस्था में एक परिवार के दो सदस्य प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हों तो अत्यन्त असाधारण और उपयुक्त मामलों को छोड़कर उनमें से एक ही को छात्र-वेतन दिया जाना चाहिये।

२१—राजनीतिक पीड़ितों के आश्रितों के रूप में छात्र-वेतन की मांग करने वाले प्रशिक्षार्थियों से सत्र आरम्भ होने के दिनांक से तीन महीने की अवधि के भीतर, जिला मैजिस्ट्रेट जिला कारागार अधीक्षक से अपनी मांग के समर्थन में आवश्यक लेख प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायगी।

परिशिष्ट—क

छात्र वेतनों का प्रदान किया जाना

प्रश्नावली

१—प्रशिक्षार्थियों का नाम और व्यवसाय———————————————

२—दिनांक————————से आरम्भ होने वाले सत्र के लिये प्रविष्ट किया गया ।

३—क्या पिता/पति जीवित हैं———————————————————

४—यदि पिता/पति की मृत्यु हो गयी हो तो अभिभावक से सम्बन्ध————

———————————————————————————

५—पिता/पति/अभिभावक की वृत्ति———————————————

६—पिता/पति/अभिभावक/अन्य पारिवारिक सदस्य की मासिक वृत्तिक आय————

———————————————————————————

७—भू-सम्पत्ति या अन्य स्रोतों से, यदि कोई हो, अतिरिक्त मासिक आय————

———————————————————————————

८—आश्रितों की संख्या तथा उनका संबंध———————————————

९—प्रति व्यक्ति मासिक आय———————————————————

१०—छात्रावासी है या दैनिक छात्र———————————————

११—पाठशाला में निःशुल्कता/अर्द्धति/(शुल्कता), यदि कोई हो————————

प्रशिक्षार्थी के हस्ताक्षर

मेरी पूरी जानकारी में उपर्युक्त विवरण ठीक है ।

उत्तरदायी व्यक्ति के उसकी मुहर
(सील) सहित हस्ताक्षर

पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर

प्रशिक्षार्थी की प्रगति (प्रधानाचार्य द्वारा भरा जायगा)————————

———————————————————————————

प्रधानाचार्य,
(औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान)

छात्र-वेतन प्रदानकर्ता समिति की सिफारिश————————————

———————————————————————————

सभापति,
(छात्र-वेतन प्रदानकर्ता समिति)

परिशिष्ट-ख

प्रारूप

————————————म औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के छात्र-वेतन लेने के लिये क्षतिपर्ति बन्धपत्र का प्रपत्र ।

इन उपस्थापन-पत्रों से सबको विदित हो कि मैं,

(क) ————————————————————————————————

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री————————————————————————————————

निवासी————————————————————————————————

(पश्चात् अभिभावक/माता-पिता कहा गया है) तथा (ख)————————————————————

————————————पुत्र/पुत्री/पत्नी————————————————————

श्री————————————निवासी————————————————————

(जिसे एतद्पश्चात् प्रशिक्षार्थी कहा गया है) और (ग)————————————————————

————————————पुत्र/पुत्री/पत्नी,

श्री————————————निवासी————————————

उसकी ओर से, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के प्रति (जिन्हें एतद्पश्चात् राज्यपाल कहा गया है), ————————————(शब्दों में) रुपयों की धनराशि के लिये धृत है और दृढ़तापूर्वक बद्ध प्रतिभू है जिसका भुगतान राज्यपाल के या उनके अभिहस्तांकितियों को किया जायगा । इसका भुगतान भली प्रकार और वस्तुतः—करने के लिये हममें से प्रत्येक अपने को अपने दामादों, निष्पादकों, प्रशासकों तथा अभिहस्तांकितियों को पृथक रूप से इन उपस्थापन-पत्रों द्वारा दृढ़ता से आबद्ध करते हैं ।

साक्षी के रूप में हमने इस पर आज————————————————————————

दिनांक————————————उन्नीस सौ————————

को अपने हस्ताक्षर किये और (ख)————————————————————————

उसके औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश के समय वयस्क/अवयस्क और पूर्णतः आश्रित तथा अथवा (क)————————————————————————को

एतद्द्वारा घोषणा करता है कि आय-विवरण, जैसा कि वह प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश पाने के लिये प्रार्थना-पत्र के साथ वाद तथा में (ख)————————————————————

————————को छात्र-वेतन प्रदान करने के लिये प्रार्थना-पत्र के साथ भी प्रस्तुत किया गया है, सच है

और राज्य सरकार ने, अभिभावक, माता/पिता/प्रशिक्षार्थी द्वारा राज्यपाल को प्रस्तुत की गयी सूचना के आधार पर उक्त छात्र-वेतन प्रशिक्षार्थी को स्वीकृत किया है ।

अतएव, ऊपरलिखित बंधपत्र की शर्त यह है कि यदि प्रशिक्षार्थी को भुगतान कर दिया गया हो, तो अभिभावक/माता-पिता तथा प्रतिभू, का आय-विवरण के अशुद्ध होने की दशा में, उक्त छात्र-

वेतन राज्यपाल को उस वास्तविक धनराशि तक लौटा देगा जिसका भुगतान राज्य सरकार द्वारा प्रशिक्षार्थी को किया गया हो, और क्षतिपूर्ति करेगा तथा सरकार को उपर्युक्त छात्र-वेतन के संबंध में कोई हानि न होने और वसूल करने के परिणाम स्वरूप होने वाले समस्त व्ययों से मुक्त कर देगा तो उपरिलिखित वन्ध य आभार शून्य हो जायगा अन्यथा वह पूर्णतया प्रचलित व प्रभावी रहेगा।

उपरिलिखित बन्ध और उसकी शर्तों के साक्ष्य में हम

(क)_____तथा (ग)_____

ने, यहां इसमें आज_____विनांक_____

१९_____को अपने हस्ताक्षर किये।

(क) माता-पिता/अभिभावक का पूरा नाम तथा निवास-स्थान।

(ख) प्रशिक्षार्थी का नाम और स्थायी पता _____

(ग) प्रतिभू का पूरा नाम तथा निवास-स्थान_____

१_____ (क) _____

२_____को उप-

१_____स्थिति में (ख) _____

२_____

१_____ (ग) _____

२_____

ने हस्ताक्षर किये।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५५७ पर)

अधिकारियों की सूची जो ५-७-६७ को ऐसे पदों पर कार्य कर रहे थे जिसके लिये लोक सेवा आयोग से चयन नहीं किये गये थे

क्र० सं०	पद	तिथि जब से वर्तमान अभ्यर्थी इन पदों पर कार्य कर रहे हैं ।
१	२	३
१	उप निदेशक उद्योग (प्रोजेक्ट)	१९-३-६५
२	उप निबन्धक औद्योगिक सहकारी समितियां	१-१२-६२
३	विकास अधिकारी	१०-११-६०
४	विकास अधिकारी (विद्युत्)	१७-४-६७
५	व्यवस्थापक औद्योगिक आस्थान, कानपुर	१७-४-६७
६	व्यवस्थापक औद्योगिक आस्थान, आगरा	२८-८-६४
७	टैकिनकल मैनेजर (वायणनेटिंग)	१२-४-६७
८	सेन्ट्रल कन्ट्रोलर (गुण चिन्हांकन योजना)	१५-९-६६
९	विकास अधिकारी (निर्यात)	४-५-६६
१०	उप निदेशक उद्योग (हथकरघा)	१-४-६४
११	सहायक उद्योग निदेशक (स्टोर)	१-१०-६६
१२	मैकेनिकल इंजीनियर (पाटरी)	१८-५-६६
१३	असिस्टेन्ट इंजीनियर (औद्योगिक आस्थान)	२-११-६४
१४	इंजीनियर मैनेजर (औद्योगिक आस्थान)	१०-५-६७
१५	,, ,, ,, ...	११-७-६६
१६	सहायक निदेशक उद्योग (लेदर)	१-२-६७
१७	सहायक निदेशक उद्योग (पावर लूम)	२१-६-६५
१८	वर्कशाप सुपरिन्टेंडेन्ट (इलेक्ट्रोप्लेटिंग)	१-१०-६६
१९	सुपरिन्टेंडेन्ट डेवलपमेन्ट (नानफेरस)	४-८-६४
२०	सहायक निदेशक उद्योग (सेरीकल्चर)	१६-८-६६
२१	सेरामिस्ट	३१-५-६६
२२	,, ...	१८-१२-६५
२३	रिसर्च केमिस्ट	१९-९-६६
२४	सुपरिन्टेंडेन्ट वर्कशाप (टेस्टिंग लैब, गाजियाबाद) ..	९-७-६४
२५	सहायक निदेशक उद्योग (टैक्सटायल निरीक्षण) ..	८-७-६६
२६	मेटलार्जीकल इंजीनियर (वायर नेटिंग)	२८-७-६४
२७	सहायक निदेशक उद्योग (इंजीनियरिंग स्टोर्स) ..	११-८-६६
२८	सहायक निदेशक उद्योग (इंजीनियरिंग गुण चिन्हांकन योजना) ..	२०-१२-६५
२९	जिला उद्योग अधिकारी (प्रथम श्रेणी)	२८-९-६६
३०	जिला उद्योग अधिकारी (श्रेणी १)	२१-९-६४
३१	जिला उद्योग अधिकारी (प्रथम श्रेणी)	१५-४-६७

१	२	३
३२	जिला उद्योग अधिकारी (प्रथम श्रेणी) ..	६–६–६४
३३	,, ,, ,, ..	.. ४–६–६४
३४	,, ,, ,, ..	.. १५–६–६४
३५	,, ,, ,, ..	.. १६–६–६४
३६	,, ,, ,, ..	.. २२–६–६६
३७	,, ,, ,, ..	.. १४–६–६३
३८	,, ,, ,, ..	.. ३०–१२–६५
३९	,, ,, ,, ..	.. ६–६–६४
४०	,, ,, ,, ..	.. २१–६–६६
४१	,, ,, ,, ..	.. २–७–६६
४२	सहायक निदेशक उद्योग (हथ करघा) ..	.. २८–२–६६
४३	,, ,, ,, ..	.. १–१०–६३
४४	,, ,, ,, ..	.. १५–५–६७
४५	,, ,, ,, ..	.. ११–६–६४
४६	,, ,, ,, ..	.. २–८–६५
४७	सहायक निदेशक उद्योग (मारकेटिंग) ..	.. २–७–६४
४८	,, ,, ,, ..	.. ६–१२–६५
४९	,, ,, ,, ..	.. २१–१०–६५
५०	,, ,, ,, ..	.. १–५–६७
५१	सहायक विकास अधिकारी (निर्यात) ..	.. २२–६–६५
५२	,, ,, ,, ..	.. १८–६–६५
५३	,, ,, ,, ..	.. १–१०–६६
५४	,, ,, ,, ..	.. १–१०–६६
५५	,, ,, ,, ..	.. १–८–६६
५६	प्लानिंग-कम-सर्वे आफिसर	.. ३–६–६६
५७	,, ,, ...	.. आजकल निलम्बित है।
५८	,, ,, ...	.. ५—६–६७
५९	,, ,, ...	.. ९–१२–६५
६०	,, ,, ...	.. २९–९–६५
६१	सहायक निबंधक (नान टेक्सटाइल) ..	.. २१–५–६४
६२	सहायक निबंधक (हथ करघा) ..	.. १–७–६५
६३	सहायक उद्योग निदेशक (इस्टेब्लिशमेंट) ..	.. ३०–४–६४
६४	सहायक उद्योग निदेशक (सर्वे) ..	.. १–६–६४
६५	सहायक निदेशक उद्योग (आर० एण्ड यू०) ..	.. २५–२–६५
६६	स्पशल मैनेजर हैण्डीक्रैफ्ट्स ..	.. ४–७–६७
६७	सहायक निदेशक उद्योग (सी) ..	.. १–५–६७
६८	वैयक्तिक सहायक, उद्योग निदेशक ..	.. ७–५–६४
६९	जिला उद्योग अधिकारी (द्वितीय श्रेणी) ..	.. २५–६–६५
७०	,, ,, ..	.. १४–४–६७
७१	,, ,, ..	.. १६–६–६४

१	२			
७२	,,	,,	..	..	२१–७–६५
७३	,,	,,	..	..	११–१२–६५
७४	,,	,,	..	..	२६–६–६५
७५	क्षेत्रीय अधीक्षक (उद्योग)		..	..	२६–२–६६
७६	,,	,,	..	..	७–९–६६
७७	,,	,,	..	..	७–८–६५
७८	,,	,,	..	..	१–६–६४
७९	,,	(गुण चिह्न)	..	..	१–७–६५
८०	इंजीनियरिंग-कम-पब्लिसिटी आफिसर		..	..	२१–१०–६५
८१	पाइलेट प्रोजेक्ट आफिसर (हस्तकला)		..	..	२६–७–६५
८२	टेक्नीकल असिस्टेंट		..	..	२१–५–६६
८३	,,	,,	..	..	२३–९–६५
८४	प्लानिंग आफिसर (आर० आई० पी०)		..	..	१–१०–६६
८५	क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (गुण चिह्नांकन योजना)		..	..	२७–२–६६
८६	मेकेनिकल इंजीनियर (कटलरी)		..	..	१–२–६७
८७	अधीक्षक उद्योग (हरिजन औद्योगिक आस्थान)		..	..	२३–८–६४
८८	वर्कशाप सुपरिन्टेन्डेन्ट-कम-सुपरिन्टेन्डेन्ट प्रोडक्शन असेम्बली शाप				२६–२–६६
८९	उप निदेशक उद्योग (लायजन)		..	..	१८–४–६७
९०	असिस्टेंट ग्लास टेक्नालोजिस्ट		..	..	६–६–६६
९१	प्रोजेक्ट आफिसर		..	..	३०–९–६५
९२	,,	,,	..	..	२१–१०–६५
९३	,,	,,	..	..	२–९–६४
९४	,,	,,	..	..	२४–६–६७
९५	चीफ मेटालर्जिस्ट		..	..	१३–१२–६५
९६	क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (गुण)		..	..	१–११–६२

नाथी 'घ'

(देखिए तारांकित प्रश्न ८१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५६१ पर)

	वर्ष			१९६४–२५ से इस्तर	
	१९६४–६५	१९६५–६६	१९६६–६७	१९६५–६६	१९६६–६७
कुल चीनी उत्पादन (क्विन्टल में)	१,३४,१३७	२,०९,१५९	३१,५८५	७५,०२२ (+)	१,०२,५५२ (–)
चीनी परता	८.९१%	९.३६%	८.४८%	०.४५ % (+)	०.४३ (–)
लाभ तथा हानि (रु०)					
(+) (–)	४,६७,२४८.५०	(+)२५,५४,१२६.५७	(+) १७,५५,२७,४०० –		

(बजट के अनुसार स्थिति पत्रक अभी तैयार नहीं है)

वर्ष १९६५–६६ व १९६६–६७ की बैलेंस शीट का अभी आडिट नहीं हुआ है। अतः तुलनात्मक हानि व लाभ के सही आंकड़े देना सम्भव नहीं है।

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५६६ पर)

नीलाम व अटैच किए गए मिलों की सूची

उन्नाव	(१) प्लास्टिक के बटन तथा खिलौने बनाने की फैक्टरी।
कानपुर	(१) लक्ष्मी रतन काटन मिल।
	(२) बंगला मिनियेचर बल्ब इन्डस्ट्रीज।
	(३) लक्ष्मीरतन इंजीनियरिंग वर्क्स।
मुरादाबाद	(१) चुन्दन शुगर मिल, अमरोहा।
आगरा	(१) विमल ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद।
	(२) हबजाज ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद।
	(३) नागपाल इन्डस्ट्रीज, आगरा।
	(४) हाई ग्रेड शू फैक्टरी, आगरा।
	(५) फीटो शू फैक्टरी, आगरा।
	(६) न्यू स्टील आयरन फाउन्ड्री, आगरा।
	(७) एस० के इंजीनियरिंग वर्क्स, आगरा।
	(८) आगरा फुटवीयर कोआपरेटिव सोसाइटी, आगरा।
	(९) प्रीमियर शू० फैक्टरी, आगरा।
	(१०) निर्मल इण्डस्ट्रीज, आगरा।
	(११) हिन्दू ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद।
	(१२) माधो ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद।
	(१३) एम० एल० सिरेमिक हाउस, फिरोजाबाद।
	(१४) फ्लावर ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद।
	(१५) मोहनलाल मंगलकिशोर जैन वर्क्स, आयरन डोलक, फिरोजाबाद।

नत्थी 'च'

(देखिय अतारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५६६ पर)

तालिका उन छोटी सिंचाई योजनाओं की जो वर्ष १९६५-६६ और १९६६-६७ में बनाई गई और अब तक कार्यान्वित हो चुकी हैं।

१—सिंचाई योजना, गवाना
२—सिंचाई योजना खाटा
३—सिंचाई योजना कोटियालगांव
४—सिंचाई योजना तिहार
५—सिंचाई योजना साख
६—सिंचाई योजना गडियारा
७—सिंचाई योजना उत्तरा
८—सिंचाई योजना बन्सल
९—सिंचाई योजना सिगाठ
१०—सिंचाई योजना सिगुणी (धनारी)
११—सिंचाई योजना बरतल (नटराड़ी)
१२—सिंचाई योजना पटारा
१३—सिंचाई योजना सिगुणी
१४—सिंचाई योजना रिसाणगांव
१५—सिंचाई योजना मथाली
१६—सिंचाई योजना संभवगसारी
१७—सिंचाई योजना मैल (धावारी)
१८—सिंचाई योजना ढुन्गी
१९—सिंचाई योजना चिहाट
२०—सिंचाई योजना सेनी
२१—सिंचाई योजना नालपानी
२२—सिंचाई योजना कुराहा
२३—सिंचाई योजना बगास
२४—सिंचाई योजना पिसाऊं
२५—सिंचाई योजना बाढ़नांग
२६—सिंचाई योजना बारसा
२७—सिंचाई योजना उपरासी
२८—सिंचाई योजना मटाला
२९—सिंचाई योजना मलालगांव
३०—सिंचाई योजना सेमलवारी
३१—सिंचाई योजना मल्ला
३२—सिंचाई योजना बनगांव
३३—सिंचाई योजना बरट
३४—सिंचाई योजना धराल
३५—सिंचाई योजना रिउाऊं
३६—सिंचाई योजना डामटा
३७—सिंचाई योजना उतीभा
३८—सिंचाई योजना बिराती

नोट—इसके अतिरिक्त ४ और योजनायें इन वर्षों में बनाई गई थीं जो अभी तक कार्यान्वित नहीं हो पाई हैं।

निम्नलिखित ११ माध्यम श्रेणी की सिंचाई योजनाएं भी इन वर्षों में तैयार की गई परन्तु वे अभी तक कार्यान्वित नहीं हो सकी हैं।

१—नगुन
२—सदारी कन्सो
३—भन्डारी
४—हुषी
५—जयक
६—गुरारी
७—सुनाली
८—सरउर्नल
९—कलैक
१०—परगांव
११—कोटी व खरैटी।

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५६७ पर)

परिशिष्ट 'अ'

बकाया बिक्री कर का वर्षानुसार विवरण (३१-३-१९६७ की स्थिति)

वर्ष	बकाया बिक्री-कर की धनराशि (संख्या रु० लाख में)
१९४८-४९	१.०४
१९४९-५०	२.९८
१९५०-५१	४.७०
१९५१-५२	६.५६
१९५२-५३	५.१७
१९५३-५४	१३.९०
१९५४-५५	१०.२०
१९५५-५६	१२.२७
१९५६-५७	१२.५९
१९५७-५८	६०.५०
१९५८-५९	४९.९५
१९५९-६०	३५.०५
१९६०-६१	४५.५४
१९६१-६२	७०.७०
१९६२-६३	७५.६४
१९६३-६४	९५.१६
१९६४-६५	११५.१४
१९६५-६६	२०८.१८
१९६६-६७	५५६.३५
योग	१,३८१.६२

नत्थी 'ज'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५६७ पर)

परिशिष्ट 'ब'

कानपुर नगर के ऐसे व्यापारियों की सूची जिन पर ५०,००० रु० से अधिक की बिक्री–कर की धनराशि बकाया है

क्रम-संख्या	बकायादारों के नाम	३१–३–६७ को बकाया की धनराशि रु०
	सेक्टर—१	
१	श्री राजा राम श्रीनारायण ५५/१११, जनरलगंज ..	१,३४,६९८
२	,, ओंकार नाथ योगेश कुमार ५५/१०८, जनरल गंज ..	८५,०२५
३	,, दारा वाच एन्ड कम्पनी, बिरहाना रोड ..	७०,६५८
४	,, हरनामल देवकी नन्दन	६२,४८१
५	,, बासुदेव आयल मिल्स, ५५/१२९, काहूकोठी ..	१,६७,०००
६	,, किशोर चन्द कपूर एन्ड कं० नीलवालीगली ..	५०,६८३
७	,, लाल मन रामनाथ, ५५/३०, जनरलगंज	५३,९३८
८	,, विश्वनाथ श्रीनाथ जन्मूल गंज	१,२३,९०५
९	,, देना बेल वेज इण्डस्ट्रीज, श्यामसुन्दर बिल्डिन्ग, दियाल ..	९०,१०१
१०	,, ठाकुर दास राम चन्द	६२,५००
११	,, लक्ष्मी रतन इंजीनियरिंग वर्कस लि०, बिहारी निवास ..	९६,६९५
	योग ..	९,९७,६८४
	सेक्टर—२	
१	महश्वरीदेवी जूट मिल्स, हरीश गंज, कानपुर	७,३१,०७२
२	श्री एच जी० मिश्रा एण्ड कं०, फैक्ट्री, एरिया ..	१,९३,५७९
३	,, महादेव प्रसाद ज्ञान शंकर, नयागंज	५६,०६८
४	,, स्वदेशी काटन मिल्स कं० लि०	३,६२,३४३
५	,, जे० के काटन एन्ड स्पिनिंग मिल्स	१,२३,२५९
६	,, जे० के आइरन एण्ड स्टील कं० लि०, कानपुर ..	४,६५,३२१
७	,, जे० के० जूट मिल्स, कं० कानपुर	१,३७,२७३
८	,, जे० के० काटन मैन्यूफैक्चरर्स, कमलाटावर	३,५०,६३८
९	,, यू० पी० रोलिंग मिल्स लि०	८५,५८०
	योग ..	२५,०५,१३३

सेक्टर—३

१—श्री प्रभु दयाल नरायन दास, ५२/२८, नयागंज, कानपुर	..	..	३,२३,३२०
२—,, जीवन राम राम किशन, ५२/१९ शंकर पट्टी	..	..	५४,७००
३—,, घिस्सू मल बनारसी दास, दाल मंडी	..	..	७५,५१९
४—,, मोहन जनरल स्टोर्स, शकर पट्टी	..	..	८६,७५०
५—,, चांदी सोना आभूषण भण्डार	..	..	७२,५०२
		योग ..	६,१२,७९१

सेक्टर—४

१—श्री दुलीचन्द काशी प्रसाद, किराना व्यापारी १८ अमर तल्ला, स्ट्रीट कलकता	..	..	३,००,०००
२—,, बिहारी लाल हेमराज, किराना व्यापारी १७८ क्रास स्ट्रीट, कलकत्ता—७	..	..	७४,२१९
३—,, राम शंकर राम मोहन, परेड	..	..	६०,००३
४—,, हेमन्त एण्ड कम्पनी, २८।१३७ सिविल लाइन्स	..	..	६२,५००
५—,, कर्जन लेदर वर्कस १५-८१, सिविल लाइन्स	..	..	७५,८८६
		योग ..	५,७२,६०८

सेक्टर—५

१—श्री महाबीर इंजीनियरिंग वर्कस	..	..	५६,२३०
२—,, महाबीर आयल मिल्स ..	..	..	९८,१३२
३—,, राज कुमार दयाशंकर ..	..	..	४७,३३६
४—,, पी० एन० खर ..	..	..	६१,९१२
		योग ..	२,६३,६४०

सेक्टर—६

१—म्योर मिल्स कं० ..	..	..	७,२३,४५२

सेक्टर—७

१—सर्वश्री जगदीश एन्ड स्टोर्स, हलसी रोड	..	..	७५,००१
२—,, कानपुर बनस्पती स्टोर्स, हलसी रोड	..	..	३,५२,२३१
३—,, कलूट हरी शंकर कुली बाजार..	..	..	५२,०००
४—,, मार्डन टैनरी, फर्राशखाना ..	..	..	८३,९०८
५—,, हिन्दुस्तान स्टील कारपोरेशन, हलसी रोड	..	..	७०,५४४
६—,, हिन्दुस्तान ड्रेस्ड लेदर इन्डस्ट्रीज, अनवरगंज ..	..	..	५९,३२०
		योग ..	६,९३,००४
कानपुर मण्डल का महा योग		..	६३,६८,३१२

नत्थी 'झ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५७० पर)

थाना जैतीपुर जिला शाहजहांपुर में दिनांक १–१–१९६६ से ५–४–१९६७ तक दर्ज मामलों के संबंध में सूचना

धारा अपराध	मामलों की संख्या जिनमें फाइनल रिपोर्ट लगाई गई	फाइनल रिपोर्ट लगाने का कारण
१	२	३
३०२	१	समुचित प्रमाण का अभाव
३०४	..	..
३०७	३	दो मामलों में घटना का सही होना नहीं पाया गया तथा एक मामले में कुछ पता नहीं लग सका।
३९५	..	..
३९६	..	..
१४७–३२३	१	समुचित प्रमाण का अभाव
१४८–३२५	..	..

नत्थी 'ञ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं० १९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५७१ पर)

तालिका

न्योली चीनी मिल जिला ऐटा पर १९६४ से ८-७-१९६७ तक विभिन्न बकायों का विवरण

(१) गन्ने के मूल्य की बकाया रकम ।		कुछ नहीं ।
(२) सेल्स टैक्स	..	१९५४-५५ से १९६३-६४ तक जो बिक्री कर निर्धारित हुआ वह मिल ने जमा कर दिया है। बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत कर निर्धारण की अवधि चार वर्ष है। चालू वित्तीय वर्ष में उक्त फैक्ट्री का १९६४-६५ का कर निर्धारण हो जायगा ।
(३) मजदूरों का बोनस	..	१९६४-६५ में मजदूरों के बोनस का रुपया ३,२९.३९ दिसम्बर, १९६६ तक बकाया था, क्योंकि इस रकम को मजदूर लेने नहीं आये । दिसम्बर १९६६ के बाद के भुगतान के आंकड़े उपलब्ध नहीं है। १९६५-६६ के देय बोनस का कथित तिथि तक केवल रुपया २,१८२.०० शेष रह गया था

नत्थी 'ट'

(देखिये अतारांकित प्रश्न का २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५७२ पर)

तालिका

लक्ष्मी गंज चीनी मिल, जिला देवरिया, के जिम्मे विभिन्न बकायों का विवरण

			लाख रुपयों में
(१) उपकर	..	..	१०.०६
(२) क्रय कर (१९६५–६६ तक)	..	..	१७.३२
(३) क्रय कर (१९६६–६७ तक)	..	..	३.१५
		योग ..	३०.५३
(४) गन्ने का मूल्य (१९६६–६७ तक)	..	..	०.३४
(५) गन्ने क मूल्य पर व्याज (१९६६–६७ तक)		..	०.०१
(६) पुराने गन्ने का मूल्य (१९६६–६७ तक)		..	०.११
(७) पुराना व्याज गन्ने के मूल्य पर (१९६६–६७ से पूर्व)		..	०.४४
(८) पुराना व्याज कमीशन पर (१९६६–६७ से पूर्व)		..	०.०५
	क्रमांक ४ से ८ तक का योग		०.९५
	सम्पूर्ण योग	..	३१.४८
(९) बिक्री कर (१–१०–६७ तक)	..	..	२७,८१०

क्रमांक १ व २ पर अंकित उप कर एवं क्रय कर की धनराशि क्रमशः १०.०६ व १७. ३२ लाख रुपया की वसूली के सम्बन्ध में उक्त चीनी मिल ने सिविल जज देवरिया से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है और न्यायालय के निर्णय होने तक उपर्युक्त बकाया धनराशि की वसूली स्थगित है। उसको रद्द कराने के हेतु कार्यवाही की जा रही है। वर्ष १९६६–६७ के बकाया क्रय कर की धनराशि रुपया ३.१५ लाख की वसूली के हेतु मांग-पत्र भेजा जा चुका है। क्रमांक ४ से ८ तक लिखित गन्ने के मूल्य, एवं उस पर तथा कमीशन पर व्याज आदि बकाया का योग रुपया ९५ हजार जारी किये गये वसूली प्रमाण पत्र में सम्मिलित है।

क्रमांक ९ पर दिये गये बकाया बिक्री कर की वसूली के लिये वसूली प्रमाण-पत्र देवरिया जिले के कलेक्शन अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज दिये गये हैं।

नत्थी 'ठ'

(देखिए पीछे पृष्ठ ५९१ पर)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६७

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० को संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारतीय गणतन्त्र के अट्ठारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, १९६७ कहलाएगा।

(२) यह २७ नवम्बर, १९६७ से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १५, १९४८ ई० में नई धारा क ४—संख्या का बढ़ाया जाना

२—उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई०, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा ४-फ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

कुछ निर्माताओं को विशेष छूट

"४—ख—(१) धारा ३, ३-क, ३-कक और ३-घ में किसी बात के होते हुए भी—

(क) यदि धारा ३-घ के अधीन कर योग्य कोई माल किसी ऐसे व्यापारी द्वारा खरीदा जाय जो उक्त धारा के अधीन अपने प्रथम क्रय के क्रय-धन पर कर का देनदार हो, और उस व्यापारी के पास उसके सम्बन्ध में उपधारा (२) के अधीन जारी किया गया मान्यता का प्रमाण-पत्र हो तो वह ऐसे माल के सम्बन्ध में ऐसी रियायती दर पर कर का देनदार होगा, अथवा कर से मुक्त कर दिया जायगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा गजट में तदर्थ विज्ञापित किया जाय ;

(ख) यदि किसी अन्य धारा के अधीन कर योग्य कोई माल किसी व्यापारी द्वारा किसी दूसरे व्यापारी को बेचा जाय और ऐसा अन्य व्यापारी विक्रेता-व्यापारी को नियत प्रपत्र में तथा रीति से इस आशय का एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे कि उसके पास उसके सम्बन्ध में उपधारा (२) के अधीन जारी किया गया मान्यता का प्रमाण-पत्र है, तो विक्रेता-व्यापारी ऐसे माल के सम्बन्ध में ऐसी रियायती दर पर कर का देनदार होगा, अथवा कर से मुक्त कर दिया जायगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा गजट में तदर्थ विज्ञापित किया जाय।

(२) कोई व्यापारी जिसे उत्तर प्रदेश में कोई विज्ञापित माल निर्माण करने के प्रयोजन से उपधारा (१) में अभिदिष्ट कोई माल कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने के लिए अपेक्षित हो और उसका ऐसे विज्ञापित माल को राज्य में या अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान में या भारत से निर्यात करने के दौरान में बेचने का अभिप्राय हो, ऐसी अवधि के भीतर और ऐसे प्रपत्र में तथा ऐसी रीति से जो नियत की जाय, उसके सम्बन्ध में मान्यता का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए कर निर्धारक अधिकारी को प्रार्थना-पत्र दे सकता है और यदि

प्रार्थी उन अपेक्षाओं तथा शर्तों को, जो नियत की जायें, पूरा करता हो तो कर निर्धारक अधिकारी ऐसे माल के सम्बन्ध में व्यापारी को, ऐसे प्रपत्र में और ऐसी शर्तों पर जो नियत की जाय, मान्यता का प्रमाण-पत्र देगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) किसी व्यापारी द्वारा विज्ञापित माल क निर्माण में प्रयुक्त सहायक पुर्जों तथा संघटक पुर्जों को भी ऐसे विज्ञापित माल का कच्चा माल समझा जायगा,

(ख) "विज्ञापित माल" का तात्पर्य ऐसे माल से है जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर गजट में तदर्थ विज्ञापित किया जाय।

(३) यदि कर निर्धारक अधिकारी को राजस्व की सुरक्षा के लिए ऐसा करना आवश्यक प्रतीत हो तो वह उपधारा (२) के अधीन मान्यता का प्रमाण-पत्र जारी करने की शर्त के रूप में, या ऐसे प्रमाण-पत्र को प्रभावी बनाए रखने के लिए शर्त के रूप में, समय-समय पर जो आवश्यक हो, ऐसी अपेक्षा आरोपित कर सकता है कि व्यापारी मान्यता के प्रमाण-पत्र की शर्तों का उचित रूप से अनुपालन करने के लिए ऐसी प्रतिभूति देगा जो वह निर्दिष्ट करे।

(४)—(१) यदि कर निर्धारक अधिकारी का यह समाधान हो जाय कि ऐसे व्यापारी ने, जिसके पक्ष में किसी माल के सम्बन्ध में उपधारा (२) के अधीन मान्यता का प्रमाण-पत्र दिया गया था—

(क) उस प्रयोजन के लिए, जिसके निमित्त मान्यता का प्रमाण-पत्र दिया गया था, निर्माण-कार्य बन्द कर दिया है; या

(ख) मान्यता के प्रमाण-पत्र की किसी शर्त का उल्लंघन किया है; या

(ग) उपधारा (३) के अधीन अपेक्षित प्रतिभूति नहीं दी है; या

(घ) वह ऐसा फर्म, संघ या संयुक्त हिन्दू परिवार है जिसके सम्बन्ध में धारा १८ की उपधारा (१) के स्पष्टीकरण के अर्थ में यह समझा जाय कि उसने अपना व्यापार बन्द कर दिया है,

तो ऐसा अधिकारी, या तो स्वतः अथवा व्यापारी द्वारा प्रार्थना-पत्र दिए जाने पर, मान्यता का प्रमाण-पत्र, ऐसे दिनांक से जो वह निर्दिष्ट करे, रद्द कर सकता है।

(२) कर निर्धारक अधिकारी उपधारा (२) के अधीन दिए गए मान्यता के प्रमाण-पत्र को या तो स्वतः अथवा व्यापारी द्वारा प्रार्थना-पत्र दिए जाने पर, जब व्यापारी ने अपने व्यवसाय-स्थान के नाम में परिवर्तन कर दिया हो अथवा व्यवसाय की किसी शाखा को बन्द कर दिया हो या कोई नई शाखा खोल ली हो अथवा किसी अन्य पर्याप्त कारण से, संशोधित कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि कर निर्धारक अधिकारी द्वारा स्वतः मान्यता का प्रमाण-पत्र न तो रद्द किया जायगा और न संशोधित किया जायगा जब तक कि व्यापारी की सुनवाई का समुचित अवसर न दे दिया जाय।

(५) यदि किसी व्यापारी ने जिसके पक्ष में उपधारा (२) के अधीन मान्यता का प्रमाण-पत्र दिया गया हो, रियायती दरों पर माल खरीदन के पश्चात् या

उस प्रयोजन से, जिसके लिए मान्यता का प्रमाण-पत्र दिया गया हो, भिन्न प्रयोजन के लिए कर का भुगतान किए बिना माल का उपयोग किया हो अथवा उक्त माल का निस्तारण अन्य रूप से कर दिया हो तो ऐसा व्यापारी दंड स्वरूप उस धनराशि का देनदार होगा जो—

(क) यदि रियायती दर पर माल खरीदा जाय तो, ऐसे माल की खरीद या बिक्री पर धारा ३, धारा ३—क, धारा ३-कक, या धारा ३-ध के अधीन, जैसी भी दशा हो, देय कर की धनराशि के और इस धारा के अधीन रियायती दर पर देय कर की धनराशि के अन्तर से कम न हो, और

(ख) यदि बिना कर दिए माल खरीदा जाय तो धारा ३, धारा ३-क, धारा ३-कक या धारा ३-घ के अधीन, जैसी भी दशा हो, देय कर की धनराशि से कम न हो।

किन्तु ऐसे अन्तर के या कर की धनराशि के, जैसी भी दशा हो, तीन गुने से अधिक न हो :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन कर निर्धारक अधिकारी द्वारा कोई दण्ड आरोपित नहीं किया जायगा जब तक कि व्यापारी को सुनवाई का समुचित अवसर न दे दिया जाय :

प्रतिबन्ध यह भी है कि उन्हीं तथ्यों के सम्बन्ध में, जिनके लिए इस उपधारा के अधीन आरोपित दण्ड का भुगतान देय कर के अतिरिक्त कर दिया गया तो, धारा १४ के अधीन कोई अभियोग नहीं चलाया जायगा।

(६) यदि किसी व्यापारी ने, जिसके पक्ष में उपधारा (२) के अधीन मान्यता का प्रमाण-पत्र दिया गया हो, उत्तर प्रदेश राज्य में अथवा अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान में या भारत से निर्यात करने के दौरान में विज्ञापित माल न बेच कर अन्यथा बेचा हो अथवा ऐसे माल को राज्य के बाहर किसी अन्य स्थान को अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान में या भारत से निर्यात करने के दौरान में बिक्री या खरीद के प्रत्यक्ष परिणाम-स्वरूप न भेज कर अन्यथा भेजा हो, तो ऐसा व्यापारी उस धनराशि का देनदार होगा जो, यदि रियायती दर पर माल खरीदा जाय, ऐसे माल की बिक्री या खरीद पर धारा ३, धारा ३—क, धारा ३-कक, या धारा ३-घ के अधीन जैसी भी दशा हो, देय कर की धनराशि और इस धारा के अधीन रियायती दर पर देय कर की धनराशि के अन्तर के बराबर हो अथवा जो, यदि माल बिना कर दिए खरीदा जाय, धारा ३, धारा ३-क, धारा ३-कक या धारा ३-घ के अधीन, जैसी भी दशा हो, देय कर के बराबर हो।

ऐक्ट संख्या ४७, १९५६

(७) यह निर्धारण करने के लिए कि कोई विशिष्ट बिक्री या खरीद अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान में या भारत से निर्यात करने के दौरान में हुई है या नहीं, सेन्ट्रल सेल्स टैक्स ऐक्ट, १९५६ की धारा ३, ४ और ५ लागू होंगी।"

धारा ८—क का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा ८-क में, उपधारा (६) के प्रतिबन्धात्मक खण्डों के स्थान पर निम्नलिखित रख दिए जायें, अर्थात्—

"प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन प्रतिभूति मांगने की आज्ञा के विरुद्ध धारा ९ के अधीन अपील की जा सकेगी :

प्रतिबन्ध यह भी है कि अपील सुनने वाले अधिकारी की आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, उस पर आज्ञा तामील किए जाने के दिनांक से तीस

दिन के भीतर किन्तु प्रतिभूति दे देने के पश्चात् पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकता है जो ऐसी आज्ञा दे सकता है जिसे वह उचित समझे।"

धारा ६ का संशोधन

४—मूल अधिनियम की धारा ६ में—

(क) उपधारा (१) में शब्द तथा अंक "धारा १५-क के अधीन अर्थ-दण्ड लगाने वाली आज्ञा" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्—

"धारा ४-ख की उपधारा (५) के अधीन या धारा १३-क के अधीन अथवा धारा १५-क के अधीन अर्थ-दण्ड लगाने वाली आज्ञा या धारा ४-ख की उपधारा (३) के अधीन अथवा धारा ८-क की उपधारा (६) के अधीन प्रतिभूति मांगन की आज्ञा या धारा ४-ख की उपधारा (४) के अधीन मान्यता का प्रमाण-पत्र रद्द करने या उसमें संशोधन करने की आज्ञा";

(ख) उपधारा (३) में खण्ड (घ) के उप खण्ड (१) के पश्चात् निम्नलिखित दो नए उप-खण्ड बढ़ा दिए जायें, अर्थात्—

"(१-क) धारा ४-ख की उपधारा (३) के अधीन या धारा ८-क की उपधारा (६) के अधीन प्रतिभूति मांगने की आज्ञा का समर्थन कर सकते हैं, उसे रद्द कर सकते हैं अथवा उसमें परिष्कार कर सकते हैं, या

(१-ख) धारा ४-ख की उपधारा (४) के अधीन किसी मान्यता के प्रमाण-पत्र को रद्द करने या उसमें संशोधन करने की आज्ञा का समर्थन कर सकते हैं, उसे रद्द कर सकते हैं अथवा उसमें परिष्कार कर सकते हैं; या।"

धारा १० का संशोधन

५—मूल अधिनियम की धारा १० की उपधारा (२) निकाल दी जाय।

धारा १३ का संशोधन

६—मूल अधिनियम की धारा १३ में—

(क) उपधारा (२) में शब्द "अधिकारियों द्वारा" और शब्द "निरीक्षण के लिए" के बीच में शब्द " जो कर निर्धारक अधिकारी से निम्न श्रेणी का न हो," रख दिये जायं।

(ख) उपधारा (३) में कामा तथा शब्द ", जो सहायक बिक्री-कर अधिकारी (Assistant Sales Tax Officer) या उससे निम्न श्रेणी का अधिकारी न हो" निकाल दिये जायें; और

(ग) उपधारा (४) के पश्चात् निम्नलिखित तीन नयी उपधारायें बढ़ा दी जायें, अर्थात्

"(४-क) उपधारा (२) के अधीन कार्य करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी को—

(१) किसी कार्यालय, दुकान, गोदाम, यान-पात्र, गाड़ी या ऐसे कार्यालय, दुकान, गोदाम, यान-पात्र या गाड़ी में पाए गए किसी सन्दूक, आलमारी या अन्य पात्र को,

जिसके लिये उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि उसमें कोई लेखा, रजिस्टर या अन्य लेख्य या माल रक्खे हैं अथवा उसके अन्दर हैं, यदि ऐसे कार्यालय, दुकान, गोदाम, यान-पत्र गाड़ी या सन्दूक, आलमारी या अन्य पात्र का स्वामी अथवा अध्यासी या प्रभारी व्यक्ति उस स्थान को छोड़ दे या वहां उपलब्ध न हो अथवा जब उससे खोलने को कहा जाय तो उसे न खोले अथवा खोलने से इंकार करे, मुहरबन्द करने का अधिकार होगा:

(२) यदि ऐसा स्वामी या अन्य व्यक्ति, जिसके अध्यासन या प्रभार में कार्यालय, दुकान, गोदाम, यान-पात्र या गाड़ी अथवा कार्यालय, दुकान, गोदाम, यान-पात्र या गाड़ी में पाए गए सन्दूक, आलमारी या अन्य पात्र हैं, उपस्थित हो किन्तु उस स्थान से चला जाय या ऐसा न करने के लिए अवसर दिए जाने के पश्चात् वह ऐसे कार्यालय, दुकान, गोदाम, यान-पात्र, गाड़ी या सन्दूक, आलमारी या अन्य पात्र को न खोले तो, उसे तोड़ कर खोल सकता है और उसमें पाए गये माल तथा लेख्यों की एक सूची तैयार करेगा ।

(४-ख) उपधारा (४क) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करने वाला अधिकारी राज्य के किसी पुलिस अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी की सहायता ले सकता है ।

(४-ग) कोई भी व्यक्ति उपधारा (४-क) के अधीन लगायी गयी किसी मुहर से अन्तः क्षेप करने की कोशिश न करेगा ।"

नई धारा १३ का बढ़ाया जाना

७--मूल अधिनियम की धारा १३ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्--

अभिग्रहण तथा जब्त करने का अधिकार

"१३--क--(१) धारा १३ की उपधारा (२) के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी को किसी ऐसे माल का अभिग्रहण करने का अधिकार होगा---

(१) जो किसी व्यापारी के कार्यालय, दुकान, गोदाम, गाड़ी, यान-पात्र या किसी अन्य भवन में या स्थान पर पाया जाय, या

(२) जिसके संबंध में उस अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि माल व्यापारी का है और जो कार्यालय, दुकान, गोदाम, किसी गाड़ी या यान-पात्र अथवा किसी भवन में या स्थान पर पाया जाय ।

किन्तु जिसका लेखा व्यापारी द्वारा अपने व्यवसाय के दौरान में रक्खे गए लेखों, रजिस्टरों, या अन्य लेख्यों में न रक्खा गया हो :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन अभिग्रहीत सभी माल की सूची ऐसे अधिकारी द्वारा तैयार की जायगी और उस पर उक्त अधिकारी तथा कम से कम दो सम्माननीय साक्षियों द्वारा हस्ताक्षर किया जायगा ।

(२) व्यापारी जिसका माल उपधारा (१) के अधीन अभिग्रहीत किया गया हो, उक्त माल के संबंध में करके रूप में देय धनराशि के तीन गुने से अनधिक ऐसे दंड का देनदार होगा जो कर निर्धारक अधिकारी द्वारा आरोपित किया जाय ।

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन कोई दंड तब तक आरोपित नहीं किया जायगा जब तक कि व्यापारी को सुनवाई का समुचित अवसर न दे दिया जाय:

प्रतिबन्ध यह भी है कि उन्हीं तथ्यों के संबंध में जिन पर इस उपधारा के अधीन आरोपित दंड का भुगतान देय कर के अतिरिक्त कर दिया गया हो धारा १४ के अधीन कोई अभियोग नहीं चलाया जायगा ।

(३) उपधारा (१) के अधीन अभिग्रहीत माल उक्त उपधारा के अधीन उसका अभिग्रहण करने वाले अधिकारी द्वारा या कर निर्धारक अधिकारी द्वारा, उस दंड का भुगतान करने के लिए, जो उपधारा (२) के अधीन आरोपित किया जाय, ऐसी प्रतिभूति देने पर जो, यथास्थिति, ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित हो, छोड़ दिया जायगा ।

(४) उपधारा (१) के अधीन अभिग्रहीत माल कर निर्धारक अधिकारी द्वारा जब्त किया जा सकता है यदि व्यापारी नियत अवधि के भीतर उसके संबंध में आरोपित दंड का भुगतान न कर दे ।"

धारा ९ का संशोधन

८—मूल अधिनियम की धारा १४ में—

(क) उपधारा (१) में—

(१) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय अर्थात्—

"(ग) इस अधिनियम के अधीन कर का देनदार होते हुए, धारा ८-क के अधीन और उसके अनुसार रजिस्ट्री के लिए प्रार्थना-पत्र दिये बिना व्यापारी के रूप में व्यापार करे, या"

(२) शब्द "एक हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "दो हजार रुपये" रख दिए जायें; और

(३) इस उपधारा के अन्त में आए हुए पूर्ण विराम के स्थान पर कोलन रख दिया जाय और तत्पश्चात् निम्नलिखित इस उपधारा के प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के खंड (क) के अधीन द्वितीय या अनुवर्ती बार सिद्ध-दोष ठहराये जाने पर न्यूनतम दंड जो दिया जायगा, वह अर्थ दंड के रूप में ५०० रुपये की धनराशि या अपराध में अन्तर्ग्रस्त कर की धनराशि, जो भी कम हो, होगी"

(ख) उप धारा (२) में—

(१) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित दो नए खंड बढ़ा दिए जायें, अर्थात्—

"(कक) धारा ४-ग के अधीन रियायती दर पर या कर दिये बिना खरीदे गये किसी माल का प्रयोग उस प्रयोजन

से, जिसके लिए उक्त धारा के अधीन मान्यता का प्रमाण-पत्र दिया गया हो, भिन्न प्रयोजन के लिये करे अथवा ऐसे माल का अन्यथा निस्तारण करे; न या

(ककक) इस अधिनियम के अधीन कर का देनदार होते हुए भी इस अधिनियम या तद्धीन नियमों के उपबन्धों के अधीन अपने विक्रय धन की विवरणी बिना पर्याप्त कारण के प्रस्तुत न करे अथवा पहले या विवरणी के साथ, जैसा कि धारा ७ की उपधारा (१) में व्यवस्थित है, कर जमा न करें या

(२) खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय अर्थात्--

"(च) धारा १३ या धारा १३-क के अधीन अधिकृत किसी अधिकारी को उसकी उपधारा (२), (३), (४), (४-क) और उपधारा (५) के खंण्ड (क) में और धारा १३- की उपधारा (१) में उल्लिखित किन्हीं कृत्यों को करने से रोके या उसमें बाधा डाले, या"

(३) खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्-

"(चच) धारा १३ की उपधारा (-क) के अधीन लगायी गयी किसी मुहर से अन्तः क्षेप करने की कोशिश करे, या"

(४) शब्द "छ माह" के स्थान पर शब्द "एक वर्ष" रख दिए जायें, और

(५) इस उपधारा के अन्त में आये हुए पूर्ण विराम के स्थान पर कोलन रख दिया जाय और तत्पश्चात् इस उपधारा के प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय:

"प्रतिबन्ध यह है कि द्वितीय या अनुवर्ती बार सिद्ध दोष ठहराये जाने पर न्यूनतम दंड जो दिया जायगा वह तीन माह की अवधि के लिये साधारण कारावास होगा।"

धारा १५-क का संशोधन

९--मूल अधिनियम की धारा १५-क की उपधारा (५) निकाल दी जाय।

धारा २४ का संशोधन

१०--धारा २४ की उपधारा (२) के खंड (छ) के अन्त में आया हुआ शब्द "और" निकाल दिया जाय और तत्पश्चात् निम्नलिखित दो नए खंड बढ़ा दिए जायं, अर्थात्--

"(छछ) धारा १३ की उपधारा (४-क) के अधीन मुहर लगाने की रीति और वह रीति जिसके अनुसार उसे हटाया जायगा और उक्त उपधारा में अभिदिष्ट मुहरबन्द सम्पत्ति और अन्य माल तथा लेख्य की अभिरक्षा की जायगी,

(छछछ) धारा १३-क के अधीन अभिग्रहीत माल की अभिरक्षा; और"

निरसन तथा अपवाद

११--(१) उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अध्यादेश, १९६७ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ४, १९६७

(२) उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी या किये जाने के लिये अभिप्रेत कोई बात या की गयी अथवा किये जाने के लिए अभिप्रेत कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन की गयी समझी जायगी।

उद्देश्य और कारण

अधिकांश राज्यों में तैयार माल के निर्माण में प्रयोग किये जाने के लिए अपेक्षित कच्चे माल या तो बिक्री-कर से मुक्त हैं या उन पर रियायती दर से कर लगता है। उत्तर प्रदेश के निर्माताओं को इस प्रकार की कोई रियायत प्राप्त नहीं है जिसके फलस्वरूप अन्य राज्यों के निर्माताओं की तुलना में उन्हें कठिनाई होती है और इस प्रकार प्रदेश के औद्योगिक विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उत्तर प्रदेश बिक्री-कर समिति ने यह सिफारिश की थी कि राज्य सरकार को भी ऐसे उद्योगों को, जिन्हें सरकार समय-समय पर उल्लिखित करे, उक्त प्रकार की रियायत देने का अधिकार होना चाहिए तदनुसार, उत्तर प्रदेश बिक्री कर ऐक्ट, १९४८ में एक नयी धारा ४-ख बढ़ायी जा रही है जिसके अधीन अब राज्य सरकार को वांछित रियायत देने का अधिकार होगा।

२--इस अवसर पर धारा ८-क की उपधारा (६) के उस उपबन्ध को भी हटाया जा रहा है जिसके अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन कराने अथवा उसको चालू रखने के लिए कर निर्धारक अधिकारी द्वारा प्रतिभूति मांगने से पहले बिक्री-कर आयुक्त की पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक था क्योंकि इस उपबन्ध से व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र जारी करने में बिलम्ब होता था।

३--अभी तक, अपील प्राधिकारी न्यायाधीश (पुनरीक्षण), बिक्री कर के निरीक्षण तथा नियंत्रण में होते थे। यह व्यवस्था अन्य राज्यों के बिक्री-कर विभाग तथा आय-कर विभाग में प्रचलित प्रणाली के प्रतिकूल थी जहां कि प्रथम अपील सुनने वाला प्राधिकारी विभाग के प्रशासकीय अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है। तदनुसार संगत उपबन्ध, अर्थात् धारा १० (२), निकाल दिये जाने का प्रस्ताव है।

४--धारा १३ (३) के उपबन्धों के कारण भी कठिनाई अनुभव की जा रही थी, जिसके अनुसार सहायक बिक्री कर अधिकारी को यद्यपि सर्वेक्षण तथा निरीक्षण के अधिकार प्राप्त हैं, फिर भी वे सर्वेक्षण के दौरान में बही-खाता, लेखे, लेख्य, आदि अभिग्रहीत नहीं कर सकते। कर निर्धारक अधिकारियों को ऐसे कार्यालय, गोदाम, आलमारी आदि का, जहां लेखा बही रक्खी जा सकती है, ताला तोड़ने के भी विशिष्ट अधिकार नहीं हैं। इसी प्रकार कर निर्धारक अधिकारियों को ऐसा माल अभिग्रहीत करने का भी अधिकार नहीं है जिन्हें व्यापारी ने अपने खाता-बही में न दिखाया हो। कर अपवंचन को कारगर ढंग से रोकथाम किये जाने के लिये ऐसे अधिकार आवश्यक हैं। तदनुसार धारा १३ की उपधारा (३) और (४) में समुचित संशोधन किये जाने की आवश्यकता है और एक नयी धारा १३-क भी इसलिए आवश्यक है जिससे कि कर निर्धारक अधिकारियों को ऐसा अधिकार दिया जा सके कि वे ऐसा माल अभिग्रहीत कर सकें जिनका हिसाब न रखा गया हो, और उन पर देय कर की धनराशि से तीन गुनी धनराशि के बराबर तक दण्ड आरोपित कर सकें और यदि व्यापारी दण्ड का भुगतान न करे तो माल जब्त कर सकें।

५--धारा १४ में दण्ड के लिए की गयी व्यवस्था भी उतनी निरोधक सिद्ध नहीं हो रही थी जिस से कि व्यापक रूप से हो रहे कर अपवंचन को रोका जा सके। तदनुसार, अर्थ दण्ड सम्बन्धी वर्तमान अधिकतम सीमा को २,००० रु० से बढ़ा कर २,००० रु० कर के तथा कारावास की सीमा को ६ माह के बजाय एक वर्ष कर के, दण्ड सम्बन्धी उपबन्धों को और प्रभावी बनाये जाने का प्रस्ताव है। इस प्रकार का एक और उपबन्ध बढ़ाने का प्रस्ताव है जिसके अनुसार कतिपय द्वितीय या अनुवर्ती अपराधों के लिए निम्नतम दण्ड की व्यवस्था की गयी है।

६--धारा ९, १५-क तथा २४ में भी आनुषंगिक परिवर्तन करने का प्रस्ताव किया जा रहा है।

७--चूंकि प्रस्तावित परिष्कारों को तुरन्त करना आवश्यक था और विधान मण्डल का सत्र नहीं हो रहा था, इसलिए २७ नवम्बर, १९६७ को राज्यपाल द्वारा उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) अध्यादेश, १९६७ प्रख्यापित किया गया था। उपबन्धों को और अधिक स्पष्ट बनाने के लिए कतिपय शाब्दिक परिवर्तन करना भी आवश्यक प्रतीत होता है।

८--तदनुसार यह विधेयक उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने तथा उपरिलिखित कुछ शाब्दिक परिवर्तन करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

राम स्वरूप वर्मा
वित्त मंत्री।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ११९ एल० ए०--१९६८--८४६।